महानगर नई दिल्ली गुरुवार 7 नवंबर, 2019, रु. 5.00 (16 पेज) दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ और चंडीगढ़ से प्रकाशित

जनसत्ता

jansatta.com epaper.jansatta.com facebook.com/jansatta twitter.com/jansatta

केंद्रीय मंत्रिमंडल का फैसला

आवास क्षेत्र को मिलेंगे 25,000 करोड़ रुपए

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 6 नवंबर।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अटकी आवासीय परियोजनाओं को पूरा करने के लिए 25,000 करोड़ रुपए का वैकल्पिक निवेश कोष (एआइएफ) बनाने की मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जानकारी दी कि इस 25,000 करोड़ रुपए के कोष के लिए सरकार, भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआइ) और जीवन बीमा निगम (एलआइसी) संस्थाएं धन उपलब्ध कराएंगी।

सीतारमण ने कहा कि इस कोष से 4.58 लाख घरों की 1,600 आवासीय परियोजनाओं को फायदा होगा। वित्त मंत्री इस 25,000 करोड़ रुपए के कोष से अटकी परियोजनाओं के लिए चरणबद्ध तरीके से धन उपलब्ध कराया जाएगा। चरण पूरा होने के बाद राशि जारी की जाएगी। इसमें फिलहाल 10 हजार करोड़ रुपए का फंड केंद्र सरकार उपलब्ध कराएगी। आगे और संस्थान जुड़ेंगे, तब इसकी राशि बढ़ाई जाएगी।

निर्मला सीतारमण ने कहा कि गैर निष्पादित आस्तियां (एनपीए) बन चुकी आवासीय परियोजनाएं या फिर दिवाला समाधान के लिए राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) में भेजी जा चुकी आवासीय परियोजनाओं के लिए भी इस कोष से धन लिया जा सकेगा। वित्त मंत्री ने कहा कि वैकल्पिक निवेश कोष से सस्ते घरों बाकी पेज 8 पर

इसमें केंद्र सरकार 10 हजार करोड़ रुपए देगी, बाकी एसबीआइ और एलआइसी देंगी

केंद्र सरकार ने वैकल्पिक निवेश कोष गठित करने का ऐलान किया

सीतारमण ने कहा कि इस कोष से 4.58 लाख घरों की 1,600 आवासीय परियोजनाओं को फायदा होगा।

प्रमुख बातें

एनपीए बन चुकी आवासीय परियोजनाएं या फिर दिवाला समाधान के लिए राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) में भेजी जा चुकी आवासीय परियोजनाओं के लिए भी इस कोष से धन लिया जा सकेगा।

वैकल्पिक निवेश कोष से सस्ते घरों की परियोजनाओं या मध्यम वर्ग के लिए बनाए जाने वाले घरों की परियोजनाओं के लिए भी धन उपलब्ध कराया जाएगा।

इस फंड के द्वारा एक खाते में पैसे डालकर अपूर्ण परियोजना को लाभ दिया जाएगा। शुरुआत में यह खाता एसबीआइ के पास होगा।

रेरा में जो भी अपूर्ण परियोजनाएं हैं, उनको सहयोग दिया जाएगा। उन्हें आखिरी चरण तक मदद दी जाएगी। कोशिश होगी कि खरीदारों को जल्द मकान मिल जाए।

पाक वीडियो में भिंडरावाले को लेकर विवाद

विदेश मंत्रालय की तीखी प्रतिक्रिया, अमरिंदर ने कहा -पाकिस्तान का छिपा हुआ एजंडा

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 6 नवंबर।

करतारपुर साहिब गलियारे के उद्घाटन के पहले दरबार साहिब को लेकर जारी वीडियो में पाकिस्तान ने मारे जा चुके खालिस्तानी आतंकी जनरैल सिंह भिंडरावाले और उसके दो साथियों- मेजर शहबेग सिंह और अमरीक सिंह खालसा के पोस्टर दिखाए गए हैं। इसको लेकर भारत में विवाद भड़क गया है। करतारपुर साहिब गलियारे को लेकर जारी इस प्रचार वीडियो में पोस्टरों का शॉट कुछ ही सेकेंड का है, लेकिन इसमें तीनों खालिस्तानी आतंकियों के पोस्टर हीरो की तरह दिखाए गए हैं। इस पर बाकी पेज 8 पर

करतारपुर साहिब गलियारे को लेकर जारी प्रचार वीडियो में तीनों खालिस्तानी आतंकियों के पोस्टर हीरो की तरह दिखाए गए।

पासपोर्ट पर भारत ने मांगी सफाई

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 6 नवंबर।

भारत ने पाकिस्तान से स्पष्ट करने को कहा है कि करतारपुर साहिब के लिए पासपोर्ट की जरूरत पड़ेगी या नहीं। विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा कि पाकिस्तान स्थिति स्पष्ट करे। बाकी पेज 8 पर

सिद्धू ने विदेश मंत्रालय से दूसरी बार मांगी अनुमति

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 6 नवंबर।

पंजाब सरकार के पूर्व मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने बुधवार को विदेश मंत्रालय को चिट्ठी लिख दूसरी बार नौ नवंबर को पाकिस्तान में करतारपुर बाकी पेज 8 पर

वकीलों ने वादियों के लिए बंद किए अदालत के गेट

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 6 नवंबर।

दिल्ली की सभी छह जिला अदालतों में वकीलों ने बुधवार को लगातार तीसरे दिन काम ठप रखा। प्रदर्शनकारी वकीलों ने पटियाला हाउस और साकेत जिला अदालतों के मेन गेट बंद कर दिए। उन्होंने दावा किया कि सुरक्षा कारणों से वादियों को भीतर नहीं जाने दिया। तीस हजारी अदालत परिसर में दो नवंबर को वकीलों और पुलिस के बीच हुई झड़प की घटना के विरोध में वकील प्रदर्शन कर रहे हैं और काम का बहिष्कार कर रहे हैं।

उधर वकीलों ने पुलिस आयुक्त को नोटिस भेजकर प्रदर्शनकारी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग भी की है। वकीलों का दावा, जवानों का प्रदर्शन पुलिस एक्ट की धारा 3 (1) और 3 (2) का उल्लंघन है। इसमें कहा गया है कि भारत जैसे बाकी पेज 8 पर

झड़प की तस्वीर व वीडियो साझा नहीं करें अदालत के कर्मचारी

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 6 नवंबर।

तीस हजारी अदालत के जिला न्यायाधीश ने बुधवार को अदालत के कर्मचारियों को निर्देश दिया कि वे हाल में पुलिस और वकीलों के बीच हुई झड़प की तस्वीर, वीडियो व लेख किसी अन्य से या सोशल मीडिया पर साझा नहीं करें। तीस हजारी अदालत के जिला जज गिरीश कठपालिया ने परिपत्र जारी कर कर्मचारियों बाकी पेज 8 पर

पुलिस प्रदर्शन अनुचित, जवानों को गिरफ्तार किया जाए : बीसीआइ

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 6 नवंबर।

बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआइ) ने दोषी पुलिस अधिकारियों को एक हफ्ते के भीतर गिरफ्तार किया जाने की मांग करते हुए बुधवार को कहा कि दिल्ली पुलिस का मंगलवार का प्रदर्शन इतिहास का काला दिन था। पुलिस मुख्यालय का जमावड़ा राजनीति से प्रेरित था। बीसीआइ ने पुलिस प्रदर्शन की योजना में शामिल लोगों की बाकी पेज 8 पर

पराली जलाने से रोकने के लिए मशीने देने में प्राथमिकता दें : प्रधानमंत्री

भाषा/जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 6 नवंबर।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में प्रदूषण को नियंत्रित करने में नाकाम रहने पर एजंसियों को फटकार लगाए जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि मंत्रालय को निर्देश दिया है कि वह पराली जलाने से रोकने के लिए उत्तरप्रदेश, हरियाणा और पंजाब के किसानों को मशीन देने में प्राथमिकता दे। खेत से पराली को हटाने के लिए बाजार में मशीनें उपलब्ध हैं जिन्हें खरीदने के लिए हरियाणा और पंजाब सरकार सबसिडी की पेशकश कर रही हैं।

प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान के मुताबिक प्रधानमंत्री ने यह निर्देश सूचना प्रौद्योगिकी आधारित मल्टीमीडिया मंच अग्र सक्रिय शासन व समयबद्ध अनुपालन 'प्रगति' की बैठक में दिया। मंगलवार को मोदी को प्रदूषण की स्थिति से अवगत कराया गया था। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा और कैबिनेट सचिव राजीव गौबा नियमित आधार पर प्रदूषण की स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि खतरनाक स्तर का वायु प्रदूषण दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के करोड़ों लोगों के लिए जिंदगी-मौत का सवाल बन गया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि वायु प्रदूषण पर अंकुश लगा पाने में विफल रहने के लिए प्राधिकारियों को ही जिम्मेदार बाकी पेज 8 पर

कोर्ट ने पराली नहीं जलाने वाले छोटे और सीमांत किसानों को 100 रुपए प्रति कुंतल देने का निर्देश दिया।

हनीप्रीत को पंचकूला हिंसा और दंगे मामले में जमानत, रिहा

चंडीगढ़, 6 नवंबर (जनसत्ता)।

डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की मुंहबोली बेटी हनीप्रीत को पंचकूला हिंसा और दंगे मामले में जमानत मिल गई है। हनीप्रीत दो साल से अंबाला की केंद्रीय जेल में बंद थी। हनीप्रीत को पंचकुला की अदालत की ओर से जमानत दिए जाने के बाद बुधवार की शाम करीब 5.45 पर उसे अंबाला जेल से रिहा कर दिया गया।

हनीप्रीत को अदालत से जमानत मिलने की खबर के फैलते ही अंबाला के आसपास के इलाकों के बड़ी तादाद में डेरा समर्थक जेल परिसर के बाहर जमा हो गए। उसकी मां आशा तनेजा, पिता रामानंद तनेजा, बहन नीशु, भाई साहिल व भाभी भी उसे लेने के लिए जेल परिसर में पहुंची हुई थीं।

सुनवाई के बाद हनीप्रीत के वकील आरएस चौहान ने हनीप्रीत की जमानत याचिका मंजूर होने की पुष्टि करते हुए कहा कि जमानत के लिए एक लाख रुपए के दो-दो प्रतिभूति श्योरिटी बांड भरे गए। हनीप्रीत पर पिछली बार देशद्रोह की धारा हट गई थी। बाकी पेज 8 पर

पिछली सुनवाई के दौरान हटा दी गई थी देशद्रोह की धारा

शाम करीब 5.45 पर उसे अंबाला जेल से रिहा कर दिया गया।

कुलगाम में आतंकियों ने दो स्कूल जला डाले

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 6 नवंबर।

दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों ने बुधवार शाम दो निजी स्कूलों की इमारत जला डाली। इस घटना की जानकारी के बाद फायर ब्रिगेड की टीमों को मौके पर भेजकर आग बुझाने का काम शुरू कराया गया। आतंकी इन स्कूलों में शाम को छुट्टी हो जाने के बाद पहुंचे और मौजूद कुछ लोगों बाहर निकालकर आग लगा दी। अधिकारियों के मुताबिक, दहशत फैलाने की कोशिश में आतंकियों ने ऐसा किया है।

इस कांड में शामिल स्थानीय लोगों और आतंकियों की पहचान करने में पुलिस जुट गई है। सेना और सुरक्षा बलों ने इलाके में तलाशी अभियान तेज कर दिया है। खबर लिखे जाने तक मौके पर फायर ब्रिगेड की टीमें आग बुझाने की कोशिश कर रही थीं। सुरक्षा कर्मी तैनात थे।

वर्ष 2016 में भी हिज्बुल मुजाहिदीन के कमांडर बुरहान वानी के मारे जाने के बाद आतंकियों ने बौखलाहट दिखाते हुए स्कूलों की कई इमारतों को आग के हवाले कर बाकी पेज 8 पर

कठुआ में अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास गांवों में गोलाबारी, दो मकान क्षतिग्रस्त

अयोध्या मामले पर अदालत का फैसला मंजूर होगा : मदनी

नई दिल्ली, 6 नवंबर (भाषा)।

देश में मुसलमानों के प्रमुख संगठन जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने बुधवार को कहा कि राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला उसे स्वीकार्य होगा। संगठन ने मुसलिमों से भी फैसले का सम्मान करने की अपील की।

जमीयत प्रमुख मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि मस्जिद को लेकर मुसलमानों का मामला पूरी तरह से ऐतिहासिक तथ्यों और इस साक्ष्य पर आधारित है कि बाबरी मस्जिद का निर्माण किसी मंदिर या किसी उपासना स्थल को तोड़ कर नहीं कराया गया था। यहां पत्रकार वार्ता में उन्होंने सभी से अपील की कि फैसला कुछ भी आए, वे शांति बनाए रखें। उन्होंने कहा कि हमने मध्यस्थों से कहा कि अगर वे (हिंदू पक्षकार) पीछे हटते हैं तो हम इस बात पर गौर कर सकते हैं बाकी पेज 8 पर

जमीयत प्रमुख ने कहा कि उन्होंने मध्यस्थता के तहत सहन के हिस्से पर दावा छोड़ने की पहल की थी, लेकिन मध्यस्थता कामयाब नहीं हुई।

एजेएल प्लॉट आबंटन मामले में हुड्डा, वोरा को जमानत

चंडीगढ़, 6 नवंबर (जनसत्ता)।

हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा और वरिष्ठ कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा को बहुचर्चित एजेएल प्लॉट आबंटन मामले में ईडी की विशेष अदालत से बड़ी राहत मिल गई है। दोनों को बुधवार को पंचकूला की ईडी कोर्ट ने जमानत दे दी।

बचाव पक्ष के वकील एसपीएस परमार ने बताया कि हमारी तरफ से ईडी कोर्ट में हुड्डा और वोरा की जमानत के लिए याचिका दाखिल की गई थी। इसके बाद हुड्डा और वोरा अदालत में पेश हुए। बाकी पेज 8 पर

हुड्डा और वोरा को पिछली सुनवाई के दौरान अंतरिम जमानत मिली थी

संविधान अंगीकार की वर्षगांठ पर संसद की संयुक्त बैठक

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 6 नवंबर।

भारत के संविधान को अंगीकार किए जाने की 70वीं वर्षगांठ पर 26 नवंबर को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आयोजित की जाएगी। संसद के केंद्रीय कक्ष में आयोजित संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर सकते हैं। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकार किया था और यह 26 जनवरी 1950 से प्रभाव में आया।

केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने 19 नवंबर, 2015 को राजपत्र अधिसूचना के जरिए 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में घोषित किया था। राज्यसभा के सभापति व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इसमें संबोधन हस्तक्षेप कर सकते हैं। संयुक्त बैठक के दो घंटे से अधिक तक चलने की संभावना हैं। इसमें दोनों सदनों के बाकी पेज 8 पर

संबोधित कर सकते हैं राष्ट्रपति कोविंद और प्रधानमंत्री मोदी

दरअसल

पंजाब ने किया संयुक्त सदन का आयोजन

बेमिसाल

अतिथि के रूप में पहुंचे हरियाणा के मुख्यमंत्री और विधायक

...और ताजा हो गईं 53 साल पुरानी यादें

चंडीगढ़, 6 नवंबर (जनसत्ता)।

संयुक्त पंजाब के समय आयोजित होने वाली विधानसभा में हरियाणा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले विधायक जहां बैठते थे, बुधवार को मौजूदा विधायकों को वहीं बैठने का अवसर मिला। महज एक सप्ताह पहले शुरू हुई हरियाणा की 14वीं विधानसभा के विधायक आज उन कुर्सियों पर बैठ कर बहुत खुश हुए जिन पर दशकों पहले संयुक्त पंजाब के समय विधानसभा में उनके वरिष्ठ बैठा करते थे। अभी तक तो उन्होंने संयुक्त पंजाब की विधानसभा और उस समय दोनों राज्यों के विधायकों की बातें ही सुनी थीं, लेकिन आज उन्हें खुद इतिहास का हिस्सा बनने का गौरव महसूस हो रहा था। बाकी पेज 8 पर

जहां बैठते थे संयुक्त पंजाब में, वहीं बैठे हरियाणा के विधायक

पंजाब विधानसभा में गुरुनानक देव जी को समर्पित विशेष सत्र के दौरान एक साथ बैठे हरियाणा और पंजाब के वरिष्ठ नेता

मिट गई हरियाणा की दूरियां

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल को मुख्य अतिथियों के साथ मुख्य मंच पर बिठाया गया था। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला सदन के भीतर पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के साथ बैठे थे।

कार्यक्रम शुरू होने के बाद सदन में पहुंचे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता भूपिंदर सिंह हुड्डा को भाजपा के विधायकों के साथ बिठाया गया था।

इस दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि जिस तरह के प्यार का प्रदर्शन आज यहां हुआ है ऐसा प्यार दोनों राज्यों में हमेशा बना रहे।

जनसत्ता क्लासीफाइड

व्यक्तिगत

It is for general information that I, Shamsher Miya, S/o Usman Miya residing at, H.No.A-34, Kumhar-Wali-Gali, Azadpur, Delhi-110033, inform that name of mine has been wrongly written as Shamsher Khan in my minor Son Abdul- aged 14-Years in his School-Records.The actual name of mine is Shamsher Miya,which may be amended accordingly. 0040518887-10

It is for general information that I, Salman S/o Shamsher Miya residing at, H.No.A-34, Kumhar Wali Gali, Azadpur, Delhi-110033 inform that name of my Father has been wrongly written as Shamsher Khan in my 10th, 12th-Class Marksheet, Certificate and Adhar-Card No.740846844087. The actual name of my father is Shamsher Miya, which may be amended accordingly. 0040518887-9

I,Uma Kant/Samuel Kant S/o Ram Dutt R/o H/No. 592, JHA/235, Rathindra Nagar, Telibagh, Lucknow- 226025, have changed my name to Samuel Yadav for all purposes. 0050157988-2

I, hitherto known as Simran kaur Alias Satwant Kaur D/o Amar Singh W/o Harmeet Singh, Residing at-B-124, Gujranwala-Town Part-I Delhi-110009 have changed my name and shall hereafter be known as Simran Kaur. 0040518887-3

I, Vipan Kumar/Vipan Grover S/O Om Parkash Grover R/O-E-35, First Floor, Rajouri Garden, Delhi-110027. Changed My Name To Vipin Grover. 0040518858-2

I, Vinod Thakur S/O Mahesh Kumar R/o H.no-779, Anand Vas Shakurpur, I-Block, Delhi-110034, have changed my name to Vinod Kumar. 0040518858-10

I, Vijai Laxmi Srivastava W/o Pavan Kumar Srivastava R/o-B-8, Naraina-Bagh, Opposite-Kendriya Vidyalaya No.3 Ring Road, Naraina, N.Delhi-110010. changed my name to Vijay Laxmi Srivastava. 0040518887-1

I, Vaneta Relia alias Vanita Kumari alias Vanita Relia wife of Anil Babbar, residing at QP-16, Pitampura, Delhi-110034, have changed my name and I shall hereafter be known as VANITA BABBAR. 0040518856-1

I, Ujjal Didar Singh Jassal S/o Santokh Singh R/o Wz-901b, Street No. 5, Guru Nanak Nagar, Tilak Nagar, New Delhi-18, have changed my name to Ujjal Didar Singh for all purposes. 0040518799-1

I, Sushant Jivandas Banerjee S/o Late Jivandas Banerjee R/o-A-23, FF-4, Rampuri, Chander Nagar, Ghaziabad, U.P.-201011 have changed my name to Sushant Banerjee. 0040518897-2

I, Sundar Dass S/o Ram Narain R/o House No. 256-257, Second floor, Pocket-8, Sector-23, Rohini, Delhi-110085, have changed my name to SUNDER DASS. 0040518818-2

I, Sunder Lal S/o Trilok Ram R/o 1/191,192, Trilok Puri, Delhi-110091 have changed my name to Sunder Lal Arya, for all purposes. 0040518802-1

I, Srishti Rai W/o Abhyuday Jindal H.No.6, Prithviraj Road, Delhi-110001. Have changed my name to Srishti Jindal for all purposes. 0040518812-2

I, Simran Paul W/o Vishal Rajput R/o- G-6/125, Sector-11, Rohini, Delhi-110085, have changed my name to Simran Rajput. 0040518877-8

I, Shubhankar S/o Shyamal Shee, R/o-1-H, Mavi Mohalla, Tehkhand Village, Okhla-1, N.Delhi-110020 have changed my name to Shubhankar Shee. 0040518897-4

I, Saurav Gupta S/o Rajender Gupta R/o-A-60, Kunwar Singh Nagar Nangloi Delhi-110041.inform that name of mine and my father has been wrongly written as Saurav and Rajender Prasad in my educational documents.The actual name of mine and my father is Saurav Gupta and Rajender Gupta. 0040518877-6

I, Satpal Singh Makhija S/o Amrik Singh Makhija R/o-J-3/89, U.G.F., Rajouri Garden, N.Delhi-110027, have changed my name to Satpal Makhija. 0040518966-1

I, Sanjeev Rastogi S/o R. D. Rastogi, R/o A-106, Sector-15, Noida-201301 have changed my name from Sanjeev Kumar to Sanjeev Rastogi, for all future purposes. 0040518811-1

I Gunjan S/o Hardaman Siingh R/o P-57B Vijay Vihar Uttam Nagar New Delhi-110059 have changed my name to Gunjan Khetarpal. 0040518966-2

I Eustace Sneyd Alias Eustace Stuart Sneyd S/o Horace Winston Sneyd R/o B-2, Indus Block, Alok Vihar, PO Lohabasa PS Govindpur, East Ghorabnadha, Purbi Singhbhum, Jharkhand-831008, have changed my name to Eustace Stuart Sneyd 0070682078-1

व्यक्तिगत

I, Sangeeta Kohli W/o Ajay Marwah R/o-U-24A/7 First Floor Pink-Town-House DLF Phase-III. Gurgaon Haryana-122002, changed my name to Sangeeta Marwah. 0040518877-4

I, Rohit Arora S/o Raj Pal Arora R/o House No-49, Sarav Mangal Society, Zirakpur, Sas Nagar, Punjab-140603, have changed my minor daughter's name from Amaira aged 2 years to Zoe Arora forever. 0070682059-1

I, Ritakshi D/o Radhey Shyam Gehlot R/o C-1/2, Prashant Vihar, Sector-14, Rohini, Delhi-110085, have changed my name to Ritakshi Gehlot for all purposes. 0040518829-1

I, Ravinder Kumar, S/o Sh.Revti Prasad R/o-H.no.2249, Street No.10, Kailash-Nagar, Gandhi-Nagar, East/Delhi-110031. Have changed my name to RAVINDER KUMAR GOYAL, for all future purposes. 0040518877-7

I, Rati Pal S/o Shri Om Prakash R/o B-110, Ramprastha Colony, Chander Nagar, Ghaziabad, UP-201011, have changed my name to Ratipal Sharma for all purposes. 0040518812-1

I, Rani Kumari W/o Indrrajeet Kashyap R/o-8/20, Ground Floor, South PatelNagar, N.Delhi-110008 have changed my name to Rani Kashyap permanently. 0040518910-1

I, Rampali alias Tejpali W/o Late Santoo, R/o-302, Asola, Near-Balmiki-Colony, FatehPur-Beri, South/Delhi, Delhi-110074, have changed my name to Rampali, for all purposes. 0040518887-6

I, Ram Gopal Ajwani S/o Kasturi Lal R/o-A-1/41, Sector-7, Rohini, Delhi-110085, have changed my name to Ram Gopal for all purposes. 0040518877-10

I, Rajwati W/o Vinod Kumar R/o 28B Police Colony, Model Town 2nd, New Delhi-110009, have changed my name from Rajwati to Rajni for all future purposes. 0040518889-1

I, Rajkamal Basaiwala S/o Kailash Chand Agarwal R/o-271, FF,Shakti Khand-4,Indrapuram,Ghaziabad-UP, have changed my name to Raj Kamal Agarwal. 0040518870-1

I, Rajkamal Basaiwala S/o Kailash Chand Agarwal R/o-271, FF, Shaktikhand-4, Indrapuram, Ghaziabad, U.P.-201010,have changed my name to Raj Kamal Agarwal. 0040518897-1

I, Rajiv Kumar S/o Sunder Dass R/o House No. 256-257, Second floor, Pocket-8, Sector-23, Rohini, Delhi-110085, have changed my name to RAJEEV KUMAR. 0040518818-1

I, Rajat S/O Inderjeet Singh H. No-417, Devli Village Delhi-110062 Have Changed My Name To Rajat Choudhary. 0040518887-4

I, Priti Kehwani W/o Sanjay Keshwani R/o Flat No.STC-605, Sun Tower, Shipra Sun City, Indirapuram, Ghaziabad, UP have changed my name to Priti Keshwani. 0040518847-1

I, Priti Kehwani W/o Sanjay Keshwani R/o Flat No.STC-605, Sun Tower, Shipra Sun City, Indirapuram, Ghaziabad, UP have changed my minor daughter's name from Khushboo Keshwani to Khushboo Keswani. 0040518847-2

I, Prem Parkash Khanna S/o Late Shri Jinda Ram Khanna R/o Flat No. 45, Triveni Apartment, H-3 Block, Vikaspuri, New Delhi-110018, affirms that my wife Late Sudesh and Sudesh Khanna are one and the same person. 0040518690-1

I, Nirmla Mittal D/o Fakir Chand Bansal R/o D-42, Jalvayu Vihar, Sector-21 , Noida, have changed my name to Nirmala Mittal for all purposes. 0040518894-1

I, Naresh Kumar S/O Prakesh Chandra Bansal R/O 51 Saubhagaya Apartment, Sector-9, Rohini, Delhi-110085. Changed My Name To Naresh Bansal. 0040518858-1

I, Mustafa Sameer S/o Shri.Sheikh Ansarul Haque, Aged-about 33-Years R/o-RZH-2/28K, IInd-Floor, Bengali-Colony, Mahavir Enclave, New Delhi-110045, have changed my name to Sameer vide-Affidavit dated-24/10/2019 sworn before Notary, Delhi. 0040518887-8

I, Muskan D/o Inamtulla House No.E-12/66-A, Hauz-Rani, Malviya-Nagar, New Delhi-17 inform that in my 10th certificate my father's name is wrongly mentioned Inamatullah and mother's name is Noor Fatma. Whereas-correct name of my father is Inamtulla and mother's name is Noor Fatima. 0040518887-7

I, Mukesh Kumar S/o Hem Chand Sharma R/o C-7/140, Yamuna Vihar, Delhi-110053, have changed my name to Mukesh Sharma, for all purposes. 0040518795-1

Army No.14856695x, Rank:Sep/Mt, Name:Vishnuvir Singh, S/O Shri.Rakesh Chandra, R/O-Village:Nagla Pasi, P.O. Uresar,Thana-Eka,Tehsil- Jasarana, Distt: Firozabad, State: U.P.-283152, Inform That In My Documents My Brother's Name Is Wrongly Written As Rohitash instead of Rohitash Yadav. 0040518966-3

I, Monis Rashid S/o Mohammed Rashid Ansari R/o-C-29/184 Behind Post-Office, Zakir-Nagar, N.Delhi-110025, have changed my name to Monis Rashid Ansari, for all purposes. 0040518858-9

I, Mohd. Raqib S/o-Manzoor Ahmad R/o-F-17 Gali No.23, Chand Bagh, Gokulpuri Delhi-110094, presently living at Building No.109, Street No.810 Zone,40 New Salata Doha Qatar have changed my name to Mohammad Raqib Choudhary, for all purposes. 0040518858-8

I, Mohan Singh S/o Baldev Singh R/o H.No.25, Old Anarkali, Krishna-Nagar, Delhi-110051, have changed my name to Mohan Singh Saini. 0040518877-9

I, Mohammad Abdullah Khan S/o Fariduzzafar Khan R/o Bluestone 1/401, Supertech Emrald Court, Sector-93A, Noida-201301, have changed my name to Mohammed Abdullah Khan for all purposes. 0040518852-1

I, Manoj Kumar S/o Naresh Kumar Sharma R/o A-11 Sec-3, Phase-3, Pappan Kalan Dwarka South West Delhi-110078, change my name to Manoj Kumar Sharma for all purposes 0040518845-1

I, Mamta Kumari D/o Sh.Siyaram R/o C-2/48, Gali.No-2 Harsh Vihar Delhi-110093, have Changed my Name to Mamta for All future Purposes 0040518804-1

I, Aiman Taj W/o Mustafa R/o T-52, F/F, Main Road Gautampuri, Delhi-110053 have changed my name to Aiman. 0040518887-2

I, MUSKAN R/o 549/2, Pole No. 37-A, Mundka, Delhi-110041, informs that name of my father has been wrongly written as HOSHIYAR SINGH in Aadhaar card of my father. The actual name of my father is HOSHIYAR SINGH LAKRA. 0040518803-1

I, Kamlesh Kumari W/o Lahar Singh Gahlot R/o-H.No.105, Gali No.01, Dabri Village, Palam Village, Delhi-110045 changed my name to Kamlesh. 0040518897-3

I, Kamauddin S/o Salahuddin R/o H.No. 3989 Gali Khan Khana Urdu Bazar Jama Masjid Delhi-110006 have changed my name to Kamaluddin. 0040518806-1

I, Kalpana Banerjee D/o Late Tapas Kumar Banerjee R/o-F/301, 3rd-Floor, A-Ladosarai, N.Delhi-110030, have changed my name to Kalpana Sudhir Banerjee. 0040518897-5

I, Jaspal Kaur Gujral W/o Pritam Singh R/o-S-2/52, G/F, Old Mahavir-Nagar, Tilak-Nagar, Delhi-110018. have changed my name to Jaspal Kaur. 0040518910-2

I, Harneet Kaur Jassal W/o Davinder Singh R/o Wz-128 , Street No-32 , Sant Garh, Tilak Nagar , New Delhi-110018, have changed my name to Harneet Kaur for all purposes. 0040518798-1

I, Fridul Zafar Khan S/o Late Mohammed Naqi Khan R/o 7, Vijay Square, New Hyderabad, Lucknow, Uttar Pradesh-226007, have changed my name to Fariduzzafar Khan for all purposes. 0040518838-1

I, Davinder Kaur Jassal W/o Ujjal Didar Singh R/o Wz-901b, Street No-15, Guru Nanak Nagar, Tilak Nagar, N.D-18, have changed my name to Davinder Kaur for all purposes. 0040518389-1

I, Dattatreya Namdeorao Mendhekar alias Dattatraya Namdeo Mendhekar alias Dattatraya Namdeorao Mendhekar son of Namdeorao Mendhekar residing at 10867/19, Amrit Puri, near Metro pillar No.-129, Pratap Nagar, Delhi-110007, have change my name and I shall hereafter be known as Dattatraya Mendhekar. 0040518856-2

I, Bimla Sharma W/O Rajesh Kumar R/O-G-28, H.No.65, Sec-3, Rohini, Delhi-85 Have Changed My Name To Vimla Sharma. 0040518858-3

I, Badri Prasad Soni S/o Bindeshwar Prasad Soni, R/o F-2/379A, Sangam Vihar, New Delhi–110062, submit that in my son's 10th & 12th Class Certificate / record,my name has been wrongly mentioned as Badri Shah. Badri Prasad Soni and BadriShah are same person. 0040518805-1

I, Anwer Khan S/o Sarwar Khan R/o-House No.-93G, Chhoti-Masjid, Doli-Walo Mughalpura-Second, Moradabad (U.P) have changed my name to Anwar Khan, for all purposes. 0040518877-5

I Devi Singh Rathore Alias Devi Singh S/o Moti Singh Rathore R/o Village Jema Khera, Post Anjana, Tehsil Deogarh, Distt Rajsamand, Rajasthan-313331, have changed my name to Devraj Singh Rathore 0070682067-1

I Ayushi Khanna D/O, Sumit Khanna R/o J-7/66, Second Floor, Rajouri Garden, ND-27 have changed my name to Aayushi Khanna for all purposes. 0040518910-4

I Jasleen Kaur Chandhok W/o Chandeep Singh Chandhok R/o 34-35 Partap Nagar Hari Nagar Delhi have changed my name to Jasleen Kaur. 0040518858-6

व्यक्तिगत

मै बद्री प्रसाद सोनी पुत्र बिदश्वर प्रसाद सोनी, निवासीः एफ–2/379ए, संगम विहार, नई दिल्ली–110062 कहता हूँ कि मेरे बेटे के 10वीं एवं 12वीं कक्षा के प्रमाण पत्र/रिकॉर्ड में मेरा नाम बद्री शाह गलती से लिखा गया है। बद्री प्रसाद सोनी एवं बद्री शाह एक ही व्यक्ति है।

I, Anoop Kumar Satsangi S/O Om Prakash Satsangi, H.NO.100-A, Near-Laxmi-Narayan Mandir, Pocket-M, Sarita Vihar Aali South/Delhi-110076, changed My Name To Anup Kumar Satsangi. 0040518877-3

I, Alka Sethi W/O Ashok Sethi R/O-Gh-13/365, Paschim-Vihar, New Delhi-87.Have Changed My Minor Child Name From Kapish Sethi To Sachin Sethi. 0040518910-3

I hitherto known as Ashu Gautam D/o Late Shri Kishan Chand Gautam W/o Shri.Karan Khurmi R/o-444, Pocket-D, Dilshad-Garden, Delhi-110095.have changed my name and shall hereafter be known as Ashu Khurmi. 0040518887-5

I Vineet Yadav R/O P-70/13 Kabul Line Sadar Bazar Delhi Cantt-110010 have changed my name to Vineet Kumar Yadav for future purposes 0070682080-1

I, Gajender Kumar Seth S/o Goverdhan Das Seth R/o C-478, C-Block, Vikaspuri, Delhi-110018 have changed my name to Gajender Seth. 0040518897-6

I Sumiraj S/o Balasubrahmanya Cheluvakrishnashetty R/o 741, Word No 10, Saraguru Town, Heggadadevanakote Tulak, Saragur, Heggadadevanakote, Mysore, Karnataka-571121, have changed my name to Sumanth Kumar 0070682070-1

I Satpal Singh Dhanda S/o Bhim Singh R/o D-29, Rajeev Nagar Begampur Delhi-86 have changed my name to Satpal Singh. 0040518877-1

I Samridhi Jain Alias Alisha Bansal D/o Anil Jain and W/o Gopal Bansal R/o House No-14, Budh Ram Colony, Hoshiarpur, Punjab-146001, have changed my name to Alisha Bansal. 0070682064-1

I Ritika Bhalla W/O Sawan Sapra R/O A-63, Narang Colony, Janakpuri A-3, Delhi-110058 Have Changed Name To Ritika Sapra. 0040518877-2

I Renu W/o Ravi Kumar R/o House No.187 Mohalla Ghartholi Pathankot Punjab-145001 have changed my name to Renu Bala. 0040518858-7

I Naresh Kumar S/O Matu Ram H.No-973, Sector-15, Part-2, Gurgaon Have Changed My Name To Naresh Kumar Gupta. 0040518858-4

I Madhu W/O Naresh Kumar Gupta H.No-973, Sector-15, Part-2, Gurgaon Have Changed My Name To Madhu Gupta. 0040518858-5

It is for general information that I VIPUL BHARADWAJ S/O GIRISH BHARADWAJ, residing at H. No. 293, Ambica Vihar, Paschim Vihar, New Delhi-110087 declare that name of mine, my father and my mother has been wrongly written as VIPUL BHARDWAJ, GIRISH BHARDWAJ and KRISHNA BHARDWAJ in my Passport No. J4068939, PAN Card, Aadhar Card, Voter ID Card, SBI and Canara Bank Accounts, Birth Certificate, Driving Licence and all Educational Documents. The actual name of mine, my father and my mother are VIPUL BHARADWAJ, GIRISH BHARADWAJ, and KRISHNA BHARADWAJ respectively, which may be amended accordingly.

खोया+पाया

I Anuja Vaid D/o Dev Brat Sharma R/o 154, State Bank Colony, GT Karnal Road Delhi 110009, have lost 10th CBSE Certificate No:009552, issued in year 1984. My Roll No is 155771. Finder may contact me on above address. 0040518855-1

I, Brijesh Kumar S/o Manoj Kumar R/o-Rz20c/6A nala-patri gali.no-1 main-sagarpur N.D-46. have lost my original certificate class-10th year-2012 Rollno-8776870 CBSE-Delhi. 0040518910-6

It is notified for the information that my Original DSSE-1990 Marksheet (10th Class), Roll No.418441 issued by CBSE has been actually lost. Kavita Rani, R/o: D-118/9 Hari Nagar Extn. Part-II, Badarpur, New Delhi-110044. Contact: 8178076323. 0040518815-1

I Arunav Sinha S/o Mr Ajay Kumar Sinha Resident of 1/20, Shivpuri Near Sugar Mill, Barabanki solemnly declare that I accidentally lost my ICSE (Class X) 2017 and ISC (Class XII) 2019 Marksheets and Transfer Certificate issued from Anand Bhawan School, Dewa Road, Barabanki. My Index No. is 6467921. 0060070647-2

PUBLIC NOTICE

It is for general information that I Rahis S/o Mohammad Saeed residing at H. No. 466, Gali Bahar Wali, Chhatta Lal Mian, Darya Ganj, New Delhi-110002 declare that name of my father has been wrongly written as Mohd Sahid and Sahid Educational Documents, Driving License, Bank Accounts, Service Book, Pan Card, Voter Id Card and in the other documents. The actual name of my father is Mohammad Saeed respectively which may be amended accordingly.

PUBLIC NOTICE

Be it ~~Known that my clients~~ SAKILA W/o RIYAZUDDIN and RIYAZUDDIN S/o MD. SIDDIQE both R/o. H. No. A-2/6, KH. NO. 770, RAJIV NAGAR, NEAR MASJID, BHALSWA DAIRY, DELHI-110042 have been left/debar all relations, from their son TAHIR, due to his misbehaviour, from their all movable and immovable properties. Anybody dealing with him in civil and criminal matter shall do doing at his/her/their own risks, cost and responsibility.

Sd/-
KAMAL SINGH (Advocate)
Regn. No. D-748/14

PUBLIC NOTICE

It is for general information that I, **MD MUNAZIR ISLAM** son of **MOHD AFROZ** residing at House No. WZ-382, Madipur Village, Madipur, West Delhi, Delhi-110063, declare that the name of my mother and father has been wrongly written as **RUBI BEGHUM** and **MD AFROJ** in my all educational documents . The actual name of my mother and father are **RUBY** and **MOHD AFROZ** respectively, which may be amended accordingly.
It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

PUBLIC NOTICE

It is for general information that I Rajesh Sharma S/o Dayanand Sharma residing at RZ-25A, Indira Park Extn.-1, Uttam Nagar, New Delhi 110059 declare that names of mine and my father has been wrongly written as Rajesh Kashyap and Dayanand Kashyap respectively in my educational documents. The actual names of mine and my father are Rajesh Sharma & Dayanand Sharma respectively which may be amended accordingly.

PUBLIC NOTICE

It ~~be known to the general public~~ that my clients Smt. Sunita W/o Sh. Prem Chand & Sh. Prem Chand S/o Sh. Balwant Singh both inhabitant of K-139/3, Gali No.3, Khadda Colony, Swaroop Nagar, Delhi-110042 has been disowned and debarred his son namely Lokesh age bout 26 Years and his wife Smt. Pooja age about 25 years from her/his/their all movable and immovable properties due to beyond control and also severed her/his/their relationship with him/her if anyone deal with him/her/them at his/her/their own risk, costs and consequences and my client will not responsible.

Aditya Pratap Singh
Advocate
Ch.No. 711, Rohini Court, Delhi-85

PUBLIC NOTICE

That ~~my client Mr. Vishan Chand Verma~~ S/o Bhaga Ram aged about 85 years and Mrs. Kamla Devi W/o Mr. Vishan Chand Verma aged about 75 years, both R/o WA 173, 3rd Floor, Gali No. 5, Shakarpur, Delhi-110 092 hereby disowned their son Mr. Rajendra Verma along with his family Mrs. Hemlata Verma (Wife), Master Nikhil Verma (Son) and Ms. Tanya Verma (Daughter) for his misconduct and alleged threat to their life.
That Mr. Rajendra Verma is a habitual drunker and he used to quarrel daily with his parents and the family of Mr. Rajendra Verma (wife, son and daughter) is already residing separately from us.
That Mr. Rajendra Verma and his family will not participate in my client's funeral rites in the event of their demise.
That they will not inherit any of my client's properties in Delhi and elsewhere and shall not be entitled to the grant of probate to my client's will.
Anybody transacting any business with Mr. Rajendra Verma and his family in respect to my clients is doing that in his or her own risk, general public take.

DEEPAK PANDEY (Advocate)
Ch. No. 408, Block-III, Delhi Hight Court, New Delhi-03

PUBLIC NOTICE

KNOW ALL MEN that my client Sh. Kishan Chand Mittal S/o Late Sh. Gopi Kishan Mittal R/o House No.: 1/9795, UG, Gali No.: 1-A, West Gorakh Park, Shahdara, Delhi-110032 has no business or financial relations/concerns whatsoever with his elder brother Sh. Ras Bihari Mittal S/o Late Sh. Gopi Kishan Mittal or with his proprietor firm M/s Shree Saree Sheesh Mahal. He is not responsible for any act or deed whatsoever entered into by Sh. Ras Bihari Mittal individually or on behalf of his proprietorship firm M/s Shree Saree Sheesh Mahal. Anyone dealing in whatsoever manner either with Sh. Ras Bihari Mittal individually or on behalf of his proprietorship firm M/s Shree Saree Sheesh Mahal shall be doing on his own risks and consequences and my client shall not be responsible therefore in any way or manner whatsoever.

J.S. KALRA (Advocate)
Ch. No. 206, Western Wing, Tis Hazari Courts, Delhi-54

सार्वजनिक सूचना

एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि श्रीमती शिप्रा बहल और श्रीमती पारस गुप्ता निम्नोक्त सम्पत्ति सं. 56, क्षेत्रफल 153.30 वर्ग यार्ड, स्कीम–डी, ग्राम कड़कड़डूमा की आबादी, इलाका शाहदरा जिले सूरजमल विहार, दिल्ली के नाम से भी जाना जाता है की मालिक और कब्जेदार होने का दावा किया है, जिसकी मालिक दिनांक 14.8.2000 के हस्तांतरण विलेख की बल्ले से उनकी मां श्री अपनी मां के निधन के बाद, उन्हें यह सम्पत्ति हिंदू उत्तराधिकार कानून के अनुसार विरासत में मिली और अब श्रीमती शिप्रा बहल और श्रीमती पारस गुप्ता उक्त सम्पत्ति मां श्री नरपति अग्रवाल और श्री सतीश गुप्ता दोनों पुत्र श्री कुंज लाल गुप्ता को बेचने की इच्छुक है। प्रस्तावित खरीदारों ने वित्तीय सहायता के लिए एक्सिस बैंक लिमिटेड से संपर्क किया है और इसलिए सम्पत्ति उक्त बैंक के पास गिरवी रखनी होगी। उक्त सम्पत्ति या उसके किसी भी भाग को बेचने में किसी भी व्यक्ति का कोई दावा होने पर, इस सूचना के दिनांक से 15 दिनों के भीतर नीचे दिए गए पते पर दस्तावेजी साक्ष्य के साथ अधोहस्ताक्षरी को लिखित रूप में सूचित करने का अनुरोध किया जाता है, ऐसा न करने पर, ऐसे व्यक्तियों के दावे को मुक्त या परित्यक्त माना जाएगा और हमारा मुवक्किल उक्त सम्पत्ति पर क्रय के संव्यवहार और उसके संबंध में इसे बरकरार रखने की प्रक्रिया करेगा।

Sunil Parsad (Advocate)
For Juris NextGen Law Offices
E-56, Greater Kailash Enclave
Part-1, New Delhi-110048

अदालती सूचना

PROCLAMATION
REQUIRING ATTENDANCE
OF DEFENDANT
(ORDER 5, RULE 20 OF
THE CODE OF CIVIL
PROCEDURE)
IN THE COURT OF
SH. TARUN YOGESH,
LD ADJ-03, COURT NO.
202, DWARKA
SUIT-16529/2019
SHAKUNTALA DEVI
Plaintiff
Vs
RAMESH KUMAR & ORS.
Defendants

To
SH. SHYAM SUNDER
S/o. SH. BANWARI LAL
R/o. PLOT NO. 50, VPO-
AMBERHAI EXTENSION
NEW DELHI- 110075.

Whereas you are intentionally evading service of summons it is hereby notified that if you shall not defend the case on the **21st Day of December, 2019**, the day fixed for the final disposal, it will be heard and determined ex-parte.
Give under my hand and the seal of the court, this 9th Day of OCTOBER, 2019.

Sd/-
ADJ-03/
SOUTH-WEST
DWARKA
SEAL

PUBLIC NOTICE

The General Public is hereby informed that my clients namely Islamuddin and his wife Noor Jahan R/o H. No. 835, Chandni Mahal, Darya Ganj, Central Delhi-110002 have severed all their relations with their son Mohd. Ubaid and his wife Varisha Khan for the reason of their disobedience and bad habits and have also disowned them from all their movable and immovable properties and assets and they are not responsible for the acts and deeds done by them. Anybody dealing with them would be doing so at his/her entire responsibility, risk, costs and consequences.

M. ASIF KHAN (Advocate)
Ch. No. 333, Civil Side, Tis Hazari Courts, Delhi-54

PUBLIC NOTICE

General public is hereby informed that my client MR. ANIL KUMAR S/O SH. VIRBHAN GARG, R/O RZ-C-3/152, MAHAVIR ENCLAVE, NEW DELHI-110045 hereby sever all his relations from his daughter namely DEEPA GARG, who married intercast with ASHISH without my client and his family permission due to her disobeying, misbehavior and hereby disowned and debarred her from all his movable and immovable properties forever. Any person dealing with her shall be doing so at his/her own risk and responsibility, in future my client will not be responsible for any act and deeds.

Sd/- RAMESH KUMAR, ADVOCATE
SR-II, Service Industry Building, District Centre, Janakpuri, New Delhi-110058

PUBLIC NOTICE

Be it known to all public in General that my client Gurpreet Singh S/o Harwant Singh R/o C-12, 3rd Floor, Tagore Garden Extn., Near Holi Child School, New Delhi-110027, have severed all relations with his Son Ramanpreet Singh and debar him from all his moveable and immoveable properties. Any body dealing with him in any manner shall do so at his/their own risk & responsibility/consequences. My client shall not be responsible for his any acts and deeds. Mohinder Dhawan (Advocate) Enrl. D-643/97 (R)

PUBLIC NOTICE

My Clients RAMESH KUMAR SODHI S/o KUNDAN LAL & his wife SMT. GEETA RANI R/o-H.NO C-199,EKTA ENCLAVE,PASCHIM VIHAR,DELHI-110087 hereby remove their relationship & expel their son RAKESH KUMAR SODHI from all their moveable & immoveable properties because they are out of their control . If anybody deals with them,he/she will do so on his/her own risk.

Vijay Laxmi Advo.
Delhi High Court 113 CLJ Lawer Chambers Tis Hazari Delhi

PUBLIC NOTICE

My Client Smt. Asha Devi Earlier known as Ishwari Devi w/o Sh. Amrit Lal residing at B-601-A, Sudershan Park New Delhi PIN 110015 have debarred and disowned their son, Shri Sumit Kumar along with his wife Drishti with immediate effect from all their immoveable / moveable properties due to his/her Disobedience. My clients has/ have also severed all their relations with them. My clients shall not be responsible for dealing & any transaction of lending money or borrowing money with them and if any is done hereafter shall be at their own risk and cost.

Sd/-
ADVOCATE TARUN ARORA
Chamber no.14,
Civil Supply Advocates Building,
Tis Hazed courts Delhi PIN 110054.
Mobile no.9213324144

PUBLIC NOTICE

My clients, Ramesh Chand Goel s/o late Lal Chand Goel and Geeta Devi w/o Ramesh Chand Goel both r/o C-13/118, First floor, Sector-3, Rohini, Delhi 110085 have debarred and disowned their son Ravi Goel and his wife, Sonia Madan from their all assets and properties and severed all relations with them. Any person dealing with them shall be doing all at his own risk etc.

R.K. Tiwari, Advocate
169, New Delhi Courts, Patiala House, New Delhi 110001

PUBLIC NOTICE

My clients, Pawan Bajaj s/o Om Prakash Bajaj and Smt. Poonam Bajaj w/o Pawan Bajaj both r/o C-7, Upper Ground Floor, Ganesh Nagar, Tilak Nagar, Delhi 110018 have debarred and disowned their son Puneet Bajaj from their all assets and properties and severed all relations with them. Any person dealing with him shall be doing all at his own risk etc.

Sd/-
R. K. Tiwari, Advocate,
169, New Delhi Courts,
Patiala House, New Delhi 110001

सार्वजनिक सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे मुवक्किल श्री रामभवन सिंह पुत्र श्री लाले बहादुर सिंह एवं उनकी पत्नी श्रीमती मुन्नी सिंह निवासी मकान न. 6/F, A ब्लॉक, विकास विहार, विकास नगर, उत्तम नगर, नई दिल्ली–59 ने अपने पुत्र योगेश कुमार एवं उनकी पत्नी प्रीती सिंह/रोली के उद्दंड, अवज्ञाकारी एवम् नाफरमानी होने के कारण उनसे सभी प्रकार के सम्बन्ध विच्छेद कर अपनी समस्त चल–अचल सम्पत्ति से बेदखल कर दिया है।
आज के बाद मेरे मुवक्किल अपने पुत्र योगेश कुमार एवं उनकी पत्नी प्रीती सिंह/रोली के किसी भी कार्य के लिए जवाबदेह, जिम्मेदार एवम उत्तरदायी नहीं होंगे।

SHAKEEL AHMED KHAN (ADVOCATE)
Seat No.138, Civil Side,
Near Bar Council Library,
Tis Hazari court,
Delhi-54
दिल्ली
दिनांक–05.11.2019

PUBLIC NOTICE

My client BALJIT SINGH RANA S/o Shree Ram & Sushila Devi W/o Baljit Singh Rana resident of (both) S-550-C, School Block, Shakarpur, Delhi- 110092, has disowned their son namely SANJEET RANA & daughter in law RITU RANA from all movable and immovable properties and severed all relations with her/his due to unrest/torture.
My client shall not be responsible for any of their acts, deeds & omissions.

SHIVE LAL (Advocate)
Ch. No. 554
Patiala House Courts,
New Delhi

PUBLIC NOTICE

It is for general information that I Pushpa Guha daughter of Late Sh. B. S. Kapoor and ex. wife of Sh. Susobhan Guha resident of E-70, DDA Flats, Ekta Apartments, Saket, New Delhi-110017 declare that I got divorce from my husband vide court decree/petition No. 11 of 1975 in the court of Sh. S.C. Goyal, Distt. Judge, Gurgaon dated 11.10.1976 further I remarried with S.K. Ghosh son of Late B.K. Ghosh resident of E-70, DDA Flats, Ekta Apartments, Saket, New Delhi-110017, vide marriage solemnized on 28th January, 1981. I have change my name to Nivedita Ghosh for all future purpose.
It is certified that I have complied with other legal requirement in this connection.

देवगौड़ा ने समर्थन देने को लेकर नहीं किया कोई फोन : येदियुरप्पा

बंगलुरु, 6 नवंबर (भाषा)।

कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने बुधवार को साफ किया कि उनकी जद (एस) प्रमुख एचडी देवगौड़ा से फोन पर कोई बातचीत नहीं हुई है। येदियुरप्पा का यह स्पष्टीकरण उन खबरों के बीच आया है, जिनमें कहा गया था कि पूर्व प्रधानमंत्री देवगौड़ा ने समर्थन का आश्वासन देने के लिए उन्हें हाल में फोन किया था।

येदियुरप्पा ने यहां संवाददाताओं से कहा, 'इसमें कोई सच्चाई नहीं है। प्रधानमंत्री रह चुके देवगौड़ा के पास सही और गलत का अंतर करने की क्षमता है। मैंने उनके नाम का कहीं जिक्र नहीं किया है, कभी ऐसा करूंगा भी नहीं।' फोन पर बातचीत को लेकर कुछ मीडिया हलकों में आई खबरों के बाद देवगौड़ा ने मंगलवार शाम बयान जारी कर इसे खारिज किया और इसे 'सचाई से दूर' करार दिया। हालांकि, भाजपा को लेकर जद (एस) के रुख में आई नरमी और कर्नाटक में मध्यावधि चुनाव नहीं चाह रहे देवगौड़ा ने मंगलवार को कहा कि वह चाहते हैं कि येदियुरप्पा नेतृत्व वाली सरकार अपना कार्यकाल पूरा करे क्योंकि इससे उन्हें (देवगौड़ा) अपनी पार्टी को मजबूत करने का वक्त मिलेगा।

देवगौड़ा के बेटे व पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने भी हाल में कहा था कि उनकी पार्टी सत्तारूढ़ भाजपा सरकार को सत्ता से बेदखल करने की कोशिश नहीं करेगी, जैसा कि अमित शाह नेतृत्व वाली पार्टी ने उनकी गठबंधन की सरकार के साथ किया। कुमारस्वामी ने कहा था कि उन्हें नहीं लगता कि मध्यावधि चुनाव होंगे। मुख्यमंत्री के यादगीर के हालिया दौरे के वक्त विरोध करने वाले जद (एस) कार्यकर्ताओं के खिलाफ पुलिस कार्रवाई की घटना का हवाला देते हुए येदियुरप्पा के आवास के सामने देवगौड़ा के विरोध प्रदर्शन की धमकी पर मुख्यमंत्री ने कहा कि संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की गई है और वह इस मुद्दे पर पूर्व प्रधानमंत्री को मना लेंगे।

अधिशासी अभियंता, कनिष्ठ अभियंता व खजांची रिश्वत लेते गिरफ्तार

जयपुर, 6 नवंबर (भाषा)।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने बुधवार को नगरपालिका के एक अधिशासी अभियंता, कनिष्ठ अभियंता और कैशियर को कथित तौर पर रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया।

एसीबी महानिदेशक आलोक त्रिपाठी ने बता

मनोज तिवारी बोले, शीतकालीन सत्र में

कच्ची कॉलोनियों पर लाएंगे कानून

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 6 नवंबर।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने बुधवार को कहा कि कच्ची कॉलोनियों के पक्के अधिकार के लिए संसद के शीतकालीन सत्र में कानून लाया जाएगा। यह सत्र 18 नवंबर से शुरू होगा और इस कानून की मदद से इन कॉलोनियों में रह रहे लाखों लोगों को उनकी संपत्ति का मालिकाना हक दिया जा सकेगा। इसका सीधा लाभ इन कॉलोनियों में रहने वाले 40 लाख लोगों के लिए होगा।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि इस योजना को लागू करने के लिए केंद्रीय कैबिनेट पहले ही अपनी स्वीकृति दे चुका है। इस मंजूरी के साथ ही केंद्र सरकार ने संदेश दिया है कि दिल्ली की कच्ची कॉलोनी में किसी भी घर को टूटने नहीं दिया जाएगा। अब हर घर की पक्की रजिस्ट्री होगी और इसके लिए मकान मालिक का मामूली सा शुल्क अदा करना होगा। उन्होंने कहा कि इस मामले में 1970 से अब तक केवल राजनीति की जाती थी। भाजपा ने कच्ची कॉलोनियों तक केंद्र सरकार की योजना पहुंचाने के लिए एक विशेष अभियान की शुरुआत की है। इसके तहत भाजपा इन कॉलोनियों के लिए केंद्र सरकार द्वारा किए गए कार्यों को गिनवा रही है। इसी दौरान बदरपुर में एक सभा आयोजित की गई।

भाजपा का दावा : भारी बहुमत से जीत दर्ज कर बनाएंगे सरकार

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 6 नवंबर।

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी ने मंगलवार देर शाम को दावा किया कि दिल्ली विधानसभा के आगामी चुनाव में भाजपा भारी बहुमत से जीत दर्ज कर सरकार बनाएगी। राजधानी के बदरपुर विधानसभा क्षेत्र के सौरभ विहार में लवकुश चौक पर पूर्व विधायक रामवीर सिंह बिधूड़ी की अगुआई में आयोजित भाजपा की एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए प्रदेश भाजपा अध्यक्ष तिवारी ने कहा कि केंद्र सरकार के फैसले से इन सभी कॉलोनियों में मूलभूत सुविधाओं की बहाली का रास्ता साफ हो गया है। अब इन कॉलोनियों में रहने वाले तमाम लोगों को उनकी संपत्ति का मालिकाना हक मिलेगा। यह अपने आप मे एक ऐतिहासिक फैसला है।

जनसभा को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक बिधूड़ी ने अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने और नहरपार क्षेत्र से ओजोन को हटाने के फैसले के लिए केंद्र सरकार का आभार प्रकट करते हुए कहा कि यह एक ऐतिहासिक फैसला है।

केनरा बैंक
भारत सरकार का उपक्रम
Canara Bank
A Government of India Undertaking
Together We Can

30 सितम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही / छमाही के लिए समीक्षित वित्तीय परिणाम

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	एकल				समेकित			
		30.09.2019 को समाप्त तिमाही (समीक्षित)	30.09.2019 को समाप्त छमाही (समीक्षित)	30.09.2018 को समाप्त तिमाही (समीक्षित)	31.03.2019को समाप्त वर्ष (लेखापरीक्षित)	30.09.2019 को समाप्त तिमाही (समीक्षित)	30.09.2019 को समाप्त छमाही (समीक्षित)	30.09.2018 को समाप्त तिमाही (अलेखापरीक्षित)	31.03.2019को समाप्त वर्ष (लेखापरीक्षित)
1.	परिचालन से कुल आय (निवल)	14461.73	28524.12	12679.06	53385.30	15509.36	30741.08	13437.83	57858.26
2.	अवधि के लिए निवल लाभ / (हानि) (कर से पूर्व, असामान्य और / या असाधारण मदें)	506.64	1047.52	(507.76)	(2327.41)	587.16	1184.11	(436.54)	(2056.70)
3.	अवधि के लिए कर से पूर्व निवल लाभ / (हानि) (असामान्य और / या असाधारण मदों के पश्चात)	506.64	1047.52	(507.76)	(2327.41)	587.16	1184.11	(436.54)	(2056.70)
4.	अवधि के लिए कर पश्चात निवल लाभ / (हानि) (असामान्य और / या असाधारण मदों के पश्चात)	364.92	693.99	299.54	347.02	442.86	825.90	367.92	601.85
5.	अवधि के लिए कुल व्यापक आय [जिसमें अवधि के लिए लाभ / (हानि) (कर पश्चात) तथा अन्य व्यापक आय (कर पश्चात) शामिल है।]	नोट 2 देखें	नोट 2 देखें	नोट 2 देखें	नोट 2 देखें	नोट 2 देखें	नोट 2 देखें	नोट 2 देखें	नोट 2 देखें
6.	ईक्विटी शेयर पूंजी	753.24	753.24	733.24	753.24	753.24	753.24	733.24	753.24
	शेयर आवेदन आबंटन के लिए पैसे विचाराधीन	6571.00	6571.00			6571.00	6571.00		
7.	आरक्षित निधियाँ (पिछले वर्ष के तुलन पत्र में दर्शाई गई पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधियों को छोड़कर)				28975.82 (31.03.19 को)				30487.82 (31.03.19 को)
8.	प्रति शेयर अर्जन (प्रत्येक ₹10/–) (परिचालनगत एवं परिचालन रहित के लिए)								
	1. मूल :	4.84	9.21	4.08	4.71	5.88	10.97	5.02	8.18
	2. तनुकृत :	4.84	9.21	4.08	4.71	5.88	10.97	5.02	8.18

नोट: 1) उपरोक्त आंकड़े सेबी (सूचीकरण अनिवार्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमनमावली, 2015 के विनियम 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंज को प्रस्तुत तिमाही / छमाही के वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप के उद्धरण हैं। तिमाही / छमाही वित्तीय परिणामों के पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट (BSE: www.bseindia.com एवं NSE: www.nseindia.com) और बैंक की वेबसाइट (www.canarabank.com) पर उपलब्ध हैं।

2) कुल व्यापक आय और अन्य व्यापक आय से संबंधित जानकारी प्रस्तुत नहीं है क्योंकि इन्ड ए.एस. अभी तक बैंक पर लागू नहीं किया गया है।

ह/– ए. मणिमेखलई, कार्यपालक निदेशक
ह/– देवाशीष मुखर्जी, कार्यपालक निदेशक
ह/– एम.वी. राव, कार्यपालक निदेशक
ह/– आर.ए. शंकर नारायणन, प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी
ह/– टी.एन. मनोहरन, अध्यक्ष

स्थान : बैंगलूरु
दिनांक : 06.11.2019

@canarabank YouTube CanaraBankOfficial canarabank canarabankinsta
कॉल केनरा ☎ 1800 425 0018 www.canarabank.com

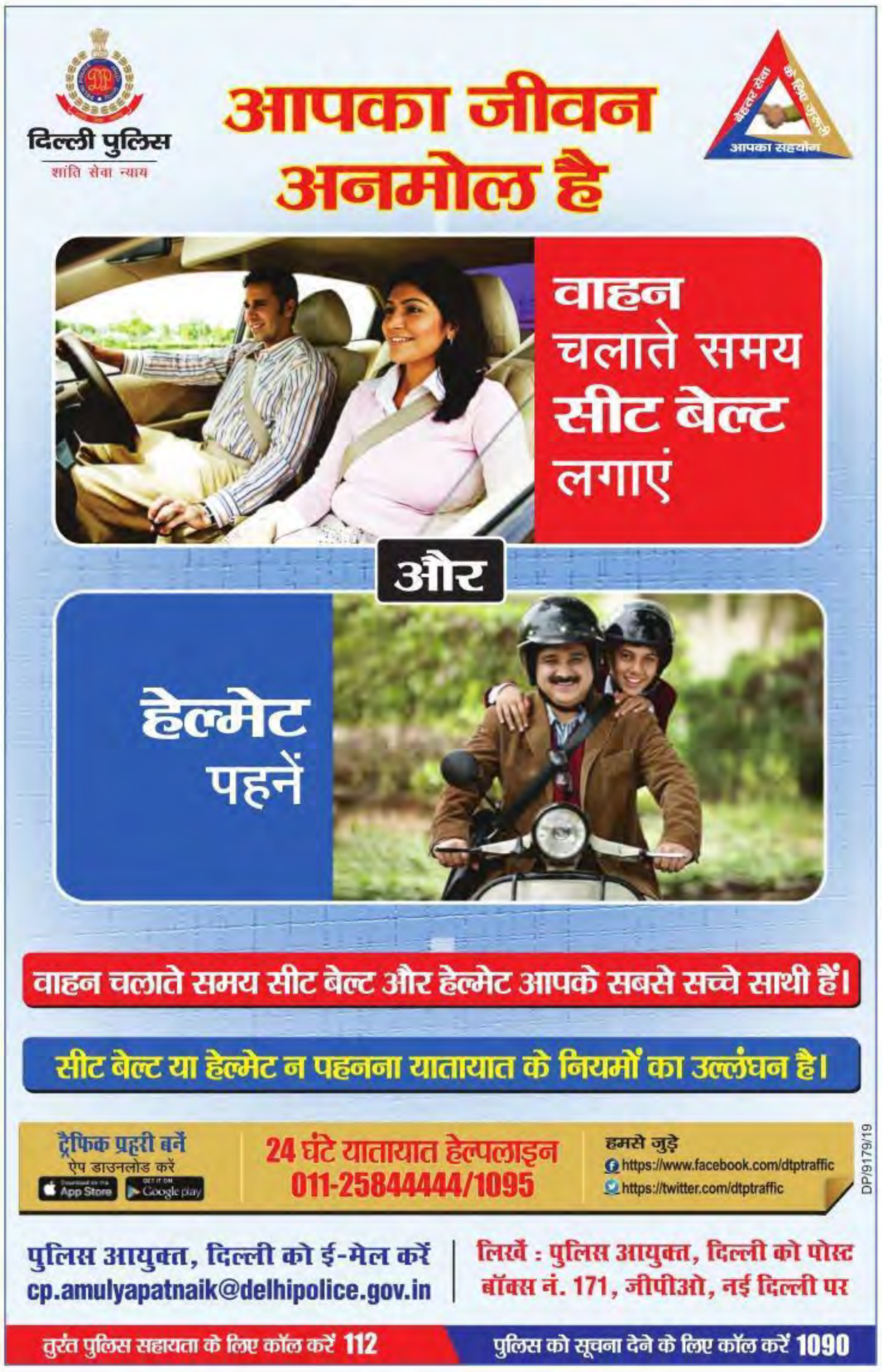

मौसम

तापमान	नोएडा	गाजियाबाद	गुरुग्राम	फरीदाबाद
अधिकतम	32.3 डि.से.	32.3 डि.से.	31.2 डि.से.	32.3 डि.से.
न्यूनतम	15.2 डि.से.	15.2 डि.से.	15.5 डि.से.	15.5 डि.से.

प्रदूषण को नियंत्रित करने की कोशिशों में सरकार, बोले केजरीवाल

पराली से बन सकती है सीएनजी

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 6 नवंबर।

पड़ोसी राज्यों में जल रही पराली की मदद से सीएनजी बनाई जा सकती है। बुधवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया कि इसकी मदद से पराली की वजह से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकता है। इस मामले में विभिन्न विशेषज्ञों के साथ हुई बैठकों में इस बात की संभावनाएं सामने आई हैं। उन्होंने कहा कि इस योजना से नई नौकरियां मिलेंगी और हर साल होने वाली प्रदूषण की परेशानी से भी राहत होगी। हालांकि इसके लिए सभी राज्यों को मिलकर काम करने की आवश्यकता है।

मुख्यमंत्री ने दिल्ली में एकाएक कम हुए प्रदूषण के लिए भी दिल्ली वालों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि दोपहर में दो बजे पीएम 2.5 का स्तर 39 और पीएम 2.5 का स्तर 96 तक पहुंच गया था। यह खुशी की बात है कि प्रदूषण का स्तर कम हो रहा है। इसके लिए सभी के सहयोग को मुख्यमंत्री ने सराहा है। वहीं, भाजपा इस मामले में 'आप' सरकार को घेरने में लगी है। प्रदूषण संकट के लिए भाजपा सीधेतौर पर 'आप' की असफलताओं को दोषी ठहरा रही है। इसके विरोध में भाजपा नेता विजय गोयल गुरुवार को उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के आवास पर पहुंचेंगे और उन्हें पराली का एक गुच्छा भी भेंट करेंगे। इस प्रतिनिधिमंडल में कपिल मिश्रा, ओपी शर्मा, जगदीश प्रधान, समेत भाजपा के अन्य नेता शामिल होंगे।

11 व 12 नवंबर को मिल सकती है राहत : गुरु नानक देवजी के 550वें उत्सव की वजह से दिल्ली वालों को 11 व 12 नवंबर को सम-विषम से राहत मिल सकती है। इस मामले में 'आप' विधायक जरनैल सिंह ने परिवहन मंत्री को एक पत्र भेजा है। इस पत्र में कहा गया है कि उत्सव के दौरान नगर कीर्तन व यात्राएं निकाली जाएंगी। इस स्थिति में सम-विषम लागू होने की वजह से परेशानी हो सकती है। इसलिए जनता को राहत दी जाए। इस मामले में दिल्ली सरकार ने विचार करने का आश्वासन दिया है। बुधवार को सम-विषम की व्यवस्था का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ दिल्ली सरकार की मुहिम जारी रही।

दिल्ली सरकार की रिपोर्ट के मुताबिक बुधवार देर रात तक इस योजना का उल्लंघन करने वाले 709 लोगों का चालान किया गया। इन चालानों में यातायात पुलिस द्वारा 406, परिवहन विभाग द्वारा 185 और राजस्व विभाग की ओर से 118 चालान किए गए हैं।

100 नई बसें आज होंगी शामिल : सम-विषम व्यवस्था में बसों की कमी से आम जनता को हो रही परेशानी को दूर करने के लिए गुरुवार को क्लस्टर बस सेवा के बेड़े में 100 बसें शामिल की जाएंगी। इन बसों को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हरी झंडी दिखाएंगे। इन बसों को दिल्ली देहात व शहरी क्षेत्रों से जोड़ने की योजना है।

प्रदूषण से लड़ने में सरकारें विफल : स्वराज इंडिया

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 6 नवंबर।

स्वराज इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष योगेंद्र यादव ने कहा कि वायु प्रदूषण से लड़ने के लिए सरकार में इच्छाशक्ति ही नहीं दिखती। उन्होंने दिल्ली में वायु प्रदूषण का 25 फीसद कम होने के दावे को गलत बताया है। पार्टी ने केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार से सवाल किया है कि प्रदूषण से लड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट की ओर से 2017 में जारी निर्देशों का पालन अब तक क्यों नहीं किया गया। दिल्ली सरकार ने इस बाबत हमेशा आकस्मिक और दिखावटी कदमों पर ध्यान दिया है। उन्होंने कहा-दिल्ली सरकार जल्द से जल्द 5000 बसें बढ़ाए। मेट्रो का किराया घटाए ताकि ज्यादा लोग सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें।

प्रदूषण घटा, दिल्ली की सांस में सांस आई

नई दिल्ली, 6 नवंबर (भाषा)।

साफ मौसम और हवाओं की गति बढ़ने से दिल्ली में प्रदूषण के स्तर में कमी आई जिससे बुधवार को दिल्लीवालों ने राहत की सांस ली। हालांकि, मौसम विशेषज्ञों ने आशंका जताई है कि रात में बादल छाने और हल्की बूंदाबांदी से वायु गुणवत्ता में गिरावट आ सकती है।

सरकार की वायु गुणवत्ता निगरानी एवं पूर्वानुमान सेवा 'सफर' ने बताया कि मंगलवार को पंजाब में पराली जलाने की 6,668 घटनाएं दर्ज की गईं जो इस मौसम में सबसे अधिक हैं। हालांकि, हवाओं की दिशा की वजह से इसका दिल्ली पर प्रभाव नगण्य होगा।

आंकड़ों के मुताबिक, बुधवार को दोपहर डेढ़ बजे दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 216 रहा, जो 'खराब' श्रेणी में आता है। हालांकि कई इलाकों में प्रदूषण स्तर 'औसत' श्रेणी में रहा। दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में पीएम-2.5 का स्तर गिरकर 107 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर रह गया। पीएम 2.5 हवा में मौजूद सूक्ष्म कण हैं जिनका व्यास 2.5 माइक्रोन होता है और ये सांस के जरिए फेफड़ों और रक्त धमनियों में पहुंचकर स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालते हैं।

वहीं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पीएम10 की सघनता बुधवार दोपहर डेढ़ बजे 226 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर रही जबकि सुरक्षित स्तर 60 से 100 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर है। मौसम विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि साफ आसमान और हवाओं की गति की वजह से दिन में प्रदूषण के स्तर में और गिरावट आएगी। उन्होंने कहा, 'हालांकि, रात को बादल छाने, बहुत हल्की बूंदाबांदी होने और हवाओं की गति मंद होने की वजह से प्रदूषण का स्तर बढ़ेगा और वायु गुणवत्ता में गिरावट आ सकती है।' उन्होंने कहा कि गुरुवार को तेज हवाओं और बारिश की वजह से फिर स्थिति सुधरेगी और 10 नवंबर से दिल्ली वाले अपेक्षाकृत साफ हवा में सांस ले सकेंगे।

सफर ने कहा, 'दिल्ली के औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक में उम्मीद से कहीं अधिक तेजी से सुधार हुआ है और दिन में धूप निकलने से इसमें और सुधार होने की उम्मीद हैं। हवा की दिशा की वजह से मंगलवार को सबसे अधिक पराली जलाने की घटना के बावजूद दिल्ली-एनसीआर के वातावरण में धुंए की मात्रा कम रही।' सफर ने कहा कि दिल्ली की हवा में मौजूद पीएम 2.5 में पराली से होने वाले धुंए की हिस्सेदारी बुधवार को मात्र तीन फीसदी रही और गुरुवार को इसके दो फीसदी रहने का अनुमान है।

सफर ने कहा, 'पश्चिमी विक्षोभ से क्षेत्र में साफ हवा आई है। अगले दो दिनों में कुछ जगहों पर गरज के साथ बारिश हो सकती है और सात नवंबर से हवा की दिशा भी दक्षिण-पूर्व होने की उम्मीद है जिससे धुंआ दिल्ली-एनसीआर तक नहीं पहुंचेगा।'

खुले में कूड़ा जलाने पर निगम ने दर्ज की 51 शिकायतें

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने प्रदूषण फैलाने और खुले में कूड़ा जलाने पर नियमों के उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस में 51 शिकायतें और प्राथमिकी दर्ज कराई। इसके साथ सभी जोनों में 213 चालान काटे और चार लाख 80 हजार का जुर्माना लगाया।

दक्षिणी निगम ने यह कार्रवाई एनजीटी 2010 की धारा 15 के तहत की है। निगम के दक्षिणी जोन में दस, नजफगढ़ जोन में 17 और मध्य जोन में 24 शिकायतें और प्राथमिकी दर्ज कराई। इसके अलावा निगम ने सभी जोनों में प्रदूषण के खिलाफ 213 चालान किए और चार लाख 80 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। इसके साथ ही 751 साइटों का भी निरीक्षण किया। प्रदूषण को कम करने के लिए सभी जोनों में 83 पानी के टैंकर और 24 मकैनिकल रोड स्वीपर ने 604 किलोमीटर सड़कों पर सफाई और पानी का छिड़काव किया गया। निगम ने ऐसी साइटों को चिह्नित किया है, जहां रात में अवैध रूप से मलबा डाला जाता है और ऐसी साइटों की निगरानी के लिए 40 विशेष रात्रि पैट्रोलिंग टीमों को भी क्षेत्रो में तैनात किया गया।

'डीटीसी बसों की संख्या पर जवाब दे आप सरकार'

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 6 नवंबर।

आम आदमी पार्टी ने पांच साल के कार्यकाल में डीटीसी के बेड़े में एक भी बस शामिल नहीं की है। इस मामले में बुधवार को भाजपा प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने मुख्यमंत्री केजरीवाल को पत्र लिखा है और जवाब मांगा है। उन्होंने पत्र में कहा है कि डीटीसी की बसें लगातार खत्म हो रही है और 2020 में इन बसों की संख्या और कम हो जाएगी। दिल्ली सरकार को बसों की संख्या के मामले में जनता को जवाब देना चाहिए।

मुफ्त बस यात्रा योजना के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका

नई दिल्ली, 6 नवंबर (भाषा)।

- मुफ्त यात्रा की सुविधा आर्थिक आधार पर मिले, लैंगिक आधार पर नहीं : याचिकाकर्ता
- योजना को बताया गया असंवैधानिक, केंद्र सरकार की मंजूरी बताई जरूरी

दिल्ली के उच्च न्यायालय में एक महिला ने याचिका दायर की है। याचिका में आम आदमी पार्टी (आप) द्वारा डीटीसी बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा सुविधा को असंवैधानिक बताया गया है। साथ ही कहा गया कि इस फैसले को लेने से पहले केंद्र सरकार से अनुमति लेना जरूरी था। मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति सी हरिशंकर के पीठ ने याचिकाकर्ता अज्मा जैदी द्वारा दायर याचिका पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि किस आधार पर वह इस फैसले को असंवैधानिक बता रही हैं साथ ही इसमें केंद्र सरकार की अनुमति की जरूरत क्यों है।

पीठ ने याचिकाकर्ता को अगली सुनवाई पर सभी सवालों के जवाबों के साथ आने को कहा है।याचिका पर अगली सुनवाई 21 जनवरी को होगी। याचिकाकर्ता के वकील अनिल कुमार खवारे ने दलील दी कि महिलाओं को दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) और क्लस्टर बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा करदाताओं के पैसे से उपलब्ध कराई जा रही है। इसके कारण सरकारी खजाने पर असर पड़ रहा है। वकील ने फैसले को अवैध, मनमाना, भेदभावपूर्ण और असंवैधानिक बताया।

याचिका में दावा किया गया कि यह फैसला एक नया वर्ग पैदा कर रहा है क्योंकि महिलाएं टिकट खरीदने के लिए स्वतंत्र हैं। जैदी एक वकील हैं और उन्होंने दलील दी कि मुफ्त यात्रा की सुविधा आर्थिक आधार पर दी जानी चाहिए, लैंगिक आधार पर नहीं।

'बाबरी मस्जिद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करे आवाम'

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 6 नवंबर।

प्रमुख मुस्लिम संगठन जमात-ए-इस्लामी हिंद ने अयोध्या मामले में समाज से अपील की है कि वे शांति और सौहार्ध्य बनाए रखें और अदालत का फैसला जो भी हो उसका सम्मान करें। इस बाबत बुलाई प्रेस कॉन्फ्रेंस में जमात इस्लामी हिंद के उपाध्यक्ष मोहम्मद सलीम इंजीनियर ने बताया कि सुनवाई पूरी हो चुकी है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला किसी भी दिन आ सकता है। लिहाजा जमात-ए-इस्लामी हिंद के केंद्रीय सलाहकार परिषद की केंद्रीय सलाहकार समिति ने बैठक कर देश के तमाम नागरिकों से अपील की कि वे प्रशासन के साथ सहयोग करें और उत्तेजना, हिंसा और आगजनी जैसे भड़काऊ अपीलों से सावधान रहें। उन्होंने जमात को आगाह किया है कि बाबरी मस्जिद मामले में संभावित किसी षड़यंत्र से प्रभावित होने से बचें। उन्होंने इस मौके पर कहा कि जमात चाहती है कि अयोध्या विवाद पर फैसला आने के बाद सरकार इस बात को पुख्ता करे कि देश में शांति और व्यवस्था बहाल रहे। इंजीनियर सलीम ने बताया कि हाल ही में जमात-ए-इस्लामी हिंद के केंद्रीय सलाहकार परिषद ने देश की स्थिति पर कुछ प्रस्ताव पारित किए हैं। सलाहकार परिषद ने बाबरी मस्जिद-अयोध्या विवाद के अलावा नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन (एनआरसी) पर भी अपनी चिंता जताया है।

इंजीनियर मोहम्मद सलीम ने कहा अब यह हकूमत की जिम्मेदारी है कि फैसला आने के बाद शांति एवं कानून और व्यवस्था को बनाए रखे और विधि के शासन को विश्वसनीय बनाए और इसी तरह देश के नागरिकों की भी जिम्मेदारी बनती है कि वे देश में शांति व्यवस्था और साम्प्रदायिक सौहार्द्र को बनाए रखने में सहयोग करे। उन्होंने असम में एनआरसी की अंतिम सूची जारी होने के बाद 19 लाख से अधिक लोगों के नाम सूची से खारिज कर दिए जाने पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने इस बात पर भी चिंता प्रकट की कि असम के बाद अब गृह मंत्री ने एनआरसी को देशव्यापी लागू करने का एलान किया है।

नोटबंदी की बरसी पर कांग्रेस करेगी 'हल्ला बोल'

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 6 नवंबर।

कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता मुकेश शर्मा ने बुधवार को जारी एक बयान में बताया कि प्रदेश कांग्रेस केंद्र सरकार के खिलाफ शुक्रवार को नोटबंदी को लेकर सुभाष चोपड़ा के नेतृत्व में मोर्चाबंदी करेगी। उन्होंने कहा कि सभी जिलों व मुख्य बाजारों में कांग्रेस कार्यकर्ता रैलियां आयोजित करेंगे। इन रैलियों को चोपड़ा के अलावा कांग्रेस के सभी नेता संबोधित करेंगे।

शाम तीन बजे चांदनी चौक संसदीय क्षेत्र के 12 टूटी चौक, सदर बाजार में आयोजित हल्ला बोल रैली को जय प्रकाश अग्रवाल भी संबोधित करेंगे। सुभाष चोपड़ा ने कहा कि केंद्र सरकार सभी मोर्चों पर विफल रही है। आज भारत में आर्थिक मंदी का दौर है, बल्कि देश का हर चौथा आदमी कर्ज में डूबा हुआ है। दिल्ली में बढ़ती बेरोजगारी के लिए केंद्र सरकार के साथ-साथ केजरीवाल सरकार भी जिम्मेदार है।

सौर ऊर्जा पंप लगवाने पर मिलेगा 75 फीसद अनुदान

फरीदाबाद, 6 नवम्बर (जनसत्ता)।

- सौर पंप से किसानों की धन राशि की बचत होगी
- सौर पंप के लिए आवेदन देने वालों को दी जाएगी प्राथमिकता

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने वाले किसानों को 75 फीसदी अनुदान देकर तीन से दस हॉर्सपावर क्षमता के नलकूप पंप उपलब्ध कराएगा। यह जानकारी अतिरिक्त उपायुक्त धर्मेन्द्र सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि डीजल पंप से सिंचाई करना किसानों को महंगा पड़ता है और पर्यावरण भी प्रदूषित होता है।

सौर ऊर्जा से चलने वाले पंप से किसानों की धन राशि भी बचेगी और पर्यावरण भी दूषित नहीं होगा। उन्होंने बताया कि जिन किसानों ने दक्षिणी हरियाणा बिजली वितरण निगम में ट्यूबवेल के बिजली का कनेक्शन लेने के लिए आवेदन दिया है और यदि वे किसान सौर ऊर्जा पंप लगवाना चाहते हैं तो उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। आवेदन के लिए किसान को जमीन की फर्द, आवेदन कर्ता की फोटो, आधार कार्ड व अन्य एक पहचान पत्र स्वयं सत्यापित करके देना होगा।

अतिरिक्त उपायुक्त ने बताया कि किसानों के अलावा गौशाला और वाटर यूजर एसोसिएशन सामुहिक सिंचाई सिस्टम को भी 75 फीसद अनुदान पर सौर ऊर्जा पंप दिए जाएंगे। इसके लिए किसान सरल पोर्टल पर आगामी 30 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग हरियाणा द्वारा प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाज्ञान के तहत किसानों को सौर ऊर्जा पंप पर 75 फीसद अनुदान राशि मुहैया करवाई जाएगी। अनुदान पाने के लिए आवेदन पत्र अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय में आगामी 30 नवम्बर तक जमा करवाए जा सकते हैं।

खबरों में शहर

हत्यारे पति ने थाने जाकर कबूला जुर्म

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 6 नवंबर।

दक्षिणी दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में बुधवार सुबह एक व्यक्ति ने पत्नी का गला घोंटकर हत्या कर थाने पहुंचकर वारदात की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। महिला की पहचान दीपिका मोंगिया (31) के रूप में हुई है। उसके आरोपी पति सुमित मोंगिया (38) को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। शुरुआती जांच में पुलिस को यह पता चला है कि दंपति के बीच अक्सर छोटी-छोटी बातों को लेकर झगड़ा होता रहता था।

मेट्रो के आगे कूदकर की आत्महत्या

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 6 नवंबर।

दिल्ली विधान सभा मेट्रो स्टेशन पर एक व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली। दिल्ली मेट्रो की येलो लाइन पर बुधवार को एक व्यक्ति ने कथित रूप से चलती ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) के अधिकारियों ने कहा कि घटना के चलते विश्वविद्यालय और समयपुर बादली स्टेशन के बीच कुछ समय के लिए सेवा बाधित हुई। मृतक की पहचान चरणजीत सिंह बुराड़ी (40) निवासी के तौर पर हुई है।

पत्रकारिता की दशा और दिशा पर कार्यक्रम

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 6 नवंबर।

पत्रकारों के काम की दशा और दिशा पर बुधवार को एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जंतर-मंतर स्थित दिल्ली पत्रकार संघ के प्रांगण में कार्यक्रम में सभी क्षेत्रों के लोगों ने भाग लिया। शिक्षा, विधि और सामाजिक क्षेत्र के लोगों ने एक स्वर से इस बात पर हामी भरी कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में पत्रकारिता का महत्व समाज के हर क्षेत्र में है।

कोर्ट से पुनर्विचार याचिका खारिज, केंद्रीय गृह मंत्रालय के हस्तक्षेप की मांग

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 6 नवंबर।

मंगलवार रात मिले आश्वासन के बाद बुधवार को ही हाई कोर्ट से पुनर्विचार याचिका खारिज होने के बाद जहां दिल्ली पुलिस कर्मचारी दोबारा आंदोलन की तैयारी में जुट गए हैं वहीं केंद्रीय गृह मंत्रालय से हस्तक्षेप की संभावना और ज्यादा बढ़ गई है। बुधवार रात केंद्र सरकार से ही मिले आश्वासन और पुलिस के आला अधिकारियों के बीच उच्चस्तरीय बैठक के बाद आयुक्त अमूल्य पटनायक ने एक संदेश देकर आंदोलनकारी पुलिसकर्मियों से वापस काम पर जाने का अनुरोध ही नहीं किया था बल्कि यह भी कहा था कि हाई कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करने के साथ साकेत कोर्ट में मामला दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। हालात ऐसे बन रहे हैं कि जल्द ही पुलिस आयुक्त को गृह मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंपने जाना पड़ सकता है।

मंगलवार को आंदोलनकारियों को मिले आश्वासन के बाद बुधवार को जिस तरह हाई कोर्ट में पुनर्विचार याचिका खारिज हुई है उससे दिल्ली पुलिस के आंदोलनकारियों में मायूसी छा गई है। अगर ताजा हालात पर पुलिस आयुक्त अमूल्य पटनायक गृह मंत्रालय पहुंचकर औपचारिक रिपोर्ट प्रस्तुत कर पुलिस कर्मियों के हित में फैसला नहीं ले आते तो फिर दोबारा आंदोलन होने की शंका है। आयुक्त की रिपोर्ट में सिलसिलेवार तरीके से पुलिस मुख्यालय के बाहर हो रहे प्रदर्शन और उसे शांत करने के लिए पुलिसिया कार्रवाई का पूरा ब्योरा शामिल होगा। रिपोर्ट में इस बात का जिक्र होगी कि कैसे सुबह से शाम तक आयुक्त के साथ पुलिस के अन्य आला अधिकारी अपने मातहतों को समझाने की कोशिश करते रहे लेकिन उनके मन में कोर्ट के फैसले के बाद जो असुरक्षा के भाव पैदा हुए हैं उसके समाधान के लिए सिवाए शांतिपूर्ण प्रदर्शन के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं बच रहा था। सोशल मीडिया के समय में अपनी मांगों से संबंधित आंदोलन की जानकारी और उसमें शामिल होने के लिए पुलिसकमिर्यों ने सोशल मीडिया के जरिए एक दूसरे से संपर्क किया। पुलिस अधिकारी यह मान रहे हैं कि उन्हें जो आश्वासन एक दिन पहले दिया गया वह एक दिन बाद ही पूरी तरह से दरकिनार कर दिया जाएगा ऐसी संभावना नहीं के बराबर होती है। ऐसे हालत में केंद्रीय हस्तक्षेप से इंकार नहीं किया जा सकता।

उधर दिल्ली पुलिस की खुफिया जानकारी के मुताबिक अगर पुलिसकर्मियों का इसी तरह दोबारा आंदोलन शुरू हो गया तो इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि इससे कानून व्यवस्था पर बुरा असर पड़ सकता है। पुलिस मुख्यालय, उपायुक्त दफ्तर और अन्य यूनिटों के दफ्तरों से अलग दिल्ली के सभी थानों और चौकियों में तैनात पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी छोड़कर पुलिस प्रदर्शन में भाग लेने के लिए आईटीओ पर आए थे। इसलिए इस मामले की पल-पल की जानकारी देने के लिए आयुक्त को तुंरत गृह मंत्रालय में रिपोर्ट सौंपनी होगी।

पुलिसकर्मियों के प्रदर्शन की रिपोर्ट उपराज्यपाल को सौंपी गई

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 6 नवंबर।

पुलिस मुख्यालय के बाहर हुए पुलिसकर्मियों के प्रदर्शन की पूरी रिपोर्ट पुलिस प्रमुख अमूल्य पटनायक ने बुधवार को उपराज्यपाल अनिल बैजल को दी। तीसहजारी और साकेत कोर्ट के बाहर पुलिसकर्मियों और वकीलों के बीच हुई झड़प के बाद मंगलवार को जिस प्रकार बिना कोई पूर्व योजना और सूचना के हजारों की संख्या में मुख्यालय के बाहर पुलिस वाले प्रदर्शन के लिए पहुंच गए उससे राजधानी की कानून व्यवस्था को लेकर भी चिंता सामने आने लगी है। मुख्यालय के सूत्रों के मुताबिक भले ही कानून व्यवस्था के विषय पर होने वाली नियमित बैठक के बाबत पुलिस आयुक्त उपराज्यपाल निवास गए और व्यापक विरोध प्रदर्शन के बारे में भी पूरी जानकारी दी गई।

दिल्ली की टीम में कहीं 12वें खिलाड़ी बनकर न रह जाएं कीर्ति आजाद

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 6 नवंबर।

क्रिकेट की दुनिया से सियासत के मैदान में पहुंचे कीर्ति आजाद को दिल्ली कांग्रेस की चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष बनाकर कांग्रेस हाईकमान ने भले ही उन्हें दिल्ली की टीम में नंबर दो की हैसियत दी हो लेकिन पार्टी की गतिविधियों से उनकी गैरहाजिरी ऐसे संकेत दे रही है कि कहीं वे दिल्ली कांग्रेस की राजनीतिक टीम के 12वें खिलाड़ी न साबित हों जो टीम में रहता तो है लेकिन उसे खेलने का मौका नहीं मिलता।

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की कुर्सी पार्टी के वरिष्ठ नेता सुभाष चोपड़ा को सौंपी है जबकि कीर्ति आजाद को चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। कांग्रेस हाईकमान पहले आजाद को ही प्रदेश अध्यक्ष बनाने की तैयारी में था लेकिन प्रदेश कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेताओं के भारी विरोध के मद्देनजर चोपड़ा को प्रदेश अध्यक्ष व आजाद को चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष बनाने का फैसला हुआ। शुरुआत में दोनों नेताओं की जुगलबंदी से ऐसा संदेश गया कि जिस प्रकार हरियाणा में प्रदेश अध्यक्ष शैलजा व चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष भूपेन्द्र सिंह हुड्डा की जोड़ी ने बेहतर तालमेल के साथ हरियाणा में कांग्रेस की जोरदार वापसी कराई, उसी प्रकार दिल्ली में भी यह जोड़ी बेहतर करेगी लेकिन तमाम अहम मौकों पर आजाद की गैरमौजूदगी को लेकर पार्टी में अंदरखाने तरह-तरह के कयास लगाए जाने लगे हैं।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष चोपड़ा की अगुआई में सोमवार को हुई जिलाध्यक्षों की बैठक में आजाद नहीं दिखे। फिर मंगलवार को ब्लॉक अध्यक्षों की बैठक में भी वे चोपड़ा के साथ नहीं दिखे। बुधवार को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्यों की बैठक में भी आजाद नहीं आए। इससे पहले बाद शत्रुघ्न सिन्हा की प्रेस वार्ता में भी वे नहीं पहुंचे थे।

सूत्रों की मानें तो पूर्वांचल से ताल्लुक रखने वाले आजाद को प्रदेश अध्यक्ष बनाने का विरोध दिल्ली के नेताओं ने इसी आधार पर किया कि एक तो वे भाजपा छोड़कर कांग्रेस में आए हैं और दूसरी ओर दिल्ली की कांग्रेसी सियासत में बिल्कुल नए हैं। लेकिन उनको चुनाव प्रबंधन समिति का अध्यक्ष इसीलिए बनाया गया क्योंकि पार्टी की नजर दिल्ली के 50 लाख से ज्यादा पुरबिया मतदाताओं पर है। जिस प्रकार भाजपा ने मनोज तिवारी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया और आम आदमी पार्टी ने गोपाल राय व संजय सिंह सरीखे नेताओं को आगे किया, उसी तर्ज पर कांग्रेस हाईकमान ने भी एक नामचीन पुरबिया चेहरे को दिल्ली के सियासी मैदान में उतारा। लेकिन शुरुआती हलचल के बाद आजाद जिस प्रकार नेपथ्य में चले गए हैं, जिस प्रकार प्रदेश कांग्रेस की बैठकों से वे गैरहाजिर हैं, उसको लेकर पार्टी में अंदरखाने यह चर्चा हो रही कि कहीं ऐसा न हो कि उनकी हालत क्रिकेट टीम के उस 12वें खिलाड़ी वाली होकर न रह जाए जो टीम में रहता जरूर है लेकिन खेलने का मौका नहीं मिलता।

आज के कार्यक्रम

साभा-संगोष्ठी

डीजेए और चास : चीन की हांगकांग नीति पर चर्चा, कांस्टीट्यूशन क्लब, रफीमार्ग, शाम तीन बजे।

विविध

इंडिया इंटरनेशनल सेंटर : सरोद वादन, सीडी देशमुख सभागार, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, 40 मैक्समूलर मार्ग, शाम छह बजे।

अब स्टेशन मास्टर के कक्ष की भी होगी वीडियो रिकार्डिंग

पंकज रोहिला
नई दिल्ली, 6 नवंबर।

देशभर में रेल गाड़ियों के बेहतर संचालन के लिए अब स्टेशन मास्टर के कक्ष की भी वीडियो रिकार्डिंग होगी। मंत्रालय ने रेल हादसों से सबक लेते हुए यह फैसला किया है। इस रिकार्डिंग की जद में स्टेशन मास्टर कक्ष, पैनल रूट और रिले रूम को रखा जाएगा। रेल मंत्रालय के अधिकारी डिम्पी गर्ग ने इस बाबत आदेश जारी किए हैं। दावा किया जा रहा है कि इसकी मदद से संचालन में होने वाली गड़बड़ियों को भी पकड़ा जा सकेगा।

मंत्रालय के मुताबिक यह व्यवस्था सबसे पहले अधिक यातायात वाले क्षेत्रों से लागू होगी, इसकी मदद से व्यस्त समय में नेटवर्क में होने वाली परेशानियों को दूर किया जा सकेगा। इसके बाद देश के सभी स्टेशनों को इससे जोड़ दिया जाएगा। मंत्रालय ने रेल सुरक्षा के लिए यह व्यवस्था लागू की है। मंत्रालय ने संबंधित अधिकारियों को स्टेशन पर की जाने वाली रिकार्डिंग का रिकार्ड भी संभाल कर रखने के आदेश दिए गए हैं ताकि किसी भी गड़बड़ी की स्थिति में इस उपयोग किया जा सके। योजना को सभी जोन को ये आदेश भेजे गए हैं।

नई व्यवस्था को लागू करने के लिए रेलवे सुरक्षा आयुक्त की विशेष टीम की तरफ से सिफारिश की गई थी। इसकी वजह रेलवे में अब तक हुए कई हादसों को माना जा रहा है। वर्तमान में रेलवे मंत्रालय के साथ बड़ी संख्या में निजी स्टॉफ भी जुड़ा हुआ है। हाल ही में ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जिसमें रेल सामान की चोरी व अन्य सामान गायब होने की घटना हुई है। वीडियो रिकार्डिंग से स्टेशनों पर निगरानी और बढ़ जाएगी। इसके अतिरिक्त हादसे की स्थिति में होने वाले दोषारोपण को भी खत्म किया जा सकेगा।

अधिकारियों की मानना है कि इस स्थिति में सभी सबूत मंत्रालय के अधिकारियों के पास उपलब्ध रहेंगे और जिनमें छेड़खानी होने की संभावनाएं भी नहीं होगी। रेल मंत्रालय के मुताबिक देशभर में करीब 7500 स्टेशन हैं। वर्तमान में केवल प्रमुख स्टेशन पर ही सीसीटीवी की निगरानी है।

शताब्दी में आधा लीटर पानी ही मिलेगा मुफ्त

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 6 नवंबर।

शताब्दी ट्रेन में अब यात्रियों को 500 मिलीलीटर पानी ही मुफ्त मिलेगा। इससे अधिक पानी मुसाफिर को खरीदना पड़ेगा। सभी शताब्दी ट्रेन में इस व्यवस्था को लागू कर दिया जाएगा और ये आदेश अगले तीन महीनों में प्रभावी होंगे।

रेलवे बोर्ड के आदेश के मुताबिक शताब्दी ट्रेन में पांच घंटे से अधिक सफर करने वालों को एक लीटर रेल नीर की बोतल मुहैया नहीं कराई जाएगी जबकि अब तक यह व्यवस्था लागू थी। मंत्रालय के मुताबिक शताब्दी ट्रेन को अधिकतम सफर तय करने में महज साढ़े आठ घंटे लगते हैं। अधिकारियों के मुताबिक सफर के दौरान यह सामने आया है कि यात्री उपलब्ध कराए जाने वाले एक लीटर पानी का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। इससे पानी की बर्बादी होती है। पानी की बर्बादी को रोकने के लिए यह रेल मंत्रालय की बड़ी पहल है।

रेलवे बोर्ड के फैसले के अनुसार 500 लीटर से अधिक पानी यात्रियों को खरीदना होगा

अधिकारियों ने दलील दी कि यात्री एक लीटर पानी में से आधा लीटर ही पीते हैं

रोजाना करीब 30 शताब्दी ट्रेनें चलती हैं और हर ट्रेन में 600 से 700 यात्री होते हैं।

मंत्रालय से मिली जानकारी के मुताबिक रोजाना 30 के करीब शताब्दी ट्रेन का संचालन किया जाता है और हर ट्रेन में 600 से 700 यात्री होते हैं। इन यात्रियों को अब तक एक लीटर पानी उपलब्ध कराया जा रहा था। ट्रेन में पानी उपलब्ध कराने के लिए रेलवे के पास हापुड़ में बड़ा नीर प्लांट है। इस प्लांट से यह आपूर्ति की जाती है। यहां पर केवल एक लीटर पानी की बोतल बनाने का प्लांट है जबकि 500 मिलीलीटर पानी का बोतल बनाने प्लांट दिल्ली के नांगलोई में है। इस प्लांट से प्रतिदिन केवल एक लाख बोतल बनाई जा सकती हैं। इस स्थिति में रेल मंत्रालय के सबसे बड़ी चुनौती यह होगी कि वह आम जनता को उसकी आवश्यतानुसार 500 मिलीलीटर पानी की बोतल उपलब्ध करा सके। शताब्दी ट्रेन कुर्सीयान है, जो छोटी दूरी के लिए चलाई जाती है। इस श्रेणी की ट्रेनों में दिल्ली से भोपाल जाने वाली शताब्दी का सफर सबसे लंबा है। यह सफर साढ़े आठ घंटे में पूरा होता है।

APPLICATION FOR ALLOTMENT OF REGIMENTAL SHOPS: CAMERO

1. Air Offer Commanding, Air Force Central Accounts Office, Subroto Park, New Delhi- 10 invites applications from War Widows of Defence Personnel killed while on duty, Disabled Soldiers, Spouses/Widows of Ex-Servicemen and other general public for allotment of various shops in Subroto Park Complex at New Delhi.
2. The applicable terms and conditions are mentioned in application form.
3. The application form is available in Service Institute, AFCAO, Subroto Park-10 between 0800 hrs to 1400 hrs on every day except Saturday, Sunday and Holidays (Tele No. 011-25690477). The last date for deposit/receipt of completed application at the above office is 19 Nov 19 by 1400 hrs along with bank draft of ₹ 500/- (Rupees Five Hundred Only) in favour of "OIC SI Fund" payable at New Delhi.

राजस्थान : निकाय चुनाव में पौने दो लाख से ज्यादा नए मतदाता

जयपुर, 6 नवंबर (भाषा)।

राजस्थान में 49 निकायों के लिए 16 नवंबर को होने वाले चुनाव में पौने दो लाख से ज्यादा 18 से 20 वर्ष की उम्र के नए मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव श्याम सिंह राजपुरोहित ने बताया कि ज्यादातर युवाओं के नाम विधानसभा और लोकसभा की मतदाता सूचियों में पंजीकृत हो चुके थे। बचे हुए मतदाताओं ने अपना नाम निकाय चुनाव की मतदाता सूची में दर्ज कराया है।

उन्होंने बताया कि सर्वाधिक युवा मतदाताओं के नाम बीकानेर निकाय में जोड़े गए हैं। यहां 24 हजार 611 नए मतदाताओं ने अपने नाम जुड़वाए हैं। प्रदेश में वर्तमान में 1 लाख 75 हजार 151 युवा मतदाता 16 नवंबर को होने वाले मतदान में अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे।

अधिकारी ने बताया कि इसी तरह 21 से 40 साल की उम्र तक के मतदाताओं की संख्या 15 लाख 92 हजार 500 है। 41 से 60 वर्ष की उम्र तक के मतदाता प्रदेश भर में 10 लाख 71 हजार 321 और 60 वर्ष से अधिक उम्र के 4 लाख 67 हजार 940 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। चुनाव में कुल 33 लाख 6 हजार 912 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे, जिनमें से 17 लाख 5 हजार 1 पुरुष, 16 लाख 1 हजार 864 महिलाएं और 47 अन्य मतदाता शामिल हैं।

PXIL
Transforming Power Market
Power Exchange India Limited
Sumer Plaza, Unit No. 901, 9th floor, Marol Maroshi Road, Andheri (East), Mumbai-400059, India. Tel: + 91 22 40096667/87
Fax: + 91 22 40096633/90. Email: info@pxil.co.in. CIN:U74900MH2008PLC179152
Trading Month October - 2019

Markets Traded	DAS Prices (Rs/KWh)	DAS Volume (MUs)	INTRADAY Prices (Rs/KWh)	INTRADAY Volume (MUs)	ANYDAY Prices (Rs/KWh)	ANYDAY Volume (MUs)	WEEKLY Prices (Rs/KWh)	WEEKLY Volume (MUs)
Min	2.26	0.06	2.62	0.10	2.65	3.49	3.15	2.20
Max	2.95	4.80	5.90	7.40	3.70	10.80	4.45	8.40
Avg	2.62	0.45	3.88	2.19	3.50	7.37	3.36	6.52
Total		9.81		46.02		199.09		202.11

केनरा बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) **Canara Bank** (A Government of India Undertaking)

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु)

जबकि, अधोहस्ताक्षरी ने केनरा बैंक के प्राधिकृत अधिकारी होते हुए वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002, (2002 का संख्यांक 54) की धारा 13(12) तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये एक मांग पत्र निम्न प्रत्येक खाते के आगे वर्णित दिनांको को (विवरण निम्न वर्णित है) सम्बन्धित ऋणियों तथा सम्पत्ति के मालिकों से भुगतान की मांग करते हुये संबन्धित सूचना के अन्तर्गत राशि इस सूचना की प्राप्ति के 60 दिनों मे भुगतान करने के लिये निमंत्रित किया। सम्बन्धित ऋणियों द्वारा राशि के भुगतान में असफल होने पर ऋणियो को तथा जन सामान्य को यह सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिनियम की धारा 13(4) तथा सपठित नियमों के नियम 8 व 9 के अन्तर्गत निम्नलिखित सम्पत्तियों का कब्जा ले लिया गया है। सम्बन्धित ऋणियों / मालिको को विशेषता तथा जन सामान्य को सूचित किया जाता है कि उक्त सम्पत्तियों में कोई व्यवहार न करें तथा उक्त सम्पत्तियों में किया गया कोई भी व्यवहार केनरा बैंक से संबन्धित राशि एवं ब्याज व अन्य खर्चो के अधीन होगा।

क्र0 सं0	शाखा का नाम	ऋणकर्ता का नाम	बंधक सम्पत्ति का विवरण	मांग नोटिस के तिथि और उसके अनुसार बकाया राशि	सांकेतिक कब्जे की तिथि एवं स्थान
1.	ग्रीन पार्क बरेली	मैसर्स एन. के. एंटरप्राइजेज (प्रोपराइटर- श्री नसिर खान)	संपत्ति के सभी भाग और पार्सल आवासीय फ्लाट स्थित खसरा नंबर 251 एम, 254 एम और 262 एम मौहल्ला जगतपुर लाला बेगम, बरेली श्री नासिर खान पुत्र श्री अहमद वली खान के नाम। क्षेत्रफल 96.76 वर्गमीटर। सीमायें -उत्तर: अन्य का मकान दक्षिण: विक्रेता की भूमि पूर्व: सड़ता पश्चिम: अन्य का प्लॉट	05.04.2019 रू0 1597778.00 + ब्याज व अन्य खर्चे 01.04.2019 से	02.11.2019 बरेली
2.	ग्रीन पार्क बरेली	मैसर्स ओम ट्रेडर्स (पार्टनर्स- श्री राजन गौड़ और श्री आलोक कुमार सिंह)	संपत्ति के सभी भाग और पार्सल मकान संपत्ति स्थित प्लॉट नंबर 396 (खसरा नंबर 651, 652 और 668 से 676 का भाग) श्री हरुनगला, पवन विहार बरेली। ओमवीर शर्मा पुत्र श्री कल्लू राम शर्मा के नाम पर, क्षेत्रफल 206.98 वर्गमीटर। सीमायें:-उत्तर: प्लॉट नं 395(एस. पी. शर्मा) दक्षिण: रास्ता, पूर्व: रास्ता, पश्चिम: प्लॉट नंबर 392 (श्रीमती राजेश शर्मा)	20.07.2019 रू0 1026655.00 + ब्याज व अन्य खर्चे 01.07.2019 से	02.11.2019 बरेली
3.	ग्रीन पार्क बरेली	मैसर्स एस. के. एंटरप्राइजेज (प्रोपराइटर- श्रीमती निखात खान)	संपत्ति के सभी भाग और पार्सल आवासीय मकान स्थित प्लॉट नंबर 19 खसरा नंबर 253 मौहल्ला जगतपुर लाला बेगम, बरेली श्रीमती निखात खान पत्नी श्री सामी खान के नाम पर क्षेत्रफल 83.61 वर्गमीटर। सीमायें:-उत्तर: अन्य का मकान दक्षिण: खुली भूमि पूर्व: प्लॉट नंबर 20 पश्चिम: रास्ता	02.04.2019 रू0 3302067.00 + ब्याज व अन्य खर्चे 01.04.2019 से	02.11.2019 बरेली

दिनांक:- 06.11.2019 स्थान:- बरेली प्राधिकृत अधिकारी

यूको बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) **UCO BANK** (A Govt. of India Undertaking)

अंचल कार्यालय, रिकवरी विभाग, 1ला तल, 5 संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001, फोनः 011-49498269, 49498261

अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिये बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8(6) के साथ पठित वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल परिसम्पत्तियों की बिक्री के लिये ई-नीलामी बिक्री सूचना। एतद्द्वारा आम जनता तथा विशेष रूप से ऋणधारकों तथा गारन्टरों को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत क्रेडीटर के पास गिरवी/चार्ज्ड नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जिसका यूको बैंक, प्रतिभूत क्रेडीटर के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा रचनात्मक/भौतिक कब्जा किया गया है, की बकाया राशि की वसूली के लिये 10.12.2019 को ''जैसा है जहाँ है, जो भी जैसा है'' तथा ''जो कुछ भी वहाँ है'' आधार पर बिक्री की जायेगी। आरक्षित मूल्य तथा धरोहर राशि नीचे वर्णित है। बोली जमा करने की अंतिम तिथि 9.12.2019 के 5.00 बजे सायं तक है। ई-नीलामी की तिथि एवं समयः 10 दिसम्बर, 2019 को 11 बजे पूर्वा. से 2 बजे अप. तक प्रति 5 मिनट के असीमित विस्तार के साथ।

अचल सम्पत्तियों का विवरण

क्रम सं.	शाखा का नाम, आईएफएससी कोड नं., खाता सं. टेलीफोन नं. एवं ई-मेल पता	ऋणधारक एवं गारंटर का नाम	बकाया राशि (रु. लाख में)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम	भौतिक/ सांकेतिक कब्जा	पहचान की गई सम्पत्तियाँ	आरक्षित मूल्य / (ईएमडी) (रु. लाखों में)	सम्पत्ति के निरीक्षण की तिथि एवं सम्पर्क व्यक्ति	सरकार का बकाया, यदि कोई हो
1.	परिसम्पत्ति वसूली शाखा, आईएफएससीः UCBA0002128 खाताः 21281032220001 newamb@ucobank.co.in	श्रीमती मीनू एवं श्री अनिल कुमार	रु. 32.00 लाख तथा उस पर आगे का ब्याज तथा अन्य चार्जेज आदि	श्रीमती मीनू पत्नी श्री अनिल कुमार	भौतिक कब्जा	डीडीए फ्लैट ए-520, भूतल, पॉकेट-1, पश्चिम पुरी, मादीपुर, नई दिल्ली (कवर्ड एरिया 450 वर्ग फीट लगभग)	रु. 15.40 लाख / रु. 1.54 लाख	2.12.2019 नेमीचन्द बलोटिया मो.: 8447776715	ज्ञात नहीं
2.	अयोध्या चौक, नई दिल्ली आईएफएससीः UCBA0002007 खाताः 20071030080018 ई-मेलः newayo@ucobank.co.in	श्री इन्दरजीत पुत्र ज्ञान चंद	रु. 14.73 लाख तथा उस पर आगे का ब्याज तथा अन्य चार्जेज आदि	श्री इन्दरजीत पुत्र ज्ञान चंद	भौतिक कब्जा	ए-520, 2रा तल, पॉकेट-1, पश्चिम पुरी, नई दिल्ली-110063 में आवासीय फ्लैट, माप 378 वर्ग फीट	रु. 15 लाख / रु. 1.50 लाख	2.12.2019 मुकेश कुमार सिंह मो.: 9330210702	ज्ञात नहीं
3.	पंजाबी बाग, नई दिल्ली, आईएफएससीः UCBA0000234, खाताः 02341030080018, ई-मेलः punjab@ucobank.co.in	मै. निशी ट्रेडेक्स प्रा. लि.	रु. 263.71 लाख तथा उस पर आगे का ब्याज तथा अन्य चार्जेज आदि	मै. विन्ध्य बिल्डटेक प्राईवेट लिमिटेड	भौतिक कब्जा	शॉप नं. एसएफ-03, 2रा तल, क्राउन इन्टेरिअर्ज, ग्राम सराय ख्वाजा, फरीदाबाद, माप सुपर एरिया 2835 वर्ग फीट, कवर्ड एरिया 1758 वर्ग फीट	रु. 140 लाख / रु. 14.00 लाख	2.12.2019 मनमीत सुधीर भाई व्यास मो.: 9998414045	ज्ञात नहीं
4.	पंजाबी बाग, नई दिल्ली, आईएफएससीः UCBA0000234, खाताः 02341030080018, ई-मेलः punjab@ucobank.co.in	मै. शिवांगी एक्जिम प्रा. लि.	रु. 102.17 लाख तथा उस पर आगे का ब्याज तथा अन्य चार्जेज आदि	श्री राज कुमार झा तथा श्रीमती अर्चना झा	भौतिक कब्जा	एच-1-39, ब्लॉक-एच, पार्कलैण्ड, सेक्टर-84, फरीदाबाद में खाली प्लॉट, एरिया माप 292.64 वर्ग मी.	रु. 70.00 लाख / रु. 7.00 लाख	2.12.2019 मनमीत सुधीर भाई व्यास मो.: 9998414045	ज्ञात नहीं
5.	राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली, आईएफएससीः UCBA0001022, खाताः 10221030080018, ई-मेलः rajend@ucobank.co.in	श्रीमती शीला भाष्कर	रु. 198 लाख तथा उस पर आगे का ब्याज तथा अन्य चार्जेज आदि	श्री भाष्कर पीएम एवं श्रीमती शीला भाष्कर	भौतिक कब्जा	फ्लैट नं. ई-17, ऊपरी भू तल, फ्रान्ट साइड, सेवक पार्क, उत्तम नगर, दिल्ली, माप एरिया 450 वर्ग फीट	रु. 12.60 लाख / रु. 1.26 लाख	2.12.2019 मिलन दूबे मो.: 9889170064	ज्ञात नहीं

नियम एवं शर्तें:

1. यह नीलामी बिक्री प्रति 5 मिनट के असीमित विस्तार के साथ उपरोक्त सम्पत्ति के समक्ष वर्णित समय (आईएसटी) के अनुसार **10.12.2019** को 11.00 बजे पूर्वा. **से 2.00 बजे अप.** के बीच वेबसाईट https://ucobank.auctiontiger.net या (Auction tiger Mobile App-Android) के माध्यम से 'ऑन लाइन ई-नीलामी' बोली होगी।
2. इच्छुक बोलीदाता को पोर्टल पर स्वयं का पंजीकरण कराना होगा तथा अग्रिम में मै. ई-प्राक्योर्मेन्ट टेक्नोलॉजीज लि. (Auction tiger), पताः बी-704, वाल स्ट्रीट-II, ऑरिएण्ट क्लब के सामने, गुजरात कॉलेज के निकट, एलिस ब्रिज, अहमदाबाद-380006, गुजरात (भारत) से लागिन आईडी तथा पास्वर्ड प्राप्त करना होगा जो अनिवार्य है। बोलीदाता के सपोर्ट के लिये सम्पर्क व्यक्ति एवं टेली. नं.: 079-61200594/598/568/587/538, श्री मनोज जोशी, मोबाईल नं. 9081000226 तथा श्री नितीश झा (एम) 7982880393, ईमेलः delhi@auctiontiger.net/support@auctiontiger.net
3. इच्छुक बोलीदाता से आग्रह है कि अपनी बोली जमा करने तथा ई-नीलामी बिक्री में भाग लेने से पूर्व नीलामी बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिए वेबसाईट https://ucobank.auctiontiger.net या (Auction Tiger Mobile App- Android) देखें।
4. बोलियां संबंधित विवरणों सहित निर्धारित प्रारूप में केवल ऑन लाइन जमा की जाएगी।
5. उपरोक्त सम्पत्ति के लिए धरोहर राशि (ईएमडी) का भुगतान उपरोक्त कॉलम नं. 2 में संबंधित शाखा में वर्णित खाता सं. में क्रेडिट के लिए आरटीजीएस/ एनईएफटी/ निधि अंतरण द्वारा अथवा **प्राधिकृत अधिकारी, यूको बैंक के पक्ष में नई दिल्ली में देय** डिमांड डठा ?ट/ पे आर्डर द्वारा किया जाएगा।
6. ऑन लाइन जमा की गई संलग्नकों (यूटीआर नं. का उल्लेख करते हुए) के साथ बोली प्रपत्र की एक प्रति प्राधिकृत अधिकारी/ संबंधित शाखा के शाखा प्रबंधक, यूको बैंक के संबंधित शाखा को सुपूर्द की जाएगी तथा उसकी सॉफ्ट कॉपी ई-मेल द्वारा zonewdelhi.rec@ucobank.co.in को अग्रसारित की जाएगी।
7. जमा की गई बोली मूल्य न्यूनतम आरक्षित मूल्य (एमआरपी) के बराबर या/ अधिक होगी लेकिन रु. 10000/- (रुपए दस हजार मात्र) के गुणकों में होनी चाहिए। कृपया ध्यान रहे कि प्रथम ऑन लाइन बोली (एच I) जो ऑन लाइन अग्रगामी नीलामी के दौरान सिस्टम में आता है, वह बोली जमा करने की अंतिम तिथि तक प्राप्त उच्चतम बोलियों से एक इंक्रीमेंट अधिक होगा अर्थात आरंभिक मूल्य से एक इंक्रीमेंट अथवा आरंभिक मूल्य से विविध इंक्रीमेंट अधिक होगा। नीलामी के दौरान आउटबिड में आने वाला परवर्ती बोली में एच कदर एक इंक्रीमेंट मूल्य में अथवा विविध इंक्रीमेंट मूल्यों में एच I रेट से अधिक होगा।
8. सफल बोलीदाता को ऊपर क्लॉज 7 में निर्दिष्ट उसी प्रक्रिया में बिक्री के दिन ही ई-नीलामी बिक्री प्रक्रिया की समाप्ति के तत्काल बाद (पहले से जमा की गई धरोहर राशि सहित) 25% बोली राशि का भुगतान करना होगा। शेष 75% बिक्री मूल्य का भुगतान सफल बोलीदाता के लिए अधोहस्ताक्षरी द्वारा बोली की स्वीकृति/ सम्पुष्टि के 15 दिनों के भीतर किया जाएगा।
9. यदि सफल बोलीदाता उपरोक्त रूप में बोली राशि का भुगतान करने में विफल होते हैं तो उनके द्वारा जमी की गई राशि जब्त कर ली जाएगी।
10. ई-नीलामी बिक्री प्रक्रिया की समाप्ति के बाद असफल बोलीदाताओं की ईएमडी वापस लौटा दी जाएगी।
11. यह बिक्री बैंक की पुष्टि के अधीन होगी तथा यदि ऋणधारक/गारन्टर बिक्री से पूर्व बैंक को सम्पूर्ण राशि का भुगतान कर देते हैं तो बिक्री नहीं की जाएगी।
12. इच्छुक बोलीदाता बैंक चार्जेज के अतिरिक्त किसी भी प्राधिकरण के सम्पत्ति से संबंधित अपनी गोपनीय जांच कर लें तथा अपनी बोली जमा करने से पूर्व सम्पत्ति के टाइटल, विस्तार, क्वालिटी तथा मात्रा के विषय में स्वयं को संतुष्ट कर लें। बिक्री की सम्पत्ति पर किसी प्रकार के किसी दावे, चार्जेज, अधिभारों तथा किसी अन्य विषय आदि के मामले में ऑनलाइन बोली जमा करने के बाद विचार नहीं किया जाएगा।
13. अधोहस्ताक्षरी को बिना कोई कारण बताए किसी भी बोली को स्वीकार या निरस्त करने अथवा बिक्री को स्थगित/निलंबित/रद्द करने तथा किसी भी समय बिक्री के नियमों एवं शर्तों में संशोधन करने का अनन्य अधिकार प्राप्त है।
14. क्रेता को बिक्री प्रमाणपत्र पंजीकरण शुल्कों, सरकार को देय सभी सांविधिक बकाए, कर एवं दरों दोनों वर्तमान तथा भविष्य के आउटगोइंग सहित बिक्री से संबंधित स्टाम्प शुल्क का वहन करना होगा। केवल सफल बोलीदाता के नाम में ही बिक्री प्रमाणपत्र जारी की जाएगी।
15. यह बिक्री सरफैसी अधिनियम/नियम, 2002 में निर्दिष्ट शर्तों तथा उपरोक्त शर्तों के अधीन होगी।
16. अधिक विवरणों के लिए कृपया सम्पर्क करें: शाखा प्रबंधक, यूको बैंक, संबंधित शाखा (कॉलम-2), अथवा यूको बैंक, अंचल कार्यालय, नई दिल्ली, फोन नं. 011-49498261

यह प्रकाशन उपरोक्त ऋणधारकों/गारन्टरों/मार्टगेजरों के लिए 30 दिनों की सूचना है।

तिथि: 7.11.2019 स्थान: नई दिल्ली प्राधिकृत अधिकारी, यूको बैंक, अंचल कार्यालय, नई दिल्ली

SASKEN
Sasken Technologies Limited
Corporate Identity Number (CIN): L72100KA1989PLC014226
Registered Office: 139/25, Ring Road, Domlur, Bengaluru - 560 071. Phone: + 91 80 6694 3000; Fax: + 91 80 2535 1133;
E-mail: investor@sasken.com; Website: www.sasken.com; Contact Person: Mr. S. Prasad, Associate Vice President & Company Secretary

POST BUY-BACK PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR THE ATTENTION OF EQUITY SHAREHOLDERS / BENEFICIAL OWNERS OF EQUITY SHARES OF SASKEN TECHNOLOGIES LIMITED

This Public Announcement (**"Post Buy-back Public Announcement"**) is in compliance with Regulation 24(vi) of the SEBI (Buy-back of Securities) Regulations, 2018 as amended (**"Buy-back Regulations"**). This Post Buy-back Public Announcement should be read in conjunction with the Public Announcement dated June 21, 2019 published on June 24, 2019 (**"PA"**), the Letter of Offer dated September 30, 2019 (**"LoF"**) and the corrigendum to LoF dated October 16, 2019. The terms used but not defined herein shall have the same meaning as assigned in the PA, the LoF and Corrigendum to LoF.

1. THE BUY-BACK

1.1. Sasken Technologies Limited (**"Company"**) had announced the Buy-back of up to 20,59,243 (Twenty Lakhs Fifty Nine Thousand Two Hundred Forty Three) fully paid-up equity shares of face value ₹10 each (**"Equity Shares"**) representing 12.04% of total paid up equity share capital of the Company from all the existing shareholders / beneficial owners of Equity Shares as on the Record Date i.e., Friday, July 5, 2019 on a proportionate basis, through the tender offer route using stock exchange mechanism (**"Tender Offer"**) at a price of ₹825 (Rupees Eight Hundred Twenty Five Only) per Equity Share (**"Buy-back Price"**) payable in cash, for an aggregate amount not exceeding ₹16,988.76 lakhs (Rupees Sixteen Thousand Nine Hundred Eighty Eight Lakhs and Seventy Six Thousand Only) (**"Buy-back Size"**) excluding cost such as fees, brokerage, securities transaction tax, goods and services tax, stamp duty, etc. (**"Transaction Costs"**). The Buy-back Size of ₹16,988.76 lakhs represents 24.96% and 25% of the total paid-up equity share capital and free reserves (including securities premium account) as per the audited standalone financial statements and audited consolidated financial statements of the Company as on March 31, 2019, respectively.

1.2. The Company adopted the Tender Offer route for the purpose of the Buy-back. The Buy-back was implemented using the Stock Exchange Mechanism as specified by SEBI vide circular CIR/CFD/POLICY CELL/1/2015 dated April 13, 2015 read with SEBI circular CFD/DCR2/CIR/P/2016/131 dated December 9, 2016.

1.3. The Buy-back opened on Friday, October 11, 2019 and closed on Friday, October 25, 2019.

2. DETAILS OF BUY-BACK

2.1. 20,59,243 Equity Shares were bought back under the Buy-back at a price of ₹825 per Equity Share.

2.2. The total amount utilized in the Buy-back was ₹16,988.76 lakhs excluding the Transaction Costs.

2.3. The Registrar to Buy-back i.e. Karvy Fintech Private Limited (**"Registrar"**) considered 11,103 valid bids for 34,94,166 Equity Shares in response to the Buy-back resulting in the subscription of approximately 169.68 times the maximum number of Equity Shares proposed to be bought back. The details of the valid applications considered by the Registrar are as follows:

Category	No. of Equity Shares Reserved in the Buy-back	No. of Valid Bids	Total Equity Shares Validly Tendered	% Response
Reserved Category	3,08,887	10,063	4,93,136	159.65
General Category	17,50,356	1,040	30,01,030	171.45
Total	**20,59,243**	**11,103**	**34,94,166**	**169.68**

2.4. All valid applications were considered for the purpose of Acceptance in accordance with the Buy-back Regulations and the Letter of Offer. The communication of acceptance / rejection has been dispatched by the Registrar on November 6, 2019 to the eligible equity shareholders.

2.5. The settlement of all valid bids was completed by Clearing Corporation on November 6, 2019. The Clearing Corporation has made direct funds payout to Eligible Shareholders whose Equity Shares have been accepted under the Buy-back. If Eligible Shareholders' bank account details were not available or if the funds transfer instruction was rejected by RBI/respective bank, due to any reason, such funds were transferred to the concerned Stock Brokers' settlement bank account for onward transfer to such Eligible Shareholders.

2.6. The Equity Shares held in dematerialized form accepted under the Buy-back were transferred to the Company's Demat Account on November 6, 2019. The unaccepted Equity Shares were returned to respective Seller Members / Custodians by Clearing Corporation on November 6, 2019. Pursuant to proviso to Regulation 40(1) of the Listing Regulations read with the LoF, participation in the Buy-back in physical mode was not accepted.

2.7. The extinguishment of 20,59,243 Equity Shares accepted under the Buy-back is currently under process and shall be completed on or before Wednesday, November 13, 2019.

3. CAPITAL STRUCTURE AND SHAREHOLDING PATTERN

3.1. The Pre and Post Buy-back Capital structure of the Company is as under:

Sr. No.	Particulars	Pre Buy-back: No. of Shares	Pre Buy-back: Amount (₹ in Lakhs)	Post Buy-back#: No. of Shares	Post Buy-back#: Amount (₹ in Lakhs)
1.	Authorised Share Capital	5,50,00,000 Equity Shares of ₹10 each	5,500.00	5,50,00,000 Equity Shares of ₹10 each	5,500.00
2.	Issued, Subscribed and Paid-up Capital	1,71,10,114 Equity Shares of ₹10 each	1,711.01	1,50,50,871 Equity Shares of ₹10 each	1,505.09

 # Subject to extinguishment of 20,59,243 Equity Shares

3.2. Details of the Shareholders / beneficial owners from whom Equity Shares exceeding 1% of the total Equity Shares bought back have been accepted under the Buy-back are as mentioned below:

Sr. No.	Name of the Shareholder	No. of Equity Shares accepted under Buy-back	Equity Shares accepted as a % of total Equity Shares bought back	Equity Shares accepted as a % of total Post Buy-back Equity Shares[1]
1.	Venkatesh G	87,468	4.25	0.58
2.	Jyotindra B Mody	81,257	3.95	0.54
3.	Lekar Pharma Limited	79,707	3.87	0.53
4.	Mahendrakumar Jayantilal Jhaveri	67,099	3.26	0.45
5.	Neeta S. Revankar	60,074	2.92	0.40
6.	Madhuker Jayantilal Jhaveri	56,890	2.76	0.38
7.	Bipin Amritlal Turakhia	52,639	2.56	0.35
8.	Sejal Pranabh Mody	41,062	1.99	0.27
9.	Nirav Shirish Mody	36,405	1.77	0.24
10.	Pranabh Dinesh Mody	35,135	1.71	0.23
11.	Sudhir Chukkapalli	34,262	1.66	0.23
12.	Sasken Employees Welfare Trust	31,330	1.52	0.21
13.	IDFC Hybrid Equity Fund	31,304	1.52	0.21
14.	Kamlesh N Shah	27,936	1.36	0.19
15.	Vivek Goyal	27,628	1.35	0.18
16.	Evoke Management Services LLP	26,298	1.28	0.17
17.	Hina Rajpraj Dharamshi	23,907	1.16	0.16
18.	Dharamshi Securities Pvt Ltd	23,906	1.16	0.16
19.	Ashwin Ramachandra	20,556	1.00	0.14

[1] Subject to extinguishment of 20,59,243 Equity Shares

3.3. The shareholding pattern of the Company, pre and post Buy-back, is as under:

Category of Shareholder	Pre Buy-back[1]: Number of Shares	Pre Buy-back[1]: % to existing Equity Share capital	Post Buy-back[2]: Number of Shares	Post Buy-back[2]: % to post Buy-back Equity Share capital
Promoters and Promoter Group	72,55,395	42.40	67,76,168	45.02
Persons Acting in Concert	4,71,323	2.75	3,73,569	2.48
Foreign Investors (including Non-Resident Indians FIIs and Foreign Mutual Funds)	42,23,991	24.69	79,01,134	52.50
Financial Institutions / Banks / Insurance Companies & Mutual Funds promoted by Banks / Institutions	1,15,134	0.67		
Others (Public, Public Bodies Corporate, etc.)	50,44,271	29.48		
Total	**1,71,10,114**	**100.00**	**1,50,50,871**	**100.00**

[1] As on Record date i.e. July 5, 2019
[2] Subject to extinguishment of 20,59,243 Equity Shares

4. MANAGER TO THE BUY-BACK

VIVRO
Vivro Financial Services Private Limited
607, 608 Marathon Icon, Opp. Peninsula Corporate Park, Off Ganpatrao Kadam Marg, Veer Santaji Lane, Lower Parel, Mumbai - 400 013
Tel: +91 22 6666 8040 / 41 / 42; **Fax:** +91 22 6666 8047
E-mail: investors@vivro.net; **Website:** www.vivro.net
Contact Person: Mr. Harish Patel / Ms. Mili Khamar
SEBI Registration Number: INM000010122 ; **Validity:** Permanent ;
CIN: U67120GJ1996PT

जनसत्ता

7 नवंबर, 2019

नाकामी का धुआं

दिल्ली और आसपास के इलाकों में हवा की हालत जानलेवा होने की ओर बढ़ने के बावजूद इसके फिलहाल पहचाने गए कारणों से निपटने को लेकर संबंधित सरकारें जिस स्तर की अनदेखी बरत रही हैं, उससे यही लगता है कि उन्हें इस बेहद गंभीर संकट की कोई फिक्र नहीं है! खबरों के मुताबिक पंजाब में मंगलवार को खेतों में पराली जलाने की इस मौसम की सबसे ज्यादा घटनाएं दर्ज की गईं। वहां के किसानों ने पराली जलाने पर प्रतिबंध के बावजूद साढ़े छह हजार से ज्यादा जगहों पर अपने खेतों में पड़े फसल के अवशेषों के निपटान के लिए उनमें आग लगाई। नतीजतन, पिछले एक-दो दिनों में वायु की गुणवत्ता में थोड़ा सुधार हुआ ही था कि इतने बड़े पैमाने पर पराली जलाने के बाद फिर उसके बिगड़ने की आशंका जताई जा रही है। यह स्थिति तब है जब एक दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पराली जलाने और उसकी वजह से प्रदूषण पैदा करने वालों से किसी भी तरह की सहानुभूति नहीं हो सकती। बुधवार को एक बार फिर शीर्ष अदालत ने केंद्र और राज्य सरकारों को फटकार लगाते हुए कहा कि आप पूरी तरह नाकाम रहे हैं; अब समय आ गया है जब उन अधिकारियों को दंडित किया जाए, जिन्हें किसानों को पराली जलाने से रोकने की जिम्मेदारी दी गई थी।

दरअसल, पिछले कुछ सालों में धान की फसल तैयार होने और उसके अवशेष के रूप में पराली से निजात पाने की अवधि जिस तरह बदली है, उससे उपजी समस्या पर गौर करने के बजाय सरकारों ने इसकी व्यापक अनदेखी की। अगर फसल तैयार होने और कटने का समय सिमटा है और हवा के बहाव की वजह से पराली जलाना अब एक बड़ी समस्या बन गया है तो इसकी पहचान और विश्लेषण कर इसके हल का रास्ता निकालना किसकी जवाबदेही है? किसानों के सामने विकल्पों का अभाव पराली जलाने को उनकी मजबूरी बनाता है तो क्या सरकार को किसी ठोस योजना पर काम नहीं करना चाहिए, ताकि इस मुश्किल का सामना आसानी से किया जा सके? सवाल है कि अगर कई सालों से समस्या की शक्ल कमोबेश एक ही तरह की बनी हुई है तो संबंधित राज्यों की सरकारों ने इसके हल के लिए उचित कदम क्यों नहीं उठाए? आज अगर सुप्रीम कोर्ट के सामने इन सरकारों को फटकार लगाने की नौबत आ गई है तो इसमें क्या अस्वाभाविक है?

सही है कि आमतौर पर हल साल इस मौसम में हवा में प्रदूषण की समस्या गहराती है और इसके कई कारक होते हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों से लगातार पंजाब और हरियाणा में बड़े दायरे में खेतों में पड़े फसलों के अवशेषों के निपटान का कोई आसान विकल्प नहीं होने की वजह से वहां के किसान आग लगा कर उसे नष्ट करते हैं, ताकि नई फसल के लिए खेत खाली हो सकें। लेकिन इस क्रम में पराली में लगी आग से व्यापक पैमाने पर जो धुआं उठता है, वह आसपास के राज्यों की हवा को बुरी तरह प्रभावित करता है। खासतौर पर हवा का रुख दिल्ली की ओर होने की वजह से राजधानी में प्रदूषण की समस्या बेहद खतरनाक हो जाती है और लोगों के लिए सामान्य रूप से सांस लेना तक दूभर हो जाता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि दिल्ली या समूचे एनसीआर में व्यापक प्रदूषण के संकट के लिए अकेले पराली जिम्मेदार है। वाहनों, एयरकंडीशनर आदि से निकलने वाले कार्बन की वजह से हवा बिगड़ने के तथ्य पराली के प्रदूषण के शोर में दब जाते हैं। जरूरत इस बात की है कि इस गंभीर संकट की अनदेखी के बजाय एक व्यापक कार्ययोजना तैयार हो और उस पर शिद्दत से अमल हो।

प्याज का संकट

प्याज के दाम एक बार फिर सौ रुपए किलो से ऊपर निकल गए हैं। सिर्फ राजधानी दिल्ली ही नहीं, कई शहरों में इन दिनों प्याज लोगों के आंसू निकाल रहा है। सवा-डेढ़ महीने पहले भी प्याज अस्सी-नब्बे रुपए किलो तक बिका था। तब दाम काबू करने के लिए राज्यों और केंद्र सरकार तक ने कई कदम उठाने के वादे-दावे किए गए थे। कुछ दिन तो राहत मिली, लेकिन फिर से प्याज के दाम सौ रुपए से भी ऊपर चले गए। इसका मतलब है कि इस कारोबार पर सरकार की कोई लगाम नहीं है और व्यापारी अपने हिसाब से चल रहे हैं। यह कोई एकाध साल की बात भी नहीं है, बल्कि साल में एक-दो बार ऐसा झटका गरीब की जेब पर लग ही जाता है। दिल्ली की मंडियों में पिछले एक हफ्ते के दौरान प्याज के दामों में पैंतालीस फीसद से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है और थोक भाव अस्सी रुपए तक जा पहुंचा। इसका असर यह हुआ कि मंडियों से बाजार तक पहुंचने में खुदरा भाव सौ रुपए किलो तक पहुंच गया। यह चिंता और परेशानी की बात ज्यादा इसलिए है कि प्याज रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीज है। लेकिन सरकारें बेफिक्र हैं, उन्हें प्याज के दाम बढ़ने से कोई मतलब नहीं है। हालत यह है कि इस साल प्याज के दाम पिछले चार साल में सबसे ज्यादा चढ़े हैं।

आखिर क्या कारण है कि महीने-दो महीने भी नहीं गुजरते और प्याज के दाम आसमान छू जाते हैं? मोटे तौर पर तो इसे प्याज की फसल से जोड़ कर देखा जाता है। अभी तात्कालिक कारण यह बताया जा रहा है कि बेमौसम की बारिश से प्याज की फसल पर बुरा असर पड़ा है, इसलिए जिन राज्यों से समय पर मंडियों में प्याज पहुंचना था, वह पहुंच नहीं पाया और अचानक से कमी हो गई और दाम चढ़ गए। राजस्थान, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक से दिल्ली सहित कई शहरों में प्याज की भारी मात्रा में आपूर्ति होती है। लेकिन इन दिनों दिल्ली सहित कई शहरों की मंडियों में प्याज की आवक चालीस-पचास फीसद तक घट गई है। दीपावली के महीने भर पहले भी प्याज ने इसी तरह रुलाया था। एशिया की सबसे बड़ी प्याज मंडी लासलगांव (महाराष्ट्र) में तब भी प्याज के दाम साठ रुपए किलो बिक रहा था और आज भी यही है। लेकिन अब तो खुदरा भावों ने डेढ़ महीने पहले का रिकार्ड तोड़ डाला है।

प्याज के बढ़ते दामों का संकट आम लोगों के लिए हैं, सरकार के लिए नहीं। व्यापारी इसे कुछ ही समय का संकट बता रहे हैं। जबकि हकीकत यह है कि जब प्याज की फसल खराब होती है तो इसका सबसे ज्यादा फायदा जमाखोर उठाते हैं, वे अपना स्टाक मनमानी कीमत पर निकालते हैं और सीधे खुदरा बाजार में बेचते हैं। लेकिन सरकार जमाखोरों पर अंकुश कभी नहीं लगा पाती। एकाध-दो व्यापारियों पर छापे मार कर कार्रवाई की औपचारिकता कर दी जाती है। यह सिलसिला हर साल का है। दिल्ली में हालांकि सरकार ने सरकारी बिक्री केंद्रों पर सस्ता प्याज मिलने के दावे किए हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि इन केंद्रों पर प्याज है नहीं। लोग खाली हाथ लौट रहे हैं। सवाल यह है कि जब मालूम है कि प्याज का संकट कभी भी खड़ा हो सकता है तो इस समस्या स निपटने के उपाय पहले से क्यों नहीं किए जाते? क्यों राज्य सरकारों और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के बीच तालमेल नहीं है? तब प्याज का जमा स्टॉक कहां चला जाता है? अगर ऐसे संकट से निपटने के लिए पहले से तैयारी हो तो लोगों के आंसू तो नहीं निकलें!

कल्पमेधा

डॉक्टर मृत्यु तक विद्यार्थी रहता है और जब वह विद्या प्राप्त करने की इच्छा छोड़ देता है तो उसकी मृत्यु समझो।

– लार्ड डासन

तालिबान पर चीन का दांव

ब्रह्मदीप अलूने

चीन अफगानिस्तान में तालिबान के प्रभाव को लेकर ज्यादा आशंकित है और ऐसे में वह तालिबान के सहारे आइएस को इस इलाके से खदेड़ कर अपने सीमावर्ती प्रांत की शांति को सुनिश्चित करना चाहता है। चीन को डर है कि आतंकी गतिविधियां बढ़ने से इस क्षेत्र में खतरा पैदा हो सकता है। इसीलिए, चीन पिछले कुछ सालों में अफगानिस्तान को सुरक्षा के नाम पर सात करोड़ डालर से ज्यादा की रकम दे चुका है।

अंतरराष्ट्रीय राजनीति में कूटनीति को शांति का साधन माना जाता है। कूटनीति ही तर्क, समझौते, वार्ता और लेनदेन की भावना के आधार पर संघर्षों को रोकती है। चीन की कूटनीति बेहद महत्त्वाकांक्षी होकर भी यथार्थवादी है। अफगानिस्तान में खूनी जंग को रोकने के लिए तालिबान से बातचीत के चीन के प्रयास उसकी यथार्थवादी विदेश नीति को प्रतिबिंबित करते हैं। अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी की कवायद के बीच चीन ने बेहद रणनीतिक तरीके से इस मध्य एशियाई देश में शांति के सबसे बड़े अवरोधक तालिबान को बातचीत की मेज पर लाने में गहरी दिलचस्पी दिखाई है। एक ओर भारत तालिबान के अस्तित्व को नकारता रहा है, तो दूसरी ओर अफगानिस्तान की सरकार तालिबान को देश की वैधानिक व्यवस्था के लिए खतरा बताती है और अमेरिका तालिबान को उखाड़ फेंकने के लिए प्रतिबद्धता दिखाता रहा है। ऐसे में तालिबान को संरक्षण की पाकिस्तान की नीति को चीन द्वारा अपनी कूटनीति का हिस्सा बना लेना इस पूरे महाद्वीप के लिए रणनीतिक रूप से बेहद महत्त्वपूर्ण हो सकता है।

दरअसल, अफगानिस्तान की कबायली संस्कृति मध्य एशिया में बसने वाले कई नृजातीय समूहों के लिए मुफीद है। पश्तून, उज्बेक, ताजिक और हजारा जैसे कबीलों का सांस्कृतिक समन्वय पामीर के पठार से चीन के शिनजियांग प्रांत तक नजर आता है और साम्यवादी चीन के लिए यही स्थिति मुश्किल पैदा करती रही है। चीनी नेताओं का मानना है कि एशिया की समस्त समस्याओं के हल की कुंजी उनके पास है, इसलिए एशिया की किसी भी समस्या का समाधान उसके बिना संभव नहीं है। चीन अपनी विदेश नीति का संचालन बेहद सावधानी से करता है, जिसमें छद्म रूप धारण करके छल का उपयोग किया जाता है। तालिबान को बातचीत की मेज पर लाकर चीन विश्व शांति की दिशा में अपना प्रयास दिखाना चाहता है, लेकिन उसकी नजरों में उसका उत्तर-पश्चिम का अशांत शिनजियांग प्रांत है। यहां रहने वाले उइगर मुसलमान चीन के खिलाफ पृथकतावादी आंदोलन चला रहे हैं। 'ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट' का मकसद चीन से अलग होना है। यह पृथकतावादी आंदोलन 1949 की स्थिति बहाल करना चाहता है और स्वतंत्र पूर्वी तुर्किस्तान को ही स्वीकार करता है। पूर्वी तुर्किस्तान ही चीन प्रशासित शिनजियांग है। शिनजियांग को एक अलग राष्ट्र के तौर पर कुछ समय के लिए पहचान मिली थी, लेकिन उसी साल इसे चीन का हिस्सा बना दिया गया। इस प्रांत में आंतरिक अशांति इतनी ज्यादा है कि इस साल चीन ने जुलाई मे एक श्वेत पत्र जारी किया था। इसमें कहा गया कि यह अस्थिर प्रांत देश का 'अविभाज्य' हिस्सा है और यह कभी पूर्वी तुर्किस्तान नहीं रहा, जैसा कि अलगाववादी दावा करते हैं।

शिनजियांग की सरहदें दक्षिण में तिब्बत और भारत, पूर्व में मंगोलिया, उत्तर में रूस और पश्चिम में कजाकिस्तान, किर्गिजस्तान, ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से मिलती हैं। चीन का सबसे बड़ा संकट शिनजियांग की पश्चिम की वह सीमा है जो मुसलिम देशों से मिलती है और यही कारण है कि चीन अफगानिस्तान में सैन्य अड्डा भी बनाना चाहता है। इसके लिए दोनों देशों के बीच पिछले साल से ही बातचीत शुरू हो चुकी है। चीन ये सैन्य शिविर दूरदराज के पहाड़ी इलाके वाखान कॉरिडोर के पास बनाना चाहता है। यहां पर चीन की सीमा अफगानिस्तान से मिलती है। चीन इस इलाके को प्रभाव में लेकर तुर्किस्तान आंदोलन के प्रभाव को खत्म करना चाहता है। चीन का विश्वास है कि उइगर आतंकी इसी गलियारे से उसके शिनजियांग प्रांत में घुसते हैं। उज्बेक, तुर्कमान और पारसी भाषा बोलने वाले अफगान चीन के वीगर मुसलमानों से आसानी से जुड़ जाते है। पिछले कुछ समय से अफगानिस्तान में आइएस के उभार से चीन के अशांत शिनजियांग में आंतरिक अशांति और ज्यादा बिगड़ने का खतरा उत्पन्न हो गया है।

जनवरी 2015 में इस्लामिक स्टेट (आइएस) ने अपनी खुरासान शाखा स्थापित की थी। खुरासान एक पुराना नाम है जिसके दायरे में अफगानिस्तान और आसपास का इलाका आता है। आइएस ने अरब जगत से बाहर अपने पैर पसारने की कोशिशों के तहत बहुत कम समय में अफगानिस्तान के कम से कम पांच प्रांतों- हेलमंद, जाबुल, फराह, लोगार और नंगरहार में अपनी मौजूदगी का अहसास कराया है। आइएस अफगान तालिबान लड़ाकों को खदेड़ना चाहता है और यह भी चाहता है कि तालिबान-अलकायदा गठबंधन में शामिल लड़ाके उसका हाथ थाम लें। लेकिन स्थानीय समर्थन और राजनीतिक बल हासिल करने की इस कवायद में आइएस को

तालिबान से जबर्दस्त संघर्ष करना पड़ रहा है।

दूसरी ओर, दक्षिण और मध्य एशियाई देशों में सक्रिय आइएस से इस क्षेत्र में सहानुभूति रखने वाले कट्टरपंथी मौजूद हैं। इस क्षेत्र के विभिन्न देशों अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भारत, कजाखस्तान, किर्गिजस्तान, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुकर्मेनिस्तान,उज्बेकिस्तान और शिनजियांग से हजारों लड़ाके आइएस के समर्थन में लड़ने के लिए सीरिया और इराक जा चुके हैं। ऐसे में आइएस ने उत्तरी अफगानिस्तान में अपने पैर जमाने की कोशिशें जारी रखी हैं, ताकि वह मध्य एशिया, चेचन और चीनी वीगर उग्रवादियों से गठजोड़ कर सके। रूस भी अपनी रणनीति में बदलाव करके पूर्वी अफगानिस्तान में आइएस के उदय को रोकने के लिए तालिबान की तरफ हाथ बढ़ा रहा है, क्योंकि रूस को डर है कि मध्य एशिया से होते हुए इस्लामिक चरमपंथी हिंसा कहीं उस तक न पहुंच जाए।

यही डर चीन को भी है। चीन वीगरों को आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त बताता है। उसका कहना है कि वीगर अफगानिस्तान जाकर आतंकी प्रशिक्षण लेते हैं और शिनजियांग में अशांति फैलाते हैं। गौरतलब है कि अफगानिस्तान पर हमले के दौरान अमेरिका सेना ने कुछ वीगरों को पकड़ा था। बाद में उन्हें गुआंतानामो खाड़ी जेल में बंदी बना कर रखा गया। चीन अमेरिका में 9/11 के हमले का सहारा लेकर वीगर अलगाववादियों को अधिकाधिक रूप से अलकायदा और आइएस का सहयोगी सिद्ध करने की कोशिश करता रहा है।

चीन अफगानिस्तान में तालिबान के प्रभाव को लेकर ज्यादा आशंकित है और ऐसे में वह तालिबान के सहारे आइएस को इस इलाके से खदेड़ कर अपने सीमावर्ती प्रांत की शांति को सुनिश्चित करना चाहता है। चीन को डर है कि आतंकी गतिविधियां बढ़ने से इस क्षेत्र में खतरा पैदा हो सकता है। इसीलिए, चीन पिछले कुछ सालों में अफगानिस्तान को सुरक्षा के नाम पर सात करोड़ डालर से ज्यादा की रकम दे चुका है। इतना ही नहीं, चीन अफगानिस्तान को चौवन अरब डालर के चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे में शामिल करने के संकेत भी दे चुका है। चीन तालिबान को सहयोग करके इस समूचे इलाके में रहस्यमय वातावरण तैयार कर समस्या को और जटिल बना सकता है। चीन की विदेश नीति का सैद्धांतिक पक्ष राष्ट्रीय हित और राष्ट्रीय सुरक्षा है। चीन चाहता है कि एशिया से सभी पश्चिमी शक्तियों को निकाल दिया जाए। दूसरी महत्त्वपूर्ण बात यह भी है कि वह भारत को इस क्षेत्र में शक्तिशाली होने से रोकना है। चीन अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जिन साधनों और तरीकों का प्रयोग करता है, वे अत्यंत खतरनाक है।

भारत-ईरान और अफगानिस्तान सहयोग भी पाकिस्तान और चीन के लिए रणनीतिक चिंता का कारण है। चाबहार और उत्तर दक्षिण पारगमन गलियारे का उद्देश्य अफगानिस्तान और मध्य एशिया क्षेत्र के देशों के साथ संपर्क बढ़ाना है। बदलते दौर में सामरिक और सुरक्षा प्राथमिकताएं बदली हैं। तालिबान के परंपरागत शत्रु रूस ने तालिबान से वार्ता की है, यहां तक कि रूस पर तालिबान को आइएस से लड़ने के लिए हथियार देने के भी आरोप लगे है। ईरान, रूस, अमेरिका, चीन और उज्बेकिस्तान जैसे देश भी तालिबान से बात कर रहे हैं। ऐसे में भारत के लिए परंपरागत अफगान नीति से आगे बढ़ कर अग्रगामी कदम उठाते हुए तालिबान से बातचीत के द्वार खोलना राष्ट्रीय हित में होगा। कश्मीर में शांति स्थापित करने के लिए भी तालिबान की तटस्थ भूमिका भारत के लिए जरूरी है।

पेड़ का जीवन

सुरेशचंद्र रोहरा

दुनिया मेरे आगे

सड़क के किनारे उच्च मार्ग पर 'गंगा इमली' के करीब दो दर्जन पेड़ हैं। ये हमें सदैव आकर्षित करने वाले मीठे-मीठे फल, औषधि के रूप में अपनी पत्ती, तने देने वाले, हृदय को आह्लादित करने वाले गंगा इमली के पेड़ आने वाले दिनों में जड़ से उखाड़ कर फेंक दिए जाएंगे। जिस वक्त यह जानकारी मिली, मेरा हृदय हाहाकार कर उठा। हमारे शहर के उपनगर दर्री से कटघोरा मार्ग पर देश की एक कंपनी की 2100 मेगावाट विद्युत उत्पादन कर देश को रोशन करने वाले सयंत्र के साथ एक बड़ी कॉलोनी है। इस कॉलोनी की चारदिवारी के बाहर जंगल-जलेबी के लगभग दो दर्जन अनमोल वृक्ष खड़े हैं, जो भरपूर फल देते हैं। जाने किसने उन्हें कब रोपा है, लेकिन आज वे विशाल वृक्ष छांव के साथ फल देते हैं। मगर नेशनल हाइवे की चार लेन वाली सड़क अब इन वृक्षों अपना ग्रास बना लेगी। यह दुखद सच अब आंखों और मनोमस्तिष्क के आगे दुःस्वप्न बन कर तैरने लगता है तो आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है। सोचता हूं कि क्या सच में हम इतने कठोर हैं? हमारी व्यवस्था इतनी असंवेदनशील क्यों है? क्यों उसे दिखाई नहीं देता कि जो वृक्ष वर्षों से खड़े हैं, हम उन्हें इतनी बेदर्दी से काट देते हैं!

मैंने हाल ही में झारखंड के रांची के पास उरगा-हाटी मार्ग और उत्तर प्रदेश में कटघोरा-अंबिकापुर में विशाल वृक्षों को सड़क निर्माण में खेत होते देखा है। चार लेन सड़क निर्माण के नाम पर छत्तीसगढ़ में सैकड़ों वृक्षों को बेरहमी से काट दिया गया। छत्तीसगढ़ बौद्धिक सामाजिक और संवेदनशील लोगों का राज्य माना जाता है। मगर यह देख-सुन कर कोफ्त होती है कि पेड़ों को काटे जाने का कहीं कोई विरोध नहीं हुआ। मैं जब इस मार्ग पर निकलता और पेड़ों को जमींदोज देखता तो हृदय हाहाकार करने लगता... आंखों में आंसू भर आते। सत्ता कितनी असंवेदनशील है, यह सोच मन में जुगुप्सा भर आती है। लगता है जब कहीं कोई रोशनी नहीं है, अंधियारा फैला है।

मन में सवाल उठता है कि तब तुम क्यों आगे नहीं आते? मैं या मुझ जैसे लोग हों जो इसका प्रतिकार पुरजोर शब्दों में करें, लिखें या फिर आंदोलन करें। पेड़ काटा जाए तो 'चिपको आंदोलन' के प्रणेता से प्रेरणा लेकर विरोध करें, उसे बचाने के लिए लिपट जाएं। मगर ऐसा कोई नहीं है! मैं भी नहीं कर सका... बस देखता रहा... खुद को अपराधी महसूस करते हुए। हां, तब सत्ता प्रतिष्ठान के लिए मुंह से बरबस आह जरूर निकली थी! हिंदी के बड़े संपादक रहे धर्मवीर भारती की पत्नी पुष्पा भारती ने एक करुण लेख लिखा था। उसमें उन्होंने बताया था कि कैसे जिस दिन धर्मवीर भारती का निधन हुआ था, उसी रात उनके घर के निकट एक बड़े वृक्ष का बड़ा हिस्सा बिना तूफान, पानी, हवाओं के टूट कर गिर पड़ा था। भारती जी ने घर पर जाने कितने पौधे, वृक्ष लगा रखे थे और उनसे बतियाते रहते थे।

वृक्षों के हमारे लिए जरूरी होने के जाने कितने तर्क हैं। यह हम अक्सर बताते रहते हैं। महाराष्ट्र के मुंबई के पास आरे में लोगों ने पेड़ों को काटे जाने का जिस तरह विरोध किया, वह मेरे लिए आश्वस्ति की खबर रही। ये पेड़ जो हमारे जीवन के लिए अपरिहार्य हैं, समाचार माध्यमों में कभी-कभार मुख्य मुद्दा बनते रहते हैं। मगर सच यह है कि एक-दो अपवादों को छोड़ कर हमारे आसपास वृक्ष काटे जा रहे हैं। जंगल में कीमती लकड़ियों के लिए तस्कर वन माफिया बदस्तूर अपना काम कर रहा है। कई बार खुद वन कर्मी इन्हें संरक्षण देते हैं। हम घर के आसपास लगे वृक्षों को अपनी क्षुद्र आवश्यकता और स्वार्थ के कारण काट देते हैं। ऐसे में विवेकशील संवेदना से भरपूर चंद लोग ही हैं जो इस मसले पर सकारात्मक रुख रखते हैं और कभी-कभी सुकून भरी खबरें सुर्खियां बन कर लोगों को, हमको प्रेरणा देते हैं।

रही बात जंगल जलेबी की, तो यह रहस्यमयी मीठे-मीठे फलों का उत्स आजकल साहित्य की दुनिया में आकर्षण का केंद्र है, क्योंकि अब शहरों में यह लुप्तप्राय है। जिन्होंने बचपन में एक दफे इसका स्वाद चखा है, देखा है, वे इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं। मगर अब संभव नहीं हो पाता। 'जंगल जलेबी' शीर्षक से मशहूर लेखिका नासिरा शर्मा की एक रोचक कहानी है जो बच्चों को जंगल जलेबी के संदर्भ में ढेर सारा ज्ञान देती है।

हमारे मोहल्ले में जंगल जलेबी के आठ-दस वृक्ष हुआ करते थे। बचपन में हम फल तोड़ते और खूब आनंद विभोर होते। अब सिर्फ एक वृक्ष बचा है। हाइवे की चपेट में आने वाले लगभग दो दर्जन वृक्षों के प्रति मैं अतिशय चिंतित हूं। क्या ये वृक्ष बेदर्दी से काट डाले जाएंगे? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि चाहें हम जैसा भी करें, वृक्ष न कटे कम से कम! एक साथ खड़े ये वृक्ष जो जाने कैसे, किसने रोपे होंगे, क्या सोचा होगा? कितने वर्ष व्यतीत हो गए, आज फल दे रहे हैं, मगर हम कृतघ्न हैं। अच्छा हो, सरकार वृक्षों को जड़ समेत निकाल कर कहीं दूर रोप दे..! यह तकनीक विदेशों में है। फिर हम क्यों पीछे हैं?

जासूसी का जाल

अभिव्यक्ति और निजता के बुनियादी लोकतांत्रिक अधिकारों को लेकर तरह-तरह की आशंकाओं के बीच ताजा वाट्सऐप जासूसी का चौंकाने वाला खुलासा बेहद चिंता पैदा करने वाला है। दुनियाभर में करीब डेढ़ अरब लोग वाट्सऐप इस्तेमाल करते हैं, लेकिन माना जा रहा है कि यह हमले खास लोगों को निशाना बना कर किए गए थे। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार इजरायली कंपनी में बने सॉफ्टवेयर से वाट्सऐप में सेंध लगा कर भारतीय पत्रकारों, वकीलों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की जासूसी के मामले में कई खुलासे हुए हैं। विपक्ष ने तो इसे मुद्दा बनाया ही है, सरकार के लिए भी यह चिंता का विषय होना चाहिए। फोन और मोबाइल पर बातचीत टेप करने के वैध और अवैध उदाहरण तो लगातार आते ही रहे हैं और इनमें सरकारी एजेंसियों की भागीदारी भी रही है। सरकारी एजेंसियां अमूमन इसे देशहित में आतंकी और आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश रखने के लिहाज से जायज ठहराती रही हैं। अदालतें हालांकि बार-बार हिदायत देती रही हैं कि इसके बहाने व्यक्ति की अभिव्यक्ति और निजता के अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। ऐसे दौर में वाट्सऐप भरोसा दिलाता रहा है कि उस पर की गई बातचीत या भेजे गए मैसेज सुरक्षित हैं। लेकिन अब पता चल रहा है कि इजरायली कंपनी एनएसओ के स्पाइवेयर पेगासस के जरिये व्हाट्सएप की बातचीत और संदेशों को टेप किया जाता रहा है।

दिलचस्प वाली बात यह है कि नागरिकों की निजता पर हुए हमले की सूचना हमें तब मिली जब खुद वाट्सऐप ने अमेरिका में इजरायली कंपनी एनएसओ ग्रुप के खिलाफ केस दर्ज कराते हुए बताया कि इस कंपनी द्वारा बनाए गए सॉफ्टवेयर के जरिए दुनियाभर में 1400 लोगों के फोन से सूचनाएं उड़ाई गई हैं। फेसबुक के स्वामित्व वाले संदेश भेजने के प्लेटफार्म वाट्सऐप ने कहा है कि भारत में पत्रकारों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं पर पेगासस के जरिये नजर रखी जा रही थी। यह नजर कौन किसलिए रखेगा इसे समझना मुश्किल नहीं है और अगर ऐसा हुआ है तो यह हमारी सुरक्षा के ख्याल रखने वालों (यानी सरकार) की चूक है। व्हाट्सएप ने भी कहा है कि संबंधित लोगों को जासूसी की सूचना दी है।

सवाल उठता है कि अगर बौद्धिक पत्रकारों या मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की भी निजता और अभिव्यक्ति की आजादी भी सुरक्षित नहीं रहेगी तो हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों का क्या होगा। हालांकि कुछ समय पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने आधार से जुड़े फैसले में निजता के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी में रखते हुए आधार के इस्तेमाल को सिर्फ सरकारी कल्याणकारी योजनाओं तक सीमित कर दिया था। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ऐसे अधिकारों का हनन न हो यह देखना भारत सरकार की जिम्मेदारी बनती है। अभी तक सरकार की ओर से कोई तसल्लीबख्श जवाब नहीं आया है। सरकार को स्पष्ट शब्दों में अपने पर लग रहे आरोपों और शक की सुई उनकी तरफ घूमने पर जवाब देना ही होगा।

● *अमन सिंह, बरेली*

किसान दोषी क्यों

आज एक स्वर में पूरे देश में पराली जलाने को लेकर केवल किसान के ऊपर जिस तरीके से दोषारोपण किया जा रहा है, वह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और दुखी कर देने वाली स्थिति है। जो किसान रात-दिन मेहनत करके सबका पेट भरता है, क्या उसके बारे में कभी किसी ने सोचा है कि उसको उसकी फसल का वाजिब मूल्य भी मिल पाता है या नहीं और नहीं मिल पा रहा है तो क्यों? न उसके पास फसल कटवाने के लिए कामगार है, न ही पराली की अलग से व्यवस्था करने के लिए धन, न ही पराली नष्ट करने का विकल्प उसके सामने है। क्या सीधे-सीधे पूरी व्यवस्था इसके लिए दोषी नहीं है। पहला काम सरकार को यह करना चाहिए कि एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए जिसमें किसानों का प्रतिनिधित्व ज्यादा हो और उन से चर्चा करके इस संबंध में एक उचित और दीर्घकालिक नीति बनाने की कोशिश करें, ताकि प्रदूषण को लेकर के माननीय उच्चतम न्यायालय को बार-बार निर्देश ना देना पड़े।

● *रमेश माहेश्वरी, सुल्तानपुर*

खतरे का संकेत

पूरी दुनिया आज जलवायु परिवर्तन के दौर से गुजर रही है। साथ ही धरती का वातावरण गंभीर प्रदूषण का भी सामना कर रहा है। समुद्र भी प्रदूषण से अछूते नहीं रह गए हैं। इसका नतीजा यह हुआ है कि धरती पर प्राणी जगत के अस्तित्व पर खतरा खड़ा हो गया है। लोगों की औसत आयु भी कम होती जा रही है। हाल में थाईलैंड की राजधानी बैंकाक मे मीडिया को संबोधित करते हुए संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतारेस ने दुनियाभर में समुद्रों के बढ़ते जलस्तर पर चिंता जाहिर करते हुए भारत, जापान, चीन और बांग्लादेश को आगाह करते हुऐ इस संकट से निपटने के लिए कहा है और अभी तक इससे निपटने के लिए जो काम हो रहेहैं उन्हें नाकाफी बताया है। यदि समय रहते हम सचेत नहीं हुए तो भारत के साथ ही दुनिया के कई शहर समुद्र में डूब सकते हैं।

● *संजय डागा, हातोद*

हिंसा और सवाल

दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट में एक वकील की गाड़ी पार्किंग को लेकर शुरू हुआ विवाद, पहले गिरफ्तारी, फिर हिंसक झड़प और बाद में सड़क पर खुली लड़ाई तक पहुंच गया। क्या केवल गाड़ी पार्किंग को लेकर वकीलों का इस तरह हिंसा पर उतर आने को किसी भी रूप से उचित कहा जा सकता है? भिड़ंत के बीच दिल्ली पुलिस की ओर से फायरिंग भी की गई, जिसमें दो वकील घायल हो गए। क्या पुलिस फायरिंग न करके और कोई दूसरा कदम नहीं उठा सकती थी? दिल्ली में पुलिस और वकीलों के बीच भड़की हिंसा का असर यह हुआ कि कानपुर में भी एक वकील ने पुलिस जवान की पिटाई कर दी। समझने वाली बात है कि समाज को कानून का पाठ पढ़ाने वाली पुलिस और वकील यदि इस तरह की गुंडागर्दी और मारपीट पर उतर आएंगे तो आखिर न्याय के लिए खड़ा कौन होगा? सबसे बुरी बात तो यह रही कि पढ़े-लिखे वकील समुदाय ने जो संविधान और कानून की शपथ लेते हैं और जनता की रक्षा और उसे न्याय दिलाने का संकल्प लेते हैं, उन्हीं वकीलों ने आम लोगों को भी नहीं बक्शा, राह चलते लोगों को जमकर पीटा, ऑटो वाले को पीट कर घायल कर दिया। न्याय मित्रों से समाज को बहुत अपेक्षाएं रहती हैं। परिस्थिति कितनी ही विकट हो, धैर्य व संयम से काम लेना चाहिए।

● *मंगलेश सोनी, मनावर, धार*

चौपाल

किसी भी मुद्दे या लेख पर अपनी राय हमें भेजें। हमारा पता है : ए-8, सेक्टर-7, नोएडा 201301, जिला : गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश

आप चाहें तो अपनी बात ईमेल के जरिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। आइडी है : chaupal.jansatta@expressindia.com

जनसत्ता
युवा शक्ति
7 नवंबर , 2019 7

दूध को अधिक दिनों तक सुरक्षित रखने में मदद करते हैं डेरी विशेषज्ञ

डेरी तकनीक से जुड़े इंजीनियर बायोकेमिस्ट्री और बैक्टिरियोलॉजी की सहायता से दूध उत्पादों को कुछ तरह से तैयार करते हैं जिससे उन्हें अधिक से अधिक समय तक सुरक्षित रखा जा सके। डेरी तकनीक के विद्यार्थियों को दूध उत्पादों की प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, वितरण, संग्रहण और उनके आवागमन से जुड़ी हर तरह की जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। ये विशेषज्ञ दूध और उससे निर्मित उत्पादों की उपयोगिता बढ़ाने के मकसद से डेरी तकनीक में भौतिक, रसायन, इंजीनियरिंग और अर्थशास्त्र आदि विषयों की भी मदद लेते हैं।

पटरियों पर इतिहास रचने वाली लड़कियां

मीना

मेरे लिए पहली बार मैम सुनना बहुत ही गर्व महसूस कराने वाला पल था। कभी सोचा नहीं था कि ऐसा भी होगा कि इतने यात्री मुझे मैम बुलाएंगे। काली-पीली पोशाक के बीच आत्मविश्वास से लबरेज 20 साल की सिमरन कहती हैं कि मेरा बचपन से ही सपना था कि मैं केबिन क्रू का हिस्सा बनूं। केबिन क्रू कहीं भी हों चाहें ट्रेन में या प्लेन में, पर सपना पूरा हो रहा है। अक्तूबर में शुरू हुई भारत की पहली कॉरपोरेट ट्रेन तेजस में काम करने वाली होस्टेस लड़कियां यहां नौकरी पाकर बहुत खुश हैं। भारत में ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी रेल सेवा में हवाई सेवा जैसी सुविधा दी गई हो। तेजस लखनऊ से दिल्ली का सफर साढ़े छह घंटे में तय कर लेती है। इस ट्रेन की एक बड़ी खासियत इसकी होस्टेस हैं। तेजस में काम करने वाली होस्टेस ने बताए अपने काम के अनुभव।

मेकअप मेरे प्रशिक्षण का अहम हिस्सा

सिमरन

आंखों पर तीरनुमा आकार में लगा लाइनर, काजल, मसकारा, होठों पर लिपस्टिक और चेहरे पर मुस्कुराहट लिए सिमरन कहती हैं कि मेकअप हमारे प्रशिक्षण का अहम हिस्सा है। अगर हम ये सब न करें तो हम में वो एटिट्यूड ही नहीं आ पाएगा जो हमारे काम की मांग है। वे कहती हैं कि जब हम तेजस की ड्रेस और ट्रॉली लेकर स्टेशन पर पहुंचते हैं और जब लोग हमें देखकर कहते हैं कि देखो तेजस का क्रू जा रहा है तो वो बहुत अच्छा लगता है। सिमरन कहती हैं कि हमारी पूरी पोशाक इस तरह से डिजाइन की गई है कि उससे न तो हमें असहजता हो और न ही यात्री को। सिमरन कहती हैं कि जब काम के बाद घर पहुंचती हूं तो सुबह लोगों के फोन आते हैं। सब मिलने आते हैं। तब लगता है कि मैं सेलिब्रिटी बन गई हूं।

पहली कॉरपोरेट ट्रेन में काम करके इतिहास रच रही हूं

शुभांगी श्रीवास्तव

तेजस के एक डिब्बे में कोच क्रू की प्रबंधक शुभांगी श्रीवास्तव ब्रीफिंग के लिए पूरे स्टाफ को इकट्ठा कर रही हैं। वे कहती हैं कि पूरी टीम को लीड करके खुद में तो आत्मविश्वास आता ही है साथ ही मुझे इन सभी लड़कियों से भी प्रेरणा मिलती है कि ये लोग कितनी मेहनत कर

सपनों की उड़ान

रही हैं। शुभांगी का कहना है कि जब मुझे यह मालूम हुआ कि मैं एक ऐसी ट्रेन में काम करने वाली हूं जो भारत की पहली कॉरपोरेट ट्रेन है, तो मुझे बहुत खुशी हुई। आज मुझे ऐसा महसूस होता है कि जैसे हम इतिहास रच रहे हैं। शुभांगी कहती हैं कि ये पूरी ट्रेन नारी शक्ति की ट्रेन है। यहां नारियों का ही बोलबाला है। शुभांगी कहती हैं कि क्योंकि यहां लड़कियों का स्टाफ ज्यादा है तो महिला यात्रियों को हमारे साथ सहजता महसूस होती है। अगर किसी महिला का कोई बच्चा रो रहा होता है तो हम उनकी मदद कर देते हैं। इसके अलावा अगर किसी महिला को यात्रा के दौरान माहवारी हो गई तो उसके लिए भी वे हमसे बेझिझक बात कर लेती हैं। गर्भवती महिलाओं के लिए पहले ही एक किट ट्रेन में रखी जाती है। वे कहती हैं कि हम खुद लड़कियां हैं इसलिए महिलाओं की परेशानी समझती हैं। शुभांगी बताती हैं कि ट्रेन में एक दिन में 20 लड़कियां होती हैं जिसमें से दो लड़कियां एक कोच में जाती हैं।

शुभांगी कहती हैं कि हमें हर दिन यात्रियों से कुछ नया सीखने को मिलता है। मेरे लिए यात्री सीखने की एक नई सीढ़ी हैं। लखनऊ निवासी शुभांगी ने एविएशन में डिप्लोमा लिया है। शुभांगी का कहना है कि हम चाहते हैं कि हर परिवार से इस क्षेत्र में लड़कियां आएं। ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां लड़कियों की नौकरी और सुरक्षा दोनों का ध्यान रखा जा रहा है। काम के दौरान आने वाली चुनौतियों से कैसे पार पाती हैं? इस सवाल के जवाब में तेजस की होस्टेस ने कहा कि बस एक मुस्कुराहट और सब ठीक। तभी सिमरन ने कहा मुस्कुराइ, आप तेजस में हैं।

यहां आकर अंग्रेजी भी अच्छी हो गई

जैनब खातून

19 साल की जैनब खातून आत्मविश्वास के साथ जवाब देती हैं कि हिलती-डुलती ट्रेन में हमें सर्विस ट्रॉली लेकर चलना पड़ता है। अभी तक यह काम पुरुष ही करते थे लेकिन अब हम लोगों ने सब कुछ संभाल लिया है। जैनब को तेजस में अभी दो हफ्ते ही हुए हैं। वे कहती हैं कि हमें यहां वो तहजीब सिखाई गई जो हमने कॉलेज में भी नहीं सीखी थी। यहां आकर मेरी अंग्रेजी भी अच्छी हो गई। एक नई जुबान सीखने के बाद मेरे आत्मविश्वास में और भी बढ़ोतरी हुई है। अब अंग्रेजी में बात करते समय मैं झिझकती नहीं हूं। जैनब कहती हैं कि कई बार तो इतने अच्छे यात्री आते हैं कि वो हमें आशीर्वाद देकर जाते हैं और हमारे उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं। जैनब बताती हैं कि शुरुआत में मेरे पापा इस काम के लिए नहीं मान रहे थे लेकिन जब उन्होंने तेजस देखी और यहां मिलने वाला सम्मान देखा तो उन्होंने कहा कि अब मैं तेजस में ही ट्रैवल करूंगा। साथ ही जैनब यह भी कहती हैं कि जिन लोगों को लगता है कि होस्टेस का काम अच्छा नहीं होता वे एक बार तेजस तो आकर देखें।

अगर ज्यादा सोचने की आदत है तो इन उपायों से करें दूर

हाय मेरे दोस्तों ने मुझे ऐसा कैसे बोल दिया। मुझे उन्हें तुरंत बढ़िया जवाब देना चाहिए था। मुझे उन्हें अक्ल सिखानी चाहिए थी, ताकि वो दोबारा ऐसा न बोलें....जब हम किसी व्यक्ति से या किसी समस्या से परेशान होते हैं तो कुछ ऐसे ही विचार हमारे मन में बार-बार घूमते हैं। ये समस्याएं किसी भी मुद्दे पर हो सकती हैं। मसलन आपके करिअर, परिवार या समाज किसी भी मुद्दे पर आपको परेशानी हो सकती है। अक्सर मनुष्य जब किसी ऊहापोह में होता है या कोई ऐसी बात जो भीतर से कचोट रही है तो वह उसके बारे में बहुत ज्यादा सोचता है और तब तक सोचता है जब उसे उसका हल न मिल जाए या उसके मन की बात जिस तक पहुंचानी है उस तक न पहुंचाई जाए। ठीक दिशा में सोचना अच्छा होता है लेकिन किसी विषय पर बहुत ज्यादा सोचकर नकारात्मक भाव की ओर बढ़ना आपमें तनाव बढ़ाता है। दूसरा आपने खुद भी महसूस किया होगा कि जब किसी समस्या पर ज्यादा सोचते हैं तो अपना ही नुकसान कर रहे होते हैं। उस वक्त जिस समय आप किसी मुद्दे पर सोच रहे होते हैं तब आप किसी और काम में मन नहीं लगा पाते। जिस वजह से आपके बाकी सारे काम बिगड़ने लगते हैं। तो ज्यादा सोचने की वजह से हमारे और आपके काम और ज्यादा न बिगड़ें इससे पहले हमें अपनी इस आदत पर लगाम लगाना होगा।

खुद को खुश रखने की कोशिश करें

हमें मालूम है कि हम परेशान हैं लेकिन परेशानी को बार-बार सोचकर अपना अच्छा समय क्यों बर्बाद किया जाए। इसलिए जब किसी बात पर बहुत ज्यादा परेशान हैं और उसके बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं तो थोड़ा समय निकालकर खुद को तैयार करिए, थोड़ा नाचिए, थोड़ा टहलने के लिए बाहर निकल जाइए और अगर कुछ न मिले तो कोई कॉमेडी धारावाहिक देख लीजिए। इतना अगर आप करेंगे तो उस पल के लिए आप अपनी समस्या भूल जाएंगे और आगे क्या करना है इसके बारे में सोचेंगे।

बीती बातों को न सोचें

ऐसी बातें जो आपको दुख दे रही हैं। आपके व्यक्तित्व को नुकसान पहुंचा रही हैं।

परामर्श

तो ऐसी बातों को बीती बातें सोचकर पीछे छोड़ देना चाहिए। क्योंकि जो बीत गई सो बात गई। बीती बातें आपमें तनाव बढ़ाती हैं और साथ ही आपके काम करने की क्षमता पर भी असर डालती हैं।

अपना सर्वश्रेष्ठ स्वीकार करें

आप इस बात के डर में न रहें कि आपसे क्या बेहतर तरीके से नहीं आता। बल्कि ये सोचें कि आपको सबसे अच्छे से क्या आता है। जब आप ये सोचने लगते हैं कि आप बहुत सुंदर नहीं हैं, बहुत मेहनती हैं, बहुत समर्पित नहीं हैं तो आपका डर और बढ़ने लगता है। इसलिए बेहतर कि अपने डर या कमजोरियों पर सोचने के बजाए अपनी सर्वश्रेष्ठ क्षमता पर विचार करना चाहिए। इससे आपमें आत्मविश्वास बढ़ेगा।

आज में जिएं

जीवन जीने का सबसे बेहतर तरीका है कि आज में जिया जाए। जो आज है। इस पल है उसको जीएं। अभी जो जीवन मिला है। उसको खुशहाल बनाने की सोचें। जीवन में परेशानियां आती और जाती रहती हैं। धीरे-धीरे सब खत्म हो जाती हैं। कुछ भी अंतिम नहीं होता है। इसलिए परेशानियों के बारे में बहुत ज्यादा न सोचें। खुद को सुंदर बनाएं और आज में जी कर सभी को खुशहाली दें।

विस्तृत दृष्टिकोण में सोचें

जब आपको कोई समस्या परेशान कर रही हो तब आप खुद से बात करें और प्रश्न पूछें कि जिस समस्या को लेकर आप इतने परेशान हैं क्या वो अगले पांच सालों में आपके लिए कोई मायने रखगी या अगले पांच हफ्ते तक। अगर आपको इसका जवाब मिल जाएगा तो आप खुद ही उस समस्या के बारे में सोचना बंद कर देंगे।

सब कुछ आपके नियंत्रण में नहीं

सब कुछ नियंत्रित करना छोड़ दें। सब कुछ आपके बस में नहीं हो सकता। आप जिसमें बेहतर हैं उस पर ध्यान दें। बाकी सब कुछ खुद-ब-खुद अच्छा होता चला जाएगा।

नकारात्मक विचारों को कहें न

अक्सर जब दिनभर के काम के बाद सोने का समय आता है तब नकारात्मक विचार मन में गूंजने लगते हैं। अगर ऐसे विचार मन में बार-बार आ रहे हैं तो उन्हें न कहें। खुद से दृढ़निश्चय करें कि इस बस इस विषय के बारे में अब नहीं सोचना है।

खुद को व्यस्त रखें

जब आपको लगे कि आपकी ज्यादा सोचने की आदत आपके लिए परेशानी का सबब बन रही है तो खुद को ज्यादा से ज्यादा व्यस्त रखें। इससे आपकी रचनात्मकता में तो बढ़ोतरी होगी ही साथ ही आपको खुशी भी मिलेगी।

युवा शक्ति डेस्क

डेरी तकनीक में शानदार भविष्य

सुशील राघव

देश में दूध और दूध के उत्पादों की बढ़ती मांग ने दूध प्रसंस्करण (प्रोसेसिंग) को डेरी क्षेत्र का महत्त्वपूर्ण भाग बना दिया है। किसी भी दूध के उत्पाद को अधिक से अधिक दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए डेरी विशेषज्ञों की मांग भी बहुत तेजी से बढ़ रही है। आजादी के बाद डेरी विकास की योजना भारत में सबसे सफल विकास कार्यक्रमों में से एक रही है। आज भारत को दुनिया में अलग पहचान दिलाने में को-ऑपरेटिव सोसायटियों ने अपना अहम योगदान दिया है। दूध के उत्पाद बनाने वालीं इन को-ऑपरेटिव सोसायटियों में डेरी तकनीक के विशेषज्ञों की मांग बढ़ी है।

अवसर

योग्यता

डेरी तकनीक में स्नातक या डिप्लोमा पाठ्यक्रम करने के लिए विज्ञान विषयों खासकर जीवविज्ञान के साथ 12वीं पास होना जरूरी है। बारहवीं का अंक फीसद भी इसमें मायने रखता है। डेरी तकनीक के पाठ्यक्रम संचालित करने वाले अधिकांश संस्थान प्रवेश परीक्षा के जरिए दाखिले करते हैं। सरकारी संस्थानों के लिए इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एक केंद्रीय प्रवेश परीक्षा- ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर एडमिशन टू बैचलर प्रोग्राम इन एग्रीकल्चर एंड एलायड साइंस सब्जेक्ट आयोजित करता है। डेरी तकनीक के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए संबंधित विषय में बीई या बीटेक की डिग्री आवश्यक है।

पाठ्यक्रम

- बीई या बीटेक इन डेरी तकनीक
- मास्टर ऑफ तकनीक इन डेरी तकनीक
- डिप्लोमा इन डेरी तकनीक
- एमटेक डेरी तकनीक
- एडवांस्ड डिप्लोमा इन डेरी साइंस एंड तकनीक
- मास्टर ऑफ तकनीक इन डेरी केमिस्ट्री
- मास्टर ऑफ तकनीक इन डेरी माइक्रोबायोलॉजी
- डिप्लोमा इन फूड एंड डेरी तकनीक
- पीएचडी इन डेरी तकनीक

इन पदों पर मिलेगा काम

- डेरी टेक्नोलॉजिस्ट
- डेरी मेडिकल ऑफिसर
- डेरी वैज्ञानिक
- इंडस्ट्री सुपरवाइजर
- माइक्रो-बायोलॉजिस्ट
- न्यूट्रिशनिस्ट

विज्ञान की जानकारी आवश्यक

इस क्षेत्र में करिअर बनाने वालों के लिए विज्ञान विषयों की जानकारी आवश्यक है। यहां नई चीजों को जानने की ललक का होना जरूरी है। दूध का ज्यादातर काम गुजरात, राजस्थान और पंजाब के इलाकों में होता है, इसलिए डेरी तकनीक के पेशेवरों को देश के दूर-दराज हिस्सों में काम करना पड़ता है।

संस्थान

- राष्ट्रीय डेरी शोध संस्थान, करनाल, हरियाणा
- सैम हिग्गीनबॉटम कृषि, तकनीक एवं विज्ञान संस्थान, इलाहाबाद, यूपी
- पदम भूषण वसंतदादा पाटिल कॉलेज, बीड, महाराष्ट्र
- उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद, यूपी
- देशभक्त विश्वविद्यालय, फतेहगढ़ साहेब, पंजाब
- जवाहरलाल नेहरू पॉलीटेक्निक, मुरादाबाद, यूपी
- एपेक्स विश्वविद्यालय, जयपुर, राजस्थान
- डेरी विज्ञान कॉलेज, बंगलुरु, कर्नाटक

वेतन

डेरी प्लांट्स में डेरी तकनीक पेशेवरों को शुरूआत में प्रशिक्षु और शिफ्ट अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता है। इस दौरान 20,000 से 25,000 रुपए के बीच वेतन मिल सकता है। कुछ साल के अनुभव के बाद पद के साथ वेतन में भी बढ़ोतरी का लाभ मिलता है।

रोजगार के अवसर

उत्पाद से जुड़े किसी भी पाठ्यक्रम को करने के बाद रोजगार के काफी विकल्प मौजूद होते हैं। डेरी तकनीक के विद्यार्थियों के लिए सरकारी और निजी दोनों ही क्षेत्रों में बहुत संभावनाएं हैं। डेरी फार्म, को-ऑपरेटिव सोसायटी, ग्रामीण बैंक और प्रसंस्कृत दुग्ध उत्पाद निर्मित करने वाली कंपनियों में डेरी तकनीक के पेशेवरों की नियुक्ति होती है। कुछ सालों का अनुभव हो जाने पर सलाहकार के रूप में काम की शुरूआत की जा सकती है। इसके अलावा डेरी तकनीक पाठ्यक्रम संचालित करने वाले संस्थानों से लेक्चरर के रूप में भी जुड़ा जा सकता है। विदेशों में भी डेयरी विशेषज्ञों की काफी मांग है। सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड और डेनमार्क में हर साल सैकड़ों नौकरियां निकलती हैं।

सूचनापट्ट

दाखिले

एयूडी, दिल्ली

आंबेडकर विश्वविद्यालय, दिल्ली (एयूडी) के द स्कूल ऑफ बिजनेस, पब्लिक पॉलिसी एंड सोशल आंत्रप्रन्यॉरशि ने मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (एमबीए) में दाखिले शुरू किए हैं। इस पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए उम्मीदवारों को विश्वविद्यालय की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। दाखिला लेने के इच्छुक उम्मीदवारों को या तो भारतीय प्रबंधन संस्थान की ओर से आयोजित कैट देनी होगी या फिर उन्हें एयूडी की ओर से एमबीए के लिए आयोजित होने वाली प्रवेश परीक्षा देनी होगी। इतना ही नहीं उम्मीदवार दोनों परीक्षाओं के लिए आवेदन कर सकता है ताकि बेस्ट स्कोर के आधार पर उसे दाखिला मिले सके। एयूडी की परीक्षा 23 फरवरी 2020 को आयोजित होगी। सत्र जुलाई 2020 से शुरू होगा।

अंतिम तिथि : 31 दिसंबर, 2019

एफएमएस, दिल्ली

दिल्ली विश्वविद्यालय के फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडी (एफएमएस) के एमबीए एग्जीक्यूटिव, एमबीए एक्जीक्यूटिव (स्वास्थ्य देखभाल प्रशासन), एमबीए और पीएचडी पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इन सभी पाठ्यक्रमों में कैट के स्कोर के आधार पर प्रवेश दिए जाएंगे। उम्मीदवार एफएमएस की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं। इसके लिए सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को एक हजार रुपए का भुगतान करना होगा। एमबीए पाठ्यक्रम के लिए दाखिले की योग्यता सूची तैयार करते समय 60 फीसद भार कैट परीक्षा में मिले स्कोर का होगा। इसके अलावा कक्षा दस और बारह के अंकों का भी 5-5 फीसद भार होगा। समूह परिचर्चा का 10 फीसद, व्यक्तिगत साक्षात्कार का 15 फीसद और बिना तैयारी के बोलने का 5 फीसद भार तय किया गया है।

अंतिम तिथि : 25 नवंबर, 2019

प्रवेश परीक्षा

कैट-2019

भारतीय प्रबंधन संस्थानों (आइआइएम) के स्नातकोत्तर, पीजी डिप्लोमा और शोध पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए 24 नवंबर 2019 को संयुक्त प्रवेश परीक्षा (कैट-2019) का आयोजन किया जाएगा। यह परीक्षा दो पालियों में होगी। यह परीक्षा देश के 156 शहरों में आयोजित होगी। इसके लिए 23 अक्तूबर से प्रवेशपत्र डाउनलोड होने शुरू हो गए हैं। उम्मीदवार लॉगइन करके अपना प्रवेशपत्र डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा कैट की वेबसाइट पर मॉक टेस्ट का लिंक भी शुरू हो गया है। इसके माध्यम से उम्मीदवार परीक्षा से पहले उसका नमूना हल कर सकते हैं।

अंतिम तिथि : 24 नवंबर, 2019

योग्यता परीक्षा

जीपैट-2020

एम फार्मो पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए 28 जनवरी 2020 को स्नातक फार्मेसी अभिरुचि परीक्षा (जीपैट) का आयोजन किया जाएगा। इस परीक्षा का आयोजन राष्ट्रीय परीक्षा एजंसी (एनटीए) करती है। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल होने की इच्छा रखते हैं, वे एनटीए या जीपैट की वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुल्क के रूप में सामान्य, ईडब्लूएस सामान्य और ओबीसी वर्ग के पुरुष उम्मीदवारों को 1600 और महिला उम्मीदवारों को 800 रुपए का भुगतान करना होगा। वहीं, एससी, एसटी, दिव्यांग और ट्रांसजेंडर वर्ग के सभी उम्मीदवारों 800 रुपए का भुगतान करना होगा। आवेदन शुल्क का भुगतान 1 दिसंबर तक किया जा सकता है। परीक्षा से संबंधित विस्तृत जानकारी एनटीए की वेबसाइट से प्राप्त करें।

अंतिम तिथि : 30 नवंबर, 2019

सीमैट-2020

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआइसीटीई) से मान्यता प्राप्त संस्थानों के प्रबंधन पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए 28 जनवरी 2020 को सामान्य प्रबंधन प्रवेश परीक्षा (सीमैट) का आयोजन किया जाएगा। इस परीक्षा का आयोजन राष्ट्रीय परीक्षा एजंसी (एनटीए) करती है। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल होने की इच्छा रखते हैं, वे एनटीए या जीमैट की वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

वाट्सएप जासूसी : संसदीय समिति ने 20 नवंबर को बुलाई बैठक

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 6 नवंबर।

कांग्रेस नेता शशि थरूर की अध्यक्षता वाली संसद की स्थाई समिति ने 'वाट्सएप' जासूसी मामले पर चर्चा के लिए 20 नवंबर को बैठक बुलाई है। शशि थरूर सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थाई समिति के अध्यक्ष हैं। उन्होंने समिति के सदस्यों को भेजे पत्र में कहा है कि भारतीय नागरिकों की जासूसी के लिए प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल 'गंभीर चिंता' का विषय है और 20 नवंबर को समिति की अगली बैठक में इस पर चर्चा की जाएगी।

फेसबुक के स्वामित्व वाले 'वाट्सएप' ने 31 अक्तूबर को भारत सरकार को सूचना दी थी कि भारतीय पत्रकारों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं सहित कई भारतीय उपयोगकर्ताओं (यूजरों) की इजराइली स्पाईवेयर 'पेगासस' के जरिए जासूसी की गई। हालांकि, सूचना एवं प्रौद्योगिकी (आइटी) मंत्रालय ने दलील दी है कि उपलब्ध कराई गई सूचना अपर्याप्त है।

अपने पत्र में थरूर ने समिति के सदस्यों से अपील की है कि एक प्रजातांत्रिक गणतंत्र होने के नाते हमें पर्याप्त सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने होंगे, ताकि किसी अनधिकृत तरीके या बाहरी उद्देश्य के लिए कार्यकापालिका की शक्तियों का दुरुपयोग न किया जा सके। शशि थरूर ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा निजता के मौलिक अधिकार को स्पष्ट रूप से मान्यता दिए जाने का संदर्भ देते हुए थरूर ने अपने पत्र में कहा कि इस अधिकार का उल्लंघन करने वाली किसी भी कार्रवाई की वैधता, यथार्थता और जरूरत का विश्लेषण करने की जरूरत है।

थरूर ने कहा कि स्थाई समिति में सत्तारूढ़ पार्टी और विपक्ष दोनों के सदस्य नागरिकों की निजता के मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए मिलकर काम करें। सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संसद की स्थाई समिति के अलावा गृह मामलों की समिति भी अपनी अगली बैठक में 'जासूसी' के मामले को उठाएगी।

वाट्सएप के दुनिया भर में 1.5 अरब यूजर हैं जिनमें भारत में 40 करोड़ हैं। वाट्सएप ने कहा था कि उसने इजराइली निगरानी कंपनी 'एनएसओ ग्रुप' के खिलाफ एक मुकदमा दायर किया है। इस ग्रुप का उस तकनीक विकसित करने में हाथ है, जिसने बेनाम इकाइयों को 1,400 वाट्सएप उपयोगकर्ताओं के मोबाइल फोन हैक करने में मदद की। इन उपयोगकर्ताओं में राजनयिक, सरकार विरोधी नेताओं, पत्रकार और सरकार के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इन आरोपों पर वाट्सएप से एक रिपोर्ट तलब की है।

दिल्ली पहुंचे खट्टर, हरियाणा मंत्रिमंडल पर लगेगी मुहर

अजय पांडेय
नई दिल्ली, 6 नवंबर।

हरियाणा की नवगठित भाजपा-जजपा गठबंधन सरकार मंत्रिमंडल का विस्तार इस सप्ताह के अंत तक किए जाने के आसार हैं। मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलों के बीच सूबे के मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर बुधवार को दिल्ली पहुंचे। उनका भाजपा अध्यक्ष अमित शाह, कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा, पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बी एल संतोष सहित अन्य शीर्ष नेताओं से मिलने का कार्यक्रम है। समझा जा रहा है कि मुख्यमंत्री अपने मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने वाले नामों पर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की मुहर लगाने के उद्देश्य से दिल्ली पहुंचे हैं।

सूत्रों ने बताया कि मुख्यमंत्री खट्टर ने भाजपा अध्यक्ष शाह, नड्डा, अनिल जैन, सहित कई अन्य प्रमुख नेताओं से मिलने का समय मांगा है। भाजपा अध्यक्ष शाह से सहित अन्य पार्टी नेताओं से गुरुवार को उनकी मुलाकात होने की संभावना है। कहा यह भी जा रहा है कि हरियाणा मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने वाले सभी मंत्रियों के नाम लगभग तय कर लिए गए हैं। लेकिन भजपा के शीर्ष नेतृत्व की सहमति के बाद ही नए मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी।

भाजपा में अंदरखाने लगातार छठी बार विधानसभा का चुनाव जीतने वाले अनिल विज को उपमुख्यमंत्री बनाए जाने की मांग तेज हो गई है। विज के अलावा कम से कम पार्टी के पांच अन्य विधायकों को मंत्री पद से नवाजा जा सकता है। जिन भाजपा विधायकों को मंत्री बनाए जाने की चर्चा है उनमें सीमा त्रिखा, बनवारीलाल, कंवरपाल गुर्जर, संदीप सिंह विशंभर वाल्मीकि, अभय सिंह यादव आदि के नाम प्रमुख हैं जबकि जजपा से रामकुमार गौतम और ईश्वर सिंह को मंत्री बनाए जाने के आसार हैं।

भाजपा नेतृत्व पर समर्थन देने वाले सात विधायकों को भी सत्ता में भागीदारी देने का दबाव है। ऐसे में कम से कम दो विधायकों को मंत्री पद मिल सकता है। 90 सदस्यीय हरियाणा मंत्रिमंडल में कुल 13 मंत्री बनाए जा सकते हैं।

हरियाणा में मंत्रिमंडल विस्तार में हो रही देरी को लेकर पूछने पर सूत्रों ने बताया कि दो मुद्दों पर मंथन हो रहा है। पहला यह कि गृह, वित्त व आबकारी जैसे प्रमुख महकमों पर दावा ठोक रही जजपा को कौन-कौन विभाग दिए जाएं तथा मंत्रिमंडल में जातीय समीकरण का संतुलन बन जाए। उन्होंने कहा कि जजपा से मंत्री बनने वाले ज्यादातर नेता जाट हैं जबकि निर्दलीय विधायकों में ज्यादातर जाट ही मंत्री बनने के दावेदार हैं ऐसे में भाजपा को यह सुनिश्चित करना है कि हरियाणा मंत्रिमंडल की छवि कहीं जाट बहुल मंत्रिमंडल की नहीं बन जाए।

वकीलों ने वादियों के लिए बंद किए अदालत के गेट

पेज 1 का बाकी

देश में पुलिस या सशस्त्र बलों को यूनियन बनाने -प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं है। इसलिए पुलिस का प्रदर्शन वाला बर्ताव और आचरण गंभीर कदाचार व कर्त्तव्य निर्वहन में चूक है। वकीलों ने मांग की कि धरना में शामिल लोगों का तत्काल निलंबन किया जाए।

रोहिणी जिला अदालत में प्रदर्शन के दौरान एक वकील ने खुद पर मिट्टी का तेल डाल लिया और आग लगाने की धमकी दी। एक अन्य प्रदर्शनकारी वकील परिसर में एक इमारत की छत पर चढ़ गया। दिल्ली बार एसोसिएशन के सदस्यों ने कहा कि वादियों को सुरक्षा कारणों से भीतर नहीं जाने दिया जा रहा है। दिल्ली में सभी जिला अदालतों की बार एसोसिएशनों की समन्यवय समिति के महासचिव धीर सिंह कसाना ने कहा कि भीतर कोई पुलिस अधिकारी नहीं है। वादियों की सुरक्षा जांच कौन करेगा। उनके बीच कुछ अपराधी भी हो सकते हैं। साकेत जिला अदालत परिसर के गेट पर साथियों के साथ प्रदर्शन कर रहे कसाना ने कहा कि हमारा 10,000 से अधिक सदस्यों का एक बड़ा परिवार हैं। घायल वकीलों के कल्याण और हमारी सुरक्षा को लेकर किसी की भी ओर से कोई आश्वासन नहीं मिला है। तीस हजारी अदालत की दिल्ली बार एसोसिएशन के सचिव जयवीर सिंह चौहान ने कहा कि वादियों को अदालत परिसर में प्रवेश की इजाजत दी गई। हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्हें अदालत कक्षों में भी जाने दिया जा रहा है। प्रदर्शनकारी अन्य वकील ने कहा कि जब तक वकीलों पर लाठीचार्ज करने और कथित तौर पर गोली चलाने वाले पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता तब तक वे काम पर नहीं लौटेंगे।

पुलिसकर्मियों और वकीलों के बीच तनाव के हालात शनिवार से बनने शुरू हो गए थे जब तीस हजारी अदालत में पार्किंग को लेकर हुई झड़प में कम से कम 20 पुलिसकर्मी और कई वकील घायल हो गए थे। इसके बाद सोमवार को साकेत अदालत के बाहर एक पुलिसकर्मी पर वकीलों के कथित हमले की घटना हुई। इन घटनाओं के विरोध में पुलिसकर्मियों ने मंगलवार को प्रदर्शन किया था। सोमवार की घटना के वीडियो में साकेत जिला अदालत के बाहर मोटरसाइकिल पर सवार वर्दीधारी एक पुलिसकर्मी को थप्पड़ मारते दिख रहे अज्ञात लोगों के खिलाफ दो प्राथमिकी दर्ज की गई हैं।

आवास क्षेत्र को मिलेंगे 25,000 करोड़ रुपए

पेज 1 का बाकी

की परियोजनाओं या मध्यम वर्ग के लिए बनाए जाने वाले घरों की परियोजनाओं के लिए भी धन उपलब्ध कराया जाएगा।

वित्त मंत्री ने कहा कि इस फंड के द्वारा एक खाते में पैसे डालकर अपूर्ण परियोजना को लाभ दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि शुरुआत में यह खाता एसबीआइ के पास होगा। वित्त मंत्री ने कहा कि रेरा में जो भी अपूर्ण परियोजनाएं हैं, उनको सहयोग दिया जाएगा। उन्हें आखिरी चरण तक मदद दी जाएगी। कोशिश होगी कि खरीदारों को जल्द मकान मिल जाए। अगर कंपनी लिक्विडेशन में है, तब इसका फायदा नहीं मिल पाएगा। सीतारमण ने कहा कि उन्होंने पिछले दो महीनों में प्रभावित लोगों और बैंकों के साथ कई बैठकें कीं। एक बैठक में तो रिजर्व बैंक के गवर्नर भी मौजूद थे, जिन्होंने घर के खरीदारों के हित में उपाय सुझाए। वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि अगर किसी इकाई की एक परियोजना शुरू हुई और पूरी नहीं हो पाई, उसे सहयोग मिलेगा। लेकिन उसी कंपनी की शुरू नहीं हो सकी दूसरी परियोजना को लाभ नहीं मिलेगा।

पासपोर्ट पर भारत ने मांगी सफाई

पेज 1 का बाकी

क्योंकि, अगर कोई बदलाव उनकी ओर से है तो मूल समझौते में संशोधन करना होगा। दूसरी ओर, पाकिस्तान ने विशिष्ट लोगों के लिए इंतजामों व जरूरी चीजों के बारे में अवगत कराने के लिए अग्रिम टीम भेजने के भारत के अनुरोध पर अब तक जवाब नहीं दिया है। भारत और पाकिस्तान- दोनों ओर से करतारपुर गलियारे का औपचारिक उद्घाटन नौ नवंबर को किया जाएगा।

करतारपुर गलियारे को लेकर मूल समझौते के मुताबिक श्रद्धालुओं को पासपोर्ट की जरूरत होगी। लेकिन हाल में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने ट्वीट कर कहा था कि करतारपुर जाने वाले श्रद्धालुओं को पासपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, उन्हें सिर्फ अनुमति पत्र लेना होगा। इस घोषणा को लेकर भारतीय विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान सरकार से स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। अगर कोई बदलाव होता है तो मूल समझौता दस्तावेज को संशोधित करना होगा।

पाक वीडियो में भिंडरावाले को लेकर विवाद

पेज 1 का बाकी

पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और विदेश मंत्रालय ने तीखी प्रतिक्रिया जताई है।

पाकिस्तान की इस हरकत को लेकर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा है कि पाक समर्थित खालिस्तानी आतंकी समूहों की गतिविधियों को लेकर भारत सतर्क है। वीडियो के मुद्दे पर राजनयिक चैनल के जरिए आपत्ति दर्ज कराई गई है। हम उम्मीद करते हैं कि करतारपुर साहिब गलियारे का इस्तेमाल पाकिस्तान किसी भी तरह के गैर-वाजिब प्रचार के लिए नहीं करेगा।

पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने पाकिस्तान पर हमला बोला और कहा कि वह इस बारे में पहले दिन से चेतावनी देते आ रहे हैं कि यह पाक का छिपा एजंडा है। अमरिंदर सिंह ने कहा, 'मैं इस बारे में पहले दिन से चेतावनी दे रहा हूं कि पाकिस्तान का यहां कोई छिपा हुआ एजंडा है।' पाकिस्तान के सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी वीडियो में कई सिख श्रद्धालु पाकिस्तान के करतारपुर साहिब गुरुद्वारे में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं।

पाक ने सिख श्रद्धालु का शव बीएसएफ को सौंपा

अटारी (अमृतसर), 6 नवंबर (भाषा)।

पाकिस्तान ने अटारी-वाघा सीमा पर बुधवार को एक सिख श्रद्धालु का शव सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) को सौंप दिया। सिख श्रद्धालु की लाहौर में दिल दौरा पड़ने से मौत हो गई थी।

अधिकारियों ने बताया कि जसविंदर सिंह (53) उस 'जत्थे' में शामिल थे जो गुरुद्वारा ननकाना साहिब में सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव की 550वीं जयंती समारोहों और विभिन्न सिख गुरुद्वारों में मत्था टेकने के लिए मंगलवार को पाकिस्तान रवाना हुआ था। उन्होंने बताया कि लाहौर में गुरुद्वारा डेरा साहिब पहुंचने के बाद सिह ने सीने में दर्द और सांस लेने में तकलीफ की शिकायत की। उन्हें पंजाब हृदयरोग विज्ञान संस्थान में भर्ती कराया गया जहां अचानक दिल का दौरा पड़ने से उसकी मौत हो गई।

यलगार परिषद मामलाः छह आरोपियों की जमानत

पुणे, नवंबर (भाषा)।

पुणे की एक सत्र अदालत ने यलगार परिषद-माओवादी संबंधित मामले में बुधवार को छह आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी।

रोना विल्सन, शोमा सेन, सुरेंद्र गाडलिंग, महेश राउत, वरवर राव और सुधीर धावले ने इस दलील के साथ जमानत याचिकाएं दायर की थीं कि पुलिस उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत पेश नहीं कर पाई है। अभियोजन पक्ष ने याचिकाओं का विरोध करते हुए कहा कि आरोपियों और माओवादियों के बीच संबंध दिखाने के लिए सामग्री मौजूद है।

पुणे पुलिस के अनुसार 31 दिसंबर 2017 यहां यलगार परिषद की सभा के दौरान भड़काऊ भाषण दिए गए थे, जिसके चलते जिले में अगले दिन (एक जनवरी 2018) को भीमा-कोरेगांव युद्ध स्मारक पर जातीय हिंसा भड़क गई थी।

हनीप्रीत को पंचकूला हिंसा और दंगे मामले में जमानत, रिहा

पेज 1 का बाकी

उन्होंने बताया कि कोर्ट की तरफ से जमानत देते हुए कोई शर्त नहीं रखी गई। उन्होंने यह भी बताया कि अन्य आरोपी भी किसी भी समय जमानत के लिए याचिका दाखिल कर सकते हैं।

बुधवार को मामले के दौरान हनीप्रीत को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान पेश किया गया। इसी दौरान अन्य आरोपी भी पेश हुए। आरोपियों पर विभिन्न धाराओं पर सुनवाई पूरी हो गई।

महत्त्वपूर्ण है कि हनीप्रीत व अन्य आरोपियों पर पिछली बार धारा 121 व 121ए हटा दी गई थीं।

पराली जलाने से रोकने के लिए मशीने देने में प्राथमिकता दें : प्रधानमंत्री

पेज 1 का बाकी

ठहराना होगा। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता के पीठ ने सवाल किया-क्या आप लोगों को प्रदूषण की वजह से इसी तरह मरने देंगे। क्या आप देश को सौ साल पीछे जाने दे सकते हैं?

पीठ ने कहा-हमें इसके लिए सरकार को जवाबदेह बनाना होगा। पीठ ने सवाल किया, सरकारी मशीनरी पराली जलाए जाने पर रोक क्यों नहीं लगा सकती? जजों ने राज्य सरकारों को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि यदि उन्हें लोगों की परवाह नहीं है तो उन्हें सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। आप (राज्य) कल्याणकारी सरकार की अवधारणा भूल गए हैं। आप गरीब लोगों के बारे में चिंतित ही नहीं हैं। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। शीर्ष अदालत ने यह भी सवाल किया कि क्या सरकार किसानों से पराली एकत्र करके उसे खरीद नहीं सकती?

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को आड़े हाथ लेते हुए पंजाब, हरियाणा व उप्र सरकार को उनके यहां पराली नहीं जलाने वाले छोटे और सीमांत किसानों को सात दिन के भीतर 100 रुपए प्रति कुंतल का वित्तीय सहयोग देने का निर्देश दिया।

न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता के पीठ ने कहा, 'कृषि हमारे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और यह सरकार का कर्तव्य है कि वह किसानों के हितों की देखभाल करे।' पीठ ने कहा कि यह बहुत आवश्यक है कि पराली को जलाने से रोकने के लिए किसानों को मशीनें उपलब्ध कराई जाएं। पीठ ने केंद्र और पंजाब, हरियाणा, उप्र और दिल्ली सरकारों को निर्देश दिया कि वे पर्यावरण संबंधी मुद्दों का ध्यान रखने के लिए तीन महीने के भीतर विस्तृत योजना तैयार करें।

दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दम घोंटने वाले वायु प्रदूषण की गंभीर स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए पीठ ने कहा- हम पराली जलाने और प्रदूषण पर नियंत्रण के मामले में देश की लोकतांत्रिक सरकार से और अधिक अपेक्षा करते हैं। यह करोड़ों लोगों की जिंदगी और मौत से जुड़ा सवाल है। हमें इसके लिए सरकार को जवाबदेह बनाना होगा। दम घोंटने वाले वायु प्रदूषण में किसानों द्वारा पराली जलाए जाने के योगदान के मद्देनजर शीर्ष अदालत ने सोमवार को पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के मुख्य सचिवों को छह नवंबर को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया था।

दिल्ली और इससे लगे इलाकों में वायु प्रदूषण की गंभीर स्थिति को देखते हुए अदालत ने मंगलवार को इसका स्वतः संज्ञान लेते हुए अलग से खुद एक नया मामला दर्ज किया।

कुलगाम में आतंकियों ने दो स्कूल जला डाले

पेज 1 का बाकी

दिया था। वर्ष 2016 में कश्मीर घाटी में 35 से अधिक स्कूल जलाए गए थे। हालांकि, उस दौरान हिंसा और तनावपूर्ण स्थितियों के बीच भी सेना अपने गुडविल स्कूलों में कश्मीरी बच्चों को पढ़ा रही थी। इस साल भी 2016 की तर्ज पर आतंकियों ने कश्मीरी बच्चों के अंदर दहशत पैदा करने की साजिश रची है।

आतंकियों ने 29 अक्तूबर को एक स्कूल की इमारत के पास सीआरपीएफ की टीम पर हमला भी किया था। जब हमला किया गया, उस वक्त स्कूल में बोर्ड की परीक्षाएं चल रही थीं। हमले के दौरान ही स्कूल में कई विद्यार्थी फंस गए थे, जिन्हें बाद में सेना की टीम ने सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया था।

दूसरी ओर, जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में अंतरराष्ट्रीय सीमा (आइबी) के पास स्थित गांवों में पाकिस्तानी सैनिकों ने मोर्टार से गोले दागे, जिससे दो मकान क्षतिग्रस्त हो गए और कई मवेशी घायल हो गए। अधिकारियों के मुताबिक, पाकिस्तानी सैनिकों ने संघर्ष विराम का उल्लंघन करते हुए भारी गोलाबारी की, जिससे सीमा क्षेत्र के निवासियों में दहशत फैल गई। हीरानगर सेक्टर में रठुआ और उसके पड़ोसी गांवों में मंगलवार की रात लगभग आठ बजकर 40 मिनट पर गोलीबारी और मोर्टार से गोलाबारी की गई।

एजेएल प्लॉट आबंटन मामले में हुड्डा, वोरा को मिली जमानत

पेज 1 का बाकी

मामले में पिछली सुनवाई के दौरान हुड्डा और वोरा को अंतरिम जमानत मिल गई थी और दोनों ही नेताओं के पांच-पांच लाख के निजी मुचलके भरे गए थे। अब दोनों की तरफ से नियमित जमानत के लिए आवेदन किया गया था, जिस पर आज सुनवाई में दोनों को नियमित जमानत दे दी गई। इस मामले में पंचकूला के सेक्टर 6 के प्लाट नंबर सी-17 प्लाट 64.93 करोड़ कीमत का प्लाट 69.39 लाख में दिया गया था। इसे लेकर ईडी ने अभियोजन शिकायत स्पेशल ईडी कोर्ट में दर्ज कराई थी और हुड्डा उस समय मुख्यमंत्री पद पर होने के साथ-साथ हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के चैयरमेन भी थे। ईडी की विशेष अदालत ने हुड्डा तथा वोरा तथा नेशनल हेराल्ड अखबार के प्रकाशक को नोटिस जारी कर 30 अक्तूबर को पेश होने के निर्देश दिए थे। इस मामले में 26 अगस्त को ईडी ने हुड्डा व वोरा के खिलाफ अभियोजन की शिकायत की थी।

अयोध्या मामले पर अदालत का फैसला मंजूर होगा : मदनी

पेज 1 का बाकी

कि सहन के हिस्से (जिसमें राम चबूतरा और सीता रसोई) पर दावा छोड़े दें। लेकिन रामलला और निर्मोही अखाड़ा एक इंच भी पीछे नहीं हटे। उनका एक ही मुद्दा था कि मुसलमान मस्जिद उन्हें दे दें। इसलिए मध्यस्थता कामयाब नहीं हुई।

जमीयत की ओर से जारी एक बयान में उनके हवाले से कहा गया कि अयोध्या मामला महज भूमि विवाद का मामला नहीं है बल्कि कानून की प्रधानता की परीक्षा का मामला है। मदनी ने कहा कि हर न्यायप्रिय व्यक्ति मामले में फैसला ठोस तथ्यों व साक्ष्यों के आधार पर चाहता है, न कि धर्म के आधार पर। उन्होंने कहा- सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि यह सिर्फ मालिकाना हक के लिए दायर कराया गया मामला है। उन्होंने कहा- हम हमारे पूर्व के रुख को दोहराते हैं कि सुप्रीम कोर्ट तथ्यों व साक्ष्यों के आधार पर जो कुछ भी फैसला सुनाएगा, हम उसे स्वीकार करेंगे। हम मुसलिमों और अन्य सभी नागरिकों से सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करने की अपील करते हैं।

मदनी ने कहा कि मध्यस्थता की कोशिश 11-12 बार नाकाम हो चुकी थी, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता के लिए कहा तो मैं मध्यस्थता के लिए सहमत हो गया। उन्होंने कहा- मध्यस्थता का मतलब है कि सभी पक्षकार अपने-अपने रुख में थोड़ा नरमी लाएं। अगर कोई पीछे नहीं हटता है तो मध्यस्थता नहीं होगी। उन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद में एक हिस्सा गुंबद के नीचे का है और एक उसका सहन है, जहां राम चबूतरा और सीता रसोई है। हमारा झगड़ा इसे लेकर है। हम इसे अपना हिस्सा बताते हैं और वे (हिंदू पक्षकार) कहते हैं कि राम चबूतरा भगवान राम का जन्मस्थान है। हमने कहा कि तीन गुंबदों और इसके सामने वाला हिस्सा मस्जिद के लिए छोड़ दिया जाए और गैर-मुसलिम इस पर से अपना दावा वापस ले। हमने मध्यस्थों से कहा कि अगर वे (हिंदू पक्षकार) पीछे हटते हैं तो हम इस बात पर गौर कर सकते हैं कि सहन के हिस्से (जिसमें राम चबूतरा और सीता रसोई) पर दावा छोड़े दें। लेकिन रामलला और निर्मोही अखाड़ा एक इंच भी पीछे नहीं हटे। उनका एक ही मुद्दा था कि मुसलमान मस्जिद उन्हें दे दें। इसलिए मध्यस्थता कामयाब नहीं हुई। शीर्ष अदालत धार्मिक भावनाओं व राजनीति के लिहाज से बेहद संवेदनशील माने जाने वाले राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद मामले में 17 नवंबर से पहले फैसला सुना सकता है क्योंकि प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई उसी दिन सेवानिवृत्त हो रहे हैं। वह राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद मामले में संविधान पीठ की अगुआई कर रहे हैं।

झड़प की तस्वीर व वीडियो साझा नहीं करें अदालत के कर्मचारी

पेज 1 का बाकी

को इस मामले पर किसी भी तरह की टिप्पणी या चर्चा से परहेज करने को कहा।

इस बाबत जारी परिपत्र में जज ने कहा कि सभी कर्मी किसी के सामने इस मामले में गैर जरूरी टिप्पणी या चर्चा से परहेज करें। सभी कर्मचारी यह सुनिश्चित करें कि इस मामले से संबंधित अफवाह नहीं फैले। यह मामले को और बिगड़ने से रोकने के लिए जरूरी है

संविधान अंगीकार की वर्षगांठ पर संसद की संयुक्त बैठक

पेज 1 का बाकी

सदस्यों के अलावा पूर्व राष्ट्रपति और पूर्व प्रधानमंत्रियों के मौजूद रहने की संभावना है। यह बैठक ठीक वैसी ही होगी जैसी जून 2017 में जीएसटी पेश किए जाने के अवसर पर बुलाई गई थी। यही नहीं, 1997 में भारत की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर मध्य रात्रि में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई गई थी। संविधान दिवस हर साल 26 नवंबर को मनाया जाता है, जिस दिन भारत के संविधान मसौदे को अपनाया गया था। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू होने से पहले 26 नवंबर 1949 को इसे अंगीकार किया गया था। संविधान सभा ने 395 अनुच्छेद और आठ अनुसूची वाले मसौदा संविधान को अपनाया था, जिस पर दो साल 11 महीनों और 17 दिनों की अवधि में हुए 11 सत्रों के दौरान संविधान सभा के 299 सदस्यों के बीच पूरी तरह से बहस हुई थी। 24 जनवरी, 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किया।

..और ताजा हो गईं 53 साल पुरानी यादें

पेज 1 का बाकी

हरियाणा और पंजाब की संयुक्त विधानसभा जिस इमारत में चलती थी, बंटवारे के बाद वह क्षेत्र पंजाब के हिस्से में चला गया। वर्तमान में जहां हरियाणा की विधानसभा चलती है, वहां संयुक्त पंजाब के समय में एमएलसी की बैठकें होती थीं। हरियाणा और पंजाब के अलग होने के बाद पंजाब सरकार द्वारा गुरुनानक देव जी के 550 वें प्रकाशोत्सव के अवसर पर बुधवार को पहली बार संयुक्त सत्र का आयोजन किया गया। इसमें पंजाब व हरियाणा के सभी राजनीतिक दलों के विधायक मौजूद रहे। पंजाब विधानसभा सचिवालय द्वारा सदन के भीतर हरियाणा के विधायकों को आज वहीं पर बिठाया गया था जहां दशकों पहले हरियाणा के चुने हुए प्रतिनिधि बैठते थे।

पंजाब विधानसभा के भीतर आपसी भाईचारे के लंबे चौड़े दावे कुछ ही पलों में हवा होते दिखाई दिए। संयुक्त सत्र के बाद पंजाब द्वारा दोनों राज्यों के विधायकों, सांसदों और अधिकारियों के लिए दोपहर के भोजन रखा गया था। भोजन की मेज पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और अन्य नेताओं के लिए भी सीटें आरक्षित थीं लेकिन पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ खाने पर मनोहर लाल नहीं पहुंचे अलबत्ता दुष्यंत चौटाला और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जरूर वहां मौजूद रहे।

गुरूनानक देवजी के जीवन की सभी घटनाएं शिक्षाप्रद : नायडू

चंडीगढ़ : भारत के उपराष्ट्रपति एम. वैंकया नायडू ने कहा कि श्रीगुरूनानक देवजी के जीवन से जुड़ा हर एक घटनाक्रम हमें न सिर्फ शिक्षा प्रदान करता है बल्कि मनुष्य जीवन को बदलने में भी सक्षम है। नायडू बुधवार को सिखों के प्रथम गुरू के 550वें प्रकाशोत्सव पर पंजाब विधानसभा द्वारा आयोजित विशेष सत्र में बतौर मुख्यातिथि बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के मंदिर यानी प्रदेश विधानसभा में ऐसा आयोजन अपने-आप में किसी ऐतिहासिक घटना से कम नहीं क्योंकि श्रीगुरूनानक देवजी एक संत नहीं, बल्कि परमोत्कृष्ट कवि, रचनात्मक चिंतक, मानवतावादी, संपूर्ण गुरू भी थे जिन्होंने उलझे दार्शनिक संकल्पों को सरल भाषा में संचारित किया। इस अवसर पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि वर्तमान पीढ़ी के वे सभी लोग सौभाग्यशाली हैं जिन्हें गुरू नानक देवजी के 550वें प्रकाशोत्सव का गवाह बनने का अवसर मिल रहा है

सिद्धू ने विदेश मंत्रालय से दूसरी बार मांगी अनुमति

पेज 1 का बाकी

गलियारे के उद्घाटन समारोह में शामिल होने की अनुमति मांगी। विदेशमंत्री एस जयशंकर को लिखी ताजा चिट्ठी में सिद्धू ने कहा कि पाकिस्तान सरकार ने गलियारे के उद्घाटन समारोह में शामिल होने के लिए उन्हें आमंत्रित किया है। यह गलियारा पाकिस्तान के करतारपुर स्थित दरबार साहिब को भारत के पंजाब में गुरदासपुर के स्थित डेरा बाबा नानक गुरुद्वारे से जोड़ेगा। सिद्धू ने लिखा, 'निमंत्रण आया है और जिसकी प्रति पहले ही जमा की जा चुकी है। कार्यक्रम बहुत स्पष्ट है। मेरा विनम्र निवेदन है कि नौ नवंबर की सुबह साढ़े नौ बजे से पहले गलियारे के जरिए सीमा पार करने की अनुमति दी जाए, क्योंकि उद्घाटन समारोह के लिए सुबह 11 बजे का समय तय किया गया है।'

पुलिस प्रदर्शन अनुचित, जवानों को गिरफ्तार किया जाए : बीसीआइ

पेज 1 का बाकी

जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति के गठन की भी मांग की।

बीसीआइ अध्यक्ष मनन कुमार मिश्र ने जारी बयान में कहा कि इससे पहले बीसीआइ ने दिल्ली के बार संघों से अपनी हड़ताल खत्म करने को कहा था, लेकिन पुलिस के आचरण को देखने के बाद वह मामले में हाथ पर हाथ धरे बैठी नहीं रह सकती है। शीर्ष बार निकाय ने आरोप लगाया कि पुलिसकर्मी ड्यूटी से अनुपस्थित रहे, नारेबाजी की, गंदी भाषा का इस्तेमाल किया और खुलेआम वकीलों की पिटाई करने तक की धमकी दी। बीसीआइ ने कहा कि हम दोषी पुलिस अधिकारियों को एक हफ्ते के भीतर गिरफ्तार करने की मांग करते हैं। ऐसा नहीं करने पर इन लोगों की गिरफ्तारी और उनके खिलाफ उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग को लेकर हम लोग शांतिपूर्ण धरना देंगे। वकील समुदाय इस बाबत एकजुट है। बीसीआइ ने कहा कि पुलिसकर्मियों की यह मांग कि उन्हें जजों और यहां तक कि न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा से हटा लिया जाए।

नाबालिग लड़की के बलात्कार और हत्या के दोषी को उम्रकैद

ठाणे, 6 नवंबर (भाषा)।

महाराष्ट्र में 17 वर्षीय एक लड़की का बलात्कार करने और उसकी हत्या करने के जुर्म में राज्य की एक अदालत ने एक किसान को उम्रकैद की सजा सुनाई है। मामला वर्ष 2014 का है।

जिला न्यायाधीश एचएम पटवर्धन ने सोमवार को शंकर भोगडे को भारतीय दंड संहिता (आइपीसी) की धाराओं 376 (बलात्कार), 302 (हत्या), 201 (अपराध के सबूत मिटाने) और यौन अपराधों से बच्चों की सुरक्षा (पोक्सो) अधिनियम के संबंधित प्रावधानों के तहत दोषी करार दिया।

न्यायाधीश ने उस पर 5,500 रुपए का जुर्माना भी लगाया। अतिरिक्त लोक अभियोजक उज्ज्वल मोहोलकर ने अदालत को बताया कि ठाणे की जवाहर तालुक से आने वाला किसान शादीशुदा था, लेकिन उसका लड़की से भी संबंध था।

भोगडे ने लड़की का कई बार बलात्कार किया और वह गर्भवती हो गई। आरोपी ने उसे गर्भपात के लिए एक गोली खाने को दी। आरोपी ने 20 जुलाई 2014 को पीड़िता को जहर मिला पेय पदार्थ पीने को दिया और कहा कि उसने इसमें गर्भपात की गोली मिलाई है। वकील ने कहा कि पेय पदार्थ पीने के बाद लड़की बेहोश हो गई, जिसके बाद आरोपी ने उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी और शव को खिड़की की छड़ से फंदा लगाकर लटका दिया ताकि ऐसा प्रतीत हो कि यह आत्महत्या का मामला है।

आरोपी ने उसकी नोटबुक में एक फर्जी सुसाइड नोट भी रख दिया जिसमें किसी अन्य व्यक्ति पर आरोप लगाया गया था और यह कहा गया था कि वह जहर खाकर आत्महत्या कर रही है। हस्तलेखन विशेषज्ञ ने अदालत में यह साबित किया कि सुसाइड नोट फर्जी है और अपराध छिपाने के लिए आरोपी ने ही इसे लिखा था। न्यायाधीश ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने आरोपी के खिलाफ सभी आरोपों को साबित किया है और इसलिए उसे दंडित करना आवश्यक' है।

सामूहिक बलात्कार के दो दोषियों को 20-20 साल कैद

बहराइच (उप्र), 6 नवंबर (भाषा)। जनवरी 2016 में हुए सामूहिक बलात्कार के एक मामले में अदालत ने दो दोषियों को 20-20 साल कैद तथा जुर्माने की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष के सूत्रों ने बुधवार को यहां बताया कि एक जनवरी 2016 को खीरी से प्रशिक्षण लेकर लौट रही एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के साथ जिले के नौबना जंगल में दो युवकों ने सामूहिक बलात्कार किया था।

इण्डियन ओवरसीज बैंक
INDIAN OVERSEAS BANK

शाखाः रोहतक
गौर कॉलेज, गोकरण रोड, (1800)

[देखें नियम 8(1)] कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिये) [देखें नियम 8(1)]

जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत इंडियन ओवरसीज बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 1.7.2019 जारी कर ऋणधारकों/गारन्टरों को नीचे वर्णित तिथि को सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक, इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक/मार्टगैजरों /गारन्टरों तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि **आज, 5 नवम्बर**, 2019 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय आगे के ब्याज, लागत आदि के साथ नीचे वर्णित राशि के लिये इंडियन ओवरसीज बैंक, शाखाः गोकरण रोड, रोहतक के चार्ज के अधीन होगा।

ऋणधारक/गारन्टर का नाम एवं पता	अचल सम्पत्ति का विवरण	मांग सूचना के अनुसार बकाया राशि	मांग सूचना तिथि
ऋणधारकः मै. महला इंडस्ट्रीज प्रॉप्राईटर श्री सोमवीर सिंह, पुत्र श्री राजेन्दर सिंह गारन्टरः श्री मनोज कुमार, पुत्र श्री राजेन्दर सिंह (पताः मकान सं. 1450/1, संजय कॉलोनी, रोहतक-124001	पंजीकरण उप-जिला रोहतक तथा जिला रोहतक के भीतर संजय कॉलोनी, रोहतक, हरियाणा-124001 में स्थित सम्पत्ति आईडी. 4सी920यू168ए, मकान सं. 1450 तथा नया नं. 831/1 में शामिल सम्पत्ति का सभी भाग तथा हिस्सा। चौहद्दीः उत्तरः दूसरे का 44.6 फीट का प्लॉट, दक्षिणः कविता का 50.10 फीट का प्लॉट, पूर्वः 35 फीट गली 20 फीट चौड़ी, पश्चिमः दूसरे का 38 फीट प्लॉट। कुल विस्तार माप 93.00 वर्ग यार्ड्स।	1411100.94/- (रुपये चौदह लाख ग्यारह हजार एक सौ एवं पैसे चौरानवे मात्र)	1.7.2019 कब्जा की तिथि 5.11.2019

तिथिः 7.11.2019, स्थानः रोहतक

प्राधिकृत अधिकारीः इंडियन ओवरसीज बैंक

जीई टीएंडडी इंडिया लिमिटेड
भारत के ऊर्जा पारगमन को सक्षम बनाते हैं

मुख्य उपलब्धियां

- केरल राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड से केरल के विजिंझम और इत्तुमनूर में 220 केवी गैस इंसुलेटेड सबस्टेशन (जीआईएस)।
- पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड से पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों रामनगर, मनबाजार और बिरलापुर में 132/33 केवी गैस इंसुलेटेड सबस्टेशन (जीआईएस)। इस आदेश के तहत हुरंडा, सिराकोल और सिंघु क्षेत्रों में तीन मौजूदा सबस्टेशनों का विस्तार भी शामिल है, जिनमें से प्रत्येक में दो खाड़ियां हैं।
- हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कार्पोरेशन लिमिटेड से हेलिंग, बम्बा पर 220/33 केवी गैस इंसुलेटेड सबस्टेशन (जीआईएस)।
- समिट गुप, बांग्लादेश के लिए जनरल इलेक्ट्रिक (स्विट्जरलैंड) जीएमबीएच से 400 केवी स्विचयार्ड और ट्रांसफार्मर पैकेज।

चालू की गई मुख्य परियोजनाएं

- पावर ग्रिड सदर्न इंटरकनेक्टर ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड (पीएसआईटीएसएल) के लिए चिलाकलूरीपेटा, आंध्र प्रदेश पर 765 केवी के 12 खाड़ी, 400 केवी के 6 खाड़ी, 33 केवी के 2 खाड़ी एयर इंसुलेटेड सबस्टेशन्स (एआईएस)
- पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के लिए भाडला और बीकानेर में 765 केवी के 18 खाड़ी एयर इंसुलेटेड सबस्टेशन (एआईएस) लगाया गया।
- पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, भिवानी (हरियाणा) के लिए भिवानी (हरियाणा) और गया (बिहार) में 400 केवी के 8 खाड़ी एयर इंसुलेटेड सबस्टेशन (एआईएस) लगाया गया।
- एब्बोर पावर के लिए 50 मेगावाट भाडला साईट में लगाया गया।
- भूटान पावर कार्पोरेशन (बीपीसी), डेचेनचोलिंग, थिम्फू (भूटान) के लिए 66 केवी एयर इंसुलेटेड सबस्टेशन्स (एआईएस) लाईन के विस्तार को पूरा किया।

30 सितम्बर 2019 को समाप्त तिमाही और छमाही के लिए अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का सारांश

₹ मिलियन, प्रति शेयर डाटा छोड़कर

क्र. संख्या	विवरण	समाप्त तिमाही		समाप्त छमाही	समाप्त वर्ष
		30.09.2019 (अलेखापरीक्षित)	30.09.2018 (अलेखापरीक्षित)	30.09.2019 (लेखापरीक्षित)	31.03.2019 लेखापरीक्षित
1.	कुल आय	8,321.3	10,170.8	15,676.3	42,771.2
2.	अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (कर, अपवादात्मक और/या असाधारण मदों से पूर्व)	(236.6)	801.3	(176.2)	3,345.7
3.	कर पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (अपवादात्मक और/या असाधारण मदों से बाद)	(772.2)	801.3	(711.8)	3,345.7
4.	कर के बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (अपवादात्मक और/या असाधारण मदों से बाद)	(810.8)	514.8	(777.1)	2,126.7
5.	अवधि के लिए कुल व्यापक आय [अवधि (कर पश्चात) और अन्य व्यापक आय (कर पश्चात) के लिए लाभ हानि मिलाकर]	(814.1)	523.2	(782.9)	2,116.5
6.	इक्विटी शेयर पूंजी	512.1	512.1	512.1	512.1
7.	अवधि के लिए मूल और तनुकृत ईपीएस (प्रत्येक रु 2 का अंकित मूल्य) (रुपयों में)	(3.1)	2.0	(3.0)	8.3

टिप्पणी :-

क) उपर्युक्त, सेबी (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षा) विनियम, 2015 के विनियम 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंज में 30 सितम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही के लिए प्रस्तुत किए वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रपत्र का उद्धरण है। अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रपत्र कंपनी की वेबसाइट www.ge.com/in/ge-td-india-limited तथा स्टाक एक्सचेंज की वेबसाइट www.bseindia.com और www.nseindia.com पर उपलब्ध है।

ख) उपर्युक्त अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों की लेखापरीक्षा समिति द्वारा समीक्षा की गई है तथा उसे दिनांक 5 नवम्बर, 2019 को आयोजित निदेशक मंडल की बैठक में अनुमोदित किया गया। 30 सितम्बर 2019 को समाप्त तिमाही एवं छमाही के लिए अलेखापरीक्षित परिणाम कंपनी के वैधानिक लेखापरीक्षकों द्वारा ऑडिट किया जा चुका है।

जीई टीएंडडी इंडिया लिमिटेड के लिए
(विशाल के बाबु)
चेयरमेन
डीआईएन: 02776467

स्थान : नोएडा
दिनांक: नवम्बर 05, 2019

CIN - L31102DL1957PLC193993
पंजीकृत कार्यालय: ए-18, प्रथम तल, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेस-2, नई दिल्ली-110020
फोन नं: 91 11 41610860, फैक्स नं: 91 11 41610659, वेबसाईट: www.ge.com/in/ge-td-india-limited

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
Central Bank of India

1911 से आपके लिए "सेन्ट्रल" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

शाखा कार्यालयः 57, 58, 59, कृष्णा मार्केट, कालकाजी, नई दिल्ली-110019

कब्जा सूचना
(प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 के नियम 8(1) के तहत)

जबकि वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 (2002 का अधिनियम सं. 54) के अंतर्गत **सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कालकाजी, नई दिल्ली शाखा** का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 एवं 9 के साथ पढ़े जाने वाले अनुच्छेद 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना, दिनांक **16/07/2019** जारी की थी, जिसके द्वारा **कर्जदारः हम्टी डम्टी एण्टरप्राईजेज़ (श्रीमती अंजू चावला (पार्टनर) श्रीमती रूपाली वर्मा (पार्टनर) एवं श्री यश चावला (पार्टनर)**, को सूचना में उल्लिखित राशि **रु.52,83,831/- (बावन लाख तिरासी हजार आठ सौ इकत्तीस रूपये मात्र)** उक्त सूचना की प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर अर्जित ब्याज के साथ-साथ आगे ब्याज एवं लागत के साथ आपको दी गई विभिन्न क्रेडिट सुविधाओं के सम्बन्ध में। **कर्जदार** के इस राशि को चुकाने में असफल रहने के कारण, **कर्जदार, गारंटर** तथा आम जनता को एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 एवं 9 के साथ पढ़े जाने वाले कथित अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए नीचे वर्णित **सम्पत्ति का कब्जा दिनांक 02.11.2019** को ले लिया है। **कर्जदार एवं गारंटर** को विशेष तौर पर तथा आम जनता को सामान्य तौर पर एतदद्वारा सावधान किया जाता है कि वे सम्पत्ति के साथ किसी प्रकार का लेन-देन न करें और सम्पत्ति का कोई भी लेनदेन **रु.52,83,831/- (बावन लाख तिरासी हजार आठ सौ इकत्तीस रूपये मात्र) आगे ब्याज, व्यय एवं अन्य शुल्कों के साथ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कालकाजी, नई दिल्ली शाखा** के प्रभार के भुगतान के अधीन होगा।

ऋणियों का ध्यान सुरक्षित सम्पत्ति को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम के अनुच्छेद (13) के उप-अनुच्छेद (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

श्रीमती अन्जू चावला पत्नी यश चावला के नाम पर भूतल का हिस्सा सास्मिक बंधक स्टिल्ट पार्किंग प्लॉट नं.4092, ब्लॉक-आई, एक्सटेंशन-2, सेक्टर-49, सैनिक कालोनी, फरीदाबाद। परिमाप 323 वर्ग गज़।

जो घिरा है: उत्तरः अन्य सम्पत्ति दक्षिणः रोड एवं सम्पत्ति सं.4066
पूर्वः सम्पत्ति सं.4093 पश्चिमः सम्पत्ति सं.4091

स्थानः फरीदाबाद **प्राधिकृत अधिकारी**
तिथिः 02.11.2019 **सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया**

कॉटिनेंटल सिक्योरिटिज लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः फ्लैट नं. 301, मेट्रो प्लाजा, परिवहन मार्ग, जयपुर-302001 (राजस्थान), फोन : 0141-2943037, 9414077226
CIN : L67120RJ1990PLC005371, ई: मेल: continentalsecuritieslimited@gmail.com, वेबसाईट : www.continentalsecuritiesltd.com

30 सितम्बर 2019 को समाप्त तिमाही/ अर्द्धवार्षिक वर्ष के लिए गैर अंकेक्षित वित्तीय परिणामों के विवरणों का सार (रु. लाखों में)

विवरण	समाप्त तिमाही	पूववर्ती समाप्त तिमाही	गतवर्ष के अंत मे समाप्त तिमाही	गत वर्ष समाप्ती
	30.09.2019	30.06.2019	30.09.2018	31.03.2019
	गैर अंकेक्षित	गैर अंकेक्षित	गैर अंकेक्षित	अंकेक्षित
परिचालनों से कुल आय (शुद्ध)	13.30	14.89	15.10	41.26
कर के बाद शुद्ध लाभ/(हानि) (कर, असाधारण और/या असाधारण वस्तुओं से पहले)	7.05	5.67	6.21	8.84
कर के पहले शुद्ध लाभ/(हानि) (असाधारण और/या असाधारण वस्तुओं के पहले)	7.05	5.67	6.21	8.84
कर के बाद शुद्ध लाभ/(हानि) (असाधारण और/या असाधारण वस्तुओं के बाद)	5.29	4.25	4.66	6.45
अवधि के लिए कुल व्यापक आय एवं अन्य व्यापक आय (कर के बाद) के लिए लाभ/हानि	5.29	4.25	4.66	6.45
समता अंश पूंजी	325.06	325.06	325.06	325.06
रिज़र्व (पूर्व लेखा वर्ष के तुलन पत्र के अनुसार पुनर्मूल्यांकन रिजर्व के अतिरिक्त)				45.91
आय प्रति शेयर (रु. 10/- प्रति का)				
मूल	0.16	0.13	0.143	0.20
तरल				

टिप्पणी : उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीयन तथा अन्य उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंज के पास दाखिल की गई समाप्त तिमाही के वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सार है। 30 सितम्बर 2019 को समाप्त तिमाही/ अर्द्धवार्षिक वर्ष के गैर अंकेक्षित वित्तीय परिणामों का संपूर्ण प्रारूप बाम्बे स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाईट (www.bseindia.com) और कंपनी की वेबसाईट (www.continentalsecuritiesltd.com) पर उपलब्ध है।

कृते कॉटिनेंटल सिक्योरिटिज लिमिटेड
ह.
राजेश खुंटेटा
(प्रबन्ध निदेशक)
DIN: 00167672

स्थान : जयपुर
दिनांक : 06 नवम्बर, 2019

FRONTIER INFORMATICS LIMITED

Registered Office: Plot Nos. 31 (part) & 32, 3rd Floor, Tower-A, Ramky Selenium
Financial District Nanakramguda, Hyderabad - 500 032, Telangana, India. **Tel:** +040-23007456;
Email: frontier@fitlindia.com; **Website:** www.fitlindia.com;
CORPORATE INDENTITY NUMBER: L72200TG1986PLC006644

Recommendations of the Committee of Independent Directors (**"IDC"**) of Frontier Informatics Limited (**"Target Company"**) in relation to the open offer ("Offer") made by Ramarao Atchuta Mullapudi (**"Acquirer"**) together with Harika Vardhani Mullapudi (**"Person Acting in Concert"** or **"PAC"**), to the public shareholders of the Target Company (**"Shareholders"**) under Regulation 3(2) of SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011, as amended (**"SEBI (SAST) Regulations"**).

Date	Wednesday, November 06, 2019
Name of the Target Company	Frontier Informatics Limited
Details of the Offer pertaining to Target Company	The Offer is being made by the Acquirer together with PAC in terms of Regulation 3(2) of the SEBI (SAST) Regulations for acquisition of upto 2,46,88,352 (Two crore forty six lacs eighty eight thousand three hundred fifty two) fully paid-up equity shares of face value of ₹ 1 each ('Equity Shares'), representing upto 26% of the Total Emerging Voting Share Capital of the Target Company from the eligible Shareholders of the Target Company for cash at a price of ₹ 3.50 per Equity Share (the 'Offer').
Name of the acquirer and PAC with the acquirer	**Acquirer-** Ramarao Atchuta Mullapudi **PAC -** Harika Vardhani Mullapudi
Name of the Manager to the offer	**Saffron Capital Advisors Private Limited** 805, Sixth Floor, Centre Point, J .B. Nagar, Andheri (East) Mumbai - 400 059, Maharashtra, India **Tel No:** +91 22 4082 0906, **Fax No:** +91 22 4082 0999; **Email:** openoffers@saffronadvisor.com **Website:** www.saffronadvisor.com **Investor grievance:** investorgrievance@saffronadvisor.com **SEBI Registration Number:** INM 000011211 **SEBI Registration Validity:** Permanent **Contact Person:** Varsha Gandhi
Members of the Committee of Independent Directors (IDC)	**1. Sreenivasa Rao Potti** Chairman of IDC Independent Director DIN: 05119348 **2. China S N Murthy Anupindi** Member of IDC Independent Director DIN: 05149921 **3. Kolla Sudha** Member of IDC Independent Director DIN: 06603646
IDC Member's relationship with the Target Company (Director, Equity shares owned, any other contract / relationship), if any	All the members of the IDC are directors of the Target Company. Except for being Directors of the Target Company, they have no other relationship with the Target Company.
Trading in the Equity shares/other securities of the Target Company by IDC Members	None of the IDC Members have traded in the Equity Shares of Target Company during 12 months prior to the date of the Public Announcement of the Offer on September 05, 2019.
IDC Member's relationship with the acquirer (Director, Equity shares owned, any other contract / relationship), if any.	None of the IDC Members holds any contracts, nor have any relationship with the Acquirer and PAC.
Trading in the Equity shares/other securities of the acquirer by IDC Members	Not Applicable, since Acquirer and PAC are individuals.
Recommendation on the Open offer, as to whether the offer , is or is not, fair and reasonable	Based on the review, IDC Members believe that the Offer is fair and reasonable and in line with the SEBI (SAST) Regulations.
Summary of reasons for recommendation	IDC Members have reviewed: a) Public Announcement ("PA") dated September 05, 2019 b) Detailed Public Statement ("DPS") published on September 13, 2019 c) Draft Letter of Offer ("DLOF") dated September 19, 2019 d) SEBI observation letter dated October 25, 2019 e) Letter of Offer ("LOF") dated November 02, 2019 Based on review of the above documents the members of the IDC are of the view that the Offer price is in line with the parameters prescribed by SEBI in the SEBI (SAST) Regulations.
Details of Independent Advisors, if any.	None
Any other matter to be highlighted	None

To the best of our knowledge and belief, after making proper enquiry, the information contained in or accompanying this statement is, in all material respect, true and correct and not misleading, whether by omission of any information or otherwise, and includes all the information required to be disclosed by the Target Company under the SEBI (SAST) Regulations.

For and on behalf of the Committee of Independent Directors of
Frontier Informatics Limited
Sreenivasa Rao Potti
Chairman of IDC

Place: Hyderabad, Telangana, India
Date: November 06, 2019

बैंक ऑफ़ इंडिया
Bank of India

गाजियाबाद शाखा
50-60, जी.टी. रोड, गाजियाबाद (उ.प्र.)-201001

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिये) [(देखें नियम 8 (1)]

जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन (अधिनियम), 2002 (2002 के 54) के अंतर्गत बैंक ऑफ इंडिया के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के (नियम 3) के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 29.7.2019 जारी कर ऋणधारक- मै. गोयल एण्टरप्राईजेज (प्रॉप. श्री अम्बुज गोयल) एवं श्री अम्बुज गोयल (प्रॉप. मै. गोयल एण्टरप्राईजेज) 394/5, नेहरू नगर, गढ़ रोड, मेरठ (उ.प्र.) तथा गारंटरों श्रीमती स्वाती गोयल, पत्नी श्री अम्बुज गोयल, एच. नं. 294/5, गली नं. 05, परवेश विहार कॉलोनी, शास्त्री नगर, मेरठ (उ.प्र.)-250004, श्रीमती गिरीश कुमारी, पत्नी श्री राजेन्दर कुमार गोयल, एच नं. 394/5, नेहरू नगर, गढ़ रोड, मेरठ (उ.प्र.)-250001 एवं मोहम्मद वसी, पुत्र श्री अल्लाउद्दीन, मकान सं. 93, हजीरपुर, मेरठ, (उ.प्र.)-250001 को सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि 29.7.2019 को रु. 4,80,18,580.30 (रुपये चार करोड़ अस्सी लाख अठारह हजार पांच सौ अस्सी एवं पैसे तीस मात्र) तथा आगे का ब्याज, लागत, खर्चे तथा अन्य अनुषांगिक चार्जेज वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक/गारन्टर इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक/गारन्टरों तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज, 2 नवम्बर, 2019 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय 29.7.2019 को रु. 4,80,18,580.30 (रुपये चार करोड़ अस्सी लाख अठारह हजार पांच सौ अस्सी एवं पैसे तीस मात्र) तथा आगे का ब्याज, लागत, खर्चे तथा अन्य अनुषांगिक चार्जेज के लिये बैंक ऑफ इडिया, गाजियाबाद शाखा, 59-60, जी.टी. रोड, गाजियाबाद (उ.प्र.)-201001 के चार्ज के अधीन होगा।

[ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।]

अचल सम्पत्तियों का विवरण

1. श्री अम्बुज गोयल (ऋणधारक) के नाम में मिनजुमला खसरा नं. 5829, पंचशील कॉलोनी, गली नं.-05 में स्थित एच.नं. 241/5, माप 39.30 वर्ग मी. में इक्विटैबली गिरवी रखी गई आवासीय सम्पत्ति का सभी भाग तथा हिस्सा। चौहद्दीः पूर्वः श्री सुनील गोयल एवं श्री अत्तू गोयल का मकान, पश्चिमः श्री लोकेश एवं श्री अनिल का मकान, उत्तरः श्री सुखवीर सिंह पुण्डीर का मकान, दक्षिणः 16 फीट चौड़ा रास्ता।
2. श्रीमती स्वाती गोयल (गारन्टर) के नाम में ग्राम खड़ौली, एनएच-58, दिल्ली-रुड़की बाई पास रोड, परगणा, तहसील एवं जिला मेरठ में मिन जुमला खसरा नं. 543/2 में बाउण्ड्री वाल के साथ भूमि का प्लाट माप 50.16 वर्ग मी. में इक्विटैबली गिरवी रखी गई आवासीय सम्पत्ति का सभी भाग तथा हिस्सा। चौहद्दीः पूर्वः 18 फीट रास्ता, पश्चिमः श्रीमती स्वाती गुप्ता का प्लॉट, उत्तरः 20 फीट रास्ता, दक्षिणः अम्बुज गोयल का प्लॉट
3. श्री अम्बुज गोयल (ऋणधारक) के नाम में ग्राम खड़ौली, एनएच-58, दिल्ली-रुड़की बाई पास रोड, परगणा, तहसील एवं जिला मेरठ (उ.प्र.) में मिनजुमला खसरा नं. 543/2 में शामिल बाउण्ड्री वाल के साथ आवासीय प्लॉट माप 50.16 वर्ग मी. में इक्विटैबली गिरवी रखी गई आवासीय सम्पत्ति का सभी भाग तथा हिस्सा। चौहद्दीः पूर्वः 18' चौड़ा रास्ता, पश्चिमः श्री अम्बुज गोयल का प्लॉट, उत्तरः श्रीमती स्वाती गोयल का प्लॉट, दक्षिणः अन्य प्लॉट।
4. श्रीमती स्वाती गोयल (गारन्टर) के नाम में ग्राम खड़ौली, एनएच-58, दिल्ली-रुड़की बाई पास रोड, परगणा, तहसील एवं जिला मेरठ (उ.प्र.) में मिन जुमला खसरा नं. 543/2 में बाउण्ड्री वाल के साथ भूमि का प्लाट, माप 70.60 वर्ग मीटर में इक्विटैबली गिरवी रखी गई आवासीय सम्पत्ति का सभी भाग तथा हिस्सा। चौहद्दीः पूर्वः श्रीमती स्वाती गोयल का प्लॉट, पश्चिमः 33 फीट चौड़ा रास्ता, उत्तरः 20 फीट चौड़ा रास्ता, दक्षिणः श्री अम्बुज गोयल की शेष सम्पत्ति।
5. मोह. वसी (गारन्टर), पुत्र श्री अलाउद्दीन के नाम में खसरा नं. 139, भवानी कोल्ड स्टोरेज के निकट, ग्राम-शकरपुर, हापुड रोड, परगणा, तहसील एवं जिला मेरठ (उ.प्र.) में स्थित भूमि का आवासीय प्लॉट माप 604.17 वर्ग फीट में इक्विटैबली गिरवी रखी गई आवासीय सम्पत्ति का सभी भाग तथा हिस्सा। चौहद्दीः पूर्वः श्री सिब्बन की कृषि भूमि, पश्चिमः श्री वसी की कृषि भूमि, उत्तरः हापुड रोड, दक्षिणः अमील ग्राम उद्योग संस्थान हाजीपुर का प्लॉट
6. श्री अम्बुज गोयल (ऋणधारक) के नाम में खसरा नं. 51 एवं 53 आ, परवेश विहार कॉलोनी राजस्व ग्राम काजीपुर, परगणा तहसील एवं जिला मेरठ (उ.प्र.) में स्थित भूमि का प्लॉट नं. 7-बी, माप 134.61 वर्ग मी. में इक्विटैबली गिरवी रखी गई आवासीय सम्पत्ति का सभी भाग तथा हिस्सा। चौहद्दीः पूर्वः प्लॉट नं. 6, पश्चिमः प्लॉट नं. 7ए, उत्तरः 30 फीट चौड़ा रास्ता, दक्षिणः प्लॉट नं. 10
7. श्री अम्बुज गोयल (ऋणधारक) के नाम में ग्राम खड़ौली, एनएच-58, दिल्ली-रुड़की बाई पास रोड, परगणा, तहसील एवं जिला मेरठ में स्थित मिनजुमला खसरा नं. 543/2 में शामिल बाउण्ड्री वाल के साथ आवासीय प्लॉट माप 70.60 वर्ग मी. में इक्विटैबली गिरवी रखी गई आवासीय सम्पत्ति का सभी भाग तथा हिस्सा। चौहद्दीः पूर्वः श्री अम्बुज गोयल का प्लॉट, पश्चिमः 33 फीट चौड़ा रास्ता, उत्तरः श्रीमती स्वाती गोयल का प्लॉट, दक्षिणः अन्य प्लॉट
8. श्रीमती स्वाती गोयल (गारन्टर) के नाम में ग्राम दातावली गेसुपुर, गढ़ रोड, मेरठ, माप 89.19 वर्ग मी., मिनजुमला खसरा नं. 1255 में स्थित फ्लैट नं. 205, 3रा तल, टावर-बी, गोकुल धाम कॉलोनी में इक्विटैबली गिरवी रखी गई आवासीय सम्पत्ति का सभी भाग तथा हिस्सा। चौहद्दीः पूर्वः बॉल्कॉनी जिसके बाद खुला, पश्चिमः कॉमन पैसेज, सीढ़ी, लिफ्ट, उत्तरः फ्लैट नं. 206, दक्षिणः खुला।
9. श्रीमती स्वाती गुप्ता (गारन्टर) के नाम में ग्राम दातावली, गेसुपुर, परगणा, तहसील एवं जिला मेरठ में इक्विटैबली मार्टगैज्ड व्यावसायिक सम्पत्ति माप 205 वर्ग मी. खसरा नं. 8 का सभी भाग तथा हिस्सा। चौहद्दीः पूर्वः 20 फीट चौड़ा रास्ता, पश्चिमः 20 फीट चौड़ा रास्ता, उत्तरः श्री हरवंस लाल का मकान, दक्षिणः श्री अम्बुज गोयल की फैक्ट्री।
10. श्रीमती गिरीश कुमारी, पत्नी श्री राजेन्दर कुमार गोयल के नाम में नेहरू नगर, गढ़ रोड, मेरठ सिटी में स्थित इक्विटैबली मार्टगैज्ड आवासीय सम्पत्ति एच. नं. 358/5, माप 99 वर्ग मी. मिनजुमला खसरा नं. 5765 (वर्तमान सं. 5765/1) का सभी भाग तथा हिस्सा। चौहद्दीः पूर्वः श्री गजेन्द्र यादव का मकान, पश्चिमः 20 फीट चौड़ा रास्ता, उत्तरः 16 फीट चौड़ा रास्ता, दक्षिणः श्री सूर्यकान्त शर्मा का मकान
11. श्री अम्बुज गोयल (ऋणधारक) के नाम में मिनजुमला खसरा नं. 1255, राजस्व ग्राम दातावली गेसुपुर, जिला मेरठ में गोकुल धाम कॉलोनी में स्थित इक्विटैबली मार्टगैज आवासीय सम्पत्ति फ्लैट नं. 101, 2रा तल, टावर नं.-बी, क्षेत्रफल माप 89.19 वर्ग मी. का सभी भाग तथा हिस्सा। चौहद्दीः पूर्वः कॉमन पैसेज, कॉमन लिफ्ट, पश्चिमः बॉल्कॉनी जिसके बाद खुला, उत्तरः फ्लैट नं. 102, दक्षिणः बॉल्कॉनी जिसके बाद खुला
12. श्री अम्बुज गोयल (ऋणधारक) के नाम में सेक्टर-3, माधवपुरम, दिल्ली रोड, मेरठ में स्थित एच. नं. 3 ई-750, माप 59.46 वर्ग मी. में इक्विटैबली मार्टगैज्ड आवासीय सम्पत्ति का सभी भाग तथा हिस्सा। चौहद्दीः पूर्वः रोड, पश्चिमः प्लॉट नं. 3 ई-270, उत्त

मुंबई में महिलाओं के लिए 37 तेजस्विनी बसें चलाएगी 'बेस्ट'

मुंबई, 6 नवंबर (भाषा)।

महिला यात्रियों के लिए आरामदेह और सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए बेस्ट अपने बेड़े में 37 तेजस्विनी बसों को शामिल करेगी और इन्हें शहर तथा उपनगरों में प्रमुख मार्गों पर चलाएगी। एक वरिष्ठ अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

बृहन्मुंबई विद्युत आपूर्ति एवं परिवहन (बेस्ट) पहले ही प्रमुख मार्गों पर महिलाओं के लिए कुछ विशेष बसें चला रही है, जिनमें से एक छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल और नेशनल सेंटर फॉर द परफॉर्मिंग आर्ट्स के बीच चलने वाली डबल डेकर बस है। उन्होंने कहा, 'हम इस महीने के अंत तक 37 तेजस्विनी बसें खरीदेंगे और एक बार जब हमें ये मिल जाएंगी तो हम उन्हें खासतौर से महिला यात्रियों के लिए चलाएंगे।' उन्होंने बताया कि शुरुआत में 35 सीटों वाली ये नॉन-एसी डीजल बसें सुबह और शाम में व्यस्त समय के दौरान चलेंगी।

'बेस्ट' के उप जनसंपर्क अधिकारी मनोज वराडे ने कहा, 'महिला कार्यबल में वृद्धि और बसों में यात्रा करने वाली छात्राओं की बढ़ती संख्या पर विचार करते हुए, हमने महिलाओं के लिए और विशेष बसें चलाने का फैसला किया है।'

उन्होंने बताया कि तेजस्विनी बसें उन मार्गों पर चलेंगी जहां महिला यात्रियों की संख्या में वृद्धि देखी गई है। इस साल जुलाई में किराया घटाने के बाद परिवहन निकाय ने यात्रियों की संख्या में वृद्धि देखी जो इस साल मई में प्रतिदिन 27 लाख यात्रियों से बढ़कर 33 लाख पर पहुंच गई।

शिवसेना के स्थानीय नेता पर बलात्कार की कोशिश का आरोप, मुकदमा दर्ज

बागपत, 6 नवंबर (भाषा)।

स्थानीय शिवसेना नेता के खिलाफ गांव की एक महिला ने कथित रूप से बलात्कार के प्रयास का आरोप लगाते हुए तहरीर दी है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर घटना की जांच शुरु कर दी है।

मीडिया रिपोर्ट में पंडित को शिवसेना का जिला प्रमुख बताया गया है और शिवसेना के जिला महासचिव मुकेश कुमार ने भी इसकी पुष्टि की है। कोतवाली प्रभारी अरविंद कुमार सिंह ने बुधवार को बताया कि कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की 23 वर्षीय महिला ने आरोप लगाया कि सोमवार रात नौ बजे कुलदीप पंडित ने उसके पति की अनुपस्थिति में कथित रूप से उसके घर में घुसकर बलात्कार करने का प्रयास किया। उन्होंने बताया कि शोर मचाने पर लोग आ गए, तो कुलदीप फरार हो गया। थाना प्रभारी के अनुसार तहरीर के आधार पर कुलदीप पंडित के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पीड़ित महिला का मेडिकल परीक्षण कराया गया है और अदालत में बयान दर्ज कराए गए हैं।

भाजपा नेता ने कहा, प्रदूषण के पीछे पाकिस्तान का हाथ

मेरठ, 6 नवंबर (भाषा)।

भाजपा के व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक विनीत अग्रवाल शारदा ने दिल्ली-एनसीआर में फैले वायु प्रदूषण के पीछे पाकिस्तान का हाथ होने का दावा करते हुए कहा कि यह जहरीली हवा पाड़ोसी पाकिस्तान की ओर से छोड़ी जा रही हो, जो हमसे घबराया हुआ है। हर बार युद्ध में पड़ोसी देश को मुंह की खानी पड़ी है।'

G. K. CONSULTANTS LIMITED
Regd. Office: 302, G. K. House, 187-A, Sant Nagar, East of Kailash, New Delhi-110 065
Tel : +91-11-26489431
Fax : +91-11-26489299
Web: www.gkconsultantsltd.com
CIN : L74140DL1988PLC034109

NOTICE

In terms of provisions of Regulation 47(1)(a) in read with Regulation 29(1)(a) of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Notice is hereby given that the meeting of the Board of Directors of the Company will be held on **Thursday, the 14th November, 2019 at 3.30 P.M.** at the Registered Office of the Company to consider and to take on record the Quarterly Unaudited Financial Results as on 30th September, 2019 pursuant to the Regulation 33 of LODR Regulations.

By order of the Board
G. K. CONSULTANTS LIMITED
Sd/-
CS. Shilpa Verma
Place : New Delhi **Company Secretary**
Date : 06.11.2019 FCS: 10105

दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार कार्यकारी अभियंता का कार्यालय, सी-10 इन्द्रलोक, दिल्ली-110035 **ई-निविदा आमंत्रण सूचना** दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड की ओर से कार्यपालक अभियंता, सी-10, डी.यू.एस.आई.बी., इन्द्रलोक, दिल्ली-110035 निम्नलिखित कार्यों के लिए दो निविदा प्रणाली में प्रतिशत दर निविदा (ऑनलाइन) आमंत्रित/पुनः आमंत्रित करते हैं: (1) एनआईटी संख्याः 95/EEC-10/DUSIB/2019-20 Tender No. 2019_DUSIB_183234_1, कार्य का नामः एम.एल.ए. एल.ए.डी. फंड उप शीर्षः विधान सभा क्षेत्र-23 (करोल बाग) के अशोका पहाड़ी, फैज रोड में मकान संख्या टी-2313 से टी-2086 तक में सीमेन्ट कंक्रीट की गलियां एवं बरसाती पानी का निकास अनुमानित लागतः Rs. 33,78,291.00, धरोहर राशिः Rs. 68,000.00, निविदा मूल्यः Rs. 500.00, कार्य अवधिः 180 Days, (2) एनआईटी संख्याः 96/EEC-10/DUSIB/2019-20 Tender No. 2019_DUSIB_183236_1, कार्य का नामः एम.एल.ए. एल.ए.डी. फंड उप शीर्षः विधान सभा क्षेत्र-23 (करोल बाग) के गली संगतराशान में मेन बाजार रोड से संगतराशान चौक (फ्रूट जूस शॉप) की उप सड़क का पुनर्निर्माण, सीमेन्ट कंक्रीट की गलियां एवं नालियों की मरम्मत व बरसाती पानी का निकास अनुमानित लागतः Rs. 39,45,272.00, धरोहर राशिः Rs. 80,500.00, निविदा मूल्यः Rs. 500.00, कार्य अवधिः 180 Days, (3) एनआईटी संख्याः 97/EEC-10/DUSIB/2019-20 Tender No. 2019_DUSIB_183237_1, कार्य का नामः भुगतान व उपयोग (जन सुविधा परिसर) उप शीर्षः विधान सभा क्षेत्र-22 बल्लीमारान के बस्ती जुलाहान, ईदगाह रोड में 58 सीटर पुरुष जन सुविधा परिसर का उन्नतिकरण अनुमानित लागतः Rs. 30,23,813.00, धरोहर राशिः Rs. 60,550.00, निविदा मूल्यः Rs. 500.00, कार्य अवधिः 180 Days * निविदा प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि व समयः 14.11.2019 के 15.00 बजे तक * निविदा खोलने की तिथिः 14.11.2019 के 15.30 बजे के बाद निविदा प्रपत्र एवं अन्य विवरण वेबसाईट **https://eprocurement.delhi.gov.in** से प्राप्त किया जा सकता है। ** सभी इच्छुक निविदादाताओं से अनुरोध है कि वह उक्त निविदा से संबंधित किसी भी अद्यतन/ सुधार के लिए नियमित रूप से उपरोक्त साइट का अवलोकन करते रहें, अद्यतन/सुधार प्रेस में विज्ञापित नहीं किया जाएगा। हस्ता./- कार्यकारी अभियन्ता सी-10, डी.यू.एस.आई.बी. **DIP/Shabdarth/0949/19-20**

मेगा निर्माण इण्डस्ट्रीज लिमिटेड
सीआईएन : L70101DL1983PLC015425
पंजीकृत कार्यालय : ए-6/343बी, प्रथम तल, पश्चिम विहार, नई दिल्ली-110063
ई-मेल: secretarial.mnil@gmail.com
वेबसाइट : www.mnil.in,
दूरभाष : 011-49879687

शुद्धिपत्र

इस समाचार पत्र के पृष्ठ सं. 15 पर 6 नवम्बर, 2019 को प्रकाशित बोर्ड की बैठक के परिवर्तन में स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट को www.msei.in के स्थान पर www.bseindia.com पढ़ा जाए। असुविधा के लिए अत्यन्त खेद है।

कोटिया एंटरप्राइजेज लिमिटेड
CIN: L74110DL1980PLC010878
पंजी. कार्या.: 805, न्यू दिल्ली हाउस, 27, बाराखंभा रोड, नई दिल्ली- 110001
फोन:- 91-11-40045955
ईमेल: compliance@kotiaenterprises.com
वेबसाइट: www.kotiaenterprises.com

बोर्ड बैठक की सूचना

सेबी (सूचीयन अनिवार्यताएँ एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियमावली, 2015 के विनियम 29(1) (ए) एवं 47(1)(ए) एवं 33 के अनुसरण में, एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि, मैसर्स कोटिया एंटरप्राइजेज लिमिटेड के निदेशक मंडल की बैठक गुरुवार, 14 नवम्बर, 2019 को कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में आयोजित की जाएगी जिसमें 30 सितम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही और छमाही के लिए स्टैंडअलोन अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार तथा अनुमोदन करना है।

सेबी (आंतरिक व्यापार का निषेध) विनियम, 2015 के अनुसार, कंपनी की प्रतिभूतियों में व्यापार के लिए आंतरिक द्वारा कम्पनी की प्रतिभूतियों से निपटने के लिए ट्रेडिंग विन्डो 07 नवम्बर, 2019 से प्रभावी रूप से बंद कर दिया गया है और 16 नवम्बर 2019 तक बंद रहेगा।

कृते **कोटिया एंटरप्राइजेज लिमिटेड**
हस्ता./-
अंकित अग्रवाल
स्थान: नई दिल्ली प्रबंध निदेशक
तिथि: 06.11.2019 DIN: 05254327

नेटवर्क लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय: W-39, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-II, नई दिल्ली-110020
ई-मेल आईडी: network.limited@gmail.com
वेबसाइट: www.networklimited.net,
फोन नं.: 011-41067060
CIN: L32209DL1989PLC034797

सूचना

सेबी (सूचीबद्ध प्रतिभूतियां एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) अधिनियम, 2015 के अधिनियम 29 के अनुसार एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि 30 सितंबर, 2019 को समाप्त तिमही और छमाही के लिए अन्य बातों के साथ अनअंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार करने, मंजूरी लेने और रिकॉर्ड पर लेने के लिए बुधवार, 13 नवंबर, 2019 को प्रातः 12:00 बजे आयोजित होगी।

कृते नेटवर्क लिमिटेड
हस्ता./-
तिथि: 06.11.2019 अशोक साहनी
स्थान: नई दिल्ली निदेशक

पशुपति एसपीजी एंड डब्ल्यूवीजी मिल्स लि.
CIN: L74900HR1979PLC009789
वेबसाईट: www.pasupatitextiles.com
टेली.: 47632200
पंजी. कार्यालय: ग्राम कपरीवास (धारुहेरा), जिला रेवाड़ी, हरियाणा
प्रधान कार्यालय: 127-128, त्रिभुवन कॉम्प्लेक्स, ईश्वर नगर, नई दिल्ली-110065

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी की बोर्ड की बैठक तथा ऑडिट कमिटी की बैठक गुरुवार, 14 नवम्बर, 2019 को 127-128, त्रिभुवन कॉम्प्लैक्स, ईश्वर नगर, नई दिल्ली-110065 में आयोजित की जायेगी जिसमें अन्य विषयों के साथ 30 सितम्बर 2019 को समाप्त तिमाही के लिये कम्पनी के अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार किये जाएंगे।

पशुपति एसपीजी एंड डब्ल्यूवीजी मिल्स लि.
अभिनव त्यागी
6.11.2019 कम्पनी सचिव

सिंडिकेटबैंक SyndicateBank
मानेसर शाखा
ग्राम व पोस्ट मानेसर कासन रोड, मानेसर, जिला गुरुग्राम, हरियाणा-122050
ई-मेल : br.8237@syndicatebank.co.in

कब्जा सूचना

[नियम 8(1) के तहत परिशिष्ट IV]

जबकि,

प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 की वित्तीय आस्तियों तथा प्रवर्तन के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण (2002 की अधिनियम सं. 54) के तहत तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में **सिंडीकेट बैंक** के अधिकृत प्राधिकारी **कर्जदारों मैसर्स यादव स्पोर्ट्स, श्री कृष्ण कुमार** को सूचना में लिखित राशि रु. **12,85,278.50 (रुपये बारह लाख पचासी हजार दो सौ अठहत्तर एवं पचास पैसे मात्र)** एवं उस पर भावी लागत, ब्याज आदि कथित सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर पुनर्भुगतान करने के लिए कहते हुए एक माँग सूचना निर्गत की थी।

ऋणकर्ता द्वारा राशि के पुनर्भुगतान में असफल रहने के कारण सम्पत्ति के स्वामी तथा जनसामान्य को एतद्वारा सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने कथित नियमों के नियम 8 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में नीचे वर्णित सम्पत्तियों पर 02 **नवम्बर**, 2019 को कब्जा कर लिया है।

व्यक्तिगत रूप से ऋणकर्ता/जमानती और जनसामान्य को एतद्वारा सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई लेन-देन न करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्तियों के साथ किसी प्रकार का लेन-देन 01.07.2019 से रु. **12,85,278.50 (रुपये बारह लाख पचासी हजार दो सौ अठहत्तर एवं पचास पैसे मात्र)** एवं उस पर भावी लागत, ब्याज आदि के लिए सिंडीकेट बैंक के अभियोग का विषय होगा।

अचल संपत्ति का विवरण

श्री दया चन्द पुत्र श्री मेहर चन्द के स्वामित्व की निकट भीष्म मन्दिर एवं सरकारी स्कूल पर स्थित खेवट सं. 10, खाता सं. 11, किला सं. 27/2(0-12), 11/4/1(0-5) का अंश, सम्पत्ति मकान सं. 301 वाणिज्यिक + आवासीय (पाँच मंजिला) का सम्पूर्ण भाग। **सीमा : उत्तर** : 8 फीट चौड़ी गली, **दक्षिण** : जगरूप का मकान, **पूर्व** : कृष्ण का मकान, **पश्चिम** : सर्विस लेन + जयपुर हाईवे।

तिथि : 07.11.2019 अधिकृत प्राधिकारी
स्थान : मानेसर सिण्डीकेट बैंक

कास्टेक्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड
(पूर्व का एमटेक इण्डिया लिमिटेड)
कॉरपोरेट कार्यालय : 3 एलएससी पम्पोश एन्कलेव, ग्रेटर कैलाश-I, नई दिल्ली-110048
दूरभाष : +91-11-42344444
फैक्स : +91-11-42344400
ई-मेल: info@amtek.com;
वेबसाइट : www.amtek.com
सीआईएन : L65921HR1983PLC033789

सूचना

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 47 के साथ पठित विनियम 29 के अनुसार, एतद्वारा सूचना दी जाती है कि श्री दिनकर टी. वेंकटसुब्रह्मण्यम (आईपी पंजीकरण सं. IBBI/IPA-001/IP-P00003/2016-17/10011) (समाधान प्रोफेशनल) अन्य बातों के साथ-साथ 30 सितम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही तथा छमाही के अलेखापरीक्षित स्टैण्डअलोन एवं समेकित वित्तीय परिणामों पर विचार, अनुमोदन करेंगे।

कथित सूचना कम्पनी की वेबसाइट तथा बीएसई की वेबसाइट http://www.bseindia.com एवं एनएसई की वेबसाइट http://www.nseindia.com पर देखी जा सकती है।

कृते कास्टेक्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड
(कॉरपोरेट ऋणशोधन समाधान प्रक्रिया के तहत कम्पनी)
ज्योति शर्मा
कम्पनी सचिव
श्री दिनकर तिरुवन्नदापुरम वेंकटासुब्रह्मण्यम के अनुमोदन से निर्गत
(समाधान प्रोफेशनल)
आईपी
पंजीकरण सं. IBBI/IPA-001/IP-P00003/2016-17/10011

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 06.11.2019

जेनेसिस फाइनांस कम्पनी लिमिटेड
पंजी. कार्यालय: 4 एमएमटीसी/एसटीसी मार्केट, गीतांजलि, नई दिल्ली-110017
Tel. No.: 011-26691132,
CIN:L65910DL1990PLC040705,
E-mail ID: gopalbishtgfcl@gmail.com
Website: www.genesisfinance.net

सूचना

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 47 के साथ पठित विनियमन 29 के प्रावधानों के अनुपालन में एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि जेनेसिस फाइनांस कम्पनी लिमिटेड के निदेशक मंडल की एक बैठक बुधवार, 13 नवम्बर, 2019 को 4, एमएमटीसी/एसटीसी मार्केट, गीतांजलि, नई दिल्ली-110017 में कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में 5.00 बजे अप. में आयोजित की जायेगी जिसमें कार्य सूची के अन्य मदों में 30 सितम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही तथा छमाही वित्त वर्ष के लिये कम्पनी के सांविधिक अंकेक्षकों द्वारा दी गई सीमित समीक्षा रिपोर्ट के साथ अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार तथा अनुमोदन कर उसे अभिलेख में लिये जाएंगे।

पुनः भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इन्सायडर ट्रेडिंग निषेध) विनियमन, 2015 के अनुसार कम्पनी के सभी निदेशकों, अधिकारियों तथा विनिर्दिष्ट कर्मचारियों के लिये कम्पनी की प्रतिभूतियों में कारोबार के लिये ट्रेडिंग विण्डो बुधवार 6 नवम्बर, 2019 से बंद है तथा जनता के लिये वित्तीय परिणामों के प्रकाशन के 48 घंटे बाद खुलेंगे।

इस संदर्भ में विवरण कम्पनी की वेबसाईट http://genesisfinance.net पर भी उपलब्ध है।

जेनेसिस फाइनांस कम्पनी लिमिटेड के लिये
हस्ता./-
स्थान: नई दिल्ली नीति अलवानी
तिथि: 6.11.2019 (कम्पनी सचिव)

लैटेन्ट लाइट फाइनांस लिमिटेड
(पूर्व में गैलेक्सी कॉमर्सियल लिमिटेड के नाम से विदित)
पंजी. कार्या.: 120, लोकल शॉपिंग सेन्टर, ऑरविन्दो प्लेस, हौज खास, नई दिल्ली-110016,
Phone No: 011-41074949,
Fax No: 011--41074949
E-mail: galaxycommerciallimited@gmail.com/
Webiste: www.galaxycommercial.in
CIN: L74130DL1984PLC019469

सूचना

सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 के विनियमन 47 के प्रावधानों के अनुपालन में एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी के निदेशक मंडल की एक बैठक **गुरुवार, 14 नवम्बर, 2019** को आयोजित की जाएगी जिसमें अन्य विषयों के साथ **30 सितम्बर, 2019** को समाप्त तिमाही के लिए कम्पनी के अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार तथा अनुमोदन किए जाएंगे।

इस सूचना की प्रति कंपनी की वेबसाईट **www.galaxycommercial.in** तथा स्टॉक एक्सचैंज की वेबसाईट अर्थात **www.bseindia.com** पर उपलब्ध है।

लैटेन्ट लाइट फाइनांस लिमिटेड
(पूर्व में गैलेक्सी कॉमर्सियल लिमिटेड विदित)
हस्ता./-
तिथि: 6 नवम्बर, 2019 यश गुप्ता
स्थान: नई दिल्ली कम्पनी सचिव

कब्जा सूचना

जबकि, **असेट रिकंस्ट्रक्शन कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड** के प्राधिकृत अधिकारी ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अधीन मांग सूचनाएं जारी की थीं, जिनमें निम्नलिखित कर्जदारों से उक्त सूचनाओं में उनके समक्षित नाम के सामने वर्णित राशियां, उन पर लागू दरों पर ब्याज के साथ, उक्त सूचनाओं की प्राप्ति की तिथि से 60 दिन के भीतर आगे भुगतान तथा/अथवा वसूली की तिथि तक लागू अनुसार ब्याज उपगत किए गए अनुषंगी खर्चे, लागतें, प्रभार इत्यादि चुकाने की मांग की गई थी।

क्र. सं.	कर्जदार का नाम / सह-कर्जदार का नाम / ऋण खाता संख्या	कुल बकाया राशि (रू. में) / मांग सूचना दिनांकित 12-जून-18	कब्जा की तिथि एवं प्रकार
1	मनोज कुमार / नीलम / राम लुभाया / मदन लाल / HL0031/HDLH00010455	रू. 42,74,072.41/-	02-11-2019 भौतिक कब्जा

प्रतिभूत सम्पत्ति पता : पूर्वी आधा हिस्सा प्लाट नं. 4A, जो कि खसरा नंबर 2741/610 में स्थित है, जिसका म्यूनिसिपल कार्पोरेशन नंबर WZ-243 (पुराना नं.) C-24 (नया), स्थित सुदर्शन पार्क कालोनी, ग्राम बख्तावरपुर, दिल्ली। चौहद्दी : उत्तर: लेन 10, दक्षिण : रोड 20, पूरब : सम्पत्ति सं. सी-23, पश्चिम : उक्त सम्पत्ति का बाकी आधा भाग तथा सम्पत्ति सं. सी-25

जबकि इसमें ऊपर वर्णित कर्जदार बकाया राशि चुकाने में असफल रहे हैं, एतद्द्वारा कर्जदारों को विशेष रूप से और जनसाधारण को सूचना दी जाती है कि आस्ति के अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अधीन उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा वर्णित सम्पत्तियों/प्रतिभूत आस्तियों का भौतिक कब्जा ले लिया है। विशेष रूप से ऊपर वर्णित कर्जदारों तथा जनसाधारण को उपरोक्त सम्पत्तियों/प्रतिभूत आस्तियों के संबंध में सव्यवहार नहीं करने हेतु सावधान किया जाता है और उपरोक्त सम्पत्तियों/प्रतिभूत आस्तियों के संबंध में कोई भी सव्यवहार आस्ति के प्रभार के अधीन होगा। कर्जदार/बंधकदाता/गारंटर को धन, प्रत्याभूत आस्तियों को छुड़ाने के लिए, उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधान की ओर आकृष्ट किया जाता है।

स्थान : दिल्ली हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी
तिथि : 07-11-2019 असेट रिकंस्ट्रक्शन कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड

Arcil असेट रिकंस्ट्रक्शन कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड
सीआईएन : U65999MH2002PLC134884, वेबसाइट : www.arcil.co.in
पंजीकृत कार्यालय : दि हब्बी, 10वां तल, 29 सेनापति बापट मार्ग, दादर (पश्चिम), मुंबई-400028 फोन : + 91 2266681300
शाखा पता : द्वितीय तल, साउथ एक्सेस, प्लॉट नंबर 2, डीडीए कमर्शियल शॉपिंग सेन्टर, नियर डिफेंस कलर्स सेमिनार सेकण्डो स्कूल, एनडीआर लोक, न्यू राजिन्दर नगर, नई दिल्ली-110060, फोन : 011-45610444

सिंडिकेटबैंक SyndicateBank
BRANCH - Plot No. S-9, Gamma Shopping Mall, Noida-Greater Noida (U.P.)
Email: br.8895@syndicatebank.co.in

कब्जा नोटिस
8(1), नियम के तहत, सुरक्षा प्रवर्तन नियम, 2002

जैसा कि अधोहस्ताक्षर कर्ता ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत सिंडिकेट बैंक का प्राधिकृत अधिकारी होते हुए तथा धारा 13(2) सहपठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 03.09.2019, को मांग नोटिस जारी किया था जिसमें उधारकर्ता राजकुमार भाटी और रेखा भाटी खाताधारक हैं को मांग नोटिस की प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर राशि रू.- 15,15,404.89/- (रुपये पन्द्रह लाख पन्द्रह हजार चार सौ चार और नवासी पैसा केवल) अदा करने को तथा उस पर ब्याज अदा करने को कहा गया था।

ऋणी द्वारा धनराशि अदा न करने पर ऋणी तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) सपठित उक्त अधिनियम के नियम 8 एवं 9 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 05 नवम्बर 2019 को निम्नलिखित वर्णित सपत्तियों का कब्जा ले लिया है। विशेष रूप से सपत्तियों के मालिक तथा आम तौर पर जनता को इस संपत्ति के संबंध में कोई भी लेन-देन न करने की चेतावनी दी जाती है। इस संपत्ति के साथ कोई भी लेन-देन सिंडिकेट बैंक, ग्रेटर नोएडा शाखा को देय धनराशि रू.- 15,15,404.89/- अदा करने को तथा उस पर ब्याज अदा करने को कहा गया था।

अचल संपत्तियों का विवरण

इमोवेबल सम्पत्ति मकान नं0. 518, जिसकी माप 70 स्क्वेयर मीटर, ब्लॉक सी, सैक्टर-अल्फा-1, ग्रेटर नोएडा, जिला गौतम बुद्धनगर, मालिक राजकुमार भाटी पुत्र श्री रामेश्वर सिंह। **जिसकी सीमाऐ- उत्तर** में 18 मीटर चौड़ा रोड, **दक्षिण** में प्लॉट नं0. 481, **पूर्व** में प्लॉट नं0. 515 और **पश्चिम** में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स।

दिनांक: 05.11.2019
स्थान: ग्रेटर नोएडा। प्राधिकृत अधिकारी, सिंडिकेट बैंक।

TENNECO POWERTRAIN फेडरल-मोगुल गोएट्जे (इंडिया) लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय - [illegible] 10 [illegible], [illegible] 79 से 80, ओखला फेज-1, नई दिल्ली-110020, [CIN] L74899DL1954PLC002462
टेली./फैक्स - 91 11 - 49057597
E mail investor.grievance@tenneco.com, Website www.federalmogulgoetzeindia.net

अंश प्रमाण-पत्र खोने एवं उनके एवज में दूसरे प्रमाण-पत्र जारी किए जाने के सम्बन्ध में

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित अंश प्रमाण-पत्र खो गये हैं/ कहीं गलत जगह रख दिए गये हैं एवं कम्पनी इनके स्थान में डुप्लीकेट शेयर सर्टीफिकेट जारी करना चाहती है कोई भी व्यक्ति उक्त,समस्त सम्बन्धित वैध दस्तावेजों द्वारा सचिव, कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 15 दिनों के भीतर प्राप्त न हो।

अंशधारक का नाम	प्रमाण पत्र सं.	विशिष्ट सं. से - तक	अंशों की सं.
मि. बुजॉर बी. सोपरीवाला	110690-92	12109796-12109907	112
	279875	23335060-23335115	56

सर्वसाधारण को, विशेषकर निवेशकों एवं शेयर ब्रोकरों को एतद्द्वारा चेतावनी दी जाती है कि उक्त प्रश्न प्रमाण-पत्रों से सम्बन्धित किसी भी प्रकार का लेन-देन न करें।

कृते फेडरल-मोगुल गोएट्जे (इंडिया) लिमिटेड
हस्ताक्षर/-
स्थान : नई दिल्ली (डॉ. खालिद इकबाल खान)
तिथि : 06 नवंबर, 2019 पूर्ण-कालिक निदेशक-विधिक एवं कम्पनी सचिव

नाम सिक्युरिटीज लिमिटेड
CIN: L74899DL1994PLC350531
पंजी. कार्या.: 213, अरुणाचल बिल्डिंग, 19 बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली-110001
Email Id: compliance@namsecurities.in,
Website: www.namsecurities.in,
Tel: 011-23731122/44

सूचना

सेबी (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2019 के विनियमन 47 के साथ पठित विनियमन 29 के अनुपालन में एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि नाम सिक्युरिटीज लिमिटेड के निदेशक मंडल की बैठक बुधवार, 13 नवम्बर, 2019 को पंजी. कार्या.: 213, अरुणाचल बिल्डिंग, 19 बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली-110001 में 4.00 बजे अप. में आयोजित की जायेगी जिसमें 30 सितम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही तथा छमाही के लिये कम्पनी के अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार तथा अनुमोदन किये जाएंगे।

पुनः सेबी (इन्सायडर ट्रेडिंग निषेध) (संशोधन) विनियमन, 2018, इन्सायडर द्वारा ट्रेडिंग के विनियमन, निगरानी तथा रिपोर्ट के लिये कम्पनी की आचार संहिता तथा ट्रेडिंग प्रतिबंध अवधि से पर स्पष्टीकरण से संबंधित बीएसई सर्क्युलर तिथि 2 अप्रैल, 2019 के अनुसार ट्रेडिंग विण्डो 13 नवम्बर, 2019 को परिणामों को सार्वजनिक करने के 48 घंटे की पूर्णता तक बंद रहेंगे।

यह जानकारी बीएसई की वेबसाईट (https://www.bseindia.com/) तथा कम्पनी की वेबसाईट (http://www.namsecurities.in/) पर भी उपलब्ध है।

नाम सिक्युरिटीज लिमिटेड के लिये
हस्ता./-
स्थान: दिल्ली किरण गोयल
तिथि: 6 नवम्बर, 2019 प्रबंध निदेशक

न्यू एरा लीजिंग एण्ड फाइनेंस लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय: 981, अग्रवाल मिलेनियम, टॉवर-II, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, दिल्ली-110034
सीआईएन: L67120DL1984PLC018800
ई-मेल आईडी:
neweraleasingfinance@gmail.com
दूरभाष : 011-69999350

बोर्ड की बैठक की अग्रिम सूचना

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 47(1)(ए) के अनुसार, एतद्वारा सूचना दी जाती है कि 30 सितम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही एवं छमाही के लिए अन्य बातों के साथ-साथ कम्पनी के अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार, अनुमोदन तथा रिकार्ड के लिए न्यू एरा लीजिंग एण्ड फाइनेंस लिमिटेड ("कम्पनी") के निदेशक मण्डल की बैठक बुधवार, 13 नवम्बर, 2019 को 4.00 बजे अपराह्न कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय 981, अग्रवाल मिलेनियम, टॉवर-II, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, दिल्ली-110034 पर **आयोजित की जायेगी।**

कृते न्यू एरा लीजिंग एण्ड फाइनेंस लिमिटेड
ह./-
तिथि: 6 नवम्बर, 2019 रोहताश शर्मा
स्थान: दिल्ली (निदेशक)

SMC CREDITS LIMITED
CIN: L65910DL1992PLC049566
24, Ashoka chambers, 5-B,Rajindra Park,Pusa Road, New Delhi-110060
Phone: +91-11-45012880
Email: www.smccorp011@gmail.com

NOTICE

Pursuant to the Regulation 29 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations 2015 , Notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the company is scheduled to beheld at 4.00 P.M. on Thursday , the 14th November , 2019 at 24, Ashoka Chambers, 5-B,Rajindra Park, Pusa Road, New Delhi-110060 to consider and approve Unaudited Financial Results for the Second quarter ended 30th September , 2019.

The Notice is also available on the website of stock exchange where shares of the company are listed at www.bseindia.com.

For SMC Credits limited
Sd/-
(Director)
Date: 05.11.2019 (Prasahesh Arya)
Place: New Delhi DIN: 00006507

मिंडा कोर्पोरेशन लिमिटेड

SPARK MINDA — Powered by Passion

पंजीकृत कार्यालयः ए-15, अशोक विहार, फेज़-I, दिल्ली-110052
सीआईएनः L74899DL1985PLC020401,फोनः +91 124 4698400, फैक्सः +91 124 4698450
ई-मेलः investor@minda.co.in, वेबसाइटः www.minda.co.in

30 सितम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही एवं छमाही के समेकित एवं एकल अनअंकेक्षित वित्तीय परिणामों का विवरण

(₹ लाख में)

विवरण	समेकित					
	समाप्त तिमाही			समाप्त छमाही		समाप्त वर्ष
	30 सितम्बर 2019	30 जून 2019	30 सितम्बर 2018	30 सितम्बर 2019	30 सितम्बर 2018	31 मार्च 2019
	अनअंकेक्षित	अनअंकेक्षित	अनअंकेक्षित	अनअंकेक्षित	अनअंकेक्षित	अंकेक्षित
1. परिचालनों से कुल आय	73,545	70,826	77,329	1,44,371	1,55,156

ठाणे में घूस लेने के आरोप में तीन पुलिसकर्मी गिरफ्तार

ठाणे, 6 नवंबर (भाषा)।

महाराष्ट्र के ठाणे जिले में भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो (एसीबी) ने घूस की मांग करने और स्वीकार करने के आरोप में एक उप निरीक्षक सहित तीन पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बुधवार को इस बारे में बताया।

ठाणे एसीबी के अतिरिक्त अधीक्षक मुकुंद हटोटे ने बताया कि जिले के कल्याण तालुका के महात्मा फुले थाने में भ्रष्टाचार नियंत्रण कानून की धारा सात (लोकसेवक के घूस लेने) के तहत तीनों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। अधिकारी ने बताया कि उप निरीक्षक हरीश कांबले (34), पुलिस हवलदार अंकुश नरवाने (57) और पुलिस नायक भारत खांडे (49) ने शिकायतकर्ता से फर्जी मामला दर्ज नहीं करने के लिए पांच लाख रुपए घूस की मांग की थी।

सड़क हादसे में दो लोगों की मौत

जयपुर, 6 नवंबर (भाषा)।

जयपुर ग्रामीण के दूदू थाना क्षेत्र में बुधवार को दो ट्रकों की भिड़ंत में एक ट्रक चालक और खलासी की मौके पर ही मौत हो गई।

एमजीएम रियलटर्स प्राइवेट लिमिटेड
सीआईएन : U45200DL2008PTC181473
पंजीकृत कार्यालय : 108, प्रथम तल, मदनगीर गाँव, नई दिल्ली, दिल्ली-110062
ई-मेल: mgmrealtor12@gmail.com
वेबसाइट : www.mgmrealtor.com,

सूचना

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के प्रावधानों के अनुसार, एतद्वारा सूचना दी जाती है कि 30 सितम्बर, 2019 को समाप्त छमाही के लिए अन्य बातों के साथ-साथ कम्पनी के अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार एवं अनुमोदन के लिए कम्पनी के निदेशक मण्डल की बैठक बृहस्पतिवार, 14 नवम्बर, 2019 को आयोजित की जायेगी।
यह सूचना कम्पनी की वेबसाइट http://www.mgmrealtor.com तथा बीएसई की वेबसाइट http://www.bseindia.com पर देखी जा सकती है।

कृते एमजीएम रियलटर्स प्रा.लि.
ह./-
शिव शंकर साह
मुख्य वित्त अधिकारी
स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 06.11.2019

PUBLIC NOTICE

NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT M/S RAMPRASTHA SARE LAND HOLDING COMPANY ONE PRIVATE LIMITED, RAMPRASTHA BUILDWELL PRIVATE LIMITED, RAMPRASTHA ESTATE PRIVATE LIMITED "OWNER" IN COLLABORATION WITH SIGNATUREGLOBAL (INDIA) PRIVATE LIMITED "DEVELOPER" HAD OBTAINED A LICENSE BEARING NO. 86 OF 2019 DATED 02.08.2019 FROM THE DIRECTOR TOWN & COUNTRY PLANNING, HARYANA (DTCP) TO DEVELOP A AFFORDABLE GROUP HOUSING COLONY ON THE LAND ADMEASURING 5.00 ACRES SITUATED IN THE REVENUE ESTATE OF VILLAGE HAYATPUR, SECTOR-89, DISTRICT GURUGRAM. WE NOW PROPOSE TO TRANSFER THE LICENSE IN FAVOUR OF SIGNATUREGLOBAL (INDIA) PRIVATE LIMITED HAVING ITS REGISTERED OFFICE AT 1304, 13TH FLOOR, DR. GOPAL DAS BHAWAN, 28 BARAKHAMBA ROAD NEW DELHI-110001 AND HAVE OBTAINED PERMISSION FROM DIRECTOR TOWN & COUNTRY PLANNING, HARYANA VIDE MEMO NO. LC-3731-ASSTT.(A)-2019/27097 DATED 05.11.2019.

ANY ENTITY/PERSON INCLUDING ANY GOVERNMENT AUTHORITY, BANK OR FINANCIAL INSTITUTION HAVING OR CLAIMING ANY RIGHT, TITLE, CLAIM, BENEFIT, DEMAND OR INTEREST WITH RESPECT TO THE LICENCE OR HAS ANY OBJECTION TO THE INTENDED ABOVE REFERRED MATTER, SUCH PERSON/ENTITY MAY INFORM IN WRITING TO C/O STP GURUGRAM WITH IN 30 DAYS FROM THE DATE OF PUBLICATION OF THIS NOTICE.

DETAIL OF LAND OWNED BY RAMPRASTHA SARE LAND HOLDING COMPANY ONE PVT LTD. TOTAL LAND ADMEASURING 16 KANAL AND 10.5 MARLA COMPRISED IN RECT NO. 19, KILLA NO. 12/2MIN SOUTH(2-0.5), 18/2(5-18), 23/2(7-12) AND DETAILS OF LAND OWNED BY RAMPRASTHA ESTATES PVT LTD (695/2521 SHARE), RAMPRASTHA SARE LAND HOLDING COMPANY ONE PVT LTD (1733/2521 SHARE) & RAMPRASTHA BUILDWELL PVT LTD (193/2521 SHARE) COMPRISED IN LAND ADMEASURING 33 KANAL AND 9.5 MARLA, RECT NO-19, KILLA NO-11MIN SOUTH(3-0), 12/1MIN SOUTH (0-19.5), 19/2(7-18), 20/2(8-0), 22/2/1(3-12) SITUATED IN THE REVENUE ESTATE VILLAGE HAYATPUR, SECTOR 89, GURUGRAM TOTAL AREA 5 ACRES

SD/- AUTHORISED SIGNATORY SIGNATUREGLOBAL (INDIA) PVT. LTD. 1304 AT 13TH FLOOR DR.GOPAL DAS BHAWAN 28, BARAKHAMBA ROAD, NEW DELHI-110001

SD/- AUTHORISED SIGNATORY RAMPRASTHA SARE LAND HOLDINGS PVT LTD, RAMPRASTHA BUILDWELL PVT LTD AND RAMPRASTHA ESTATE PVT LTD PLOT NO 144, SECTOR-44, GURUGRAM - 122003

DATE: 06.11.2019 | PLACE: GURUGRAM

प्रपत्र आईएनसी-26
[कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसार]
कम्पनी के पंजीकृत पते को एक राज्य से दूसरे राज्य में परिवर्तित करने के लिए समाचार-पत्र में प्रकाशित होने वाला विज्ञापन
केन्द्र सरकार, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, दिल्ली के समक्ष
कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) तथा कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उपनियम (5) के उपपद (अ) के मामले में
तथा
विगवैग नेटवर्क्स इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड के मामले में, जिसका पंजीकृत कार्यालय म.नं. 18, प्रथम तल, न्यू मार्केट, जियेनी मण्डी, आगरा, उत्तर प्रदेश-282004 है
..... याचिकाकर्ता
एतद्वारा जनसामान्य को सूचित किया जाता है कि कम्पनी अपने पंजीकृत कार्यालय को ''उत्तर प्रदेश राज्य'' से ''कर्नाटक राज्य'' में परिवर्तित करने के लिए 06 सितम्बर, 2019 को आयोजित असाधारण आम बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के सन्दर्भ में कम्पनी की संस्था नियमावली के परिवर्तन के सुनिश्चितीकरण चाहने के लिए कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के तहत केन्द्र सरकार के पास अवेदन करने का प्रस्ताव करती है।
कोई भी व्यक्ति जो कम्पनी के पंजीकृत पते के परिवर्तन से प्रभावित होना सम्भावित है वह या तो एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत प्रपत्र भरकर या इसे भेजे जाने का कारण दर्ज करा सकता है या विरोध की पृष्ठभूमि तथा अपने हित की प्रकृति बताते हुए एक शपथपत्र द्वारा अपनी आपत्तियों को समर्थित कर-के पंजीकृत डाक द्वारा इस प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली, बी-2, विंग, दूसरी मंजिल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली-110003 पर तथा इसकी एक प्रति आवेदक कम्पनी के निम्नलिखित पंजीकृत पते पर भेज सकता है :
म.नं. 18, प्रथम तल, न्यू मार्केट, जियेनी मण्डी, आगरा, उत्तर प्रदेश-282004
विगवैग नेटवर्क्स इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड के लिए तथा उसकी ओर से
ह./-
सत्यनारायणा सरगुनेसन
तिथि : 6 नवम्बर, 2019 निदेशक
स्थान : आगरा डीआईएन : 00120771

विकास मल्टीकॉर्प लिमिटेड
सीआईएन : U25111DL1995PLC073719
पंजीकृत कार्यालय : जी-1 34/1, ईस्ट पंजाबी बाग, नई दिल्ली - 110026
दूरभाष नं. : 011-40450110,
ई-मेल : cs@vikasmulticorp.com, URL: www.vikasmulticorp.com

सूचना

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 47 के साथ पठित विनियम 29 के अनुसार, एतद्वारा सूचना दी जाती है कि 30 सितम्बर, 2019 को समाप्त दूसरी तिमाही तथा छमाही के लिए अन्य बातों के साथ-साथ कम्पनी के अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार तथा अनुमोदन के लिए कम्पनी के निदेशक मंडल की बैठक **बुधवार, 13 नवम्बर, 2019 को 03:30 अपराह्न** उसके पंजीकृत कार्यालय विकास अपार्टमेन्ट्स जी-1 34/1, ईस्ट पंजाबी बाग, नई दिल्ली – 110026 पर आयोजित की जाएगी।
बोर्ड के बैठक की सूचना कम्पनी की वेबसाईट **www.vikasmulticorp.com** तथा एक्सचेंजों की वेबसाईट **www.nseindia.com** तथा **www.bseindia.com** पर देखी जा सकती है।

बोर्ड के आदेशानुसार
हस्ता./-
मौसम अग्रवाल
(अनुपालन अधिकारी)
स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 05.11.2019

GLOBUS SPIRITS LIMITED
CIN : L74899DL1993PLC052177
Regd. Office:- F-0, Ground Floor, The Mira Corporate Suites, Plot No.1&2, Ishwar Nagar, Mathura Road, New Delhi-110065 | Ph:011-66424600, Fax:011-66424629, E-mail:corpoffice@globusgroup.in, Web:www.globusspirits.com

NOTICE

In terms of the Clause 29 (1) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, notice is hereby given that the next meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Monday, the 11th November, 2019, inter-alia, to consider and take on record the Un-audited financial results of the Company for the 2nd Quarter and half year ended on 30th September, 2019.
The said notice is also available on the company's website www.globusspirits.com and also available on BSE & NSE website.

For Globus Spirits Limited
Sd/-
Santosh Kumar Pattanayak
(Company Secretary)
Dated : 04th November 2019

मोरपेन लेबोरेटरीज लिमिटेड
(CIN: L24231HP1984PLC006028)
पंजीकृत कार्यालय : मोरपेन विलेज, नालागढ़ रोड, मिलकट बद्दी, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश - 173 205
फोन : +91-1795-266401-03, 244590, फैक्स +91-1795-244591
वेबसाइट : www.morepen.com, ई-मेल : investors@morepen.com

नोटिस

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि सेबी (लिस्टिंग दायित्वों एवं डिस्क्लोजर आवश्यकताओं) अधिनियम, 2015 के संशोधित विनियमन 47 के अनुसरण में, अन्य तथ्यों के साथ, 30 सितम्बर, 2019 को समाप्त हुई तिमाही एवं छमाही के गैर-लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार, अनुमोदन एवं अभिलेखन हेतु कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक **बुधवार, 13 नवम्बर, 2019** को आयोजित होना निर्धारित है।
आगे अधिक जानकारी के लिए निम्नलिखित वेबसाइट पर जाएं:

मोरपेन लेबोरेटरीज लिमिटेड	http://www.morepen.com
द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड	http://www.nseindia.com
बीएसई लिमिटेड	http://www.bseindia.com

निदेशक मंडल के आदेश द्वारा
कृते मोरपेन लेबोरेटरीज लिमिटेड
हस्ताक्षर
(विपुल कुमार श्रीवास्तव)
कम्पनी सचिव
दिनांकः 06.11.2019
स्थान : नई दिल्ली

कर्नाटका बैंक लिमिटेड
सम्पूर्ण भारत का आपका पारिवारिक बैंक
प्रधान कार्यालय : मंगलुरु – 575 002 CIN : L85110KA1924PLC001128
आस्ति वसूली प्रबंधन शाखा
8-बी, प्रथम तल, राजेंद्र पार्क, पूसा रोड, नई दिल्ली –110060
फोन: 011-25813466, ई-मेल : delhiarm@ktkbank.com, मो. 9319891680

अचल सम्पत्ति की बिक्री सूचना

वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधान के अंतर्गत अचल परिसम्पत्तियों की बिक्री के लिये ई-नीलामी बिक्री सूचना

एतद्द्वारा आम जनता तथा विशेष रूप से ऋणधारक(कों) तथा गारन्टर(रों) को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत क्रेडीटर के पास गिरवी/चार्ज्ड नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जिसका अन्य कंसोर्टियम बैंकों अर्थात् (1) आईसीआईसीआई बैंक, 2) एचडीएफसी बैंक, 3) भारतीय स्टेट बैंक 4) आरबीएल बैंक लि., प्रतिभूत क्रेडीटरों के अग्रणी बैंक की हैसियत से कर्णाटका बैंक लि. के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा 20.8.2019 को भौतिक कब्जा किया गया है, की मै. दिल्ली कन्ट्रोल डिवाईसेस प्रा.लि., के-185/2, बेसमेन्ट, सूर्या प्लाजा, न्यू फ्रैंड्स कॉलोनी, दिल्ली-110065, फैक्ट्री पताः i) सी-22/23, सेक्टर-4, नोएडा, उत्तर प्रदेश राज्य-201301, ii) ए-42, सेक्टर-58, नोएडा, उत्तर प्रदेश राज्य-201301, iii) ए-33, सेक्टर-59, नोएडा, उत्तर प्रदेश राज्य-201301, iv) सिडकुल, हरिद्वार, उत्तराखंड राज्य-249403, v) 45 एमयूपी 1, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश राज्य 201308, 2) श्री धरम पाल गुप्ता, पुत्र श्री पूरण चंद गुप्ता, बी-396, न्यू फ्रैंड्स कॉलोनी, दिल्ली-110025, 3) श्रीमती रेखा गुप्ता, पत्नी श्री धरमपाल गुप्ता, बी-396, न्यू फ्रैंड्स कॉलोनी, दिल्ली-110025, 4) श्री आशीष गुप्ता, पुत्र श्री धरमपाल गुप्ता, बी-396, न्यू फ्रैंड्स कॉलोनी, दिल्ली-110025, 5) मै. डी.पी. गुप्ता एंड सन्स (एचयूएफ) बी-396, न्यू फ्रैंड्स कॉलोनी, दिल्ली-110025, जो ऋणधारक/सह-ऋणधारक/गारंटर हैं से कर्णाटका बैंक लि. (अग्रणी बैंक) तथा अन्य कंसोर्टियम सदस्यों अर्थात् 1) आईसीआईसी बैंक, 2) एचडीएफसी बैंक, 3) भारतीय स्टेट बैंक 4) आरबीएल बैंक लि. के बकाये विभिन्न ऋण खाताओं के अंतर्गत 1.10.2019 से आगे के ब्याज तथा लागतों के साथ सभी कंसोर्टियम सदस्य बैंकों के कुल रु. 204.06 करोड़ की राशि की वसूली के लिये 13.12.2019 को ''जैसा है जहाँ है'', ''जो भी जैसा है'', तथा जो कुछ भी वहाँ है'' आधार पर बिक्री की जायेगी।
आरक्षित मूल्य/अपसेट मूल्य जिससे कम में सम्पत्ति की बिक्री नहीं की जायेगीः रु. 102010000.00 (रुपये दस करोड़ बीस लाख दस हजार मात्र) है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

श्रीमती रेखा गुप्ता तथा मै. धरम पाल गुप्ता एंड संस (एचयूएफ) के नाम में स्थित न्यू फ्रैंड्स कॉलोनी, नई दिल्ली में आवासीय सम्पत्ति सं. बी-396, माप 296.20 वर्ग यार्ड्स। चौहद्दीः पूर्वः 15' चौड़ा सर्विस लेन, पश्चिमः 45' चौड़ी सड़क, उत्तरः सम्पत्ति सं. बी-395, दक्षिणः सम्पत्ति सं. बी-397

जमा की जाने वाली धरोहर राशिः रु. 1,02,01,000.00
(रुपये एक करोड़ दो लाख एक हजार मात्र)
(ऋणधारकों/मार्टगैजरों का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।)
(इस सूचना को ऋणधारकों/गारन्टरों के लिए प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन नियमावली-2002 के नियम (8) के उप-नियम (6) के अंतर्गत) सूचना भी मानी जाए।)
बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिए कृपया कर्णाटका बैंक की वेबसाईट में दी गई लिंक अर्थात् www.karnatakabank.com पर शीर्ष ''बिक्री के लिए गिरवी परिसम्पत्तियां'' देखें।
ई-नीलामी का संचालन 13.12.2019 को 11.00 बजे पूर्वा. से 12.00 बजे अप. तक 05 मिनट के असीमित विस्तार के साथ पोर्टलः https://bankauctions.in पर किया जाएगा। इच्छुक बोलीदाता को https://bankauctions.in पर अपना नाम निःशुल्क पंजीकृत कराना होगा तथा मै. 4 क्लोजर, फ्लैट नं. 102, प्लॉट नं. 20, अमूर्था अपार्टमेन्ट्स मोतीनगर, हैदराबाद-500018, सम्पर्क नं. 040-23736405, मोबाईल 814200089, ईमेलः vikas@bankauctions.in तथा info@bankauctions.in से ई-नीलामी (अनुमानतः 12.12.2019 को) पर ऑन लाइन प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा।
स्थानः दिल्ली कर्णाटका बैंक लि. के लिए
तिथिः 6.11.2019 मुख्य प्रबंधक एवं प्राधिकृत अधिकारी

प्रपत्र जी
रुचि की अभिव्यक्ति हेतु आमन्त्रण
[ऋण शोध अक्षमता तथा दिवालिया (कार्पोरेट व्यक्तियों के लिए ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के विनियम 36ए(1) के अधीन]
सुसंगत विशिष्टियाँ

1.	कार्पोरेट देनदार का नाम	स्पेसविजन इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड
2.	कार्पोरेट देनदार के निगमन की तिथि	20.4.2004
3.	प्राधिकरण जिसके अधीन कार्पोरेट देनदार निगमित/पंजीकृत है	रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज, दिल्ली
4.	कार्पोरेट देनदार की कार्पोरेट पहचान संख्या/सीमित दायित्व पहचान संख्या	U23209DL2004PTC125911
5.	कार्पोरेट देनदार के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो) का पता	डी-14, कैलाश कॉलोनी, नई दिल्ली-110048
6.	कार्पोरेट देनदार के सम्बन्ध में ऋण शोध अक्षमता आरंभन की तिथि	08.05.2019 आदेश प्राप्ति की तिथि : 24.05.2019
7.	रुचि की अभिव्यक्ति के आमन्त्रण की तिथि	07.11.2019
8.	संहिता की धारा 25(2)(एच) के तहत समाधान आवेदकों की पात्रता उपलब्ध है:	यह सूचना devinder.rp@gmail.com पर ई-मेल भेजकर प्राप्त की जा सकती है।
9.	धारा 29ए के तहत प्रयोज्य अपात्रता के मानदण्ड उपलब्ध है :	यह सूचना devinder.rp@gmail.com पर ई-मेल भेजकर प्राप्त की जा सकती है।
10.	रुचि की अभिव्यक्ति प्राप्ति की अन्तिम तिथि	22.11.2019
11.	सम्भावित समाधान आवेदकों की अस्थायी सूची निर्गत होने की तिथि	03.12.2019
12.	अस्थायी सूची की आपत्तियाँ जमा करने की अन्तिम तिथि	08.12.2019
13.	सम्भावित समाधान आवेदकों की अन्तिम सूची निर्गत होने की तिथि	18.12.2019
14.	सम्भावित समाधान आवेदकों हेतु सूचना ज्ञापन पत्र, मूल्यांकन आव्यूह तथा निवेदन के निर्गमन की तिथि	08.12.2019
15.	समाधान योजना, मूल्यांकन आव्यूह, सूचना ज्ञापन पत्र तथा अधिक सूचना हेतु निवेदन प्राप्ति की रीति	केवल ऐसे आवेदक जिन्होंने पात्रता मानदण्ड (उपर्युक्त बिन्दु के अनुसार) पूरा किया है तथा गैर-प्रकटन अनुबन्ध पर हस्ताक्षर किया है उन्हें ही इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रस्ताव योजना, मूल्यांकन मैट्रिक्स तथा सूचना ज्ञापन एक्सेस उपलब्ध कराया जायेगा। आवेदक विशेष निवेदन ई-मेल : devinder.rp@gmail.com पर कर सकते हैं।
16.	समाधान योजनाओं के जमा होने की अन्तिम तिथि	07.01.2020
17.	समाधान प्रोफेशनल हेतु समाधान योजना जमा करने की रीति	प्रस्ताव योजना मुहरबन्द लिफाफे में जमा की जानी है। विवरण प्रस्ताव योजना दस्तावेज हेतु निवेदन में उपलब्ध कराया जायेगा।
18.	अनुमोदन हेतु निर्णायक प्राधिकरण के पास समाधान जमा करने की सम्भावित तिथि	07.02.2020
19.	समाधान प्रोफेशनल का नाम तथा पंजीकरण संख्या	देविन्दर अरोड़ा IBBI/IPA-002 /IP-N00200/2017-18/10586
20.	बोर्ड के साथ पंजीकृत के अनुसार समाधान प्रोफेशनल का नाम, पता तथा ई-मेल	देविन्दर अरोड़ा 1203, विजया बिल्डिंग, बाराखम्भा रोड, 17, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001 dev_arora@hotmail.com
21.	समाधान प्रोफेशनल के साथ पत्राचार हेतु प्रयुक्त होने वाला पता तथा ई-मेल	1203, विजया बिल्डिंग, बाराखम्भा रोड, 17, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001 devinder.rp@gmail.com
22.	अधिक विवरण अग्रलिखित पर या इसके साथ उपलब्ध है	देविन्दर अरोड़ा 1203, विजया बिल्डिंग, बाराखम्भा रोड, 17, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001, तथा devinder.rp@gmail.com पर ई-मेल भेजकर।
23	प्रपत्र जी के प्रकाशन की तिथि	07.11.2019

ह./
देविन्दर अरोड़ा
IBBI/IPA-002 /IP-N00200/2017-18/10586
1203, विजया बिल्डिंग, बाराखम्भा रोड, 17, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001
स्पेसविजन इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड के अन्तरिम समाधान प्रोफेशनल
दिनांक : 06.11.2019
स्थान : नई दिल्ली

ऋण वसूली अधिकरण-1, चेन्नई
छठा तल, देवा टावर्स, 770-ए, अन्ना सलाई, चेन्नई-600 002

मांग सूचना

(आय कर अधिनियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची के नियम 16 के साथ पठित नियम 2 के अंतर्गत)
डीआरसी नं. 30/2019 (ओ.ए. नं. 1/2012) तिथिः 29.10.2019
सेवा में,
1. मै. वेन्टेज रिजॉर्ट्स एंड क्लब्स प्रा. लि.
नं. 89, संथोम हाई रोड, आर.ए. पुरम, चेन्नई-600028
2. श्री मनप्रीत चढ़ा,
पुत्र चरणजीत सिंह चढ़ा, नं. 6, ग्रीन पार्क मैन, नई दिल्ली-106
3. श्रीमती निशा काकुमानू चढ़ा,
पत्नी मनप्रीत चढ़ा, नं. 6, ग्रीन पार्क मैन, नई दिल्ली-106
4. श्रीमती टी.एस. शान्ति
नं. 16/13, कृष्णापुरी, 18वाँ स्ट्रीट, आर.ए. पुरम, चैन्नई-600028
5. श्री सारथ काकुमानू, पुत्र स्व. के. सुबैया,
नं. 29, बिशप गार्डन, आर.ए. पुरम, चेन्नई-600028
6. श्रीमती शीला के. सारथ
नं. 29, बिशप गार्डन, आर.ए. पुरम, चेन्नई-600028
7. मै. स्काईस्कैप प्रॉपर्टीज (पी) लि.
प्रतिनिधित्व द्वारा उसके प्रबंध निदेशक नं. 89, संथोम हाई रोड,
आर.ए. पुरम, चेन्नई-600028

विषयः आन्ध्रा बैंक, अन्ना नगर शाखा, चैन्नई-600040 बनाम मै. वेन्टेज रिजॉर्ट्स एंड क्लब्स (पी) लि., चेन्नई-600028 एवं अन्य के मामले में ओ.ए. नं. 1/2012 में डीआरसी नं. 30/2019 में मांग सूचना

डीआरसी नं. 30/2019 में 18.2.2019 को जारी मांग सूचना के अधिक्रम में जैसा कि ओ.ए 01/2012 में आदेश तिथि 31.8.2019 तथा वसूली प्रमाणपत्र सं. 30/2019 तिथि 25.1.2019 के संशोधन में संशोधित वसूली प्रमाणपत्र तिथि 22.10.2019 के अनुसार यह निर्दिष्ट करते हुए ऋणों की वसूली तथा दिवालिया अधिनियम, 1993 (1993 के अधिनियम 51) की धारा 19 (7 एवं 22) के अंतर्गत माननीय पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण-1, चेन्नई द्वारा अग्रसारित किया गया है कि रु. 4,85,54,271.30 पैसे (रुपये चार करोड़ पचासी लाख चौवन हजार दो सौ इकहत्तर एवं पैसे तीस मात्र) की राशि जिसका विवरण संलग्न परिशिष्ट में दिया गया है, तथा ओए नं. 01/2012 दाखिल करने की तिथि से वसूली की तिथि तक संयुक्त तथा पृथक रूप से आप पर बकाया है जिसकी वसूली की जानी है।
एतद्द्वारा आपको निर्देश दिया जाता है कि इस सूचना की प्राप्ति की तिथि से 15 दिनों के भीतर संयुक्त तथा पृथक रूप से उक्त राशि का भुगतान करें अन्यथा आयकर अधिनियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची में वर्णित नियमों के साथ पठित ऋणों की वसूली तथा दिवालिया अधिनियम, 1993 की धारा 25 के अनुसार यह वसूली की जायेगी। ऊपर वर्णित यह भुगतान अधोहस्ताक्षरी की जानकारी के अधीन आवेदक बैंक को अथवा उपरोक्त डीआरसी में क्रेडिट के लिये अधोहस्ताक्षरी के पास की जायेगी।
उपरोक्त राशि के अतिरिक्त आप बकाये की वसूली के लिये की गई सभी कार्रवाइयों के संदर्भ में वहन की गई सभी लागतों, शुल्कों तथा खर्चे के साथ अधिकरण द्वारा पारित अंतिम आदेश के अनुसार देय ब्याज के भुगतान के लिये भी संयुक्त तथा पृथक रूप से उत्तरदायी होंगे।
आपको पुनः सूचित किया जाता है कि वसूली नियमावली के नियम 16 के अनुसार आप/आपके इच्छुक प्रतिनिधि रिकवरी अधिकारी की अनुमति के बिना आपके स्वामित्व की किसी भी सम्पत्ति को गिरवी रखने, चार्ज, पट्टा करने के लिये सक्षम नहीं होंगे।
(एम.ए. प्रबाकरण)
रिकवरी अधिकारी

मैसर्स वाईएस मर्चेण्डाइज इण्टरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड
(सीआईआरपी, आईबीसी 2019 के तहत)
समाधान प्रोफेशनल का पंजीकृत पता : ई-29, साउथ एक्सटेंशन-II, नई दिल्ली-110049
पत्राचार का पता : 904, जीएफ, सेक्टर-7सी, फरीदाबाद-121006
सम्पर्क : +91-9811347648, ई-मेल आईडीः irpysmarchandise2019@gmail.com

ई-नीलामी विक्रय सूचना

ऋणशोधन तथा दिवालिया संहिता 2016 एवं उसके तहत विनियम के अधीन एतद्वारा सार्वजनिक रूप से सूचना दी जाती है कि नीचे तालिका में उल्लिखित वस्तुओं का विक्रय वेबसाइट http://www.eauctions.co.in के माध्यम से सेवा प्रदाता मैसर्स लिंकस्टार इन्फोसिस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा ई-नीलामी के माध्यम से की जायेगी।

नीलामी की तिथि एवं समय	शुक्रवार, 15.11.2019 को 02.00 बजे अपराह्न से 05.00 बजे अपराह्न के बीच
ज.ध.रा. जमा करने की अन्तिम तिथि	बृहस्पतिवार, 14.11.2019 को 05.00 बजे अपराह्न से पूर्व
निरीक्षण की तिथि तथा समय	08.11.2019 से 12.11.2019 तक (11.00 बजे पूर्वाह्न से 5.00 बजे अपराह्न तक) सम्पर्क व्यक्ति राहुल कुमार (मो. नं. : 91-7011568767)

लॉट सं.	विवरण	स्थिति	आरक्षित मूल्य (रु. लाख में)	ज.ध.रा. (रु. लाख में)
1.	गुड्स फुटवियर, परिधान, बेल्ट, अनेक प्रसिद्ध ब्राण्ड के बैग का स्टॉक	गुरुग्राम तथा घिटोरनी, नई दिल्ली	99.00	4.95
2.	कार होण्डा सिटी	गुरुग्राम	5.71	0.29
3.	कार्यालयी उपकरण : कम्प्यूटर, लैपटॉप, प्रिन्टर, कैमरा, एलसीडी, माइक्रोवेव तथा रेफ्रिजरेटर	गुरुग्राम	1.37	0.07

इच्छुक संविदाकारों द्वारा ज.ध.रा. (प्रतिदेय) ''वाईएस मर्चेण्डाइज इण्टरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड (सीआईआरपी में)'' जिसका बैंक खाता कॉर्पोरेशन बैंक, गुरुग्राम में, खाता सं.: 510341000682095 तथा आईएफएससी कोड CORP0001171 है, में एनईएफटी/आरटीजीएस/डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में 14.11.2019 को या इससे पूर्व देय होगी ई-नीलामी विक्रय के विस्तृत नियम एवं शर्तों तथा वस्तुओं की सूची के लिए http://www.eauctions.co.in पर उपलब्ध TENDER DOCUMENT देखें। ई-नीलामी सम्बन्धी पूछताछ के लिए श्री दीक्षित प्रजापति (मो. : 78741 38237) से admin@eauctions.co.in पर या समाधान प्रोफेशनल से सम्पर्क करें।

सुनील कुमार अग्रवाल
समाधान प्रोफेशनल
स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 06.11.2019 आईबीबीआई पंजीकरण सं.: IBBI/IPA-002/1P-N00081/2017-2018/10222

मिडईस्ट (इंडिया) लि.
पंजी. कार्यालयः भूतल, 8/15, मेहराम नगर, नई दिल्ली-110037
CIN:L63090DL1977PLC008684
Tel: +91-11-25675344, 69333390
Email id: nsparameswaran@mescosteel.com
Website: www.mideastindialtd.com

सूचना

सेबी (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 47(1) (ए) के साथ पठित विनियमन 29(1)(ए) के अनुपालन में एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी के निदेशक मंडल की बैठक गुरुवार, 14 नवम्बर, 2019 को नई दिल्ली 110048 में आयोजित की जायेगी जिसमें अन्य विषयों के साथ 30 सितम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही तथा छमाही के अनंकेक्षित स्टैण्डएलॉन वित्तीय परिणामों पर विचार तथा अनुमोदन किये जाएंगे।
उक्त सूचना कम्पनी की वेबसाईट www.mideastindialtd.com तथा साथ ही स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाईट www.bseindia. com पर भी देखी जा सकती है।

मिडईस्ट (इंडिया) लि. के लिए
हस्ता./-
रीता सिंह
स्थानः नई दिल्ली निदेशक
तिथिः 7.11.2019 DIN: 00082263

PRECISION ELECTRONICS LIMITED
Regd. Office: D-1081, New Friends Colony New Delhi-110025
CIN: L32104DL1979PLC009590

Notice of Board Meeting

Notice is hereby given that pursuant to SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, meeting of Board of Directors of the Company shall be held on Wednesday, November 13, 2019 at 11.30 a.m. to consider inter-alia the Un-Audited Financial Results of the Company for the quarter ended September 30, 2019.
The notice is also available on Company's website www.pel-india.com and Bombay stock exchange www.bseindia.com.

For Precision Electronics Limited
Sd/-
Veenita Puri
Place: Noida Company Secretary &
Date: 06.11.2019 Compliance Officer

जेडीएस फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड
सीआईएनः L65999DL1984PLC018035
पंजीकृत कार्यालय : 307, लूसा टॉवर, आजादपुर, दिल्ली-110033
वेबसाइटः www.jdsfinance.in,
ई-मेल आईडीः info@jdsfinance.in

सूचना

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 47 के साथ पठित विनियम 29 के अनुसार, एतद्वारा सूचना दी जाती है कि 30 सितम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही के लिए अन्य बातों के साथ-साथ कम्पनी के अलेखापर

दिल्ली में प्याज के दाम हुए 80 रुपए किलोग्राम

नई दिल्ली, 6 नवंबर (भाषा)।

सरकार के आपूर्ति बढ़ाने और कीमतों को नियंत्रण रखने के कदमों के बावजूद दिल्ली में पिछले एक हफ्ते में प्याज का खुदरा मूल्य 45 फीसद बढ़कर 80 रुपए किलोग्राम पहुंच गया है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, एक अक्तूबर को प्याज का भाव 55 रुपए किलो था।

महाराष्ट्र जैसे प्याज उत्पादक राज्यों में भारी बारिश के बाद इस सब्जी की आपूर्ति पर असर पड़ा है। इससे राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्याज की कीमतें आसमान छू रही हैं। आकंड़ों के मुताबिक, प्याज की कीमतों में पिछले साल की तुलना में करीब तीन गुना वृद्धि हुई है। नवंबर 2018 में खुदरा बाजार में प्याज का भाव 30-35 रुपए किलोग्राम था।

दिल्ली ही नहीं बल्कि देशभर के अन्य क्षेत्रों में भी प्याज की कीमतें बहुत अधिक हैं। हालांकि दिल्ली में, प्याज 'राजनीतिक रूप से संवेदनशील' वस्तु रही है। उपभोक्ता मामले के मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया- आने वाले दिनों में प्याज के दाम में नरमी आ सकती है क्योंकि महाराष्ट्र , राजस्थान और कर्नाटक में नई फसल की आवक शुरू हो गई है। हालांकि , बेमौसम बारिश की वजह से इन्हें उपभोक्ता क्षेत्रों तक लाने में दिक्कत हो रही है। सहकारी संस्था नेफेड के बफर स्टॉक से आपूर्ति करने से दिल्ली में प्याज की उपलब्धता सुधर रही है।अधिकारी ने कहा कि मदर डेयरी दिल्ली - एनसीआर में 400 से अधिक सफल बिक्री केंद्रों के माध्यम से बफर स्टॉक से 24.90 रुपए प्रति किलोग्रामग्राम की दर से प्याज बेच रही है। हालांकि, कुछ केंद्रों पर प्याज का स्टॉक खत्म हो गया है और ग्राहकों को निराश होकर लौटना पड़ रहा है।

इस बीच , सरकार ने अफगानिस्तान , मिस्त्र, तुर्की और ईरान से प्याज के निजी आयात की सुविधा देने का फैसला किया है। अधिकारी ने कहा कि निजी व्यापारियों ने सरकार को बताया कि आयातित प्याज के 80 कंटेनर भारतीय बंदरगाहों पर पहुंच चुके हैं और सौ कंटेनरों को समुद्री मार्ग से भारत भेजा जा सकता है।

ईपीएस 95 योजना में न्यूनतम पेंशन साढ़े सात हजार करने की मांग, पेंशनधारक करेंगे आंदोलन

नई दिल्ली, 6 नवंबर (भाषा)।

ईपीएफओ के दायरे में आने वाले कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए मासिक किए जाने की मांग को लेकर राष्ट्रीय संघर्ष समिति (एनएसी) ने पूरे देश में आंदोलन करने का निर्णय किया है। एनएसी ने बुधवार को कहा कि संगठन में शामिल पेंशनभोगी दिल्ली में अगले माह रास्ता रोको अभियान चलाएंगे।

एनएसी के राष्ट्रीय संयोजक और अध्यक्ष अशोक राउत ने बातचीत में कहा- तीस - तीस साल काम करने और ईपीएस आधारित पेंशन मद में निरंतर योगदान करने के बाद भी कर्मचारियों को मासिक पेंशन के रूप में अधिकतम 2,500 रुपए ही मिल रहे हैं। इससे कर्मचारियों और उनके परिजनों का गुजर - बसर करना कठिन है।

एनएससी कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस), 95 के दायरे में आने वाले कामगारों के लिये मासिक मूल पेंशन के रूप में 7,500 रुपए के साथ इस पर महंगाई भत्ता देने , कर्मचारियों के पति / पत्नी को मुफ्त चिकित्सा सुविधा देने समेत अन्य मांग कर रहे हैं। इसके अलावा संगठन ने पेंशन के बारे में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करने तथा ईपीएस 95 के दायरे में नहीं आने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी 5,000 रुपए मासिक पेंशन देने की मांग की है।

राउत ने कहा- हम लंबे समय से सरकार से कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस), 95 के दायरे में आने वाले कर्मचारियों की पेंशन बढ़ाकर 7,500 रुपए मासिक किये जाने तथा उस पर महंगाई भत्ता देने की मांग कर रहे हैं।

उन्होंने कहा- अपनी मांगों के समर्थन में पेंशनभोगियों ने दिल्ली में सात दिसंबर से रास्ता रोको आंदोलन शुरू करने का निर्णय किया है। इसके अलावा पेंशनभोगी गांव से लेकर राज्य स्तर पर आंदोलन कर रहे हैं। संगठन के बयान के अनुसार पेंशनभोगी एक नवंबर से 10 नवंबर तक गांव से लेकर राज्य स्तर पर आंदोलन कर रहे हैं। चार से छह दिसंबर तक वे दिल्ली में आंदोलन करेंगे। मांगें नहीं मांगने पर वे सात दिसंबर को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रास्ता रोको आंदोलन शुरू करेंगे। समिति का दावा है कि करीब 65 लाख ईपीएस पेंशनभोगी उनके साथ जुड़े हैं।

सूचकांक ने बनाई 222 अंकों की बढ़त

मुंबई, 6 नवंबर (भाषा)।

वृद्धि को प्रोत्साहन के लिए और सुधारों की उम्मीद के बीच बैंक शेयरों में लाभ से बुधवार को बंबई शेयर बाजार का सूचकांक 222 अंक की बढ़त के साथ 40,469.78 अंक के नए रेकार्ड स्तर पर बंद हुआ। बंबई शेयर बाजार का 30 शेयरों वाला सूचकांक उतार-चढ़ाव भरे कारोबार में दिन में एक समय 40,606.91 अंक तक भी पहुंच गया था, जो कारोबार के दौरान अब तक दर्ज इसका सबसे ऊंचा स्तर है। अंत में सूचकांक 221.55 अंक या 0.55 फीसद की बढ़त के साथ 40,469.78 अंक के नए रेकार्ड स्तर पर बंद हुआ। इससे पहले चार नवंबर यानी सोमवार को सूचकांक 40,301.96 अंक के नए उच्चस्तर पर बंद हुआ था।

इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 12,000 अंक के स्तर को छूने के बाद अंत में 48.85 अंक या 0.41 फीसद की बढ़त के साथ 11,966.05 अंक पर बंद हुआ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार शाम को कहा था कि सरकार रियल्टी क्षेत्र के समक्ष आ रही दिक्कतों को दूर करने के लिए कदम उठा रही है। सूचकांक की कंपनियों में आइसीआइसीआइ बैंक, इन्फोसिस, एचडीएफसी, इंडसइंड बैंक, टाटा मोटर्स, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, एलएंडटी, येस बैंक और हिंदुस्तान यूनिलीवर 2.64 फीसद तक चढ़ गए।

वहीं दूसरी ओर भारती एअरटेल, रिलायंस इंडस्ट्रीज, बजाज फाइनेंस, ओएनजीसी, एचसीएल टेक, आइटीसी और सनफार्मा में 3.31 फीसद तक की गिरावट दर्ज हुई। जियोजीत फाइनेंशियल सिंवसेज के शोध प्रमुख विनोद नायर ने कहा- वित्त मंत्री द्वारा निकट भविष्य में सुधारों की रफ्तार तेज करने की प्रतिबद्धता जताने के बाद बाजार नई ऊंचाई पर पहुंच गया। नए उपायों की उम्मीद के बीच रियल्टी और वित्तीय कंपनियों के शेयरों में लाभ रहा। नायर ने कहा कि इसके अलावा सूचकांक की बड़ी कंपनियों के तिमाही नतीजे बेहतर रहे हैं। इससे भी निवेशकों की धारणा को बल मिला है। बीएसई मिडकैप में 0.15 फीसद का लाभ रहा। वहीं स्मॉलकैप 0.36 फीसद नीचे आया।

कोयला मंत्रालय कोल इंडिया के विदेशों में संपत्ति अधिग्रहण के पक्ष में नहीं: जोशी

कोलकाता, 6 नवंबर (भाषा)।

कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने बुधवार को कहा कि उनका मंत्रालय विदेशों में कोल इंडिया (सीआईएल) द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण के पक्ष में नहीं है। मंत्री ने कहा कि पिछले साल भारत ने 23.5 करोड़ टन कोयला का आयात किया और इस मद में 2.71 लाख करोड़ रुपए विदेशी पूंजी खर्च हुई।

आठवीं एशियन माइनिंग कांग्रेस के दौरान अलग से बातचीत में जोशी ने कहा- फिलहाल यह सोच है कि विदेशों में कोयला संपत्ति का अधिग्रहण नहीं करना है और केवल प्रतिस्पर्धी मूल्य पर कोयला प्राप्त करने के लिए पहले से आर्डर देने की बात है। उन्होंने कहा कि हमारा इरादा और लक्ष्य बिल्कुल साफ है। हम घरेलू स्तर पर कोयला उत्पादन चाहते हैं। जोशी ने पहले ही कोल इंडिया के लिये एक अरब टन उत्पादन लक्ष्य दो साल खिसकाकर 2023-24 कर दिया है।

एफडीआइ (प्रत्यक्ष विदेशी निवेश) से जुड़े एक सवाल के जवाब में मंत्री ने कहा कि वह चाहते हैं कि कोल इंडिया सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी बनी रहे। कोल इंडिया के चेयरमैन एके झा ने कहा कि कोल इंडिया केवल कोकिग कोयला संपत्ति में हिस्सेदारी पर ध्यान दे रही है। उन्होंने कहा कि कोल इंडिया 'कोल बेड मिथेन' निविदा पर काम कर रही है लेकिन इसे अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

भारत तेल आयात निर्भरता में 2022 तक 10 फीसद की कमी लाने के रास्ते पर : प्रधान

नई दिल्ली, 6 नवंबर (भाषा)।

पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बुधवार को कहा कि सरकार 2020 तक तेल आयात पर निर्भरता में 10 फीसद की कमी लाने के रास्ते पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च 2015 में 'ऊर्जा संगम' में कहा था कि भारत को तेल आयात पर निर्भरता 2013-14 के 77 फीसद के स्तर से घटाकर आजादी की 75वीं वर्षगांठ 2022 तक 67 फीसद पर लाने की जरूरत है।

उन्होंने कहा था कि इस निर्भरता में 2030 तक आधे की कटौती की जा सकती है। पेट्रोलियम मंत्रालय की पेट्रोलियम योजना व विश्लेषण प्रकोष्ठ (पीपीएसी) के आंकड़ों के अनुसार हालांकि खपत में तीव्र गति से वृद्धि और घरेलू उत्पादन के स्थिर रहने के कारण देश की तेल आयात पर निर्भरता 2018-19 में बढ़कर 83.7 फीसद पर पहुंच गई जो 2017-18 में 82.9 फीसद थी। एक कार्यक्रम में प्रधान ने संवाददाताओं से अलग से बातचीत में कहा- हम रास्ते पर है। हम लक्ष्य हासिल करेंगे। सरकार जैव-ईंधन के उपयोग को बढ़ाने के साथ कच्चे तेल व गैस का घरेलू उत्पादन में वृद्धि और आयात कम करने पर ध्यान दे रही है। प्रधान ने कहा कि फिलहाल पेट्रोल में एथनॉल मिश्रण को बढ़ाकर 6 फीसद किया गया है।

शशांक ट्रेडर्स लिमिटेड
सीआईएन : L52110DL1985PLC021076
पंजीकृत कार्यालय : 702-ए, अरुणाचल बिल्डिंग, 19 बाराखम्भा रोड, कनाट प्लेस, नई दिल्ली-110001
ई-मेलः info@shashankinfo.in
सूचना
सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 29 के अनुसार, एतद्वारा सूचना दी जाती है कि 30 सितम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही तथा छमाही के लिए कम्पनी के अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार तथा अनुमोदन कम्पनी के निदेशक मण्डल की बैठक बृहस्पतिवार, 14 नवम्बर, 2019 को आयोजित की जायेगी।
कृते शशांक ट्रेडर्स लिमिटेड
ह./-
दिनांक : 06.11.2019 निपुण जैन
स्थान : नई दिल्ली निदेशक
डीआईएन : 05289775

जिंदल फोटो लिमिटेड
पंजी. कार्यालय : 19वां के.एम., हापुड़-पिलखुवा रोड, पी.ओ. पिलखुवा, जिला हापुड़-245304 (उत्तर प्रदेश)
सीआईएन : L33209UP2004PLC095076
ई-मेल : cs.jphoto@jindalgroup.com
वेबसाइट : www.jindalphoto.com
फोन : 011-26139256
सूचना
सेबी (सूचीयन दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 के अनुसरण में एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी के निदेशक मंडल की एक बैठक बृहस्पतिवार, 14 नवम्बर, 2019 को आयोजित की जाएगी, जिसमें अन्य विषयों के साथ, 30 सितम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही और अर्द्ध वर्ष हेतु कम्पनी के अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार एवं अनुमोदन किया जाएगा।
उक्त सूचना कम्पनी की वेबसाइट www.jindalphoto.com तथा स्टाक एक्सचेन्जेज की वेबसाइट नामत www.nseindia.com एवं www.bseindia.com पर भी उपलब्ध है।
वास्ते जिंदल फोटो लिमिटेड
स्थान : नई दिल्ली हस्ता./-
दिनांक: 06.11.2019 कम्पनी सचिव

INTERNATIONAL SECURITIES LIMITED
Regd. Office: 14 (II Floor, Front Block), Sagar Apartments, 6, Tilak Marg, New Delhi -110001
CIN- L74899DL1993PLC053034
Notice
Notice is hereby given pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Thursday, 14th day of November, 2019, inter-alia, to consider and approve the Un-audited Financial Results of the Company for the quarter ended on 30th September, 2019.
The information contained in this notice is also available on the Company's website at www.internationalsecuritiesltd.com and the website of the Stock Exchange Metropolitan Stock Exchange of India Ltd.- www.msei.in
For International Securities Limited
Sd/-
Rajeev Kumar Gupta
Place : New Delhi Whole Time Director
Date : 06.11.2019 DIN-00039399

WISEC GLOBAL LTD
NH-II, 2ND Floor, C-Block Community Center, Naraina Vihar, New Delhi-110028
NOTICE
Pursuant to the provision of Clause 49 (I) (C) of the Listing Agreement, notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Thursday, 14th September, 2019, to inter-alia, consider, approve and take on record the un-audited financial results of the Company for the quarter ended on 30 September, 2019.
For Wisec Global Limited
Date: 04/11/2019 Komal Kalra
Place: New Delhi Company Secretary

फॉर्म ए
सार्वजनिक घोषणा
(भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड के विनियम 6 के अंतर्गत (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया) विनियम, 2016)
[मैसर्स वांडेयू इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड] के क्रेडिटर्स के ध्यानार्थ

	प्रासंगिक विवरण	
1.	कॉर्पोरेट ऋणी का नाम	मैसर्स वांडेयू इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड
2.	कॉर्पोरेट ऋणी के निगमन की तिथि	04.11.2016
3.	प्राधिकृत जिसके अधीन कॉर्पोरेट ऋणी निगमन/ पंजीकृत है	रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज, एनसीटी ऑफ दिल्ली एंड हरियाणा
4.	कॉर्पोरेट ऋणी की कॉर्पोरेट पहचान संख्या/ सीमित देयता पहचान संख्या	U18100DL2016FTC287085
5.	कॉर्पोरेट ऋणी का पंजीकृत कार्यालय और प्रिंसिपल कार्यालय का पता (यदि कोई हो)	प्लॉट नं. एच-14, उद्योग नगर पीश्चमपुरी नई दिल्ली-110063
6.	कॉर्पोरेट ऋणी के संबंध में दिवाला प्रारंभ तिथि	01 नवम्बर, 2019 (दिनांक 01 नवम्बर, 2019 को माननीय एनसीएलटी के आदेश की सही प्रमाणित प्रति 05 नवम्बर 2019 को प्राप्त हुई)
7.	दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया के बंद होने की अनुमानित तिथि	02 मई, 2020
8.	अंतरिम प्रस्ताव पेशेवर के रूप में अभिनामित दिवाला पेशेवर का नाम और पंजीकरण संख्या	देवनिधि आर्य पंजीकरण संख्या: IBBI/IPA/001/IP-P00148/2017-18/10312
9.	बोर्ड के साथ पंजीकृत अंतरिम प्रस्ताव पेशेवर का पता और ईमेल	पताः 308-310, अग्रवाल चैंबर-2, 30-31, वीर सावरकर ब्लॉक, शकरपुर, दिल्ली-10092 ईमेल आईडी: devcryalca@gmail.com लैंडलाइन नं0: 011-43215950 मोबाइल नं0: +91-9818125950
10.	अंतरिम संकल्प पेशेवर के साथ पत्राचार के लिए उपयोग वाला पता और ई-मेल	पताः 308-310, अग्रवाल चैंबर-2, 30-31, वीर सावरकर ब्लॉक, शकरपुर, दिल्ली-10092 ईमेल पताः cp.verdeu@gmail.com
11.	दावे प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	18 नवम्बर, 2019
12.	अंतरिम संकल्प पेशेवर द्वारा निर्धारित धारा 21 के उप- धारा (6 ए) के खंड (बी) के तहत लेनदारों की श्रेणी, यदि कोई हो,	लागू नहीं
13.	दिवालियापन पेशेवरों के नाम एक श्रेणी में लेनदारों के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए पहचाने जाते हैं (प्रत्येक श्रेणी के लिए तीन नाम)	लागू नहीं
14.	(ए) प्रारूपिक रूप और (बी) अधिकृत प्रतिनिधियों का विवरण जहां उपलब्ध है:	ए) वेबलिंक: https://www.ibbi.gov.in/home/downloads बी) लागू नहीं

नोटिस के अनुसार यह बताया गया है कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, नई दिल्ली ने 1 नवम्बर, 2019 को मैसर्स वांडेयू इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के कॉरपोरेट दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है. 05 नवम्बर, 2019 को आईआरपी द्वारा आदेश प्राप्त किया गया था।
मैसर्स वांडेयू इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के लेनदारों को आइटम 10 के सामने दिए गए अंतरिम प्रस्ताव पेशेवर के पते पर 18 नवम्बर, 2019 तक या उससे पहले प्रमाण के साथ अपने दावों को प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है।
वित्तीय लेनदारों को केवल इलेक्ट्रॉनिक तरीके से प्रमाण के साथ अपने दावों को जमा करना होगा। अन्य सभी लेनदार प्रमाण के साथ अपने दावों को व्यक्तिगत या डाक या इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जमा कर सकते हैं।
प्रविधि सं. 12 के अधीन सूचीबद्ध अनुसार वर्ग से संबंध रखने वाले वित्तीय लेनदार को फार्म सीए वर्ग [निर्दिष्ट वर्ग] के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए प्रविधि सं. 13 के अधीन सूचीबद्ध तीन इन्सॉल्वेंसी व्यावसायियों में से अपनी पसंद का अधिकृत प्रतिनिधि दर्शाना होगा। (लागू नहीं)।
दावों के झूठे या मिथ्या प्रमाण जमा करने पर जुर्माना देना होगा।
हस्ता/-
स्थानः नई दिल्ली देवनिधि आर्य
दिनांकः 07.11.2019 IBBI/IPA/001/IP-P00148/2017-18/10312

INDIAN SUCROSE LIMITED
CIN: L15424PB1990PLC010903
Registered Office: G.T. Road, Mukerian, Distt. Hoshiarpur, Punjab-144211
Phone: +91-9115110651/52/53
Website: www.muksug.com,
Email: yaducare@gmail.com, isl.investor@yaducorporation.com
NOTICE CALLING BOARD MEETING
Pursuant to Regulation 29(1) (a) of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations & disclosure Requirements) Regulations 2015, ("LODR Regulations") Notice is hereby given that the meeting of Board of Directors of the Company, will be held on **Thursday, the 14th Day of November 2019 at 3:00 P.M.** at registered office G.T. Road, Mukerian, Distt. Hoshiarpur, Punjab-144211 at inter-alia, to consider and approve the Un-audited Financial Results along-with limited review report for the quarter and half year ended on 30th day of September, 2019 and to transact all other business with the permission of the chair.
Further, in terms of the Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) (Amendment) Regulations, 2018 and Company's Code of Conduct for Prohibition of Insider Trading, the "Trading Window" for trading in the shares of the Company as already intimated was remain closed for all Designated Persons (as defined in the Code) from 01st October, 2019 till 48 hours after the announcement of financial results of the Company to Stock Exchange.
By Order of the Board of Director
For Indian Sucrose Limited
Sd/-
Place: Punjab Anamika Raju
Date: 06.11.2019 (Company Secretary)

BLS INTERNATIONAL SERVICES LIMITED
Regd Office : G-4B-1, Extension Mohan Co-operative Indl. Estate, Mathura Road, New Delhi - 110044
CIN : L51909DL1983PLC016907
Website : http://www.blsinternational.com
Email : compliance@blsinternational.net
Contact no. +91 11 46890096
NOTICE
Pursuant to Provisions of Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015, Notice is hereby given that the meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Thursday, November 14, 2019 at 3:00 P.M. at 1st Floor, Vijaya Building, 17, Barakhamba Road, New Delhi - 110001 interalia, to consider and approve the Unaudited Financial Results for the Second Quarter ended 30th September 2019.
Pursuant to provisions of SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015 the Trading Window for dealing in the securities of the Company already closed for Directors, Officers and Designated Employees of the Company will reopen 48 hours after the Unaudited Financial Results for the second Quarter ended 30th September, 2019 are made public on November 14, 2019.
The information contained in this Notice is also available on the Company's website www.blsinternational.com and on the website of National Stock Exchange of India Ltd. (NSE) www.nseindia.com, BSE Limited www.bseindia.com and Metropolitan Stock Exchange of India Ltd. www.msei.in.
By Order of the Board
For BLS International Services Ltd.
Sd/-
Place : New Delhi
Date : 07.11.2019 Archana Maini
(General Counsel & Company Secretary)
M.No: 16092

सूरज इण्डस्ट्रीज लि.
CIN: L26943HP1992PLC016791
ई-मेल- secretarial@surajindustries.org
पंजी कार्या. : प्लॉट न 2, फेज 3, सन्गरपुर टैरेस, जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश-173212
कॉरपोरेट कार्यालय: एफ-32 / 3, प्रथम तल, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-2 नई दिल्ली-110020
संपर्क सूत्र 01970-256414
सूचना
एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि सेबी (सूचीयन दायित्व एवं उद्घाटन अपेक्षा) विनियम, 2015 के विनियम 29 के साथ पठित विनियम 33 के अनुपालन में **मैसर्स सूरज इण्डस्ट्रीज लि.** के निदेशक मण्डल की बैठक गुरुवार, 14 नवम्बर, 2019 को सायं 2.45 बजे **एफ-32/3, प्रथम तल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज-II, नई दिल्ली-110020** में आयोजित की जाएगी जिसमें 30 सितम्बर 2019 को कम्पनी के समाप्त तिमाही एवं छमाही के अनअंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार तथा अनुमोदन किया जायेगा। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी कम्पनी की वेबसाइट अर्थात **www.surajindustries.org** अथवा स्टॉक एक्सचेंज वेबसाइट अर्थात **www.bseindia.com** में संपर्क कीजिए।
कृते सूरज इण्डस्ट्रीज लि.
हस्ता/-
स्थानः नई दिल्ली भानुमति रामचन्द्रण
तिथि: 06.11.2019 कम्पनी सचिव

NORTH EASTERN CARRYING CORPORATION LIMITED
CIN: L51909DL1984PLC019485
9062/47, Ram Bagh Road, Azad Market, Delhi - 110006
Email ID: cs@neccgroup.com, Tel No.: 011-23517516-19
NOTICE
Pursuant to Regulation 29 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we hereby give notice that the Meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on **Thursday, November 14, 2019** inter-alia to consider and approve Unaudited Financial Results of the Company for the second quarter endad September 30, 2019.
Further, it is informed that as per Company's Code of Internal Procedures and Conduct for Regulating, Monitoring and Reporting of Trading by Insiders framed pursuant to the SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015, the 'Trading Window' is already closed from Tuesday, October 1, 2019. The window will be opened from the conclusion of 48 hours from the declaration of un-audited Financial Results of the Company. The period of closure of Trading Window is from Tuesday, October 1, 2019 to Saturday, November 16, 2019 and Trading Window will open with effect from Sunday, November 17, 2019.
The information is also available on the Website of the Company **www.neccgroup.com** and on the website of Stock Exchanges i.e. **www.bseindia.com** and **www.nseindia.com**
On behalf of the Board of Directors
Sd/-
(Sunil Kumar Jain)
Date : 06.11.2019 Chairman & Managing Director
Place : Delhi DIN: 00010695

VIRTUAL GLOBAL EDUCATION LIMITED
CIN: L67120DL1993PLC052256
Regd. Off: - 104, Palco House 2162/T-10, Main Patel Road, New Delhi-110008
E-mail Id: csvirtualeducation@gmail.com
Website : www.vgel.co.in.Ph: 011-25702148
NOTICE
Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Notice is hereby given that the 3rd Meeting of 2019 of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Thursday, November 14, 2019, at 02:00 P.M. at registered office of the Company inter-alia, to consider and approve the Unaudited Financial Results of the Company for the quarter and half year ended September 30, 2019 and any other item with the permission of Chair.
The said Notice and the Financial results may be accessed under Investors Relations Section on the website of the Company and Stock Exchange i.e. www.vgel.co.in and www.bseindia.com, respectively
For Virtual Global Education Limited
Sd/-
Neeraj Kaushik
Place : New Delhi Director
Date : 06.11.2019 DIN: 02462310

दि फेडरेशन ऑफ होटल ऐंड रेस्टोरेंट एसोशिएसन्स ऑफ इण्डिया
पंजी. कार्यालय : बी-52, 8वां तल, हिमालय हाउस, 23 कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली-110001
फोन: 011-40780780, फैक्स: 011-40780777, वेबसाइट: www.fhrai.com, ई-मेल: fhrai@fhrai.com
63वीं वार्षिक सामान्य बैठक की सूचना
एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि दि फेडरेशन ऑफ होटल ऐंड रेस्टोरेंट एसोशिएसन्स ऑफ इण्डिया (एफएचआरएआई) के सदस्यों की 63वीं वार्षिक सामान्य बैठक प्राइड प्लाजा होटल, हॉल, नई दिल्ली-110037 (011-71600700) में शनिवार 29 नवम्बर 2019 को अप. 2.00 बजे आयोजित की जाएगी जिसमें निम्नलिखित कार्य निष्पादित किया जाएगा:
- 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु वार्षिक लेखा का अभिग्रहण।
i. रिमोट ई-वोटिंग सुविधा बुधवार, 20 नवम्बर 2019 को पूर्वा. 9.30 बजे आरंभ होगी तथा शुक्रवार, 22 नवम्बर, 2019 को अप. 5.30 बजे समाप्त होगी।
ii. सदस्यता के नवीनीकरण हेतु समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करने और तद्द्वारा रिमोट ई-वोटिंग के लिए और वार्षिक सामान्य बैठक में वोटिंग के लिए मान्य होने के उद्देश्य हेतु कट-ऑफ तिथि **शनिवार 16 नवम्बर, 2019** है।
iii. एजीएम में मत-पत्र के माध्यम से मतदान की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। बैठक में उपस्थित सदस्यगण, जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा मतदान नहीं किया है, वे बैठक में अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए योग्य होंगे।
iv. कोई सदस्य रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान के अपने अधिकार का प्रयोग करने के उपरान्त भी बैठक में प्रतिभागिता कर सकता है, परन्तु उसको बैठक में पुनः मतदान करने की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी।
v. 63वीं एजीएम की सूचना कम्पनी की वेबसाइट www.fhrai.com पर तथा कार्वी की वेबसाइट www.karvyfintech.com पर उपलब्ध है।
vi. इलेक्ट्रॉनिक मतदान के संदर्भ में पूछताछ की स्थिति में सदस्यगण श्री एस वी राजू, उप महाप्रबन्धक कार्वी कम्प्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड, कार्वी सेलेनियम टावर बी, प्लॉट 31 एवं 32, वित्तीय जिला, गाचीबावली, नानकरामगुडा, हैदराबाद-500 032 (ई-मेल : nagaraja.ds@karvy.com) से सम्पर्क कर सकते हैं।
कृते दि फेडरेशन ऑफ होटल ऐंड रेस्टोरेंट एसोशिएसन्स ऑफ इण्डिया
हस्ता./-
तिथि : 07-11-2019 राहुल लाल
स्थान : नई दिल्ली महासचिव

प्ररूप क
सार्वजनिक घोषणा
(भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (स्वैच्छिक समापन प्रक्रिया) विनियमन, 2017 के विनियम 14 के अधीन)
पैट्रोमीडिया मैरीन इंटेलिजेंस प्राइवेट लिमिटेड के पक्षकारों के ध्यानार्थ

1.	कार्पोरेट व्यक्ति का नाम	पैट्रोमीडिया मैरीन इंटेलिजेंस प्राइवेट लिमिटेड
2.	कार्पोरेट व्यक्ति के निगमन की तिथि	27/04/2011
3.	प्राधिकरण जिसके अधीन कार्पोरेट व्यक्ति निगमित है	रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज - दिल्ली कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत
4.	कार्पोरेट व्यक्ति की कार्पोरेट पहचान संख्या	CIN: U74140DL2011PTC311173
5.	कार्पोरेट व्यक्ति के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय और प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो तो) का पता	**पंजीकृत कार्यालय**: पी-29, ग्रीन पार्क एक्सटेंशन, नई दिल्ली - 110016
6.	कार्पोरेट व्यक्ति का समापन प्रारंभ होने की तिथि	दिनांक 08/08/2019 को असाधारण सभा की बैठक में विशेष प्रस्ताव पारित (परिसमापक को सूचना **06 नवंबर, 2019** को प्राप्त हुई)
7.	परिसमापक का नाम, पता, ई-मेल पता, दूरभाष संख्या तथा पंजीकरण संख्या	**नाम**: मुनीश कुमार शर्मा **पंजीकरण सं**: IBBI/IPA-002/IP-N00053/2016-2017/10094 **पता**: एएएफ-14, शिप्रा कृष्णा एंजूर, कौशाम्बी, गाजियाबाद-201012 **ई-मेल**: munish@mksadvisors.com **टेलीफोन** 0120-4165725, 98185-67143
8.	दावे जमा करने की अन्तिम तिथि	06.12.2019

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि **पैट्रोमीडिया मैरीन इंटेलिजेंस प्राइवेट लिमिटेड** ने **06 अगस्त 2019** को स्वैच्छिक समापन आरम्भ किया है।
पैट्रोमीडिया मैरीन इंटेलिजेंस प्राइवेट लिमिटेड के पक्षकारों को एतद्द्वारा मद 7 के सम्मुख उल्लिखित पते पर परिसमापक के पास **06 दिसम्बर 2019** को या इससे पूर्व अपने दावों के प्रमाण जमा करने के लिए कहा जाता है।
वित्तीय लेनदार केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से ही अपने दावों के प्रमाण जमा करेंगे। अन्य सभी पक्षकार अपने दावों के प्रमाण व्यक्तिगत रूप से, डाक द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा जमा कर सकते हैं।
दावे के फॉर्म अथवा साक्ष्य प्रमाण की प्रस्तुति दंडनीय होगी।
हस्ता/-
दिनांक: 07.11.2019, स्थान: नई दिल्ली मुनीश कुमार शर्मा
परिसमापक

श्री गंग इण्डस्ट्रीज एण्ड एलाईड प्रोडक्ट्स लिमिटेड
CIN: L01112UP1989PLC011004
पंजी.कार्या: ए-26, यूपीएसआईडीसी औद्योगिक क्षेत्र, सिकन्दराबाद, बुलन्दशहर, उ.प्र.-203205
कॉ.कार्या: एफ-32/3, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज-II, नई दिल्ली-110020
ई-मेल: secretarial@shrigangindustries.com
वेबसाइट: www.shrigangindustries.com
सम्पर्क सूत्र: 05735-222568/011-42524454
सूचना
एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि सेबी (सूचीयन दायित्व एवं उद्घाटन अपेक्षा) विनियम, 2015 के विनियम 29 के साथ पठित विनियम 33 के अनुपालन में **श्री गंग इण्डस्ट्रीज एण्ड एलाईड प्रोडक्ट्स लि.** के निदेशक मण्डल की बैठक गुरुवार, 14 नवम्बर, 2019 को 4.30 बजे **एफ-32/3, द्वितीय तल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज-II, नई दिल्ली-110020** में आयोजित की जाएगी जिसमें 30 सितम्बर, 2019 को कम्पनी के समाप्त तिमाही एवं छमाही के अनअंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार तथा अनुमोदन किया जायेगा। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी कम्पनी की वेबसाइट अर्थात **www.shrigangindustries.com** अथवा स्टॉक एक्सचेंज वेबसाइट अर्थात **www.bseindia.com** में संपर्क कीजिए।
कृते श्री गंग इण्डस्ट्रीज एण्ड एलाईड प्रोडक्ट्स लि.
हस्ता./-
स्थान : नई दिल्ली कनिष्का जैन
दिनांक: 06.11.2019 कम्पनी सचिव

FORM G
INVITATION FOR EXPRESSION OF INTEREST
(Under Regulation 36A (1) of the Insolvency and Bank

बीएसएनएल और एमटीएनएल वीआरएस लेकर आई

नई दिल्ली, 6 नवंबर (भाषा)।

सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनी भारत संचार निगम लि. (बीएसएनएल) ने अपने कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस)पेश की है। कंपनी को उम्मीद है कि इस योजना का लाभ 70,000 से 80,000 कर्मचारी उठाएंगे और इससे वेतन मद में करीब 7,000 करोड़ रुपए की बचत होगी। सरकार के इस दूरसंचार कंपनी के लिए राहत पैकेज की मंजूरी के कुछ दिनों बाद वीआरएस लाई गई है।

बीएसएनएल के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक पीके पुरवार ने कहा कि योजना चार नवंबर से तीन दिसंबर तक खुली रहेगी। वीआरएस की पेशकश के बारे में कर्मचारियों को जानकारी देने के लिये क्षेत्रीय इकाइयों को इस बारे में निर्देश दिये जा चुके हैं। कंपनी के कर्मचारियों की संख्या 1.50 लाख है और करीब एक लाख कर्मचारी इस योजना के लिए पात्र हैं।

पुरवार ने कहा- यह सरकार द्वारा दी गई बेहतर वीआरएस योजना है और बीएसएनएल कर्मचारियों को इसे सकारात्मक रुप से देखना चाहिए। उन्होंने कहा कि 70,000 से 80,000 कर्मचारियों के इस योजना का विकल्प चुनने की उम्मीद है। इस हिसाब से वेतन मद में करीब 7,000 करोड़ रुपए की बचत की उम्मीद है।

बीएसएनएल स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना-2019 के अनुसार 50 साल की आयु पूरी कर चुके या उससे अधिक उम्र के बीएसएनएल के सभी नियमित और स्थायी कर्मचारी वीआरएस के लिये आवेदन देने को पात्र हैं। इसमें वे कर्मचारी भी शामिल हैं जो बीएसएनएल के बाहर दूसरे संगठन में प्रतिनियुक्ति आधार पर काम कर रहे हैं। पात्र कर्मचारी के लिये अनुग्रह राशि पूरे किये गये प्रत्येक सेवा वर्ष के एवज में 35 दिन और बची हुई सेवा अवधि के लिए 25 दिन के वेतन के बराबर होगी।

महानगर टेलीफोन निगम लि. (एमटीएनएल) ने भी अपने कर्मचारियों के लिए वीआरएस लागू की है। कर्मचारियों के लिए यह योजना तीन दिसंबर तक के लिए है। हाल में एमटीएनएल द्वारा कर्मचारियों को जारी नोटिस में कहा गया है- सभी नियमित और स्थायी कर्मचारी जो 31 जनवरी 2020 तक 50 साल पूरे कर लेंगे या उससे अधिक उम्र के होंगे, वे योजना के लिए पात्र होंगे। सरकार ने पिछले महीने बीएसएनएल और एमटीएनएल के लिये 69,000 करोड़ रुपए के पुनरुद्धार पैकेज की घोषणा की थी। इसमें घाटे में चल रही दोनों सरकारी दूरसंचार कंपनियों का विलय, उनकी संपत्तियों को बाजार पर चढ़ाना और कर्मचारियों को वीआरएस देना शामिल है। इस कदम का मकसद विलय बाद की इकाई को दो साल में लाभ में लाना है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एमटीएनएल और बीएसएनएल के विलय को मंजूरी दी। एमटीएनएल मुंबई और नई दिल्ली में सेवा देती है जबकि बीएसएनएल देश के अन्य भागों में सेवा देती है।

अब अलवर की अदालत में वकीलों ने सिपाहियों को पीटा

जयपुर, 6 नवंबर (भाषा)।

दिल्ली में पुलिस और अधिवक्ताओं के बीच चल रहे विवाद के बीच वकीलों ने बुधवार को राजस्थान के अलवर जिले की एक अदालत में हरियाणा पुलिस के एक हेड कांस्टेबल और राजस्थान पुलिस के तीन कर्मियों को पीट दिया।

> कोतवाली थानाधिकारी अध्यात्म गौतम ने बताया कि वकील कह रहे थे कि वे दिल्ली के वकीलों के समर्थन में हड़ताल पर हैं और उन्होंने अदालत परिसर में पुलिसकर्मियों की पिटाई कर दी। कोतवाली पुलिस थाने में तीन मामले दर्ज किए गए हैं

अलवर के पुलिस अधीक्षक पारिस देशमुख ने बताया कि एक महिला सहित चार पुलिसकर्मियों की पिटाई के मामले में अलवर के दो पुलिस थानों में चार मामले दर्ज किए गए हैं। उन्होंने बताया कि वकीलों ने राजस्थान पुलिस की एक महिला कांस्टेबल और दो पुरुष कांस्टेबलों व हरियाणा पुलिस के एक हेड कांस्टेबल की पिटाई कर दी। पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी कर रहे थे लेकिन वकीलों ने उन्हें पीट दिया। इस संबंध में चार मामले दर्ज किए गए हैं।

कोतवाली थानाधिकारी अध्यात्म गौतम ने बताया कि वकील कह रहे थे कि वे दिल्ली के वकीलों के समर्थन में हड़ताल पर हैं और उन्होंने अदालत परिसर में पुलिसकर्मियों की पिटाई कर दी। कोतवाली पुलिस थाने में तीन मामले दर्ज किए गए हैं और एक मामला महिला पुलिस थाने में दर्ज किया गया है। इस मामले में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है।

वहीं, राजस्थान पुलिस सेवा अधिकारीएसोसिएशन ने बुधवार सुबह जयपुर में एक बैठक कर दिल्ली की तीस हजारी अदालत की घटना की निंदा की। एसोसिएशन के अध्यक्ष व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रघुवीर सैनी ने कहा कि दिल्ली के तीस हजारी अदालत परिसर में पुलिस-वकील विवाद के दौरान पुलिसकर्मियों की पिटाई की गई और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया, जो दुर्भाग्यपूर्ण है।

वॉट्सऐप पर ऐसे संपर्कों का चयन किया जा सकेगा, जो प्रयोगकर्ता को किसी ग्रुप से नहीं जोड़ सकेंगे

नई दिल्ली, 6 नवंबर (भाषा)।

वाट्सऐप ने अपने प्रयोगकर्ताओं की निजता के लिए एक नया 'अपडेट' पेश किया है। इसके तहत वाट्सऐप के प्रयोगकर्ता ऐसे संपर्कों का चयन कर सकेंगे जो उन्हें किसी ग्रुप से नहीं जोड़ सकेंगे।

फेसबुक के स्वामित्व वाली कंपनी ने बुधवार को कहा कि यह अपडेट दुनियाभर में प्रयोगकर्ताओं को वाट्सऐप के नए संस्करण पर जारी किया जा रहा है। वाट्सऐप को इस समय पेगासस स्पाइवेयर की वजह से आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। पेगासस स्पाइवेयर के जरिए भारत सहित अन्य देशों में पत्रकारों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की जासूसी का मामला सामने आया है।

वाट्सऐप ने एक ब्लॉगपोस्ट में लिखा है कि शुरुआती स्तर पर इस अपडेट को लेकर प्रयोगकर्ताओं की प्रतिक्रियाओं के बाद हम 'नोबॉडी' विकल्प के बजाय 'माई कान्टेक्ट्स एक्सेप्ट' का विकल्प उपलब्ध करा रहे हैं। इसके जरिये प्रयोगकर्ता उन संपर्कों का चयन कर सकते हैं जिनके ग्रुप से आप जुड़ना नहीं चाहते। दुनियाभर में वाट्सऐप के प्रयोगकर्ताओं की संख्या डेढ़ अरब है।

> वाट्सऐप ने एक ब्लॉगपोस्ट में लिखा है कि शुरुआती स्तर पर इस अपडेट को लेकर प्रयोगकर्ताओं की प्रतिक्रियाओं के बाद हम 'नोबॉडी' विकल्प के बजाय 'माई कान्टेक्ट्स एक्सेप्ट' का विकल्प उपलब्ध करा रहे हैं। इसके जरिये प्रयोगकर्ता उन संपर्कों का चयन कर सकते हैं जिनके ग्रुप से आप जुड़ना नहीं चाहते।

अकेले भारत में वाट्सऐप का इस्तेमाल करने वाले लोगों की संख्या 40 करोड़ है।

वाट्सऐप ने अप्रैल में ऐसे नियंत्रण पेश किए थे जिनके जरिए प्रयोगकर्ता यह तय कर सकते हैं कि कौन उनको किसी ग्रुप से जोड़ सकता है। इससे पहले तक वाट्सऐप के प्रयोगकर्ताओं को बिना उनकी सहमति के किसी भी ग्रुप से जोड़ा जा सकता था।

इस नए फीचर के तहत वाट्सऐप पर 'नोबॉडी' के स्थान पर 'माई कांटैक्ट्स एक्सेप्ट' का विकल्प होगा। इसमें प्रयोगकर्ता उन संपर्कों का चयन कर सकेंगे जो बिना उनकी सहमति के उन्हें किसी ग्रुप से नहीं जोड़ सकेंगे। अन्य दो विकल्प 'माई कॉन्टैक्ट्स' और 'एवरीवन' कायम रहेंगे।

केनरा बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) **Canara Bank** (A Govt. of India Undertaking) शाखाः काठ मंडी, रेवाड़ी

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिये)

जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 (2002 के अधि. 54) (यहां के बाद "अधिनियम" वर्णित) के अंतर्गत केनरा बैंक एसएच-26, काठ मंडी, नई बस्ती, रेवाड़ी, हरियाणा 123401 के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 2 फरवरी, 2019 जारी कर ऋणधारक मै. राज कुमार एंड संस प्रॉप्राइटर श्री राजकुमार नंदवानी को सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि रु. 32,27,485/- (रुपये बत्तीस लाख सत्ताईस हजार चार सौ पचासी मात्र) वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

उक्त ऋणधारक, इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक, तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज, 4 नवम्बर, 2019 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय रु. 32,27,485/- (रुपये बत्तीस लाख सत्ताईस हजार चार सौ पचासी मात्र) तथा उस पर ब्याज के लिये केनरा बैंक के चार्ज के अधीन होगा।

ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

श्री राज कुमार नंदवानी एवं श्रीमती ललिता नंदवानी, पत्नी श्री राजकुमार नंदवानी के नाम में शॉप नं. 951-952 बजाजा बाजार रेवाड़ी में स्थित सम्पत्ति का सभी भाग तथा हिस्सा। चौहद्दीः उत्तरः रोड, दक्षिणः रोड, पूर्वः मै. जैन श्री शोरूम, पश्चिमः मै. श्याम श्री

तिथिः 7.11.2019, **स्थानः** रेवाड़ी — **प्राधिकृत अधिकारी, केनरा बैंक**

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि हमारे क्लाईट, मेसर्स मुथूट फाईनान्स लि. **(GSTIN 32AABCT0343B1Z7), पंजीकृत कार्यालयः तल 2, मुथूट चेम्बर्स, बैनर्जी रोड, कोच्चि – 682018, केरल, भारत, CIN: L65910KL1997PLC011300, दूरभाषः +91 484-2396478, 2394712, फैक्सः +91 484-2396506, mails@muthootgroup.com, www.muthootfinance.com** ऋण चुकाने में असफल ऋणियों के गिरवी रखे सोने के गहनों (**30.09.2018** की अवधि तक **NPA** खातों) की निम्नलिखित विवरणों के अनुसार नीलामी करेगी। इच्छुक सभी व्यक्ति भाग ले सकते हैं।

नीलामी की तिथि: 13.11.2019

Delhi-Shalimar Bagh: MAL-1996, MSL-50219, 50400, 50416, 50491, MUL-1065, 1149, 1312, 1347, 1506, 1509, 1631, 1641, 1660, 1818, 2049, MWS-55, 88, 89, 101, 166, 188, 217, 265, 327, 429, 488, 588, 722, **Delhi-Rohini:** MAL-1749, 1869, MGL-1813, MSL-29941, 29952, 29964, MUL-129, 333, 563, 913, 1040, 1058, 1213, 1407, 1443, 1608, 1697, 2004, 2014, 2054, 2154, 2293, 2378, 2382, 2465, 2472, 2713, 2858, 2895, 2970, 3020, MWS-91, 388, **Rohini D C Chowk:** MOS-145, MUL-713, 729, 780, 843, 868, 1025, 1426, 1490, **Pitampura:** MAL-683, MUL-248, 250, 451, 599, 735, 774, 839, PPL-4197, 4198, 4199, 4200, **Rohini Sector 11:** MAL-1299, 1327, MUL-15, 139, 917, 1179, 1187, 1190, 1206, 1282, 1412, 1499, 1565, 1660, 1743, 1761, 1862, 2091, 2109, 2378, 2988, **Delhi-Narela:** MAL-1052, MSL-24362, 24653, 24656, 24687, MUL-263, 904, 1152, 1181, 1302, 1455, 1457, 1458, 1464, 1473, 1502, 1603, 1697, 1707, 1771, 1814, 1958, 1987, 2014, 2501, 2678, 2693, 2849, 2941, 2954, **Shalimar Bagh BT Block:** MAL-1043, 1128, 1131, MSL-19949, 20126, 20171, MUL-55, 655, 992, 1001, 1284, 1299, 1311, 1358, 1405, 1408, 1642, 1653, 1683, 1696, MWS-214, 669, 911, 959, **Kohat Enclave:** MUL-366, 452, 518, 637, 642, 789, **Rani Bagh:** MSL-13677, 13679, MUL-229, **Rohinisector 7:** MUL-432, 492, 702, 756, 820, 903, 948, 1032, 1052, 1244, MWS-77, 347, **Rohini Sector 16:** MAL-1543, MBL-4516, 4555, MGL-2249, MSL-28236, 28558, MUL-52, 695, 1396, 1447, 1449, 1617, 1686, 1770, 2115, 2147, 2185, 2282, 2522, 2788, 2880, 2903, 2911, **Mangolpur Kaln:** MAL-675, 697, MSL-6777, MUL-33, 222, 739, 884, 918, 969, 981, 1037, 1175, 1195, 1235, 1261, 1270, 1277, 1367, 1522, 1574, **Budh Vihar:** MAL-1337, 1532, 1604, 1874, 1980, MSL-18902, 19505, 19539, MUL-116, 117, 831, 971, 1346, 1359, 1473, 1526, 1827, 2316, 2317, 2328, 2359, 2401, 2490, 2533, 2563, 2588, 2706, 2752, 2807, 2871, 2911, 2932, 2988, 3050, 3222, 3367, 3531, 3538, 3545, 3556, 3590, 3794, 3796, 3988, 4106, 4157, 4277, 4451, 4562, MWS-11, 129, **Rohini Sai Baba Chowk:** MAL-442, MSL-7874, MUL-244, 563, 593, 842, 848, 942, 1141, **Raja Park (Rani Bagh):** MAL-1005, 1254, MHL-74, MSL-15244, MUL-868, 1162, MWS-175, 304, 560, 852, 909, 1224, 1237, 1317, 1639, 1664, **Prashant Vihar:** MUL-98, 258, 468, **Delhi-Bawana:** MAL-513, MSL-12170, MUL-999, 1227, 1344, 1479, 1631, 1681, 1698, 1716, 1737, 1770, 1908, 1916, 1966, 2086, 2095, 2244, 2330, 2691, 2880, **Rohini Sector 3:** MAL-1318, MSL-17487, 17586, 17655, MUL-147, 529, 699, 1109, 1124, 1203, 1214, 1301, 1349, 1380, 1554, 1747, 1780, 1804, 1922, 2104, 2185, 2235, 2295, 2305, 2371, 2414, 2556, 2606, 2626, 2673, 2802, **Rohini Sector 15:** MAL-1073, MSL-16336, 16583, MUL-23, 496, 751, 978, 1012, 1024, 1057, 1245, 1306, 1307, MWS-173, 525, 537, 719, 1000, 1055, 1125, **Delhi-Alipur:** MAL-579, 648, MSL-6515, 6519, MUL-41, 206, 562, 666, 681, 707, 734, 744, 764, 765, 936, 950, 961, 1110, 1178, **Sainik Vihar:** MUL-247, 400, 487, 519, **Rohini Pocket-C Sector-3:** MSL-10197, 12661, MUL-227, 888, 931, 949, 1036, 1124, 1195, 1213, MWS-19, 35, 62, 69, 194, 418, 421, 456, 559, 1035, 1224, **Delhi-Badli:** MAL-222, 264, MSL-4850, MUL-176, 542, 678, 689, 709, 730, 753, 887, 897, 929, 931, 1041, 1049, 1149, 1378, 1461, **Pitampura MP-1:** MAL-742, 764, MUL-606, 651, 724, 762, 763, 940, 1364, 1406, 1418, **Poothkalan:** MAL-924, 1371, MSL-13021, 13132, 13440, 13449, 13545, MUL-397, 588, 1086, 1220, 1359, 1435, 1618, 1764, 1772, 1796, 1826, 1879, 1898, 1913, 1963, 2023, 2041, 2169, 2198, 2217, 2219, 2222, 2242, 2252, 2284, 2298, 2316, 2338, 2342, 2400, 2503, 2504, 2531, 2672, 2675, 2757, 2844, 2863, 2903, 3022, 3036, 3037, 3111, 3161, 3178, 3183, 3196, 3210, 3276, 3305, 3388, 3467, 3495, 3540, 3564, 3576, 3578, 3582, 3697, 3777, 3809, 3848, 3851, 3986, 4288, 4546, 4630, 5114, 5369, **Shahbad Daulatpur:** MAL-527, 730, MDL-10, MSL-8612, 8808, MUL-164, 241, 502, 662, 732, 988, 1004, 1009, 1011, 1055, 1064, 1093, 1162, 1167, 1183, 1290, 1324, 1325, 1393, 1401, 1430, 1441, 1577, 1604, 1620, 1632, 1646, 1684, 1823, 1825, 2153, 2158, 2206, 2281, 2425, 2428, 2473, 2525, 2671, 2797, 2799, **Rohini Sector-5:** MAL-1471, MGL-3136, MSL-23097, 23323, MUL-252, 849, 867, 892, 1117, 1406, 1554, 1757, 2037, 2103, 2111, 2191, 2201, 2207, 2239, 2363, 2436, 2464, 2487, 2660, 2745, 2934, 2944, 3011, 3132, **Rohini-Sector-24:** MAL-1353, 1456, 1668, MSL-12735, 12765, MUL-1317, 1392, 1432, 1474, 1513, 1542, 1556, 1633, 1668, 1713, 1741, 1764, 1862, 1913, 1930, 1936, 1966, 1978, 1986, 1999, 2001, 2040, 2096, 2224, 2235, 2389, 2493, 2736, 2770, 2778, 2820, 3040, **Haiderpur:** MAL-527, 571, 572, MSL-5695, MUL-454, 485, 559, 563, 712, 713, 721, 898, 1070, 1081, 1101, 1391, 1406, 1429, **Mubarakpur Dabas:** MUL-424, 788, 827, 832, 882, 934, 960, 971, 1028, 1078, 1097, 1143, 1204, 1291, 1311, 1353, 1407, 1582, **Narela Bawana Road:** MAL-94, 98, MUL-272, 359, 378, 404, 442, 456, 462, 482, 488, 492, 505, 528, 564, MWS-24, 52, 205

कम शुद्धता के गहनों की नीलामी (30.04.2019 की अवधि तक एनपीए खाते)

नीलामी की तिथि: 13.11.2019

Delhi-Rohini: MWS-1368, **Delhi-Prashant Vihar:** MUL-346, **Delhi-Rohini Sector-3:** MUL-3146, **Delhi-Badli:** MUL-1249, **Del-Pitampura MP-1:** MUL-1060, 1237, 1710, **Delhi-Rohini Sect-5:** MUL-4814, **Mubarakpur Dabas:** MUL-1262

नीलामी नीचे दिखाए अनुसार जिस शाखा हेड में ग्राहक का ऋण खाता है क्रमशः उन्हीं शाखाओं में संचालित की जाएगी। हालाँकि, कृपया यह ध्यान रखें कि यदि निर्धारित तिथि (तिथियों) में नीलामी पूरी नहीं हो जाती तो ऐसी स्थिति में यह संबंधित नीलामी वहाँ दिनांक **14th & 15th November 2019** को क्रमशः नीलामी केंद्र **Muthoot Finance Ltd., Regional Office, Delhi North West, 1st Floor, 354/4205, Sant Nagar Chowk, Rani Bagh, Delhi - 110034** में संचालित की जाएगी / जारी रहेगी। और ऐसी स्थिति में जहाँ इस सबके बावजूद कथित गहनों की नीलामी सफलतापूर्वक नहीं हो जाती तो ऐसी नीलामी आगामी तिथियों में भी इसी स्थान पर जारी रहेगी। इस संबंध में कोई अतिरिक्त सूचनाएँ नहीं दी जाएंगी।

कोहली एण्ड सोबती, एडवोकेट, ए 59ए, पहली मंजिल, लाजपत नगर-II, नई दिल्ली – 110024

नोटः ग्राहक नीलामी की निर्धारित तिथि से पहले हमारे क्लाइंट की बकाया राशि का भुगतान करके अपने गहनों की गिरवी छुड़ा सकते हैं। ग्राहक ईमेल आईडीः auctiondelhi@muthootgroup.com या 7834886464, 7994452461 पर कॉल करके संपर्क कर सकते हैं।

आईएनसी-26

के. आर. मेहरा एण्ड कं. प्राइवेट लिमिटेड
सीआईएन : U15410DL2012PTC234602
पंजी. कार्यालय 32, भूतल, एसएफएस डीडीए फ्लैट्स, खेल गॉव मार्ग, नई दिल्ली–110049

केंद्र सरकार के समक्ष,
(क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र)

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 (4) और कम्पनी (निगमन) नियमों, 2014 के नियम 30 (5) (ए) उप–नियम के मामले में एवं

मामले में **के. आर. मेहरा एण्ड कं. प्राइवेट लिमिटेड** जिसका पंजी. कार्यालय 32, भूतल, एसएफएस डीडीए फ्लैट्स, खेल गॉव मार्ग, नई दिल्ली–110049 में स्थित है

... याचिकाकर्त्ता कंपनी

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के तहत कम्पनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में परिवर्तन लाने हेतु पुष्टिकरण के लिए केन्द्र सरकार को आवेदन प्रस्तुत करने का प्रस्ताव किया है, यह विशेष प्रस्ताव एक असाधारण आम बैठक में कम्पनी को सक्षम करने हेतु 01.11.2019 को आयोजित बैठक में पंजीकृत कार्यालय को **"राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली"** से **"हरियाणा राज्य"** में बदलने हेतु पारित किया गया है।

यदि किसी व्यक्ति का हित कम्पनी में इस पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित हो, तो वे इसका कारण देते हुए आपत्ति हलफनामा में उल्लेख करते हुए जिसमें उनके हित/ विरोध के आधार हों, **MCA-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत फार्म** दर्ज करें या क्षेत्रीय निदेशक के पते पर **बी-2 विंग, दूसरा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली-110003** पर पंजीकृत डाक द्वारा प्रेषित करें तथा इसकी एक प्रति आवेदक कम्पनी को निम्न पंजीकृत कार्यालय पर इस सूचना के प्रकाशित होने के चौदह दिनों के भीतर प्रेषित करें।

"32, भूतल, एसएफएस डीडीए फ्लैट्स, खेल गॉव मार्ग, नई दिल्ली-110049"

कृते एवं ओर से
के. आर. मेहरा एण्ड कं. प्राइवेट लिमिटेड
दिनांक : 04/11/2019 (हस्ता./–)
स्थान : गुड़गॉव अर्जुन श्रीवास्तव
निदेशक, डीआइएन : 03473926

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India

औद्योगिक वित्त शाखा
अनुसूची 6 [नियम-8(1)]
कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिए)

जैसा कि, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 (2002 के 54) के अंतर्गत यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, औद्योगिक वित्त शाखा, एम-II, मिडिल सर्किल कनॉट सर्कस, दिल्ली (भारत) के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना संदर्भ सं. IFB:DEL:AGIL:14:19 तिथि 01.04.19 जारी कर ऋणधारक मै. ऐरेन्स गोल्डसॉक इन्टरनेशनल लिमिटेड, निदेशक/गारन्टरों श्री अमित गुप्ता तथा श्रीमती उमा गुप्ता को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि 01.04.19 से अनुबंधित दर पर उस पर ब्याज के साथ रु. 25,53,90,888.00 (रुपए पच्चीस करोड़ तिड़ेपन लाख नब्बे हजार आठ सौ अठासी मात्र) वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक एवं गारन्टरों इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक गारन्टरों तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज, 01.11.2019 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित संपत्ति का सांकेतिक कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारकों/गारन्टरों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित संपत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन संपत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय उस पर ब्याज के साथ रु. 25,53,90,888.00 (रुपए पच्चीस करोड़ तिड़ेपन लाख नब्बे हजार आठ सौ अठासी मात्र) के लिये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के चार्ज के अधीन होगा।

ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसंपत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

शॉप नं. एफओएफ-9, एफओएफ-12 बी, 4था तल, 'गोल्डसॉक मॉल'', ब्लॉक-सी, कॉमर्सियल कॉम्प्लैक्स, सुशांत लोक, गुड़गाँव, हरियाणा-122002 एफओएफ-9, चौहद्दीः उत्तरः नीचे खुला, दक्षिणः प्रवेश/ पैसेज, पूर्वः शॉप नं. 10, पश्चिमः शॉप नं. 8

एफओएफ-12 ए एवं 12 बी, चौहद्दीः उत्तरः लिफ्ट/ नीचे खुला, दक्षिणः प्रवेश/पैसेज, पूर्वः लॉबी, पश्चिमः शॉप नं. 11

तिथिः 01.01.2019 — **प्राधिकृत अधिकारी**
स्थानः गुड़गांव — **यूनियन बैंक ऑफ इंडिया**

एनएचपीसी लिमिटेड (भारत सरकार का उद्यम)

एनएचपीसी कार्यालय परिसर, सैक्टर-33, फरीदाबाद-121003 (हरियाणा) सीआईएन: एल40101एचआर1975जीओआई032564

अनुसूची
(विनियम 3 के खंड (6) के अनुसरण में प्रकाशित किया जाने वाला)

1. ऊपर निर्दिष्ट आवेदक ने **दुलहस्ती पावर स्टेशन** के टैरिफ के निर्धारण के लिए केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, नई दिल्ली के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया है।
2. जेनरेटिंग स्टेशन के हितोपभोगी निम्नानुसार हैं:

i) पीएसपीसीएल–पंजाब	v) इंजीनियरिंग विभाग–केन्द्र शासित प्रदेश चंडीगढ
ii) बीआरपीएल,बीवाईपीएल एंड टीपीडीडीएल–दिल्ली	vi) यूपीपीसीएल – उत्तर प्रदेश
iii) यूपीसीएल – उत्तराखंड	vii) जेवीवीएनएल, जेडीवीवीएनएल एंड एवीवीएनएल–राजस्थान
iv) एचपीपीसी–हरियाणा	viii) पीडीडी– जम्मू व कश्मीर

3. जेनरेटिंग स्टेशन की क्षमता : 390 मेगावाट
4. परियोजना की अनुमोदित लागत : याचिका संख्या 231/जीटी/2014 में सीईआरसी के दिनांक 30.08.2016 के आदेश के अनुसार दिनांक 31.03.2019 की स्थिति अनुसार 522573.45 लाख रुपए
5. पूंजीगत लागत को अनुमोदित करने वाला प्राधिकरण : सीईआरसी
6. वाणिज्यिक परिचालन की अनुसूचित तारीख : पहले से ही वाणिज्यिक परिचालन में
7. वाणिज्यिक परिचालन की वास्तविक तारीख : 07.04.2007
8. वाणिज्यिक परिचालन की तारीख को पूंजीगत लागत : 507849.37 लाख रुपए
9. टैरिफ के विवरण: (रुपए लाख में)

क्र सं.	हाइड्रो पावर जेनरेटिंग स्टेशन	पिछले वर्ष के लिए टैरिफ (2018-19)	वर्ष-वार टैरिफ, जिसके निर्धारण किए जाने की मांग की गई (2019-20)	(2020-21)	(2021-22)	(2022-23)	(2023-24)
1.	वार्षिक निश्चित प्रभार	92184.20	91625.31	69474.65	70679.57	71908.28	73193.92
2.	प्राथमिक ऊर्जा प्रभार	लागू नहीं					

10. टैरिफ के निर्धारण के लिए किए गए आवेदन की एक प्रति **http://www.nhpcindia.com/tariff-petitions.htm** ज्वेबसाइट पर लगा दी गई है।
11. किसी व्यक्ति हितोपभोगी द्वारा आवेदन में निर्दिष्ट टैरिफ के निर्धारण के प्रस्ताव पर सुझाव और आपत्ति यदि कोई हो तो **सचिव, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, तीसरा व चौथा तल, चन्द्रलोक भवन, 36 जनपथ, नई दिल्ली–110001** को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से **30 दिन** के अन्दर भेज दी जाए, जिसकी एक प्रति आवेदक को भी भेजी जाए।

स्थानः फरीदाबाद — (एम.जी. गोखले)
दिनांकः 31.10.2019 — **महाप्रबन्धक (वाणिज्यिक), वाणिज्यिक विभाग**

एनएचपीसी लिमिटेड (भारत सरकार का उद्यम)

एनएचपीसी कार्यालय परिसर, सैक्टर-33, फरीदाबाद-121003 (हरियाणा) सीआईएन: एल40101एचआर1975जीओआई032564

अनुसूची
(विनियम 3 के खंड (6) के अनुसरण में प्रकाशित किया जाने वाला)

1. ऊपर निर्दिष्ट आवेदक ने **दुलहस्ती पावर स्टेशन** के टैरिफ के निर्धारण के लिए केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, नई दिल्ली के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया है।
2. जेनरेटिंग स्टेशन के हितोपभोगी निम्नानुसार हैं:

i) पीएसपीसीएल–पंजाब	v) इंजीनियरिंग विभाग–केन्द्र शासित प्रदेश चंडीगढ
ii) बीआरपीएल,बीवाईपीएल एंड टीपीडीडीएल–दिल्ली	vi) यूपीपीसीएल – उत्तर प्रदेश
iii) यूपीसीएल – उत्तराखंड	vii) जेवीवीएनएल, जेडीवीवीएनएल एंड एवीवीएनएल–राजस्थान
iv) एचपीपीसी–हरियाणा	viii) पीडीडी– जम्मू व कश्मीर

3. जेनरेटिंग स्टेशन की क्षमता : 390 मेगावाट
4. परियोजना की अनुमोदित लागत : याचिका संख्या 231/जीटी/2014 में सीईआरसी के दिनांक 30.08.2016 के आदेश के अनुसार दिनांक 31.03.2019 की स्थिति अनुसार 522573.45 लाख रुपए
5. पूंजीगत लागत को अनुमोदित करने वाला प्राधिकरण : सीईआरसी
6. वाणिज्यिक परिचालन की अनुसूचित तारीख : पहले से ही वाणिज्यिक परिचालन में
7. वाणिज्यिक परिचालन की वास्तविक तारीख : 07.04.2007
8. वाणिज्यिक परिचालन की तारीख को पूंजीगत लागत : 507849.37 लाख रुपए
9. टैरिफ के विवरण: (रुपए लाख में)

क्र सं.	हाइड्रो पावर जेनरेटिंग स्टेशन	पिछले वर्ष के लिए टैरिफ (2018-19)	वर्ष-वार टैरिफ, जिसके निर्धारण किए जाने की मांग की गई (2019-20)	(2020-21)	(2021-22)	(2022-23)	(2023-24)
1.	वार्षिक निश्चित प्रभार	92184.20	91625.31	69474.65	70679.57	71908.28	73193.92
2.	प्राथमिक ऊर्जा प्रभार	लागू नहीं					

10. टैरिफ के निर्धारण के लिए किए गए आवेदन की एक प्रति **http://www.nhpcindia.com/tariff-petitions.htm** ज्वेबसाइट पर लगा दी गई है।
11. किसी व्यक्ति हितोपभोगी द्वारा आवेदन में निर्दिष्ट टैरिफ के निर्धारण के प्रस्ताव पर सुझाव और आपत्ति यदि कोई हो तो **सचिव, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, तीसरा व चौथा तल, चन्द्रलोक भवन, 36 जनपथ, नई दिल्ली–110001** को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से **30 दिन** के अन्दर भेज दी जाए, जिसकी एक प्रति आवेदक को भी भेजी जाए।

स्थानः फरीदाबाद — (एम.जी. गोखले)
**

कल्याणी कॉमर्शियल्स लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय : बीजी-223, संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर, जी.टी. करनाल रोड, दिल्ली-110042
सीआईएन : L65923DL1985PLC021453
ई-मेल: kalyanicommercialslimited@gmail.com
वेबसाइट : www.kalyanicommercialsltd.com
दूरभाष : 011-43063223, 011-47060223

बोर्ड के बैठक की अग्रिम सूचना

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 47(1)(ए) के साथ पठित विनियम 29 के अनुसार, एतद्वारा सूचना दी जाती है कि 30 सितम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही तथा छमाही के लिए अन्य बातों के साथ-साथ कम्पनी के अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार, अनुमोदन एवं रिकार्ड के लिए कम्पनी के निदेशक मण्डल की बैठक बृहस्पतिवार, 14 नवम्बर, 2019 को कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय बीजी-223, संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर, जी.टी. करनाल रोड, दिल्ली-110042 पर आयोजित की जायेगी।

कृते कल्याणी कॉमर्शियल्स
दिनांक : 06 नवम्बर, 2019 ह./-
स्थान : नई दिल्ली सौरभ अग्रवाल
(पूर्ण कालिक निदेशक)

सदर्न इन्फोसिस लिमिटेड
सीआईएन :
L67120DL1994PLC059994
402-ए, अरुणाचल बिल्डिंग, 19, बाराखम्भा रोड, नई दिल्ली-110001
दूरभाष : 011-43045402, 23354236
ई-मेल: southerninfosys@gmail.com
वेबसाइट : www.southerninfosys.com

सूचना

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 47 के साथ पठित विनियम 29 के अनुसार, एतद्वारा सूचना दी जाती है कि 30 सितम्बर, 2019 को समाप्त द्वितीय तिमाही तथा छमाही के लिए अन्य बातों के साथ-साथ कम्पनी के अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों (स्टैण्ड अलोन एवं समेकित) पर विचार एवं अनुमोदन के लिए कम्पनी के निदेशक मण्डल की बैठक बुधवार, 13 नवम्बर, 2019 को कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय पर आयोजित की जायेगी।
कथित सूचना कम्पनी की वेबसाइट http://www.southerninfosys.com तथा स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट http://www.bseindia.com पर देखी जा सकती है।

कृते सदर्न इन्फोसिस लिमिटेड
स्थान : दिल्ली ह./-
दिनांक : 06.11.2019 कृति बरेजा
अनुपालन अधिकारी

पशुपति फिनकैप लि.
CIN: L65990HR1996PLC033099
पंजी. कार्यालय: ग्राम कपरीवास (धारुहेरा), जिला रेवाड़ी, हरियाणा
प्रधान कार्यालय: 127-128, त्रिभुवन कॉम्प्लेक्स, ईश्वर नगर, नई दिल्ली-110065
एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी के बोर्ड की बैठक तथा ऑडिट कमिटी की बैठक बुधवार, 13 नवम्बर, 2019 को 127-128, त्रिभुवन कॉम्प्लेक्स, ईश्वर नगर, नई दिल्ली-110065 में आयोजित की जायेगी जिसमें अन्य विषयों के साथ 30.9.2019 को समाप्त तिमाही के लिये कम्पनी के अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार किये जाएंगे।

पशुपति फिनकैप लिमिटेड
हस्ता./-
विदित जैन
तिथि: 6.11.2019 निदेशक

SRM Energy
SRM ENERGY LIMITED
Regd. & Admin Office: 21, Basant Lok Complex, Vasant Vihar, New Delhi-110057
CIN L17100DL1985PLC303047
Website: www.srmenergy.in
TEL. NO. +91-011-41403205
Email: info@srmenergy.in

NOTICE

Pursuant to Regulation 47 read with Regulation 29 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, a meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Wednesday, November 13, 2019 at 3:30 P.M. at the Registered Office of the Company, i.e., 21, Basant Lok Complex, Vasant Vihar, New Delhi-110057 to inter-alia consider the followings:

- The un-audited Financial Results (Standalone and Consolidated) for the second quarter and half year ended on 30th September, 2019.
- To transact any other business which the Board may deem fit.

This information is also available on the website of the company viz. www.srmenergy.in and the website of the Stock Exchanges where the Company's shares are listed viz. BSE Limited (www.bseindia.com)

For SRM Energy Limited
Sd/-
(Suvindra Kumar)
Place: New Delhi Company Secretary
Date: November 06, 2019 ACS:22747

फार्म नं. आईएनसी-26
(कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में)
केन्द्रीय सरकार क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, के समक्ष तथा संशोधित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा13(4) और कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30(5) (ए) के मामले और

सर्वत्र टेक्निकल कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
(CIN: U72900DL2011PTC218833)
जिसका पंजीकृत कार्यालय : बी-5/186, सफदरजंग एन्क्लेव, नई दिल्ली -110029
में हैं, के मामले में

....आवेदक कंपनी/याचिकाकर्त्ता

एतद्द्वारा जनसामान्य को सूचित किया जाता है कि कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के तहत कम्पनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में परिवर्तन लाने हेतु पुष्टिकरण के लिए केंद्र सरकार को आवेदन प्रस्तुत करने का प्रस्ताव किया है, यह विशेष प्रस्ताव एक असाधारण आम बैठक में कम्पनी को सक्षम करने हेतु 20 सितम्बर, 2019 को आयोजित बैठक में पंजीकृत कार्यालय की "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से "हरियाणा राज्य" में बदलने हेतु पारित किया गया।
यदि किसी व्यक्ति का हित कंपनी में इस पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित हो तो वह व्यक्ति या तो निदेशक शिकायत प्रपत्र फाइल कर एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज करें अथवा एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित / विषय के आधार हों, कारण देते हुए, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, बी-2 विंग, दूसरा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003 की पंजीकृत डाक द्वारा प्रेषित करें तथा इसकी एक कॉपी आवेदक कम्पनी को इसके पंजीकृत कार्यालय बी-5/186, सफदरजंग एन्क्लेव, नई दिल्ली -110029 पर इस सूचना के छपने के 14 (चौदह) दिनों के भीतर भेज दें।

कृते सर्वत्र टेक्निकल कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
प्रेम कुमार पुरी (निदेशक)
दिनांक: 06 नवंबर 2019 डीआईएन: 00489287
स्थान: नई दिल्ली

फार्म नं. आईएनसी-26
(कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में)
केन्द्रीय सरकार क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, के समक्ष तथा संशोधित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा13(4) और कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30(5) (ए) के मामले और

सर्वत्र इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड
(CIN: U45200DL2011PTC222429)
जिसका पंजीकृत कार्यालय : बी-5/186, सफदरजंग एन्क्लेव, नई दिल्ली -110029
में हैं, के मामले में

....आवेदक कंपनी/याचिकाकर्त्ता

एतद्द्वारा जनसामान्य को सूचित किया जाता है कि कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के तहत कम्पनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में परिवर्तन लाने हेतु पुष्टिकरण के लिए केंद्र सरकार को आवेदन प्रस्तुत करने का प्रस्ताव किया है, यह विशेष प्रस्ताव एक असाधारण आम बैठक में कम्पनी को सक्षम करने हेतु 20 सितम्बर, 2019 को आयोजित बैठक में पंजीकृत कार्यालय की "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से "हरियाणा राज्य" में बदलने हेतु पारित किया गया।
यदि किसी व्यक्ति का हित कंपनी में इस पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित हो तो वह व्यक्ति या तो निदेशक शिकायत प्रपत्र फाइल कर एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज करें अथवा एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित / विषय के आधार हों, कारण देते हुए, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, बी-2 विंग, दूसरा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003 की पंजीकृत डाक द्वारा प्रेषित करें तथा इसकी एक कॉपी आवेदक कम्पनी को इसके पंजीकृत कार्यालय बी-5/186, सफदरजंग एन्क्लेव, नई दिल्ली -110029 पर इस सूचना के छपने के 14 (चौदह) दिनों के भीतर भेज दें।

कृते सर्वत्र इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड
प्रेम कुमार पुरी (निदेशक)
दिनांक: 06 नवंबर 2019 डीआईएन: 00489287
स्थान: नई दिल्ली

कश्मीर में बर्फबारी, मुगल रोड बंद

जम्मू, 6 नवंबर (भाषा)।

जम्मू क्षेत्र में पुंछ और राजौरी जिलों को दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले से जोड़ने वाले मुगल रोड को ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होने के बाद बुधवार को वाहनों के आवागमन के लिए बंद कर दिया गया।
मौसम विभाग ने मंगलवार को केंद्रशासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में बुधवार से अगले तीन दिनों के लिए मध्यम से भारी बर्फबारी और बारिश होने का अनुमान जताया था।

राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण, नई दिल्ली पीठ के समक्ष
कम्पनी याचिका (आईबी) 2019 की सं. 1514/एनडी
के मामले में
श्री रूपेश कुमार साहू एण्ड संस एवं अन्य ....याचिकाकर्त्ता
बनाम
सनशाइन इन्फ्राबिल्ड कॉरपोरेशन लिमिटेड ....प्रतिवादी

माननीय राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी), नई दिल्ली पीठ, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश **दिनांक 14.10.2019** के अनुसार सुनवाई की अगली तारीख की सूचना हेतु प्रतिवादी सूचना, वर्तमान प्रकाशन द्वारा एतद्द्वारा याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी कम्पनी को सूचित किया है कि उपर्युक्त मामला माननीय एनसीएलटी, नई दिल्ली पीठ, नई दिल्ली के समक्ष अगली सुनवाई हेतु **03.12.2019 को 10.30 बजे प्रातः** सूचीबद्ध है।
प्रतिवादी को यह भी सूचित किया गया है कि **03.12.2019 को 10.30 बजे प्रातः** माननीय एनसीएलटी, नई दिल्ली पीठ, नई दिल्ली के समक्ष उपस्थित होने में असफल रहने पर उपर्युक्त मामला प्रतिवादी के विरुद्ध एकपक्षीय कियान्वित होगा।

श्री रूपेश कुमार साहू एवं अन्य
204 एफ 304, डीआरए चैम्बर्स, 12/56, डी.बी. गुप्ता रोड, करोल बाग, नई दिल्ली-110005
दिनांक: 06 नवंबर 2019 दूरभाष: 011-49093420
स्थान: नई दिल्ली

फार्म नं. आईएनसी-26
(कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में)
केन्द्रीय सरकार क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, के समक्ष तथा संशोधित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा13(4) और कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30(5) (ए) के मामले और

सर्वत्र आईटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
(CIN: U72900DL2011PTC218833)
जिसका पंजीकृत कार्यालय : बी-5/186, सफदरजंग एन्क्लेव, नई दिल्ली -110029
में हैं, के मामले में

....आवेदक कंपनी/याचिकाकर्त्ता

एतद्द्वारा जनसामान्य को सूचित किया जाता है कि कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के तहत कम्पनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में परिवर्तन लाने हेतु पुष्टिकरण के लिए केंद्र सरकार को आवेदन प्रस्तुत करने का प्रस्ताव किया है, यह विशेष प्रस्ताव एक असाधारण आम बैठक में कम्पनी को सक्षम करने हेतु 18 सितम्बर, 2019 को आयोजित बैठक में पंजीकृत कार्यालय की "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से "हरियाणा राज्य" में बदलने हेतु पारित किया गया।
यदि किसी व्यक्ति का हित कंपनी में इस पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित हो तो वह व्यक्ति या तो निदेशक शिकायत प्रपत्र फाइल कर एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज करें अथवा एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित / विषय के आधार हों, कारण देते हुए, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, बी-2 विंग, दूसरा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003 की पंजीकृत डाक द्वारा प्रेषित करें तथा इसकी एक कॉपी आवेदक कम्पनी को इसके पंजीकृत कार्यालय बी-5/186, सफदरजंग एन्क्लेव, नई दिल्ली -110029 पर इस सूचना के छपने के 14 (चौदह) दिनों के भीतर भेज दें।

कृते सर्वत्र आईटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
प्रेम कुमार पुरी (निदेशक)
दिनांक: 06 नवंबर 2019 डीआईएन: 00489287
स्थान: नई दिल्ली

फार्म नं. यूआरसी-2
अधिनियम के अध्याय XXI के भाग I के अंतर्गत पंजीकरण के बारे में सूचना का विज्ञापन
(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 374(ख) और (पंजीकरण हेतु अधिकृत) नियमावली, 2014 के नियम 4(1) के अनुसरण में)

1. एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 366 की उप-धारा (2) के अनुसरण में, रजिस्ट्रार, सेन्ट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर (सीआरसी), भारतीय कॉर्पोरेट कार्य संस्थान (आईआईसीए), प्लॉट नं. 6, 7, 8, सेक्टर-5, आईएमटी मानेसर, जिला-गुड़गांव (हरियाणा), पिनकोड-122050 को इस संबंध में पन्द्रह दिन लेकिन इसके बाद तीस दिन की समाप्ति से पूर्व एक आवेदन करने का प्रस्ताव किया गया है कि कोनिक्स फैमिली ऑफिस एडवाइजर्स एलएलपी, एक एलएलपी को कंपनी अधिनियम 2013 के अध्याय XXI के भाग I के अंतर्गत शेयरों द्वारा सीमित कंपनी के तौर पर कंपनी के रूप में पंजीकृत किया जाए।
2. कंपनी का मूल उद्देश्य निम्न प्रकार से है- सभी मामलों एवं समस्याओं पर परामर्श एवं सलाह प्रदान करना और वित्त, लेखा, विधि, अर्थशास्त्र, विपणन, वितरण, इंजीनियरिंग, लागत, प्रबंधन, प्रशासन, कार्मिक, तकनीकी, औद्योगिक, सामरिक, व्यवसाय प्रक्रिया आउटसोर्सिंग, आईटी सक्षम सेवाएं, कम्प्यूटर, कृषि, गुणवत्ता नियंत्रण, गुणवत्ता प्रमाणन, आयात, निर्यात, सीमापार लेनदेन, विदेशी सहयोग एवं साझेदारी, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर, स्थानीय अभिशासन, विधिक मामले, मध्यस्थता, समाधान एवं निपटान के क्षेत्र में उससे जुड़े एवं संबंधित सहित लेकिन सीमित नहीं में सभी प्रकार की सलाह एवं परामर्श सेवाएं प्रदान या अन्यथा शामिल करने का व्यवसाय, बर्शत या पेशा निष्पादित करना और प्रत्येक मामले पर क्लाइंट को सलाह, सहयोग एवं प्रतिनिधित्व प्रदान करना।
3. प्रस्तावित कंपनी के मसौदा ज्ञापन और कंपनी के अनुच्छेद एवं एसोसिएशन की प्रति का निरीक्षण एन-107, दूसरा तल, पंचशील पार्क, दिल्ली-110017 में स्थित कार्यालय में किया जा सकता है।
4. एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त आवेदन पर आपत्ति करने वाला कोई भी व्यक्ति अपनी आपत्ति लिखित रूप में, हमारे पंजीकृत कार्यालय को एक प्रति सहित, इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से एक्कीस दिनों के भीतर रजिस्ट्रार, सेन्ट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर (सीआरसी), भारतीय कॉर्पोरेट कार्य संस्थान (आईआईसीए), प्लॉट नं. 6,7,8, सेक्टर-5, आईएमटी मानेसर, जिला गुड़गांव (हरियाणा), पिन कोड-122050 को भेज सकता है।

आवेदक का नाम:
1. अमित खन्ना (पदनामित साझेदार)
2. दीपिका खन्ना (पदनामित साझेदार)
आज दिनांक 5 नवम्बर, 2019

भविष्य के संघर्षों को सुलझाने में मदद कर सकता है करतारपुर मॉडल : मनमोहन सिंह

चंडीगढ़, 6 नवंबर (भाषा)।

पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने बुधवार को उम्मीद जताई कि करतारपुर मॉडल भविष्य के संघर्षों को सुलझाने में मदद कर सकता है। सिंह के साथ ही उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भी सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव के 550वें प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र को संबोधित किया।

उपराष्ट्रपति नायडू ने भी कहा कि सिख गुरु की सीख को यदि दैनिक जीवन में आत्मसात किया जाए तो शांति और सतत विकास का एक नया विश्व बन सकता है। पूर्व प्रधानमंत्री सिंह ने कहा, 'समृद्ध भविष्य सुनिश्चित करने के लिए शांति एवं सौहार्द एकमात्र रास्ता है। करतारपुर मॉडल को संघर्षों के स्थायी समाधान के लिए भविष्य में भी दोहराया जा सकता है।' करतारपुर गलियारा नौ नवंबर को खुलना निर्धारित है। यह गलियारा पाकिस्तान स्थित गुरुद्वारा दरबार साहिब को भारत के पंजाब में गुरुदासपुर स्थित डेरा बाबा नानक से जोड़ेगा। पूर्व प्रधानमंत्री ने समतामूलक समाज सुनिश्चित करने के लिए सभी से सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव के परस्पर प्रेम एवं सम्मान के संदेश को आगे बढ़ाने की अपील की। सिंह ने सांप्रदायिक हिंसा को विश्व के सामने सबसे बड़ी चुनौती बताते हुए कहा, 'गुरु नानक देव जी का एक ईश्वर, धार्मिक सहिष्णुता और शांति का शाश्वत संदेश सांप्रदायिक हिंसा को समाप्त करने का मार्ग दिखा सकता है।' उन्होंने कहा, 'पंजाब गुरु नानक देव जी की कर्म भूमि है। गुरु नानक देव की विरासत को हम कैसे बरकरार रख पाएंगे, जब उसके युवा नशे के आदी होंगे, पानी जहरीला हो रहा है और महिलाओं का अनादर हो रहा है। यह उनकी 550वीं जयंती पर सबसे अहम सवाल है।' उपराष्ट्रपति नायडू ने सत्र को संबोधित करते हुए सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव को भारत के सबसे लोकतांत्रिक आध्यात्मिक नेतृत्वकर्ताओं में से एक बताया। नायडू ने कहा कि उनकी दृष्टि समय-काल से परे है और यह आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी पांच शताब्दी पहले थी जब यह प्रतिपादित की गई थी।'

रोलाटेनर्स लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय : प्लॉट सं. 73-74, फेज-III, इण्डस्ट्रियल एरिया, धारुहेड़ा, रिवाड़ी, रिवाड़ी
दूरभाष : 01274-243326
वेबसाइट : www.rollatainers.com
ई-मेल: csrollatainers@gmail.com
सीआईएन :L21014HR1968PLC004844

सूचना

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 47 के साथ पठित विनियम 29(1)(ए) के अनुसार, एतद्वारा सूचना दी जाती है कि 30 सितम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही तथा छमाही के लिए अन्य बातों के साथ-साथ कम्पनी के अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों (स्टैण्ड अलोन एवं समेकित) पर विचार, अनुमोदन एवं रिकार्ड के लिए कम्पनी के निदेशक मण्डल की बैठक बृहस्पतिवार, 14 नवम्बर, 2019 को आयोजित की जायेगी।
कथित सूचना बीएसई की वेबसाइट http://www.bseindia.com तथा एनएसई की वेबसाइट http://www.nseindia.com पर देखी जा सकती है।

कृते रोलाटेनर्स लिमिटेड
स्थान : नई दिल्ली पंकज महेन्द्रू
दिनांक : 06.11.2019 (कम्पनी सचिव)

UFLEX
A part of your daily life
यूफ्लैक्स लिमिटेड
CIN : L74899DL1988PLC032166
रजिस्टर्ड ऑफिस : 305, तीसरी मंजिल, अमीत कॉर्पोरेट एक्सेलो, सेक्टर नैनक्स-1, नई दिल्ली-110048, फोन : +91-11-26440917, 26440925, फैक्स : +91-11-26216922
वेबसाईट : www.uflextd.com
ईमेल : secretarial@uflextd.com

सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि यूफ्लैक्स लिमिटेड के निदेशक मंडल की एक बैठक बुधवार, 13 नवम्बर 2019 को नोएडा में आयोजित की जायेगी जिसमें अन्य विषयों के साथ 30 सितम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही एवं छमाही के लिये कम्पनी के अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों को अनुमोदित एवं अभिलेखित किया जाएगा।
यह सूचना कंपनी की वेबसाइट www.uflextd.com और स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.bseindia.com और www.nseindia.com पर भी उपलब्ध है।

यूफ्लैक्स लिमिटेड के लिये
हस्ता./-
अजय कृष्णा
सी.ई.ओ. (ऑफिस) एवं कम्पनी सचिव
ACS No.3296
स्थान : सी-001,कृष्णा अपार्टमेंट्स, ई-8, सेक्टर-61, नोएडा-201301
स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 06.11.2019

COURT NOTICE
In the court of Sh. Satish kumar Sharma JMIC Ludhiana
CNR NO. PBLD03-062801-2018
NEXT DATE: 02-12-2019
M/S INDOGULF CROPSCIENCES LIMITED
VIS
M/S MURTHY STORES
PUBLICATION ISSUED TO: 1. M/S MURTHY STORES AND OTHERS SHOP NO. 27, BLOCK B, TUDA SHOPPING COMPLEX, R.C.ROAD, TIRUPATHI 517501 DIST. CHITTOR ANDRA PARDESH 2. SH. C. RANA MOORTHY MOBILE 9491521170 PROP./ PARTNER/ AUTH SIGN OF M/S MURTHY STORES AND OTHERS SHOP NO 27 BLOCK B, TUDA SHOPPING COMPLEX, R.C.ROAD, TIRUPATHI 517501 DIST. CHITTOR ANDRA PARDESH

Whereas it has been proved to the satisfaction of the court that you, the above named accused / (accused persons) can't be served in the ordinary way of service. Hence this proclamation under section 82 of code of criminal procedure is hereby issued against you with a direction that you should appear personally before the court on 02-12-2019 at 10.00 a.m. or within 30 days from the date of publication of this proclamation. Take notice that, in case of default on your part to appear as directed above, the above said case will be heard and determined as per law, in your absence.
Given under my hand and the seal of the court this 28-11-2019. for details login to https://highcourtchd.gov.in/?trs=district_notice&district=ludhiana
JMIC LUDHIANA

कोर्ट नोटिस
In the court of sh. Devnoor Singh JMIC ludhiana
CNR NO. PBLD03-015867-2019
PESH: 05-12-2019
PUBLICATION NOTICE FOR PROCLAMATION UNDER SECTION 82 CRPC
M/S KIRTI FASTENERS
V/S
M/S HOYSALA TECHNOLOGIES PVT LTD
COMPLAINT /W SEC-138 N.I. ACT
NOTICE TO 1. M/S HOYSALA TECHNOLOGIES PVT LTD. SYNO 128/1 SITE NO 3&4, KEMPAIAH GARDEN, NEAR BMTC BUS DEPOT PEENYA 4TH PHASE, BANGALORE-560058 2. SHANKARAN HALLY RAJE GOWDE NANDEESH, MANAGING DIRECTOR M/S. HOYSALA TECHNOLOGIES PVT LTD. S TNO 128/1 SITE NO 3&4, KEMPAIAH GARDEN, NEAR BMTC BUS DEPOT PEENYA 4TH PHASE, BANGALORE -560058 3 RAJE GOOWE, DIRECTOR M/S HOYSALA TECHNOLOGIES PVT LTD. SYNO 128/1 SITE NO 3&4, KEMPAIAH GARDEN, NEAR BMTC BUS DEPOT PEENYA 4TH PHASE, BANGALORE -560058
Whereas it has been proved to the satisfaction of the court that you, the accused above named cannot be served in the ordinary way of service. Hence this proclamation under section 82 CRPC is hereby issued against you with a direction that you should appear personally before the court on 05-12-2019 at 10.00 a.m. Or within 30 days from the date of publication of this proclamation. Take notice that, in default of your part to appear as directed as above, the above said case will be heard and determined as per law, in your absence. Given under my hand and the seal of the court, this 11-2019. FOR DETAILS LOGIN TO https://highcourtchd.gov.in/?trs=district_notice&district=ludhiana
JMIC LUDHIANA

साई इण्डस्ट्रीज लिमिटेड
सीआईएन : L74999HR1901PLC045678
पंजीकृत कार्यालय : 302, तृतीय तल, सी-2/4, कम्युनिटी सेंटर अशोक विहार, फेज-2, नई दिल्ली-110052
वेबसाइट : www.shrisaiindustries.com,
ई-मेल आईडी : saiindustries1609@gmail.com

सूचना

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 47 के साथ पठित विनियम 29 के अनुसार, एतद्वारा सूचना दी जाती है कि 30 सितम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही के लिए अन्य बातों के साथ-साथ कम्पनी के अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार तथा अनुमोदन के लिए साई इण्डस्ट्रीज लिमिटेड के निदेशक मण्डल की बैठक बृहस्पतिवार, 14 नवम्बर, 2019 को कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय 302, तृतीय तल, सी-2/4, कम्युनिटी सेंटर अशोक विहार, फेज-2, नई दिल्ली-110052 पर आयोजित की जायेगी।
पुनः संशोधित सेबी (आन्तरिक व्यापार निषेध) विनियम, 2015 एवं ट्रेडिंग निषेध अवधि पर स्पष्टीकरण सम्बन्धी बीएसई लिमिटेड से प्राप्त परिपत्र दिनांक 22 अप्रैल, 2019 के अनुसार कम्पनी की प्रतिभूतियों में संव्यवहार न करने हेतु कम्पनी की आचार संहिता के सन्दर्भ में ट्रेडिंग विंडो पहले ही 01 अक्टूबर, 2019 से परिणामों को 14 नवम्बर, 2019 तक सार्वजनिक के 48 घण्टे पश्चात तक बन्द कर दी गयी है।
कथित सूचना कम्पनी की वेबसाइट www.shrisaiindustries.com तथा साथ ही स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट http://www.bseindia.com पर देखी जा सकती है।

कृते साई इण्डस्ट्रीज लिमिटेड
ह./-
श्री नीरज कुमार सिंह
तिथि : 07.11.2019 (निदेशक)
स्थान : दिल्ली

स्टैण्डर्ड कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड
सीआईएन : L74899DL1987PLC027057
8/28, डब्ल्यूईए, अब्दुल अजीज रोड, करोल बाग, नई दिल्ली-110005
दूरभाष नं. : 011-28759592
ई-मेल आईडी : stancap.delhi@gmail.com

सूचना

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 29 के अनुसार, आपको सूचित किया जाता है कि 30 सितम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही तथा छमाही के लिए कम्पनी के अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार तथा अनुमोदन के लिए मैसर्स स्टैण्डर्ड कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड के निदेशक मण्डल की बैठक मंगलवार, 13 नवम्बर, 2019 को 5.00 बजे अपराह्न 8/28, डब्ल्यूईए, अब्दुल अजीज रोड, करोल बाग, नई दिल्ली-110005 पर आयोजित की जायेगी।
पुनः सेबी (आन्तरिक व्यापार निषेध) विनियम, 2015 के प्रावधानों के अनुसार कम्पनी की प्रतिभूतियों में संव्यवहार न करने हेतु कम्पनी की आचार संहिता के सन्दर्भ में कम्पनी के इक्विटी शेयरों में लेन-देन हेतु ट्रेडिंग विंडो समस्त निदेशकों/नामित कर्मचारियों/इनसाइडरों के लिए 06 नवम्बर, 2019 से 13 नवम्बर, 2019 (दोनों तिथियाँ शामिल) तक बन्द रहेगी।

कृते स्टैण्डर्ड कैपिटल मार्केट्स लि.
ह./-
किशोर करगेती
स्थान : नई दिल्ली (निदेशक)
तिथि : 06.11.2019 डीआईएन : 00095763

DR. M. INDUSCORP LIMITED
(Formerly Known as Dr. M. Soy Proteins Limited)
Regd. Office: 18-B/1, Ground Floor, Dev Nagar, D.B.Gupta Road, Karol Bagh, New Delhi-110005,
Tel: +91-11-28716806
Website: www.drminduscorp.com;
Email: drmsoy@gmail.com
CIN: L01119DL1988PLC023698

NOTICE

Pursuant to Regulation 29 (a) read with regulation 47 (1) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulations, 2015, Notice is hereby given that Meeting of Board of Directors of the company will be held at 04.00 P.M. on Thursday, 14th November, 2019, at its registered office, inter-alia, to consider and approve Unaudited Financial results for the Quarter and Half Year ended on 30th September, 2019.
In accordance with Code of Conduct to Regulate, Monitor and Report Trading by Designated Persons of the Company pursuant to SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations 2015, the Trading Window of the Company is already closed from 1st October, 2019 and shall reopen after Forty Eight hours from the conclusion of the Meeting of the Board of Directors.
The Notice may be accessed on the Company's website at http://www.drminduscorp.com and may also accessed on the Stock Exchange at http://www.msei.in.

For DR. M. Induscorp Limited
Sd/-
Place: New Delhi Prem Prakash
Date: 06.11.2019 (Managing Director)

TARAI FOODS LIMITED
CIN: L15142DL1990PLC039291
Regd. Office: 13, Hanuman Road, Connaught Place, New Delhi- 110001
Website: www.taraifoods.com
Email: grvnces.tfl@gmail.com
Tel No.: 011-41018839

NOTICE

Notice is hereby given in compliance with Regulation 29 & 33 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, that Board Meeting of the Company will be scheduled to be held on Thursday, the 14th November, 2019 at 4:30 p.m. at Sandhu Farms, Rudrapur, Uttarakhand to consider, approve & take on record the un-audited financial results for the quarter ended 30th September, 2019 among other items of business as per Agenda.
This information is also available on the website of BSE Ltd. (www. bseindia.com) where the Company's securities are listed and shall also be available on the website of the Company (www.taraifoods.com)

For TARAI FOODS LIMITED
Sd/-
R. P. Singh
Place: Rudrapur Executive Director
Date: 05.11.2019 DIN NO- 03615102

एपल मेटल इंडस्ट्रीज लिमिटेड
पंजी. कार्यालय: यूनिट नं. 701-ए, 7वाँ तल, जीडी-आईटीएल टावर, प्लॉट नं. बी-8, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, दिल्ली-110034
CIN:L27104DL1972PLC206966
फोन: +91-11-41755370,
ईमेल: info@applegroup.co.in
वेबसाईट : www.applemetal.co.in

सूचना

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीयन दायित्व एवं उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 47 के साथ पठित विनियमन 29 के अनुपालन में एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी के निदेशक मंडल की एक बैठक कम्पनी के पंजीकृत कार्यलय में गुरुवार, 14 नवम्बर, 2019 को 10.30 बजे पूर्वा. में आयोजित की जायेगी। जिसमें अन्य विषयों के अलावे 30 सित. 2019 को समाप्त तिमाही एवं छमाही के अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार कर उसे अभिलेख में लिये जाएंगे। इस सूचना में शामिल जानकारी कम्पनी की वेबसाईट अर्थात् (www.applemetal.co.in) तथा कलकत्ता स्टॉक एक्सचैंज की वेबसाईट पर उपलब्ध है

ब्रिटेन की अदालत ने नीरव मोदी की जमानत याचिका खारिज की

लंदन, 6 नवंबर (भाषा)।

ब्रिटेन की अदालत ने भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी की नई जमानत याचिका बुधवार को खारिज कर दी। इससे नीरव मोदी को तगड़ा झटका लगा है। नीरव ने मुचलके के तौर पर 40 लाख पाउंड की भारी धनराशि का भुगतान करने के साथ ही संदिग्ध आतंकवादियों के समान निगरानी में रखे जाने की पेशकश की थी लेकिन अदालत ने उसकी दलील को अनसुना कर दिया।

नीरव मोदी पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) से जुड़े दो अरब डॉलर के धोखाधड़ी और धनशोधन मामले में भारत को प्रत्यर्पित किए जाने के खिलाफ मुकदमा लड़ रहा है। जमानत के लिए चौथी कोशिश के तहत नीरव ने वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट की अदालत में न्यायाधीश एम्मा अर्बथनॉट के सामने याचिका दी। इसी अदालत में पिछली पेशी की तुलना में नीरव इस बार तंदुरुस्त लग रहा था। उसने सफेद रंग की कमीज और नीले रंग का स्वेटर पहन रखा था। सुनवाई के बाद वापस उसे वैंड्सवर्थ जेल भेज दिया गया। अब चार दिसंबर को वीडियो लिंक के जरिए इसी अदालत में उसकी पेशी होगी।

न्यायाधीश एम्मा अर्बथनॉट ने कहा 'अतीत से अंदाजा लगाया जा सकता है कि भविष्य में क्या हो सकता है।' न्यायाधीश ने कहा कि वह अब भी नहीं मानती हैं कि वह सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेगा और मई 2020 में मुकदमे के दौरान अदालत के सामने आत्मसमर्पण कर देगा। न्यायाधीश ने कहा कि नीरव ने खुद माना है कि वह 'अवसाद' में है और यह ऐसी वजह नहीं है कि वह जमानत से इनकार के पुराने आदेश को बदल दें। न्यायाधीश ने नीरव मोदी की नई जमानत याचिका के बारे में पिछले महीने भारतीय मीडिया को खबरें लीक करने की भी आलोचना की। खबरों में गोपनीय चिकित्सा रिपोर्ट के जरिए उसकी मानसिक स्थिति के बारे में बताया गया था। नीरव मोदी 19 मार्च को गिरफ्तारी के बाद दक्षिण-पश्चिम लंदन की वैंड्सवर्थ जेल में है। भारत सरकार के अनुरोध पर स्कॉटलैंड यार्ड (लंदन पुलिस) ने प्रत्यर्पण वारंट की तामील करते हुए उसे गिरफ्तार किया था।

कदाचार की जांच, संयुक्त राष्ट्र की फलस्तीन एजंसी के अध्यक्ष ने छोड़ा पद

यरुशलम, 6 नवंबर (एएफपी)।

फलस्तीनी शरणार्थियों के लिए बनी संयुक्त राष्ट्र की एजंसी के अध्यक्ष ने कदाचार के आरोपों के मामले में चल रही अंदरूनी जांच के चलते अपना पद अस्थायी रूप से छोड़ दिया है। एजंसी ने बुधवार को यह जानकारी दी।

यूएनआरडब्लूए के कमिश्नर जनरल पियरे क्राहेन्बुल के स्थान पर एजंसी के कार्यकारी अध्यक्ष क्रिश्चियन सौंडर्स अस्थायी तौर पर उनका कामकाज देखेंगे। एजंसी ने कहा कि अब तक की गई जाँच में प्रबंधन संबंधी विषय सामने आए हैं जिनका संबंध विशेष रूप से कमिश्नर जनरल से है। आंतरिक आचार रिपोर्ट में एजेंसी में उच्च स्तरीय कुप्रबंधन की बात सामने आई है। संयुक्त राष्ट्र के जांचकर्ताओं द्वारा तैयार की गयी एक गोपनीय रिपोर्ट में स्विस नागरिक क्राहेन्बुल पर आचरण संबंधी कई आरोपों की बात सामने आई है। रिपोर्ट में एजेंसी के वरिष्ठ प्रबंधन पर यौन शोषण, भाई भतीजावाद, भेदभाव और व्यक्तिगत लाभ के लिए पद का दुरुपयोग करने के आरोप लगे हैं। क्राहेन्बुल पर 2015 में नियुक्त हुई अपनी सहयोगी के साथ प्रेम संबंध रखने के आरोप लग चुके हैं। अमेरिका द्वारा 2018 में अनुदान की राशि रोक दिए जाने के बाद यूएनआरडब्लूए गंभीर वित्तीय संकट से जूझ रहा है। प्रबंधन संबंधी अनियमितताओं के चलते यूएनआरडब्लूए को कई देशों ने अनुदान देना बंद कर दिया है। यूएनआरडब्लूए की स्थापना 1948 के युद्ध के बाद निर्वासित हुए सात लाख से अधिक फलस्तीनियों की सहायता के लिए की गई थी।

नेपाल ने भारत के नए मानचित्र में कालापानी को दिखाने पर आपत्ति जताई

काठमांडो, 6 नवंबर (भाषा)।

नेपाल ने भारत की ओर से जारी देश के नए राजनीतिक मानचित्र में कालापानी को उसगइ सीमा में कथित तौर पर दिखाए जाने पर आपत्ति जताई है। नेपाल सरकार ने बुधवार को कहा कि देश के सुदूर पश्चिमी इलाके स्थित कालापानी नेपाल की सीमा में है।

भारत ने शनिवार को नया राजनीतिक मानचित्र जारी किया था जिसमें नवगठित जम्मू-कश्मीर और लद्दाख केंद्रशासित प्रदेश को उनकी सीमाओं के साथ दिखाया गया है। मानचित्र में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को नवगठित जम्मू-कश्मीर केंद्रशासित प्रदेश के हिस्से के रूप में दिखाया गया है जबकि गिलगित-बाल्टिस्तान को लद्दाख के हिस्से के रूप में प्रदर्शित किया गया है। नेपाल सरकार ने कहा कि कालापानी को भारत के नए मानचित्र में दिखाने की जानकारी उसे मीडिया में आई खबरों से मिली है।

नेपाल के विदेश मंत्रालय ने कहा, 'नेपाल सरकार स्पष्ट है कि कालापानी का इलाका उसकी सीमा में आता है। विदेश सचिव स्तर की संयुक्त बैठक में भारत और नेपाल की सीमा संबंधी मुद्दों को संबंधित विशेषज्ञों की मदद से सुलझाने की जिम्मेदारी दोनों देशों के विदेश सचिवों को दी गई है।' नेपाल ने कहा, 'दोनों देशों के बीच सीमा संबंधित लंबित सभी मुद्दों को आपसी समझ से सुलझाने की जरूरत है और कोई भी एकतरफा कार्रवाई नेपाल सरकार को अस्वीकार्य है।' विदेश मंत्रालय ने कहा, 'नेपाल सरकार अपनी अंतरराष्ट्रीय सीमा की रक्षा करने को लेकर प्रतिबद्ध है और दोनों मित्र देशों को कूटनीतिक माध्यम से ऐतिहासिक दस्तावेजों व सबूतों के आधार पर विवाद को सुलझाने की जरूरत है।'

ट्रंप के काफिले पर भद्दा इशारा करने वाली महिला चुनाव में विजयी

वाशिंगटन, 6 नवंबर (एएफपी)।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से नाराजगी जाहिर करने के लिए 2017 में उनके काफिले की ओर भद्दा इशारा करने के कारण नौकरी गंवाने वाली जूली ब्रिस्कमैन को वर्जीनिया में स्थानीय चुनाव में जीत मिली है। जूली ब्रिस्कमैन ने लौडौन काउंटी बोर्ड ऑफ सुपरवाइजर्स के चुनाव में जीत हासिल करते हुए रिपब्लिकन उम्मीदवार को हराया।

साइकिल पर सवार होकर जाते हुए ब्रिस्कमैन की एक तस्वीर 2017 में काफी चर्चा में रही थी। इस तस्वीर में वह ट्रंप के काफिले की ओर भद्दा इशारा करते हुए दिखी थीं। यह तस्वीर मीडिया में प्रकाशित होने और इंटरनेट पर वायरल होने के बाद दो बच्चों की मां ब्रिस्कमैन की नौकरी चली गई थी। वह अमेरिकी सरकार में मार्केटिंग विश्लेशक के तौर पर काम करती थीं।

आइएस-के ने रची थी भारत पर हमले की साजिश

वाशिंगटन, 6 नवंबर (भाषा)।

आइएसआइएस के खुरासान समूह उर्फ आइएसआइएस-के ने पिछले साल भारत में आत्मघाती हमले की साजिश रची थी।

राष्ट्रीय खुफिया निदेशालय के तहत आने वाले राष्ट्रीय आतंकवाद रोधी केंद्र के कार्यकारी निदेशक रसल ट्रेवर्स ने मंगलवार को कहा कि आइएसआइएस की सभी शाखाओं में से आइएसआइएस-के वह संगठन है, जो अमेरिका के लिए चिंता की सबसे बड़ी वजह है। भारतवंशी सांसद मैगी हसन के सवाल के जवाब में ट्रैवर्स ने कहा, 'आइएसआइएस की शाखाओं एवं नेटवर्क में से, आइएसआइएस-के निश्चित तौर पर सबसे ज्यादा चिंतित करने वाला संगठन है।' ट्रैवर्स ने कहा, 'संगठन अफगानिस्तान के बाहर हमले करने के लिए उकसाता है। उसने पिछले साल भारत में आत्मघाती हमला करने की साजिश रची थी, जो नाकाम हो गई।'

ईरान का परमाणु समझौते से पीछे हटने का फैसला खतरनाक : मैक्रों

बेजिंग, 6 नवंबर (एएफपी)।

फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुएल मैक्रों ने बुधवार को कहा कि ईरान ने 'खतरनाक' फैसला लिया है। मैक्रों ने यह बात तब कही है जब ईरान के राष्ट्रपति हसन रुहानी ने मंगलवार को कहा कि ईरान यूरेनियम संवर्द्धन का काम फिर से शुरू करेगा।

मैक्रों ने बेजिंग की अपनी यात्रा के दौरान एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, 'मैं आने वाले दिनों में चर्चा करूंगा, इसमें ईरानियों के साथ चर्चा भी शामिल होगी। हमें सामूहिक रूप से इसके परिणामों पर चर्चा करनी होगी।' रूहानी ने मंगलवार को कहा था कि ईरान की राजधानी तेहरान के दक्षिण स्थित एक भूमिगत संयंत्र में यूरेनियम संवर्द्धन का काम फिर से शुरू करेगा। मैक्रों ने कहा कि ईरान ने 2015 में हुए परमाणु समझौते से स्पष्ट तौर पर पीछे हटते हुए यह नई घोषणा की है। उन्होंने इसे ईरान के पूर्ववर्ती स्थिति से काफी अलग बताया।

महात्मा गांधी, मंडेला की प्रतिमा का अनावरण

जोहानिसबर्ग, 6 नवंबर (भाषा)।

जोहानिसबर्ग स्थित टॉलस्टॉय फार्म में महात्मा गांधी और नेल्सन मंडेला की दो आदमकद प्रतिमाओं का अनावरण किया गया। महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में वकालत कर रहे थे तब उन्होंने सत्याग्रह की शुरूआत की थी और उन दिनों टॉलस्टॉय फार्म सत्याग्रह का मुख्यालय बन गया था। इस फार्म का नाम प्रख्यात रूसी लेखक टॉलस्टॉय पर है, जिनके प्रशंसक खुद बापू थे।

इंटरनेट स्वतंत्रता के मामले में पाक सबसे बुरे देशों में शामिल

इस्लामाबाद, 6 नवंबर (भाषा)।

इंटरनेट और डिजिटल मीडिया स्वतंत्रता के लिहाज से पाकिस्तान दुनिया के दस बदतर देशों में से एक है। अंतरराष्ट्रीय इंटरनेट अधिकार समूह, 'द फ्रीडम हाउस' ने मंगलवार को 2019 के लिए अपनी 'फ्रीडम ऑन द नेट' रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट का शीर्षक 'सोशल मीडिया का संकट' है जिसमें जून 2018 से मई 2019 के बीच वैश्विक इंटरनेट स्वतंत्रता में गिरावट दर्ज की गई। 'डॉन न्यूज' ने रिपोर्ट के हवाले से खबर दी कि संस्था ने अपनी रिपोर्ट में पाकिस्तान को सौ सबसे बुरे देशों (इंटरनेट स्वतंत्रता की नजर से) में 26वें स्थान पर रखा है। पिछले साल की रैंकिंग की तुलना में पाकिस्तान एक स्थान और नीचे खिसक गया है। देश ने इंटरनेट तक पहुंच में बाधा के मामले में 25 में से पांच अंक, कंटेंट सीमित किए जाने के मामले में 35 में से 14 और उपयोगकर्ता अधिकार सूचकांक के उल्लंघन के मामले में 40 में से मात्र सात अंक प्राप्त किए।

ट्रंप प्रशासन में भारतीय आइटी कंपनियों से भेदभाव बढ़ा

वाशिंगटन, 6 नवंबर (भाषा)।

ट्रंप प्रशासन की अति प्रतिबंधात्मक नीतियों के चलते एच-1बी आवेदनों को खारिज किए जाने की दर 2015 के मुकाबले इस साल बहुत अधिक बढ़ी हैं।

एक अमेरिकी थिंक टैंक की तरफ से किए गए अध्ययन में यह भी सामने आया है कि नामी-गिरामी भारतीय आइटी कंपनियों के एच-1बी आवेदन सबसे ज्यादा खारिज किए गए हैं। ये आंकड़े उन आरोपों को एक तरह से बल देते हैं कि मौजूदा प्रशासन अनुचित ढंग से भारतीय कंपनियों को निशाना बना रहा है।

नेशनल फाउंडेशन फॉर अमेरिकन पॉलिसी की ओर से किए गए इस अध्ययन के मुताबिक 2015 में जहां छह फीसद एच-1बी आवेदन खारिज किए जाते थे, वहीं मौजूदा वित्त वर्ष में यह दर बढ़ कर 24 फीसद हो गई है।

यह रिपोर्ट अमेरिका की नागरिकता एवं आव्रजन सेवा यानी यूएससीआइएस से मिले आंकड़ों पर आधारित है।

●नेशनल फाउंडेशन फॉर अमेरिकन पॉलिसी की ओर से किए गए इस अध्ययन के मुताबिक 2015 में जहां छह फीसद एच-1बी आवेदन खारिज किए जाते थे, वहीं मौजूदा वित्त वर्ष में यह दर बढ़ कर 24 फीसद हो गई है।

●फाउंडेशन ने कहा, 'ट्रंप प्रशासन का मुख्य लक्ष्य यह रहा है कि सुशिक्षित विदेशी नागरिकों के लिए अमेरिका में विज्ञान एवं इंजीनियरिंग क्षेत्र में नौकरी करना ज्यादा मुश्किल बनाया जाए।'

उदाहरण के लिए 2015 में अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल और गूगल में शुरुआती नौकरी के लिए दायर एच-1बी आवेदनों में महज एक फीसद को खारिज किया जाता था। वहीं 2019 में यह दर बढ़ कर क्रमशः छह, आठ, सात और तीन फीसद हो गई है। हालांकि एप्पल के लिए यह दर दो फीसद ही बनी रही। रिपोर्ट में कहा गया कि इसी अवधि में टेक महिंद्रा के लिए यह दर चार फीसद से बढ़ कर 41 फीसद हो गई, टाटा कंसल्टेंसी सिर्विसेज के लिए छह फीसद से बढ़ कर 34 फीसद, विप्रो के लिए सात से बढ़ कर 53 फीसद और इंफोसिस के लिए महज दो फीसद से बढ़कर 45 फीसद पर पहुंच गई।

इसमें कहा गया कि एसेंचर, केपजेमिनी समेत अन्य अमेरिकी कंपनियों को आइटी सेवाएं या पेशेवर मुहैया कराने वाली कम से कम 12 कंपनियों के लिए अस्वीकार्यता दर 2019 की पहली तीन तिमाही में 30 फीसद से अधिक रही। इनमें से ज्यादातर कंपनियों के लिए यह दर 2015 में महज दो से सात फीसद के बीच थी। रोजगार जारी रखने के लिए दायर एच-1बी आवेदनों को खारिज किए जाने की भी दर भारतीय आईटी कंपनियों के लिए सबसे ज्यादा थी। दूसरी तरफ अमेरिका की नामी कंपनियों में नौकरी जारी रखने के लिए दायर आवेदनों को खारिज किए जाने की दर कम रही।

PNB GILTS LTD

पीएनबी गिल्ट्स लिमिटेड
(CIN L74899DL1996PLC077120)
पंजीकृत कार्यालय : 5, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001. फोन : 011-23325759, 23325779
फैक्स : 011-23325751, 23325763 वेबसाइट : www.pnbgilts.com ई-मेल : pnbgilts@pnbgilts.com

30 सितम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही और छमाही के अनंकेक्षित वित्तीय परिणाम का सार

(₹ लाख में)

	विवरण	3 माह समाप्त 30.09.2019 (समीक्षित)	3 माह समाप्त 30.09.2018 (समीक्षित)	3 माह समाप्त 30.06.2019 (समीक्षित)	6 माह समाप्त 30.09.2019 (समीक्षित)	6 माह समाप्त 30.09.2018 (समीक्षित)	वर्ष समाप्त 31.03.2019 (लेखापरीक्षित)
1.	प्रचालनों से कुल आय	19046.87	12003.56	19903.17	38950.04	22111.68	50779.42
2.	अवधि का शुद्ध लाभ/(घाटा) (कर, आपवादिक तथा/अथवा असाधारण मदों से पूर्व)	5592.89	1192.46	7286.75	12879.64	(3138.32)	8302.07
3.	अवधि का कर पूर्व शुद्ध लाभ/(घाटा) (आपवादिक तथा/अथवा असाधारण मदों के उपरान्त)	(661.85)	1192.46	6737.75	6075.90	(3138.32)	8302.07
4.	अवधि का कर उपरान्त शुद्ध लाभ/(घाटा) (आपवादिक तथा/अथवा असाधारण मदों के उपरान्त)	(191.69)	1107.05	4516.08	4324.39	(3317.57)	5285.78
5.	अवधि की कुल व्यापक आय (इसमें अवधि का कर उपरान्त शुद्ध लाभ/(घाटा) और कर उपरान्त अन्य व्यापक आय सम्मिलित है)	(226.74)	1106.67	4514.08	4287.34	(3318.33)	5230.35
6.	इक्विटी शेयर पूंजी	18001.01	18001.01	18001.01	18001.01	18001.01	18001.01
7.	आय प्रति अंश (रु. 10 प्रत्येक की) रु. में (सतत तथा असतत कार्य संचालन)						
	मूल	(0.11)	0.61	2.51	2.40	(1.84)	2.94
	घटाकर	(0.11)	0.61	2.51	2.40	(1.84)	2.94

तिमाही / छमाही अवधि की प्रति अंश आय, सालाना नहीं है।

नोट :

1. कंपनी के वित्तीय परिणाम, कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम 2015 सशोधित कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2016 तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 तथा संबंधित नियमों के अनुरूप और भारत में सामान्यतः स्वीकार्य अन्य नियमों के तहत इंड एएस के अनुसार तैयार किये गये है। भारतीय रिजर्व बैंक और अन्य नियामकों द्वारा जारी कोई भी अनुप्रयोग निर्देशन/स्पष्टीकरण/निर्देश, जब भी जारी/लागू किये जाते है, कार्यान्वित किये जाते है।
2. वित्तीय परिणाम लेखा परीक्षा समिति द्वारा समीक्षा उपरान्त निदेशक मंडल द्वारा 06 सितम्बर, 2019 को हुई बैठक में अनुमोदित कर दिए गए है।
3. सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 33 की अनुपालना में 30 सितम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही के लिये वित्तीय परिणामों की वैधानिक लेखा परीक्षकों द्वारा सीमित समीक्षा की गई है।
4. पिछली अवधि के आंकड़ों को, वर्तमान अवधि के साथ तुलनीय बनाने के वास्ते जहां कहीं आवश्यक समझा गया है, पुनः समूहित किया गया है।
5. कंपनी मुख्यतः प्रतिभूतियों में ट्रेडिंग के व्यवसाय में लगी है और तदनुसार प्रचालन खण्ड से संबंधित इंड एएस 108 के अनुसार रिपोर्ट करने योग्य कोई खण्ड नहीं है।
6. कंपनी ने ट्रांजिशन के पूर्व विधि से सुधार करते हुए 1 अप्रैल 2019 से प्रभावी इंड एएस 116 को पट्टों पर लागू किया है। इस मानक को अपनाने पर कंपनी के 30 सितम्बर 2019 को समाप्त तिमाही के लिये अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर कोई मुख्य / महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं है।
7. 30 सितम्बर 2019 और 30 सितम्बर 2018 को समाप्त तिमाही के आंकड़े, समीक्षित 30 सितम्बर 2019 और 30 सितम्बर 2018 को समाप्त हुई छमाही एवं 30 जून 2019 और 30 जून 2018 को समाप्त हुई तिमाही के आंकड़ों के बीच संतुलन के आंकड़े हैं।
8. कंपनी ने सीसीआईएल को इस तिमाही के दौरान सिक्योरिटी शार्टफाल के लिये 25.07.2019 को रू 53,100/- की राशि का भुगतान किया है। यह सब सीसीआईएल और भारतीय रिजर्व बैंक के सेटलमेन्ट के समय में अंतर के कारण था, जबकि कंपनी में वास्तव में कोई शार्टफाल नहीं था।
9. प्रतिभूति 9.05% Dewan Housingh Finance Corporation Ltd. (DHFL) 09.09.2019 NCD के डिफाल्ट के कारण रू 4971.88 लाख के मूलधन और रू 451.26 लाख के ब्याज को बई खाते में डाल दिये गए हैं। इसके अलावा एक Non-SLR प्रतिभूति के लिए रू 1219.12 लाख के मूलधन और रू 151.49 लाख के ब्याज का प्रावधान भी किया गया है।

दिनांक : नवम्बर 06, 2019
स्थान : नई दिल्ली

बोर्ड की ओर से और उन्ही के लिए
(विकास गोयल)
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

इलाहाबाद बैंक विश्वास की परंपरा (A Govt. of India Undertaking) **ALLAHABAD BANK** A tradition of trust

(प्रधान कार्यालय, 2, नेताजी सुभाष रोड, कोलकाता-700001) जोनल ऑफिस- दिल्ली एनसीआर

"परिशिष्ट-4-क" [(नियम 8(6) का परंतुक देखें)]

अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री सूचना

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(6) के परंतुक के तहत अचल अस्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी बिक्री सूचना

एतद्द्वारा सर्व साधारण को और विशेष रूप से कर्जदार(रों) तथा गारंटर(रों) को सूचना दी जाती है कि प्रतिभूत लेनदार (इलाहाबाद बैंक) के पास बंधक/प्रभारित/दृष्टिबंधित/गिरवी निम्नवर्णित अचल/चल सम्पत्तियां, जिनका प्रलक्षित/भौतिक कब्जा इलाहाबाद बैंक (प्रतिभूत लेनदार) के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्राप्त किया जा चुका है, प्रतिभूत लेनदार की कर्जदारों, गारंटरों तथा बंधकदाताओं की तरफ बकाया राशि की वसूली के लिए दिनांक 28-11-2019 को "जैसी है जहां है" जैसी है जो है" तथा "जो भी है वहां है" आधार पर बेची जाएगी। सुरक्षित मूल्य नीचे वर्णित किया गया है तथा धरोहर राशि जो जमा की जानी है क्रमानुसार वर्णित की गई है।

सरफासी ऐक्ट के तहत दिनांक 28.11.2019 को पूर्वा. 11.00 बजे से अप. 01.00 बजे तक

क्र. सं.	कर्जदार (रों) का नाम	गारंटर (रों)/बंधककर्ता का नाम	अचल सम्पत्ति/यों का विवरण	भौतिक/प्रलक्षित कब्जा	27-08-2019 तक प्रतिभूत ऋण की राशि	स्थानीय प्रशासन तथा सरकारी प्राधिकरणों इत्यादि के ऋणभार बकाया राशि का विवरण, यदि बैंक को ज्ञात है	(viii) सुरक्षित मूल्य / (ix) धरोहर राशि जमा / न्यूनतम बोली वृद्धि राशि
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)	
1.	मैसर्स प्रितेश ग्रीन डेरी प्रा. लि. ब्रांच : एसएएम, नई दिल्ली	श्री बृज किशोर स्वेन, श्रीमती सुनंदा दास, श्रीमती श्वेता गुमान सिंह, श्रीमी सुनंदा दास (बंधकदाता)	सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : खाता नंबर 204, खसरा नंबर 5173, एरिया परिमाप 0.3080 हेक्टेयर ग्राम मंजरी ग्रान्ट, शेरगढ़ रोड, तहसील डोईवाला, ऋषिकेश, जिला देहरादून, उत्तराखंड स्थित खुली और निर्मित सम्पत्ति।	भौतिक कब्जा	रू. 410.19 लाख + बैंक की बकाया राशि की वसूली तक ब्याज एवं अन्य खर्चे	बैंक को ज्ञात नहीं	रू.125.07 लाख / रू.12.51 लाख / रू.1.00 लाख
2.	मैसर्स प्रितेश ग्रीन डेरी प्रा. लि. ब्रांच : एसएएम, नई दिल्ली	श्री बृज किशोर स्वेन (बंधकदाता), श्रीमती सुनंदा दास, श्रीमती श्वेता गुमान सिंह, श्रीमती स्वर्णलता बेहरा श्रीमती सुनंदा दास	मकान नंबर 664, ब्लॉक-जी, सेक्टर-गामा-।।, ग्रेटर नोएडा, जिला गौतमबुद्ध नगर (उत्तर प्रदेश), एरिया परिमाप 60 वर्ग मीटर	भौतिक कब्जा	रू. 410.19 लाख + बैंक की बकाया राशि की वसूली तक ब्याज एवं अन्य खर्चे	बैंक को ज्ञात नहीं	रू.49.85 लाख / रू.4.99 लाख / रू.0.50 लाख
3.	मैसर्स एम. के. ट्रेडिंग कम्पनी (प्राप. श्री जय किशन बसोया) ब्रांच : लाजपत नगर, नई दिल्ली	गारंटर : श्री विजय पाल पुत्र धरम पाल बंधकदाता श्री जै किशन पुत्र गोपी राम	त्रि नगर, दिल्ली-110035 के नाम से ज्ञात आबाद ग्राम जोर बाग में खसरा नंबर 541/197, खाता नंबर 99, खेवट नंबर 36 के हिस्से में लगभग 65 वर्ग गज भूमि पर निर्मित सम्पत्ति सं. 382-ए, भू तल, एरिया परिमाप 65 वर्ग गज	भौतिक कब्जा	रू. 57.36 लाख + बैंक की बकाया राशि की वसूली तक ब्याज एवं अन्य खर्चे	बैंक को ज्ञात नहीं	रू.21.60 लाख / रू.2.16 लाख / रू.0.10 लाख
4.	मैसर्स एम. के. ट्रेडिंग कम्पनी (प्राप. श्री जय किशन बसोया) ब्रांच : लाजपत नगर, नई दिल्ली	गारंटर : श्री विजय पाल पुत्र धरम पाल बंधकदाता श्री जै किशन पुत्र गोपी राम	त्रि नगर, दिल्ली-110035 के नाम से ज्ञात आबाद ग्राम जोर बाग में खसरा नंबर 541/197, खाता नंबर 99, खेवट नंबर 36 के हिस्से में लगभग 65 वर्ग गज भूमि पर निर्मित सम्पत्ति सं. 382-ए, प्रथम तल, एरिया परिमाप 65 वर्ग गज	भौतिक कब्जा	रू. 57.36 लाख + बैंक की बकाया राशि की वसूली तक ब्याज एवं अन्य खर्चे	बैंक को ज्ञात नहीं	रू.17.20 लाख / रू.1.72 लाख / रू.0.10 लाख
5.	मैसर्स एम. के. ट्रेडिंग कम्पनी (प्राप. श्री जय किशन बसोया) ब्रांच : लाजपत नगर, नई दिल्ली	गारंटर : श्री विजय पाल पुत्र धरम पाल बंधकदाता श्री जै किशन पुत्र गोपी राम	त्रि नगर, दिल्ली-110035 के नाम से ज्ञात आबाद ग्राम जोर बाग में खसरा नंबर 541/197, खाता नंबर 99, खेवट नंबर 36 के हिस्से में लगभग 65 वर्ग गज भूमि पर निर्मित सम्पत्ति सं. 382-ए, द्वितीय तल, एरिया परिमाप 65 वर्ग गज	भौतिक कब्जा	रू. 57.36 लाख + बैंक की बकाया राशि की वसूली तक ब्याज एवं अन्य खर्चे	बैंक को ज्ञात नहीं	रू.17.20 लाख / रू.1.72 लाख / रू.0.10 लाख
6.	मैसर्स एम. के. ट्रेडिंग कम्पनी (प्राप. श्री जय किशन बसोया) ब्रांच : लाजपत नगर, नई दिल्ली	गारंटर : श्री विजय पाल पुत्र धरम पाल बंधकदाता श्री जै किशन पुत्र गोपी राम	त्रि नगर, दिल्ली-110035 के नाम से ज्ञात आबाद ग्राम जोर बाग में खसरा नंबर 541/197, खाता नंबर 99, खेवट नंबर 36 के हिस्से में लगभग 65 वर्ग गज भूमि पर निर्मित सम्पत्ति सं. 382-ए, तृतीय तल, एरिया परिमाप 65 वर्ग गज	भौतिक कब्जा	रू. 57.36 लाख + बैंक की बकाया राशि की वसूली तक ब्याज एवं अन्य खर्चे	बैंक को ज्ञात नहीं	रू.18.80 लाख / रू.1.88 लाख / रू.0.10 लाख
7.	श्री जलज श्रीवास्तव एवं श्रीमति ज्योति श्रीवास्तव ब्रांच : ग्रीन पार्क, नई दिल्ली	श्री जलज श्रीवास्तव श्री पंकज श्रीवास्तव	फ्लैट नंबर जी.एम-1, भू तल, प्लॉट नंबर 45, सेक्टर-5, राजिन्दर नगर, साहिबाबाद, जिला गाजियाबाद-201005, परिमाप 700 वर्ग फीट	भौतिक कब्जा	रू. 15.07 लाख + बैंक की बकाया राशि की वसूली तक ब्याज एवं अन्य खर्चे	बैंक को ज्ञात नहीं	रू.18.00 लाख / रू.1.80 लाख / रू.0.10 लाख
8.	मैसर्स नार्थ स्टार कैनवास (साझेदार : श्री मनोज शर्मा एवं श्री नितिन मोदावल) ब्रांच : साउथ एक्स. नई दिल्ली	श्री मनोज शर्मा श्री नितिन मोडावाल मैसर्स शशि एसोशिएट्स, स्वामी सुश्री शशि बाला रावल	आवासीय सम्पत्ति नंबर 74 एवं 75, मोहल्ला मढैया सुखपाल सिंह, पिलखुवा परगना डासना एवं तहसील हापुड़, जिला गाजियाबाद-245101, परिमाप 233.50 वर्ग गज	प्रलक्षित कब्जा	रू. 207.36 लाख + बैंक की बकाया राशि की वसूली तक ब्याज एवं अन्य खर्चे	बैंक को ज्ञात नहीं	रू.14.22 लाख / रू.1.43 लाख / रू.0.10 लाख
9.	मैसर्स राजू एडवरटाइजिंग एजेन्सी, प्रॉप. श्रीमति सरिता सिनसिनवार ब्रांच द्वाराका 12 बी, नई दिल्ली	श्री बालकृष्ण सिनसिनवार पुत्र स्व. श्री बिहारी लाल सिनसिनवार (गारंटर एवं बंधककर्ता)	सम्पत्ति म्युनिसिपल नंबर 7726/17 एवं 7726/18, भू तल, छत का अधिकार नहीं, भूमि परिमाप 70 वर्ग मीटर, वार्ड नंबर 12, फसीह बिल्डिंग, रोशनारा रोड, घंटाघर, सब्जी मंडी, दिल्ली-110007	भौतिक कब्जा	रू. 59.95 लाख + बैंक की बकाया राशि की वसूली तक ब्याज एवं अन्य खर्चे	बैंक को ज्ञात नहीं	रू.36.90 लाख / रू.3.69 लाख / रू.0.20 लाख
10.	मैसर्स झा मेडीसिन को. प्रॉप. श्री रमेश झा पुत्र श्री इन्द्रदेव झा ब्रांच : कृष्ण नगर, नई दिल्ली	श्री सुनील गोयल श्रीमति आभा गोयल पत्नी श्री सुनील गोयल (बंधक)	दो कार्यालय बिल्डिंग इनका प्राइवेट नंबर 28 एवं 29, एरिया परिमाप 410 वर्ग फीट अर्थात 45.55 वर्ग गज, प्लिंथ/कवर्ड एरिया परिमाप 38.089 वर्ग मीटर, प्रथम तल, छत का अधिकार नहीं, केवल सीलिंग लेवल तक, सम्पत्ति सं. ए-215, खसरा नंबर 80, ग्राम शकरपुर खास, इलाका शाहदरा, दिल्ली-110092, नीचे भूमि का यथानुपात, अविभाजित, अविभाज्य तथा अवियोजनीय स्वामित्व अधिकार के साथ।	भौतिक कब्जा	रू. 71.38 लाख + बैंक की बकाया राशि की वसूली तक ब्याज एवं अन्य खर्चे	बैंक को ज्ञात नहीं	रू.31.95 लाख / रू.3.20 लाख / रू.0.20 लाख
11.	श्री सौमेन रॉय चौधरी (स्वर्गवास के बाद उनके कानूनी वारिस के माध्यम से) शाखा : तुगलकाबाद, नई दिल्ली	श्री बिजय कृष्ण बसाक श्री सुब्रत सिन्हा श्री सौमेन रॉय चौधरी (स्वर्गवास के बाद उनके कानूनी वारिस के माध्यम से) (बंधकदाता)	सम्पत्ति फ्लैट प्राइवेट नंबर 2, प्रथम तल, सम्पत्ति सं. 177-ए, वार्ड नंबर 2, खसरा नंबर 1151/3, महरौली, नई दिल्ली-110030, परिमाप 72 वर्ग गज अर्थात लगभग 650 वर्ग फीट	भौतिक कब्जा	रू. 7.28 लाख + बैंक की बकाया राशि की वसूली तक ब्याज एवं अन्य खर्चे	बैंक को ज्ञात नहीं	रू.15.84 लाख / रू.1.59 लाख / रू.0.10 लाख

प्रक्रिया अनुपालन फार्म तथा ईएमडी राशि जमा करने हेतु अंतिम तिथि एवं समय	27.11.2019 अप. 05.00 बजे तक
ई-नीलामी की तिथि एवं समय	11.10.2019 को पूर्वा. 11.00 बजे से अप. 1.00 बजे तक प्रत्येक बोली के लिए 10 मिनट का विस्तार बोली वृद्धि राशि ऊपर टेबल में वर्णितनुसार

अतिरिक्त विवरण तथा नियम एवं शर्तों के लिए, सम्पर्क करें :
क) क्र. सं. 1 एवं 2 पर वर्णित सम्पत्ति के लिए – मुख्य प्रबंधक, एसएएम शाखा (011-23364381)
ख) क्र. सं. 3 से 6 पर वर्णित सम्पत्ति के लिए – मुख्य प्रबंधक, लाजपत नगर शाखा (011-24652014)
ग) क्र. सं. 7 पर वर्णित सम्पत्ति के लिए – मुख्य प्रबंधक, ग्रीन पार्क शाखा (011-26102973)
घ) क्र. सं. 8 पर वर्णित सम्पत्ति के लिए – मुख्य प्रबंधक, साउथ एक्स. शाखा (Ph-011-24625093)
ङ) क्र. सं. 9 पर वर्णित सम्पत्ति के लिए – मुख्य प्रबंधक, द्वारका 12बी शाखा (011-28035024)
च) क्र. सं. 10 पर वर्णित सम्पत्ति के लिए – मुख्य प्रबंधक, कृष्ण नगर शाखा (Ph-011

खबर कोना

यूरोपीय लीग फुटबाल टूर्नामेंट में अपने ग्रुप मैच से पहले बुधवार को रोम में अभ्यास करते हुए रोमा क्लब के खिलाड़ी।

तीसरे अंपायर को नो बॉल देखनी चाहिए : गिलक्रिस्ट

मुंबई, 6 नवंबर (भाषा)।

आस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज क्रिकेटर एडम गिलक्रिस्ट का मानना है कि तीसरे अंपायर को नो बॉल देखनी चाहिए लेकिन वह आइपीएल में चौथे अंपायर के यह फैसला करने के खिलाफ नहीं हैं, बशर्ते सही निर्णय लिया जाए। इंडियन प्रीमियर लीग के दौरान अंपायरों के खराब फैसलों की संख्या में कमी लाने के लिए आइपीएल संचालन परिषद ने 'नो बॉल' से जुड़े फैसले के लिए अलग अंपायर रखने का प्रस्ताव रखा जिसके बाद गिलक्रिस्ट ने यह प्रतिक्रिया दी। गिलक्रिस्ट ने कहा, 'मैदानी अंपायर के लिए पहले नीचे देखना, फिर ऊपर देखना और साथ ही इधर-उधर भी देखना देखना काफी चुनौतीपूर्ण होता है क्योंकि काफी चीजें हो रही होती हैं। निश्चित तौर पर पिछले साल रीप्ले में दिखाया गया कि नो बॉल फेंकी गई थी।' उन्होंने कहा, 'क्या आपको चौथे अंपायर की जरूरत है, शायद नहीं, आखिल ऐसा क्यों ना हो कि तीसरा अंपायर रीप्ले देखे और फैसला करे।'उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि यह अधिक आसान चीज है। अगर इसका मतलब है कि चौथे अंपायर की जरूरत है और वह सही फैसला करेगा तो मैं इसके साथ हूं।' क्या अतिरिक्त अंपायर के होने से चीजें धीमी हो जाएंगी, यह पूछे जाने पर गिलक्रिस्ट ने कहा, 'नहीं ऐसा नहीं है क्योंकि वे तुरंत फैसला कर सकते हैं। मैंने प्रसारण टीम के साथ काम किया है, आपको पांच सेकेंड के अंदर रीप्ले मिल सकता है।'पिछले आइपीएल में काफी विवाद हुआ था जब आगे के पैर की नो बॉल को लेकर कुछ विवादास्पद फैसले किए गए थे। भारतीय कप्तान विराट कोहली ने भारतीय अंपायर एस रवि के साथ तीखी बहस भी की थी जो मुंबई इंडियंस के श्रीलंका के तेज गेंदबाज लसिथ मलिंगा की नो बॉल को देखने में विफल रहे थे जो आइपीएल मैच के दौरान रायल चैलेंजर्स बंगलोर के लिए महंगा साबित हुआ था।

शृंखला में बराबरी हासिल करने उतरेगा भारत

राजकोट, 6 नवंबर (भाषा)।

क्रिकेट के सबसे छोटे प्रारूप में एक बार फिर दबाव में आया भारत गुरुवार को यहां बांग्लादेश के खिलाफ होने वाले दूसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में जीत के साथ शृंखला बराबर करने के इरादे से उतरेगा। इस मैच में चक्रवातीय तूफान का खतरा भी मंडरा रहा है।

भारत को दिल्ली में वायु प्रदूषण के बीच रविवार को पहले टी20 मैच में सात विकेट से हार का सामना करना पड़ा था। बांग्लादेश के लिए यह नतीजा बेहतरीन है। उसके खिलाड़ी वेतन और अन्य मुद्दों को लेकर हुई हड़ताल के बाद यहां आए हैं, जबकि भारत दौरे पर रवाना होने से ठीक पहले भ्रष्ट संपर्क की सूचना नहीं देने के लिए टीम के सबसे बड़े खिलाड़ी शाकिब अल हसन को निलंबित कर दिया गया।

ऋषभ पंत

भारत को पिछले कुछ समय में टी20 प्रारूप में वैसी सफलता नहीं मिली है जैसी टीम ने एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय और टैस्ट क्रिकेट में हासिल की है और यह इस साल के नतीजों में भी झलकता है।

भारत को इस साल आस्ट्रेलिया के खिलाफ घरेलू सरजमीं पर हार का सामना करना पड़ा जबकि दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी20 शृखला बराबरी रही। भारत ने टैस्ट क्रिकेट में दक्षिण अफ्रीका का क्लीनस्वीप किया था। नियमित कप्तान विराट कोहली सहित कुछ सीनियर खिलाड़ियों की गैरमौजूदगी में युवा खिलाड़ियों के पास यह शृंखला अपनी क्षमता दिखाने का मौका है।ये सारी चीजें हालांकि इस पर निर्भर करेंगी कि चक्रवात 'महा' का शहर के मौसम पर क्या असर पड़ता है। इस चक्रवातीय तूफान के मैच के दिन गुजरात के तट से टकराने की संभावना है।

गुरुवार को होने वाले मैच से पहले शिखर धवन की फार्म और स्ट्राइक रेट भी चिंता का विषय है। भारत अगर बांग्लादेश के खिलाफ शृंखला गंवाता है तो उसकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं क्योंकि उसकी निगाहें अगले साल आस्ट्रेलिया में होने वाले टी20 विश्व कप के लिए टीम तैयार करने पर टिकी हैं।

पहले मैच में विफल रहे कप्तान रोहित दूसरे मैच में बेहतर प्रदर्शन करने की कोशिश करेंगे। दिल्ली में 42 गेंद में 41 रन बनाने वाले धवन के स्ट्राइक रेट और फार्म पर सवाल उठे हैं। सुनील गावस्कर ने कहा कि अगर धवन बाकी दो मैचों में स्वच्छंद होकर बल्लेबाजी नहीं करते हैं तो और अधिक सवाल उठेंगे।

इसके अलावा लोकेश राहुल पर भी दबाव होगा जो टैस्ट टीम में जगह गंवाने के बाद टी20 एकादश में अपनी जगह पक्की करने की कोशिशों में जुटे हैं। भारत के युवा खिलाड़ियों से रविवार को काफी उम्मीदें थी लेकिन श्रेयस अय्यर को छोड़कर कोई भी प्रभाव नहीं छोड़ पाया। ऋ षभ पंत, कृणाल पंड्या और पिछले मैच में पदार्पण करने वाले आलराउंडर शिवम दुबे को अपने चयन को सही साबित करते हुए मुश्किल हालात में योगदान देना होगा। यह देखना होगा कि टीम प्रबंधन दुबे को एक और मौका देता है या केरल के विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन को अंतिम एकादश में शामिल करता है। कर्नाटक के बल्लेबाज मनीष पांडे को भी मौका मिल सकता है। भारत की अनुभवहीन गेंदबाजी भी टीम प्रबंधन के लिए चिंता का विषय है। तेज गेंदबाज खलील अहमद की जगह दूसरे टी20 में शारदुल ठाकुर को मौका मिल सकता है। युजवेंद्र चहल, कृणाल पंड्या और वाशिंगटन सुंदर की स्पिन तिकड़ी को विरोधी टीम की रन गति पर अंकुश लगाने के अलावा विकेट भी चटकाने होंगे।

तेज गेंदबाजी संयोजन पिच पर निर्भर करेगा : रोहित

राजकोट, 6 नवंबर (भाषा)।

भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने गुरूवार को बांग्लादेश के खिलाफ होने वाले दूसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच के लिए तेज गेंदबाजों के संयोजन में बदलाव का संकेत दिया। साथ ही बल्लेबाजी लाइन अप का बचाव किया जिसमें शिखर धवन पिछले कुछ समय से जूझ रहे हैं।

रोहित ने कहा, 'हमारी बल्लेबाजी अच्छी दिखती है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि हमें अपनी बल्लेबाजी में कुछ बदलाव करने की जरूरत है। हम पिच का आकलन करेंगे और उसी के आधार पर देखेंगे कि बतौर टीम हम क्या कर सकते हैं।' उन्होंने हालांकि किसी का नाम नहीं लिया लेकिन ऐसा हो सकता है कि शारदुल ठाकुर को खलील की जगह उतारा जाए।

कप्तान ने कहा, 'पिछले मैच में हम जिस तेज गेंदबाजी संयोजन के साथ खेले थे, वो दिल्ली की पिच के हिसाब से था। हम आज फिर पिच देखेंगे और फिर सोचेंगे कि हमें अपने गेंदबाजी लाइन-अप में क्या करने की जरूरत है।'

शृंखला में जीत बांग्लादेश के लिए महत्त्वपूर्ण : महमूदुल्लाह

राजकोट, 6 नवंबर (भाषा)।

बांग्लादेश के कप्तान महमूदुल्लाह ने बुधवार को कहा कि मेजबान भारत के खिलाफ टी20 शृंखला में जीत बांग्लादेश क्रिकेट के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगी जो हाल में विषम परिस्थितियों से गुजरा है जिसमें स्टार खिलाड़ी शाकिब अल हसन पर प्रतिबंध लगना भी शामिल है।

महमूदुल्लाह ने भारत के खिलाफ दूसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच की पूर्व संध्या पर कहा, 'अगर आप हाल के घटनाक्रम पर गौर करो, बांग्लादेश क्रिकेट में हुआ, उसे देखते हुए शृंखला में जीत बांग्लादेश क्रिकेट के लिए महत्वपूर्ण है और इससे बांग्लादेश क्रिकेट टीम का मनोबल भी बढ़ेगा।'

NxtGen Infinite Datacenter presents

The Indian EXPRESS EXCELLENCE IN GOVERNANCE AWARDS

Indian Express Group

HONOURING THE FINEST DISTRICT MAGISTRATES IN INDIA

CALL FOR ENTRIES

The Indian Express announces the second edition of The Indian Express Excellence in Governance Awards. The award celebrates District Magistrates across the nation who have been the agents of progress and change.

AWARD CATEGORIES

- Agriculture
- Border Districts
- Child Development
- Community Involvement
- Education
- Energy
- Entrepreneurship
- Health
- Implementation of Central Schemes
- Inclusive Innovation
- Jammu & Kashmir District
- Left Wing Extremism Districts
- North East Districts
- Skill Development
- Social Welfare
- Technology Implementation
- Water Management
- Women Development

To apply visit eigawards.indianexpress.com

LAST DATE FOR ENTRIES | DECEMBER 31, 2019

The Indian EXPRESS — JOURNALISM OF COURAGE —

IndianExpress.com/apps twitter.com/IndianExpress facebook.com/IndianExpress

कश्यप और प्रणीत चीन ओपन के दूसरे दौर में, साइना हारीं

फुजोउ (चीन), 6 नवंबर (भाषा)।

खराब फार्म से जूझ रहीं पूर्व ओलंपिक कांस्य पदक विजेता साइना नेहवाल बुधवार को यहां स्थानीय दावेदार काइ यान यान के खिलाफ पहले दौर में हारकर सात लाख डालर इनामी चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट से बाहर हो गईं।

दुनिया की नौवें नंबर की खिलाड़ी साइना को महिला एकल के पहले दौर के मुकाबले में सिर्फ 24 मिनट में सीधे गेम में चीन की खिलाड़ी के खिलाफ 9-21, 12-21 से हार झेलनी पड़ी।

पुरुष एकल में साइना के पति और निजी कोच पारूपल्ली कश्यप ने थाईलैंड के सिथिकोम थमासिन के खिलाफ सीधे गेम में आसान जीत दर्ज की। कश्यप ने थाईलैंड के विरोधी को 43 मिनट में 21-14, 21-3 से हराया। वे दूसरे दौर में सातवें वरीय डेनमार्क के विक्टर एक्सेलसन से भिड़ेंगे।

विश्व चैंपियनशिप के कांस्य पदक विजेता बी साई प्रणीत ने भी इंडोनेशिया के टॉमी सुगियार्तो को 52 मिनट चले कड़े मुकाबले में 15-21 21-12 21-10 से हराया। दुनिया के 11वें नंबर के खिलाड़ी प्रणीत अगले दौर में डेनमार्क के चौथे वरीय एंडर्स एंटोनसेन से भिड़ेंगे।

प्रणव जैरी चोपड़ा और एन सिक्की रेड्डी की मिश्रित युगल जोड़ी को भी पहले दौर में हार का सामना करना पड़ा। भारतीय जोड़ी को वैंग ची लिन और चेंग ची या की चीनी ताइपे की जोड़ी के हाथों 14-21, 14-21 से शिकस्त झेलनी पड़ी।

जनवरी में इंडोनेशिया मास्टर्स का खिताब जीतने के बाद से 29 साल की साइना अपनी फिटनेस को लेकर मुश्किल दौर से गुजर रही हैं। साइना लगातार तीन टूर्नामेंट के पहले दौर में बाहर होने के बाद पिछले महीने फ्रेंच ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंची थीं।

पुरुषों के बराबर वेतन

सिडनी, 6 नवंबर (एएफपी)।

आस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय टीम की ओर से खेलने वाली महिला फुटबालरों को अब अपने पुरुष समकक्षों के समान वेतन मिलेगा। इस करार का खाका बुधवार को पेश किया गया।

आस्ट्रेलियाई फुटबाल महासंघ द्वारा घोषित नई केंद्रीकृत अनुबंध प्रणाली के अनुसार समंथा केर और एली कारपेंटर जैसी महिला स्टार खिलाड़ियों को पुरुष टीम के आरोन मूय और मैट रेयान जैसे दिग्गज खिलाड़ियों के बराबर वेतन मिलेगा।

फीफा विश्व कप क्वालीफायर के लिए गोलकीपर धीरज भारतीय टीम में

नई दिल्ली, 6 नवंबर (भाषा)।

युवा गोलकीपर एम धीरज सिंह को इस महीने के आखिर में अफगानिस्तान और ओमान के खिलाफ होने वाले फीफा विश्व कप 2022 क्वालीफाइंग मैचों के लिए भारत की 26 सदस्यीय टीम में चुना गया है।

भारतीय टीम दुशांबे में अफगानिस्तान के खिलाफ 14 नवंबर को खेलेगी जबकि ओमान से उसका सामना 19 नवंबर को मस्कट में होगा। भारतीय टीम पांच सितंबर को गुवाहाटी में हुए घरेलू चरण के मैच में ओमान से 1-2 से हार गई थी।

फीफा अंडर 17 विश्व कप में शानदार प्रदर्शन करने वाले धीरज के अलावा अमरजीत सिंह और डिफेंडर अनवर अली को भी सीनियर टीम में जगह मिली है।

कोच इगोर स्टिमक ने कहा, 'धीरज भविष्य का खिलाड़ी है। हमने हमेशा युवाओं पर भरोसा किया है और वे उस भरोसे पर खरे उतरे हैं। हमारी पहली पसंद गोलकीपर गुरप्रीत और अमरिंदर है जबकि हमने कमलजीत और विशाल को भी देखा। अब हम धीरज को परखना चाहते हैं।' कप्तान सुनील छेत्री ने कहा, 'विदेश में खेलना आसान नहीं होता लेकिन हम पेशेवर हैं। यात्रा, खान पान, नींद सबका ध्यान रखना होगा।'

टीम :

गोलकीपर : गुरप्रीत सिंह संधू, अमरिंदर सिंह, धीरज सिंह

डिफेंडर : प्रीतम कोताल, निशु कुमार, राहुल भेके, अनस ई, नरेंदर, आदिल खान, सार्थक गोलुइ, शुभाशीष बोस, मंदार राव देसाई

मिडफील्डर : उदांता सिंह, जैकीचंद सिंह, एस डाउंगेल, रेनियर फर्नांडिस, विनित राय, सहाल अब्दुल समद, प्रणय हलधर, अनिरुद्ध थापा, एल छांगटे, ब्रेंडन फर्नांडिस, आशिक कुरुनियन।

फारवर्ड : सुनील छेत्री, फारुख इंजीनियर, मनवीर सिंह ।

SOMANY ZAMEEN SE JUDEY

EXTRACT OF STATEMENT OF STANDALONE AND CONSOLIDATED UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND SIX MONTHS ENDED 30.09.2019

(Rs. in Lakhs)

Particulars	STANDALONE				CONSOLIDATED			
	Quarter Ended		Half Year Ended	Year Ended	Quarter ended		Half Year Ended	Year Ended
	30.09.2019	30.09.2018	30.09.2019	31.03.2019	30.09.2019	30.09.2018	30.09.2019	31.03.2019
	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
Revenue from operations								
a) Gross sales	41,767	39,090	80,152	1,68,513	41,914	39,032	81,187	1,70,833
b) Other operating income	400	192	730	1,042	316	107	594	672
Total income from operations	42,167	39,282	80,882	1,69,555	42,230	39,139	81,781	1,71,505
Net Profit for the period (before tax, exceptional and/or extraordinary items)	1,352	741	2,714	7,926	1,849	886	2,985	9,234
Net Profit for the period before tax (after exceptional and/or extraordinary items)	(1,266)	741	96	7,185	(769)	886	367	8,010
Net Profit for the period after tax (after exceptional and/or extraordinary items)	480	457	1,354	4,630	884	550	1,598	5,326
Total Comprehensive Income for the period [Comprehensive profit/(loss) for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)]	411	457	1,285	4,610	815	550	1,529	5,306
Equity Share Capital	848	848	848	848	848	848	848	848
Other Equity				58,361				60,456
Earning per share								
Basic and Diluted (Face Value of Rs. 2/- each) (before/after Extraordinary item)-in Rs. (not annualised)	1.13	1.08	3.19	10.92	1.52	1.08	3.28	10.92

Notes:

1. The above is an extract of the detailed format of Quarterly / Half Yearly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly / Half Yearly Financial Results are available on Company's website (http://www.somanyceramics.com) and the Stock Exchange websites of BSE (http://bseindia.com) and NSE (http://nseindia.com).
2. These financial results have been prepared in accordance with the Indian Accounting Standards (Ind AS) prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 and other recognised accounting practices and policies to the extent applicable.

Date : November 6, 2019
Place : New Delhi

For Somany Ceramics Limited
Shreekant Somany
Chairman & Managing Director
DIN 00021423

Somany Ceramics Limited
Regd. Office: 2, Red Cross Place, Kolkata, West bengal - 700001 Website: www.somanyceramics.com | CIN: L40200WB1968PLC224116

रजिस्ट्रेशन नं. डी.एल.-21047/03-05, आरएनआई नं. 42819/83, वर्ष 36, अंक 353 *हवाई शुल्क :* इंफल-पांच रुपए, गुवाहाटी-चार रुपए, रायपुर-दो रुपए और पटना-एक रुपए।
दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड के लिए आर. सी. मल्होत्रा द्वारा ए-8, सेक्टर 7, नोएडा- 201301, जिला गौतम बुद्ध नगर (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित और मेजनीन फ्लोर, एक्सप्रेस बिल्डिंग, 9-10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 से प्रकाशित। फोन: (0120) 2470700/2470740, ई-मेल: edit.jansatta@expressindia.com, फैक्स: (0120) 2470753, 2470754, **बोर्ड अध्यक्ष: विवेक गोयनका, कार्यकारी संपादक: मुकेश भारद्वाज***, *पीआरबी अधिनियम के तहत खबरों के चयन के जिम्मेवार। कापीराइट: दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड। सर्वाधिकार सुरक्षित। लिखित अनुमति लिए बगैर प्रकाशित सामग्री या उसके किसी अंश का प्रकाशन या प्रसारण नहीं किया जा सकता।